खण्ड-465, अंक-1
बुधवार, 20 आषाढ़, शक संवत् 1929
(11 जुलाई, 2007 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2007)

खण्ड 465 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद् नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	क-ठ
उपस्थित सदस्य	ड-द
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट से सम्बन्धित नियम-300 के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1-53
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	53-54
सीतापुर जिले के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये पूर्वांचल विकास निधि से मिलने वाली सुविधायें जनपद सीतापुर में भी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54
जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत मनकापुर और छपिया में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकत्रियों एवं सप्तयिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया में मानक के अनुसार चयन न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54-55
जनपद सहारनपुर के ग्राम बीराखेड़ी, ब्लाक गंगोह में तालाबों पर किये गये अवैध कब्जों को हटवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	55-56
जनपद औरैया के विकास खण्ड विधूना में बहने वाले कनसूआ रजबहा पर अमृतपुर और पूर्वामाखन के बीच टूटी हुयी पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	56
गत तीन वर्षों में रिपोर्ट दर्ज न होने का आधार लेकर जनपद उन्नाव में कोटेदारों एवं पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को परेशान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	56-57
मुजफ्फरनगर के थाना भवन क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों एवं सम्पर्क मार्गो का निर्माण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	57
श्री शिव सिंह, सहायक अधीक्षक राजकीय सम्प्रेषण गृह जनपद फतेहगढ़ की सेवा- निवृत्ति के उपरान्त अभी तक पेंशन एवं अन्य देयकों का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	57
जनपद बांदा में जल निगम के अधिकारियों द्वारा गत कई वर्षों से स्वीकृत हैण्डपम्पों को अभी तक न लगाये जाने से उत्पन्न पेयजल संकट का निवारण करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	57-58

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री बीरपाल सिंह निवासी ग्राम हाजीपुर जनपद बुलन्दशहर की मार्ग दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	58-59
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के अनुभाग-4 डी (2) द्वारा शासनादेश संख्या-570/5-7-2002-7-44/2001 दिनांक 27 फरवरी, 2002 का दुरुपयोग कर अनेक फार्मासिस्टों/चीफ फार्मासिस्टों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	59-60
सदन में उठाये गये प्रश्नों को विभागीय अधिकारियों द्वारा गम्भीरता से न लिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	60-63
जनपद आजमगढ़ के सदर क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शासन के वक्तव्य में असत्य तथ्यों का उल्लेख होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	63-65
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिये सदन के पटल पर रखे गये प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	65-70
सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर शासन का ध्यानाकृष्ट किये जाने के उपरान्त उन पर कृत कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित सदस्य एवं विधान सभा सचिवालय को न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	70-71
जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा, तिन्दवारी तथा बड़ोखर खुर्द में बन्द पड़े व खराब पड़े नलकूपों को ठीक कराकर चालू कराये जाने विषयक श्री फूल चन्द्र निषाद आदि निवासीगण जनपद-बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	71
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) ...	71-72
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	72-94
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम), अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु), अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़के).....(स्वीकृत)	94-138

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-1-आबकारी विभाग.....(स्वीकृत) ...	138-151
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-02-आवास विभाग.....(स्वीकृत) ...	151-158
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पति निदेशालय).....(स्वीकृत)	159
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग.....(स्वीकृत) ...	159-160
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)..... (स्वीकृत)	160
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)..... (स्वीकृत)	160
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)... ...(स्वीकृत) ...	161
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-64-वित्त विभाग (राज्य लाटरी).....(स्वीकृत) ...	161
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)..... (स्वीकृत)	161-162
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा).....(स्वीकृत)	162
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव...(स्वीकृत)	162-163
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	163-165
ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत अधोमानक पाइप लाइन के प्रयोग से ग्रामीणों को समुचित जलापूर्ति न होने के सम्बन्ध में श्री जयवीर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य ...	165-166

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश हेतु भारी डोनेशन लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मदन भैया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) का वक्तव्य	166-169
जनपद मऊ के नत्थूपुर क्षेत्रान्तर्गत घाघरा नदी की कटान को रोकने हेतु ठोकर बनवाने के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण, आवास एवं सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ...	169-170
जनपद कुशीनगर में जिला चिकित्सालय का भवन पूर्ण निर्मित होने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुंवर रतनजीत प्रताप नरायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) का वक्तव्य	170-172
नगर पालिका परिषद्, बहेड़ी जनपद बरेली में जलोत्सारण हेतु कराये गये कार्यों की टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच कराये जाने तथा समस्या के समुचित निदान के सम्बन्ध में श्री छत्रपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	172-173
जनपद गाजीपुर के जखनियां क्षेत्रान्तर्गत अपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) का केवल वक्तव्य ...	173-175
जनपद रायबरेली में जिलाधिकारी द्वारा सिंधियार जाति के नाम पर चर्चित थारु जाति के नाम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव गणेश लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	175-176
आगरा महानगर अन्तर्गत प्रमुख सड़क नेहरु नगर पेट्रोल पम्प से वजीरपुरा होते हुए पालीवाल गेट तक तथा वजीरपुरा से नगला बेन प्रसाद होते हुए गांधीनगर चौराहे तक के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	176-177
नत्थियां	178-192

उत्तर प्रदेश विधान सभा
पन्द्रहवीं विधान सभा

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय यादव, श्री	एटा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरमणि त्रिपाठी, श्री	महराजगंज
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
अरविन्द सिंह, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम, हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक यादव पुत्र महेश्वर सिंह, श्री	फिरोजाबाद

अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ	
कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल, श्री	बिजनौर
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उपेन्द्र तिवारी, श्री	हरदोई
उमलेश यादव, श्रीमती	बदायूँ
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह	
(ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कादिर राणा, श्री	मुजफ्फरनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ	
सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि प्रसाद, श्री	सोनभद्र
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह, श्री	झाँसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव	
डी0पी0 यादव, श्री	बदायूँ
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रूखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया

प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी), श्रीमती	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिमलेश सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	बदायूँ
महेश चन्द गुप्ता, श्री	कानपुर देहात
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदासनगर(भदोही)
रघुनाथ प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ घुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुँवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, श्री	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच

सत्य मेव जयते

वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय कुमार मिश्र, श्री	सन्त कबीरनगर (भदोही)
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य (दीपू भइया), श्री	बरेली
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैयूयदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
रिक्त	मनोनीत
*रिक्त	बदायूं
**रिक्त	रामपुर
***रिक्त	फर्रुखाबाद

* श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा दिनांक 16 मई, 2007 के अपरान्ह से गुन्नौर (बदायूं) से त्याग-पत्र के फलस्वरूप।

** श्री काजिम अली उर्फ नवेद मियां, नवाब द्वारा दिनांक 23 मई, 2007 के अपरान्ह से त्याग-पत्र के फलस्वरूप।

*** श्री विजय सिंह द्वारा दिनांक 11 जून, 2007 के अपरान्ह से त्याग-पत्र के फलस्वरूप।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महामहिम राज्यपाल
श्री टी0 वी0 राजेस्वर
मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	कुमारी मायावती मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, न्याय, विधायी, नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, राजनैतिक पेंशन, भाषा, सूचना, वाह्य सहायतित परियोजना, नागरिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, कृषि शिक्षा, धर्मार्थ कार्य, मुस्लिम वक्फ, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, परिवार कल्याण, अवस्थापना विकास, महिला कल्याण तथा कारागार प्रशासन एवं सुधार।
2	श्री सतीश चन्द्र मिश्रा	मुख्य मंत्री जी से सम्बद्ध।
3	श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी	आबकारी, मद्य निषेद्य, लोक निर्माण, सिंचाई (बाढ़ नियंत्रण को छोड़कर), आवास एवं शहरी नियोजन नगर भूमि तथा गन्ना विकास एवं चीनी मिलें।
4	श्री रामवीर उपाध्याय	ऊर्जा एवं ग्रामीण समग्र विकास।
5	श्री लालजी वर्मा	संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण।
6	श्री इन्द्रजीत सरोज	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा कृषि विपणन।
7	ठाकुर जयवीर सिंह	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात।
8	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	सहकारिता।
9	श्री वेदराम भाटी	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल।

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
10	श्री लक्ष्मी नारायण	कृषि (कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात तथा कृषि विपणन को छोड़कर)।
11	श्री राकेश धर त्रिपाठी	उच्च शिक्षा।
12	श्री बाबू सिंह कुशवाहा	भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज।
13	श्री जगदीश नारायण राय	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग।
14	श्री फागू चौहान	राजस्व।
15	श्री नकुल दुबे	नगर विकास (नगरीय विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को छोड़कर), पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन, संस्थागत वित्त (स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क को छोड़कर)।
16	श्री दद्दू प्रसाद	ग्राम्य विकास।
17	श्री नरायन सिंह	उद्यान।
18	श्री राम प्रसाद चौधरी	खाद्य एवं रसद।
19	डा0 धर्म सिंह सैनी	बेसिक शिक्षा।
20	श्री राम अचल राजभर	परिवहन।
21	श्री बादशाह सिंह	श्रम।
22	श्री रंगनाथ मिश्र	माध्यमिक शिक्षा।
23	श्री अनंत कुमार मिश्रा	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा।
24	श्री अब्दुल मन्नान	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
25	श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'	संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क।
26	श्री कमलाकान्त गौतम	वित्त।
27	श्री चन्द्र देव राम यादव	लघु उद्योग।
28	श्री अशोक कुमार	भूमि विकास एवं जल संसाधन।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1	श्री अनीस अहमद खाँ	अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज।
2	श्री अयोध्या प्रसाद पाल	खेलकूद एवं युवा कल्याण।
3	श्री जमुना निषाद	मत्स्य एवं सैनिक कल्याण।
4	श्रीमती ओमवती	खादी एवं ग्रामोद्योग।

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)।
5	श्री विनोद सिंह	पर्यटन।
6	श्री फतेह बहादुर सिंह	वन, जन्तु उद्यान।
7	श्री लखीराम नागर	लघु सिंचाई।
8	श्री अवधेश कुमार वर्मा	पिछड़ा वर्ग कल्याण।
9	श्री राम हेत	निर्वाचन।
10	श्री रामपाल वर्मा	परती भूमि विकास।
11	श्री अवधपाल सिंह यादव	पशुधन एवं दुग्ध विकास।
12	श्री अकबर हुसैन	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत।
13	श्री सदल प्रसाद	प्राविधिक शिक्षा।
14	डा0 यशवंत सिंह	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
15	श्री रतनलाल अहिरवार	डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास।
16	श्री आनन्द सेन यादव	खाद्य प्रसंस्करण।
17	श्री भगवती प्रसाद सागर	सेवायोजन।
18	श्री जयवीर सिंह	बाढ़ नियंत्रण तथा जलोत्सारण योजना।

राज्य मंत्री

1	श्री संग्राम सिंह	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग।
2	श्री योगराज सिंह	कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान।
3	श्रीमती विद्या चौधरी	महिला कल्याण।
4	श्री राजेश त्रिपाठी	होम्योपैथिक चिकित्सा एवं धर्मार्थ कार्य।
5	श्री शहजिल इस्लाम अंसारी	मुस्लिम वक्फ।
6	श्री दद्दन मिश्रा	आयुर्वेदिक चिकित्सा।
7	श्री हरिओम	होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल।
8	श्री यशपाल सिंह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।

नेता विरोधी दल,
श्री मुलायम सिंह यादव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री सुखदेव राजभर

प्रमुख सचिव

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

अधिष्ठाता मण्डल

1-श्री भगेलू राम, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर),

2-श्री फरीद महफूज किदवई, सदस्य, विधान सभा (बाराबंकी),

3-श्री बृजेश सौरभ, सदस्य, विधान सभा (प्रतापगढ़),

4-श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर),

5-श्री भगवती प्रसाद सागर, सदस्य, विधान सभा (झांसी),

6-श्री राम बिशुन आजाद, सदस्य, विधान सभा (गोण्डा),

7-श्री अरविन्द गिरी, सदस्य, विधान सभा (खीरी),

8-डा0 पी0 के0 राय, सदस्य, विधान सभा (कुशीनगर),

9-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर),

10-श्री प्रदीप माथुर, सदस्य, विधान सभा (मथुरा)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 11 जुलाई, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य 348

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द गिरी, श्री	लखीमपुर खीरी
अरविन्द सिंह, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी

आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल, श्री	बिजनौर
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कादिर राणा, श्री	मुजफ्फरनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि प्रसाद, श्री	सोनभद्र
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार, श्री	वस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीप नारायण सिंह, श्री	झाँसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिमलेश सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम खां, श्री	बदायूं
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, श्री	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहांपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री	वाराणसी
श्याम नरायन यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्री भगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सत्य प्रकाश अग्रवाल		सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
(कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत	सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सनातन, श्री	बलिया	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़	सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर	सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सुखलाल, श्री	पीलीभीत	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव	हरिओम, श्री	जालौन
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	हसरत उल्ला, श्री	एटा
सुभाष, श्री	बलिया	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर		

नोट :- आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास, शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी), भूतत्व, खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट से सम्बन्धित नियम-300 के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष-

नत्थी (क) तारांकित प्रश्न संख्या-01।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को मैंने औचित्य के रूप में प्रश्न उठाया है।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप बैठ जायें। आपने इस सूचना को नियम-300 के अन्तर्गत भी दिया है, मुझे मालूम है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इस पर कल सुनवाई कर लीजिएगा।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश की बन्द चीनी मिलों पर किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान की मांग

1-डा0 अनिल चौधरी तथा श्री इमरान मसूद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की अधिकतर चीनी मिलें पेराई बन्द कर चुकी हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्तमान में किसानों का कितना गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों पर बकाया है ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? क्या किसानों को बकाये पर ब्याज भी दिलाया जायेगा ? यदि हां, तो किस दर से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, आबकारी एवं गन्ना विकास तथा चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

सहकारी क्षेत्र की दो चीनी मिलें बेलरायां तथा बदायूं को छोड़कर शेष सभी चीनी मिलें पेराई कार्य बन्द कर चुकी हैं।

पेराई सत्र 2006-07 में प्रदेश की चीनी मिलों पर दिनांक 02 जुलाई, 2007 तक गन्ना मूल्य निम्नानुसार अवशेष है :-

(धनराशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	कुलदेय	भुगतान	अवशेष
निगम क्षेत्र	610.15	360.63	249.52
सहकारी क्षेत्र	1299.14	921.85	377.29
निजी क्षेत्र	9091.96	7129.52	1962.44

कृषकों के शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान हेतु प्रदेश की सभी चीनी मिलों को समयबद्ध नोटिसें जारी करते हुए कड़े निर्देश जारी किया गये हैं। बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हेतु अन्तिम तिथि 31-08-2007 निर्धारित करते हुए शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है।

विलम्बित अवधि पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत देय है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, अभी मेरा उत्तर समाप्त नहीं हुआ है, मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं। मान्यवर, जो सबसे ऊपर उत्तर में दिया है कि सहकारी क्षेत्र की दो चीनी मिलें बेलरायां तथा बदायूं को छोड़कर यानी इनमें पेराई चालू है, तो जिस समय उत्तर दिया गया था उस समय पेराई चालू थी, लेकिन आज की तारीख में मान्यवर यहां पर भी पेराई बन्द है।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि विलम्बित अवधि पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत देय है। तो क्या जिन किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान निर्धारित अवधि के बाद किया गया उनको ब्याज दिलाया गया ? दूसरा प्रश्न भी साथ में ही कर लूं। मेरा दूसरा प्रश्न है बुलन्दशहर जिले की अगौता चीनी मिल के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि किसानों को ब्याज सहित गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाय। तो क्या यह भुगतान ब्याज सहित कराया गया ? मेरा तीसरा प्रश्न है, पिछले वर्ष लम्बे समय तक निजी चीनी मिल मालिकों पर लगभग साढ़े आठ सौ करोड़ रुपया किसानों का बकाया भुगतान था। क्या उस पर इस नियम के तहत आपके द्वारा ब्याज किसानों को दिलाया गया ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जहां तक ब्याज के बारे में बात है तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि 15 परसेंट ब्याज विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत देय है और भुगतान के सम्बन्ध में भी स्पष्ट है कि शत-प्रतिशत भुगतान 31 अगस्त, 2007 तक कराये जाने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। जहां तक माननीय उच्च न्यायालय का मामला है, अगौता चीनी मिल का मामला है, जब 15 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान का प्राविधान है तो वह तो पूरे प्रदेश में सभी के लिए है, कोई अगौता चीनी मिल अलग से थोड़े है।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि इस वर्ष जिन किसानों को लेट पेमेंट मिला है जैसे किसी ने 20 जनवरी को गन्ना डाल दिया मिल में और 5 फरवरी के बाद भुगतान हुआ तो क्या उस पर किसानों को ब्याज भी दिया गया और यदि दिया गया है तो कितने किसानों को दिया गया है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, यह इस प्रश्न से थोड़ा सा विस्तृत है। अगर माननीय सदस्य के पास कोई स्पेसिफिक सूचना हो तो मुझे बता दें। हम दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

जो पिछली बार भुगतान हुआ था उसकी सूचना आप चाह रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने करेन्ट भुगतान के बारे में बताया है। पहले भुगतान के सम्बन्ध में तो आपको अलग से प्रश्न करना चाहिये।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, क्या एक भी किसान को उसके बकाये भुगतान पर नियमों के तहत ब्याज दिलाया गया है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, इस वर्ष का जहां तक सवाल है उसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन ऐसा है कि माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे देंगे तो जो भी प्राविधान होंगे विधिक व्यवस्था के तहत वह हम करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण माननीय मंत्री जी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की परिधि में रहेंगे और शेष ऐसी कई परिस्थितियां है जिसमें विलम्ब की बात है तो उसके सम्बन्ध में उन्होंने 15 प्रतिशत की बात कही है। और यह भी आपसे निवेदन किया है कि आप कोई मामला हो तो उन्हें बता दें।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, जो उत्तर आया है वह भ्रामक है और असत्य है। यह जो गन्ना मिल मालिकों की लाबी है यह बड़ी मजबूत है। वह सरकार से ब्याज को हर वर्ष माफ कराती है। ऐसा नहीं है कि किसी नियम में अपने आप माफ हो जाता हो। मिल मालिकों और सरकार की मिली भगत से ब्याज माफ किया जाता है। क्या आप जो मिल मालिकों के ऊपर ब्याज देय है उसको माफ नहीं करेंगे यह स्पष्ट हो जाय ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, विधि में जो प्राविधान होंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार केवल एक बार गन्ने के भुगतान के ऊपर ब्याज दिया गया है। वह एक बी0एन0सिंह की याचिका के बाद दिया गया था। माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि अब तक कितनी मर्तबा गन्ने के बकाये भुगतान के ऊपर ब्याज की राशि किसानों को दी गयी है और क्या इस बार भी देंगे ? मान्यवर, मिल मालिक गन्ना उपायुक्त से मिलकर ब्याज माफ करा लेते हैं। क्या सरकार इस बार भी ब्याज को माफ करने का काम करेगी या नहीं, यह स्पष्ट हो ? मान्यवर, चूंकि गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है और गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है इसलिए किसान परेशान है। यह जुलाई का महीना है, इसमें शादियां होती हैं, बच्चों के दाखिले होते हैं, खरीफ

की फसल के लिये पैसा लगाना होता है। ऐसी स्थिति में जब तक उनका भुगतान नहीं हो जाता है किसान परेशान हो रहा है। मान्यवर, ब्याज के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार यह बताने का काम करे कि इस वर्ष बकाये के ऊपर ब्याज दिया जायेगा या नहीं दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में तीन बार उत्तर दे चुके हैं उन्होंने कहा है कि विधिक अनुसार हम ब्याज देंगे। 3 बार कमिटमेन्ट हो गया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

(श्री सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

मान्यवर, चूंकि इस सदन में दो जवाब इस सम्बन्ध में आये तो एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया क्योंकि पिछले दिनों में एक प्रश्न में भी और नियम-56 में भी माननीय गन्ना मंत्री जी ने कहा था कि 31 अगस्त् तक अंतिम तिथि है और अगर तब तक भुगतान नहीं होगा तो 15 प्रतिशत ब्याज दिलाया जायेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उस दिन यह कहा कि कोई भी समय होगा किसानों को गन्ने का भुगतान में 15 दिनों से ज्यादा डिले होता है तो 15 प्रतिशत ब्याज दिलाया जायेगा तो जो 15 प्रतिशत ब्याज दिलाये जाने की बात है और आपने जो डेड लाइन दी है कि 31 अगस्त्, 2007 तक जो आपने अपने जवाब में कहा कि 31 अगस्त्, 2007 तक सारे मिलों को कह दिया गया है, गन्ने का भुगतान कराया जायेगा तो 31 अगस्त् के बाद 15 दिन जो लेट होंगे उन किसानों को 15 प्रतिशत ब्याज दिया जायेगा या इस सीजन की शुरूआत से अब तक जितना गन्ना किसानों का मूल्य में भुगतान में 15 दिन से ज्यादा देरी हुई है उन सबको ब्याज दिलाया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

मान्यवर ऐसा है कि इसमें 15 प्रतिशत का सवाल 31 अगस्त् से नहीं है जिस दिन से मिल को किसानों से गन्ना मिलता है उसके बाद एक समय सीमा निश्चित है कि इतने दिन के बाद ऐक्ट में प्राविधान है कि 15 प्रतिशत ब्याज दिलाया जायेगा तो उस दिन से यह लागू होगा।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं सरकार से सिर्फ यह जानना चाहता हूं और सरकार से यह मांग करता हूं कि 15 प्रतिशत ब्याज देने की बात सरकार लगातार कर रही है कि 15 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान होगा। आज जितनी चीनी मिलें हैं वह खाली पेमेन्ट देने का काम कर रही है, ब्याज देने का काम नहीं कर रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मिलें ब्याज के सहित भुगतान देने का काम करेंगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, कई बार यह बात आ गयी है और आप उसी को रिपीट कर रहे हैं।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मलकपुर चीनी मिल के ऊपर 222 लाख रुपये का ब्याज पिछले सप्ताह तक लम्बित था जिसका डिमान्ड भी भेज दिया गया लेकिन खाली 8 दिन का पेमेन्ट देने का काम किया ब्याज देने

का काम नहीं किया। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि ब्याज देने का काम होगा तो जितना भुगतान दिया गया है उसके साथ ब्याज देने का भी काम करेंगे ?

अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जब से पेराई सत्र शुरू हुआ है तब से 15 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान देने की बात कही हैं। जब स्थिति स्पष्ट हो गयी है तो उसमें भरोसा तो रखिये अब देखिये भुगतान हो रहा है।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

ब्याज की बात सरकार कह रही है लेकिन फैक्ट्री वाले ब्याज देने का काम नहीं कर रहे है खाली भुगतान देने का काम कर रहे है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने तो कह दिया कि जब से पेराई सत्र शुरू हुआ तब से भुगतान होगा विधिक तौर पर ऐक्ट के प्राविधान के अनुसार माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार जब से पेराई शुरू होगी तब से 15 प्रतिशत ब्याज देय होगा। अब स्थिति स्पष्ट हो गयी, आप भरोसा तो रखे। अब उसमें कौन सी बात है।

(जर्नादन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर)

(डा0 अनिल चौधरी तथा अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

ओझा जी, आप बैठ जाइये। चौधरी साहब मूल प्रश्नकर्ता हैं, ठीक है, आप पूछ लीजिये।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था, मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यह था कि अभी इस वर्ष में कितने किसानों को ब्याज सहित भुगतान कराया गया, उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी मेरे पास पूरी सूचना नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि जब सूचना इकट्ठी कर ली जाय, तब दुबारा इस पर डिसकशन हो जाय, तब तक के लिये इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय, क्योंकि हमें सूचना जानने का अधिकार है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ प्रश्न पुछवाये जाने का अनुरोध करने पर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

भुगतान के सम्बन्ध में आ गया, साथ ही जो देय हैं, उनके बारे में बता दिया, बहुत अनुपूरक प्रश्न हो गये, 15 मिनट का समय इसी प्रश्न में हो गया। अब हम प्रश्न संख्या-2 को लेते है।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, यह सरकार गन्ना किसान विरोधी है, और यह 15 प्रतिशत ब्याज देने के वायदे के मुताबिक ब्याज सहित किसानों का भुगतान नहीं करा रही है, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री कौकब हमीद ने राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

झांसी महानगर के कर्मचारियों को बी-2 श्रेणी की सुविधायें व वेतनमान सरकार द्वारा दिये जाने की जानकारी

*2-श्री प्रदीप जैन ''आदित्य''-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर निगम के अस्तित्व में आ जाने के फलस्वरूप झांसी महानगर के कर्मचारियों को बी-2 श्रेणी की सुविधायें एवं वेतनमान सरकार द्वारा प्रदत्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जी नहीं।

केन्द्र सरकार द्वारा जनसंख्या के आधार पर राज्य के नगरों का जो वर्गीकरण किया गया है प्रदेश सरकार द्वारा उसी वर्गीकरण को वेतन समिति (1997-99) की संस्तुति पर स्वीकार कर लिया गया है। इस वर्गीकरण के आधार पर झांसी नगर 'सी' श्रेणी में वर्गीकृत है। झांसी महानगर में कार्यरत कर्मचारियों को तद्नुसार ही सुविधाएं अनुमन्य हैं। झांसी नगर निगम के अस्तित्व में आ जाने के फलस्वरूप इस नगर की उपर्युक्त श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अतः इस नगर के कर्मचारियों को पूर्व से अनुमन्य सुविधाओं में किसी संशोधन का औचित्य नहीं है।

जहां तक वेतनमानों का सम्बन्ध है, राज्य सरकार द्वारा समता समिति (1989) की संस्तुति पर राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर दिनांक 1-1-1986 से वेतनमान अनुमन्य कराये जा रहे हैं। नगरों की श्रेणी के आधार पर वेतनमान तय किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह असत्य है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्रेणियों में वर्गीकरण के बारे में प्रदेश सरकार के क्या मानक हैं ? और प्रदेश में ऐसे कितने नगर निगम हैं, जिन्हें किसी भी श्रेणी की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं ? दूसरे प्रश्न के रूप में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि झांसी नगरपालिका नगर निगम में जिस समय परिवर्तित हुई उस समय झांसी की जनसंख्या कितनी थी और वर्तमान में कितनी है ? तीसरे प्रश्न के रूप में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 08 दिसम्बर, 2006 में जो पुनः वर्गीकरण का शासनादेश आया था वह शासनादेश क्या है और उसमें क्या मानक हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि झांसी के अलावा कितने नगर निगम ऐसे हैं, तो यह मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है और न ही यह इस प्रश्न से सम्बन्धित है। जहां तक इन्होंने वेतनमान के बारे में पूछा है तो मान्यवर, वेतनमान केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर प्रदेश के कर्मचारियों को अनुमन्य कराये जा रहे हैं, इसका नगर निगम होने या न होने या वर्गीकरण से सम्बन्ध नहीं है और जो भी केन्द्र सरकार की ओर से अनुमन्य होता है, उसे हम एडाप्ट करते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, वैसे तो माननीय मंत्री जी पूरे प्रदेश के हैं परन्तु बुन्देलखण्ड से इनका पूरा ताल्लुक है, इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे क्योकि माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ? मान्यवर, 12 निगम हैं आपके, 12 में 11 निगमों में भत्ता, वेतन जो मिल रहा है वह अगर झांसी को अकेले में नहीं मिल रहा है तो मान्यवर, निःसंदेह जो चिन्ता माननीय सदस्य ने प्रकट की है, वह अपनी जगह उचित प्रतीत होती है। जहां तक यह प्रश्न है कि यह आपके विभाग से सम्बन्धित है या नहीं है, मान्यवर, वेतन की जो एक नीति बनी थी 1989 में, वह अपनी जगह है परन्तु जो भत्ता है, गृहकर है, एलाउंस है यह तो सीधे-सीधे आपका विभाग देता है तो मेरा एक विनम्र निवेदन है दो वजहों से एक तो यह बात सुनने में भी बड़ी अजीब लगती है कि 12 में 11 निगमों को मिले और एक को न मिले, इस पर विचार कर लें। दूसरा यह बुन्देलखण्ड के उस इलाके का प्रश्न है जो प्रकृति की सर्वाधिक मार झेल रहा है तो वहां के कर्मचारियों की पीड़ा समझते हुए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हुए यह प्रश्न करूंगा कि क्या वह इस पर विचार कर लेंगे माननीय सदस्य को बुलाकर कि क्या इन पीड़ित कर्मचारियों के दुःख को दूर करने के लिए कोई रास्ता ढूंढा जा सकता है ? क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर लेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय सदस्य के साथ जहां तक बैठने और सुझाव की बात है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, जब चाहें तब बात कर लें। लेकिन यह मामला केन्द्र सरकार का है और उसमें अगर कोई रास्ता नियमों के तहत निकल सकता होगा तो हम बाहर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

अगर हो सके तो तिवारी जी को भी बुला लीजिएगा।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

मान्यवर, मैं उन्हें आमन्त्रित करता हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, मामला उलझ जाएगा सुलझेगा नहीं।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष-

अब सारी बातें आ गई हैं आप बैठ जाएं। बैठ करके विचार कर लीजिएगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

हमको बुला लेंगे तो मामला सुलझा जाएगा और अगर कम ज्यादा करना होगा तो नरेश जी पहुंच जाएंगे तो कुछ न कुछ तो डाँड़ी मार ही देंगे।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0 व अन्त्योदय कार्ड वितरित करने की मांग

*3-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के जिन पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0 व अन्त्योदय कार्ड नहीं मिल सके हैं क्या उनके लिये सर्वे कराकर बी0पी0एल0 व अन्त्योदय कार्ड वितरित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बी0पी0एल0 राशन कार्डों की संख्या-6012337 एवं अन्त्योदय राशन कार्डों की संख्या-3757952 निर्धारित की गयी है। समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त राशन कार्ड धारकों की जांच किया जाता है एवं अपात्र पाये गये व्यक्तियों का राशन कार्ड निरस्त कर पात्र व्यक्तियों को अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 कार्ड उपलब्ध कराया जाता है।

बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों की पात्रता की जांच एक निरन्तर प्रक्रिया है, जिसके तहत समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

(प्रश्न संख्या-3 पुकारे जाने पर सम्बन्धित सदस्य के अनुपस्थित होने पर)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, खन्ना जी की शादी तय हो गयी है, इसलिए नहीं आये हैं।

श्री उदय भान करवरिया-

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर दिलवा दें, इसमें हमारी रुचि है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अगर आपकी रुचि है तो अन्त में इस प्रश्न को ले लेंगे।

श्री उदय भान करवरिया-

ता0 प्र0 सं0-3 के सम्बन्ध में मान्यवर, आपने आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष-

आश्वासन दिया था लेकिन समय के अन्दर ही तो पूछेंगे।

श्री उदय भान करवरिया-

मान्यवर, सिर्फ दो मिनट दे दें। मैं जवाब को पढ़ा मान लेता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के जवाब के ही सन्दर्भ में बात करना चाहता हूं, इन्होंने लिखकर दिया है कि बी0पी0एल0 के राशन कार्ड की संख्या 60 लाख से ऊपर बना दी गयी है और अन्त्योदय राशन कार्ड की संख्या 37 लाख से ऊपर बना दी गयी है। लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आये विधायकगण हैं, उनकी भी यह जानकारी है कि राजनैतिक कारण से गांव में ऐसे लोगों को, जिनको बहुत दिनों से बी0पी0एल0 कार्ड या अन्त्योदय कार्ड मिला हुआ था, उनके कार्ड को निरस्त करके वहां के ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से नये लोगों का राशन कार्ड बना दिया गया है। जबकि ब्लाक में विकास भवन में एक स्थायी सूची होती है बी0पी0एल0

की और उस सूची के आधार पर भी उनका नाम वहां पर इंगित है लेकिन उनके राशन कार्डों को निरस्त करके नये लोगों का कार्ड बना दिया गया है। मैं आपके माध्यम से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात की जांच करा लेगी कि जिन पुराने लोगों का बी0पी0एल0 कार्ड और अन्त्योदय कार्ड बना हुआ था। कितनी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके कार्डों को निरस्त करके नये लोगों का कार्ड बना दिया गया है ? क्या इसकी जांच करा करके माननीय सदन को सूचित करने का काम करेंगे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक सतत् प्रक्रिया है जांच की जो बराबर किसी की शिकायत पर किसी गांव की शिकायत होती है तो कलक्टर के स्तर पर राजपत्रित अधिकारियों की टीम बनी हुई है। यह सतत् प्रक्रिया है जब भी शिकायतें होती हैं तो जांच होती रहती है लेकिन अगर आपकी कोई व्यक्तिगत लिस्ट हो तो उसे दे दें, उसकी जांच कराकर आपको सूचित कर दिया जायेगा।

श्री उदयभान करवरिया-

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बेलापुरली गांव है, वहां पर जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष-

आप लिख करके दे दीजिएगा।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, जब मैं सदन में कह रहा हूं तो लिख करके क्या देना है। इसकी आप जांच करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है, यह मैं सदन में कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा ठीक है, माननीय मंत्री जी नोट कर लें।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जानकारी

*4-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के नागरिकों को खाद्यान्न एवं खाद्येत्तर सामग्री उपलब्ध कराने की दृष्टि से शासन ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के नागरिकों को खाद्यान्न तथा खाद्येत्तर सामग्री उपलब्ध कराने हेतु ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय योजना लागू की गयी है, जिसमें विभिन्न वर्गों के नागरिकों को खाद्यान्न तथा मिट्टी का तेल एवं चीनी उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। उक्त तीनों योजनाओं में 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इन योजनाओं में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 मण्डलों में 10 कि0ग्रा0 गेहूं एवं 25 कि0ग्रा0 चावल तथा शेष 8 पश्चिम के

नोट :-ता0प्र0सं0-3 को ता0 प्र0 सं0-10 के उपरान्त लिया गया।

मण्डलों में 15 कि0ग्रा0 गेहूं एवं 20 कि0ग्रा0 चावल उपलब्ध कराया जाता है। कुकिंग गैस कनेक्शन कार्ड धारक को 03 लीटर मिट्टी का तेल एवं अन्य को 05 लीटर मिट्टी का तेल प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता हे। बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को 700 ग्राम प्रति यूनिट प्रति कार्ड चीनी उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह नीतिगत जवाब है। नीति और व्यवहार जो लागू हो रहा है, दोनों में जमीन आसमान का अन्तर है। वस्तुतः दोनों एक दूसरे से कदाचित मेल ही नहीं खाते हैं। गोरखपुर में माननीय मंत्री जी के विभाग ने स्वयं जांच करायी हैं, मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं, 12 दुकानें निलम्बित हुईं, 22 दुकानों पर 3/4 का मुकदमा चल रहा है। एक-आधी तहसील और ब्लाकों की शिकायतें खाद्य एवं रसद विभाग को मिली हैं सरदार नगर से ग्राम सभा शत्रुघनपुर से, कैम्पियरगंज के लोहारपुर से, गगहा के कोटेदार बैजनाथ की, सहजनवां से, पिपराइच से जगदीशपुर के कोटेदार की, पुरवा के उसी ग्राम के अन्त्योदय योजना की, बहरामपुर से जंगल रसूलपुर नम्बर-दो की और जगतपुर के एक गांव की व जंगल कौड़िया, पिपराइच, खोराबार आदि से शिकायतें मिली हैं। ढेर सारी शिकायतें मिली हैं, पूर्वांचल में विगत दो महीनों में भूख से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ी है। 3 मौतों के बारे में हम लोग निजी रूप से जान रहे हैं। प्रश्न यह है कि आपके विभाग के बारे में शिकायतें मिल रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब, आप प्रश्न पूछिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जो खाद्य एवं रसद विभाग के बारे में इतनी अधिक लिखित शिकायतें मिल रही हैं, पूर्वांचल में भूख से इतनी मौतें हो रही हैं, आपने स्वयं जांच कराया, सर्वे सैम्पुल कराया, 01 जून से लेकर 15 जून तक, क्या आप महसूस करते हैं कि गोरखपुर जनपद और महानगर की सम्पूर्ण खाद्य वितरण की जो व्यवस्था है उसकी आप उच्च स्तरीय जांच करायेंगे जिससे कि वस्तुतः यह प्राथमिक जांच में कमियां मिली हैं, उसके पीछे बहुत सारा भ्रष्टाचार छिपा हुआ है वह उजागर हो कर सामने आ सके ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पहले से ही 01 से 15 जून तक एक अभियान हमारे विभाग ने चलाया था और उसके पीछे किरोसीन के तेल के सवाल पर आया था तो आपने स्पेसली गोरखपुर के बारे में एक अलग से जांच टीम गठित करने की बात कही थी कि मिट्टी के तेल के डिपो हैं और जहां भी शिकायत है, उसकी जांच करा ली जाए। मुझे गोरखपुर के लोगों से व गोरखपुर मण्डल के लोगों से भी शिकायतें मिली हैं उसकी जांच कराने का काम चल रहा है। 5 से 12 तारीख तक जांच का समय है उसके बाद रिपोर्ट आ जायेगी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मेरा प्रश्न खाद्येत्तर सामग्रियों के बारे में नहीं, जो खाद्य सामग्रियां वितरित की जाती हैं उससे था, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या इतनी लम्बी-चौड़ी शिकायतें ढेर सारे नागरिकों की शिकायतें और साथ में पूर्वांचल में होने वाली इतनी मौतें, तो क्या आप यह महसूस करते हैं कि गोरखपुर महानगर और गोरखपुर जनपद की सम्पूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उच्च स्तरीय जांच करायेंगे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा था कि 5 से 12 तारीख तक एक उच्च स्तरीय जांच चल रही है, जहां भी जिन विधायकों की शिकायतें मिली हैं, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी की एक कम्पनी के बारे में थी, जिस भी विधायक ने शिकायत की है उसकी जांच की जा रही है। मा0 अग्रवाल साहब यह पहली बार है कि इस सरकार ने एक अलग टीम बनाकर उच्च स्तरीय जांच पेट्रोल पम्पों की, तेल डिपो की और खाद्यान्न के गोदामों की कराने का काम किया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि विभिन्न कोटेदारों के द्वारा बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 और अन्त्योदय कार्ड दिये गये हैं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो वास्तविक लाभार्थी हैं परन्तु उनको कार्ड नहीं मिला है। बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 और अन्त्योदय कार्ड के जो कोटा गोरखपुर महानगर और जनपद के तय हुआ है उनमें बहुत से लाभार्थी छूट गये हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए था परन्तु मिल गया है। क्या इस सिस्टम की गोरखपुर महानगर और गोरखपुर जनपद की आप जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब आपने प्रथम प्रश्न पूछा कि खाद्य वितरण प्रणाली है उसके सम्बन्ध में ढेर सारी शिकायतें आ गयी है और लम्बी हो गयी है। मंत्री जी ने कहा कि मैं इसकी उच्चस्तरीय जांच करा लूंगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मंत्री जी ने किरोसीन के बारे में कहा।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मैंने खाद्यान्न के बारे में कहा, पेट्रोल एवं किरोसीन जिनके बारे में शिकायत मिली है उनकी जांच चल रही है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

कोटेदारों को राशन और तेल पर कमीशन तय किया गया है मैं बताना चाहता हूं कि कोटेदारों को 10 पैसे प्रति किलो कमीशन दिया जाता है। एक कार्ड पर कोटेदार को तीन रुपये पचास पैसे कमीशन के मिलते हैं क्या इस कमीशन को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? क्योंकि भ्रष्टाचार का मूल कारण कमीशन है।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब कहां से कमीशन बढ़वा रहे हैं ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

यह अधिकृत रूप से सरकार पैसा देती है। सारा भ्रष्टाचार इससे हो रहा है क्योंकि कमीशन बहुत कम है। जब तक कमीशन बढ़ाया नहीं जायेगा तब तक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं होगा।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

अग्रवाल जी ने अपना प्रश्न करते हुए इस बात को बार-बार कहा कि भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ी है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि एक भी शिकायत भूख से मरने वालों के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुई है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

चूंकि संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि एक भी शिकायत नहीं मिली है तो मैं उनको भूख से मरने वालों के नाम बता रहा हूं। गोरखपुर महानगर लक्ष्मीपुर राम सुभग की पत्नी माधुरी प्रजापति, जोराबाद लक्ष्मीपुर.....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह चर्चा नहीं हो रही है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मंत्री जी को सुनना पड़ेगा क्योंकि यह विषय उन्होंने ही उठाया कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई मैं मंत्री जी को अधिकृत रूप से शिकायत दे रहा हूं। मैं नाम बता रहा हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो उसकी जांच करवाकर जवाब दे देंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मंत्री जी ने जो कहा उसका मैं सदन में जवाब दे रहा हूं। मैं लिखकर नहीं दूंगा। मंत्री जी ने कहा कि कोई सूचना नहीं है तो मैं उनको सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने आपकी बात का संज्ञान ले लिया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मैं मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में कुछ बातें जानना चाहता हूं। मंत्री जी ने तीन श्रेणी ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 व अन्त्योदय बतायी है। उन्होंने बताया कि इनके लिए 10 मण्डल में एक व्यवस्था है 8 मण्डल में एक व्यवस्था है। मैं मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो श्रेणी बतायी हैं उस श्रेणी में ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 व अन्त्योदय के कितने पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश में हैं और उनमें से कितनों को कार्ड मिला हुआ है ? इन श्रेणियों में जितने व्यक्ति रह गये हैं उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे ? दूसरे जब प्रदेश में नाम बदलने की व्यवस्था हो गयी है तो क्या इन तीनों श्रेणियों के नाम बदलने का काम करेंगे जिससे लगे कि प्रदेश में कोई योजना चल रही है ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

खाद्य और रसद विभाग की इस योजना के अन्तर्गत दोनों श्रेणियों में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख लोगों को भारत सरकार ने अनुमन्य किया है। यह आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। जहां तक तीनों श्रेणियों के नाम बदलने की बात है तो ग्रामीण जनता जानती है कि यह अन्त्योदय का कार्ड है यह गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड है। केन्द्र सरकार को चिट्ठी गयी थी कोटा बढ़ाने के लिए लेकिन केन्द्र सरकार ने साफ इन्कार कर दिया कि हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इसी मानक के अनुसार भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों को भी दिया जाता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

इसका मतलब है कि केन्द्र सरकार भेद-भाव की नीति प्रदेश की सरकार के साथ कर रही है।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

फिर केन्द्र सरकार से निवेदन कर लिया जायेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

आपने तो खुद ही स्वीकार कर लिया है कि हमने केन्द्र सरकार को कोटा बढ़ाने के लिये लिखकर दिया लेकिन उन्होंने मना कर दिया।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मना नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जिस मानक से हम दूसरे प्रदेशों को देते है उसी से आपको भी देते हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

आप भारत सरकार को फिर से इस सम्बन्ध में पत्र लिखेंगे।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

हां फिर लिखा है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

ठीक है, जब उसका जवाब आ जाय तो यहां पर बता दीजियेगा ताकि पूरे सदन को पता चल जाय।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह नये माननीय सदस्य हैं, इनको करने दीजिये।

श्री अनूप सांडा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल की जांच के सम्बन्ध में त्रिस्तरीय जांच की व्यवस्था है। पिछले दिनों मिट्टी के तेल के डिपो या थोक विक्रेताओं के ऊपर कार्यवाही हुई। इसकी जांच मैजिस्ट्रेट या जिला पूर्ति अधिकारी करते हैं। मान्यवर, यह जो तेल वितरित होता है उसमें प्रत्येक मिट्टी के तेल के विक्रेता के यहां एक आपूर्ति

कर्मी सम्बद्ध किया जाता है जिसकी देख-रेख में तेल का वितरण होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल के वितरण के सम्बन्ध में जो भी अनियमितता पकड़ी गई है उसमें उनसे सम्बद्ध आपूर्ति कर्मियों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जनपदों में जिन डिपो के खिलाफ अनियमितता पकड़ी गई है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का काम किया गया है। जहं कहीं इस तरह की सूचना हो आप बता दें, कार्यवाही की जायेगी।

श्री अनूप सांडा-

जो भी कर्मी उनसे सम्बद्ध है, वे भी तो जिम्मेदार बनेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने यही तो कहा है कि उन कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे जो उसमें लिप्त होंगे।

राजकीय कर्मचारियों को मिलने वाली नकदीकरण की सुविधा बहाल करने की मांग

*5-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कर्मचारियों को मिलने वाली नकदीकरण की सुविधा पर विगत कई वर्षों से रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सुविधा बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश शासन की वित्तीय स्थिति एवं विकास सम्बन्धी अन्य प्रतिबद्धताओं को देखते हुए।

श्री यशपाल सिंह चौहान-

मान्यवर, यह राज्य कर्मचारी जिनका प्रदेश के विकास में पूरा योगदान रहता है। आप विभिन्न आयोगों में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात करते है जिनको वेतन आदि भी दिया जायेगा। मान्यवर, सरकारी कर्मचारियों को नकदीकरण की सुविधा थी वह वित्तीय भार का कारण बताकर समाप्त कर दी गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सुविधा कब से शुरू हुई और कब समाप्त हुई। इससे एक वर्ष में कितना वित्तीय भार पड़ेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, यह सुविधा कई बार शुरू हुई। यह कभी समाप्त नहीं हुई है स्थगित हुई है। 'क' और 'ख' श्रेणी की समाप्त हुई है और 'ग' तथा 'घ' श्रेणी की स्थगित हुई है। जहां तक वित्तीय भार का सवाल है, वार्षिक भार 750 करोड़ रुपये अतिरिक्त आयेगा। जहां तक यह बात कि यह कब शुरू हुई और कब समाप्त हुई। बताना चाहूंगा कि यह समाप्त नहीं हुई स्थगित हुई है। मेरे पास सूचना है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने अवकाश नकदीकरण

की सुविधा प्रथम चरण 1 अप्रैल, 1973 से लागू की गई है किन्तु शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 1974 द्वारा उसको स्थगित कर दिया गया। पुनः शासनादेश 10 अक्टूबर, 1974 द्वारा पुनःस्थापित किया गया तथा उसे संशोधित रूप में दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 से प्रभावी किया गया फिर राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्रीपरिषद् की आर्थिक विकास उपसमिति की कार्यवाही दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 में लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 29 जनवरी, 1999 द्वारा राज्य सरकार के समूह ग और घ के कर्मचारियों की अवकाश नगदीकरण की धनराशि को सामान्य भविष्य निधि में दिनांक 31 मार्च, 1999 तक जमा किया गया। समूह क और ख को अनुमन्य सेवा काल में अवकाश नगदीकरण की सुविधा कलेन्डर के वर्ष 1999 से समाप्त कर दी गई।

श्री यशपाल सिंह चौहान-

प्रदेश के कर्मचारी जानना चाहते हैं यह जो वित्तीय स्थिति की बात कही गई कि 50 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा एक वर्ष के अन्दर, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय स्थिति कब तक सही हो जाएगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जब आपकी सरकार थी तब आप नही बता पाए और जो भी मिला है हमें विरासत में मिला है। हमारा प्रयास चल रहा है सरकार प्रयासरत है।

जनपद मुरादाबाद के ढेला नदी पर पुल बनवाने की मांग

*6-श्री उस्मानुल हक-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-मुरादाबाद के अन्तर्गत भोजपुर नगर पंचायत के आस-पास के कई गांव प्रतिवर्ष ढेला नदी में बाढ़ आ जाने के कारण जलमग्न हो जाते हैं जिससे भारी जानमाल का नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदी पर बन्धा बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

नदी के किनारे समानान्तर पीपलसाना राजवाहा निर्मित है जो बांध के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है। अतः अलग से बांध बनाने की आवश्यकता नहीं है।

मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। शीघ्र ही कार्य पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उस्मानुल हक-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी यह तो मान रहे है कि वहां बाढ़ आती है लेकिन सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि जान माल का नुकसान होता है। पिछले दो वर्षों से लगातार बाढ़ आती है और जान-माल का नुकसान होता है। बाढ़ के कारण नुकसान होता है, कृषि का नुकसान होता है मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या

मा0 मंत्री जी दुबारा विभाग से यह सूचना मंगाने का कष्ट करेंगे, क्योंकि जो लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं वह गरीब तबके के लोग हैं क्या सरकार उनको मुआवजा दिलाने का कष्ट करेगी ? 'नदी के किनारे समान्तर पीपलसाना रजवाहा निर्मित है जो बांध के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है। अतः अलग से बांध बनाने की आवश्यकता नहीं है, मान्यवर, सरकार का यह जबाव है। मैं 10-15 साल से देख रहा हूं वहां 50-60 गांव ऐसे हैं जहां रात में दो-तीन बजे मस्जिद में एलान होता है कि फावड़ा लेकर नहर पर पहुंचो नहर की मरम्मत करनी है। यह स्थिति वहां बनी है। मा0 मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वहां बंधे की बहुत आवश्यकता है क्या मा0 मंत्री जी वहां दुबारा जांच कराकर बंधा बनवायेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कह दिया है जब रजवहा ही इतना ऊपर करके बनाया गया है उसने बंधे का रूप ले रखा है बीच में उसकी साइफन बगैरह टूट गई थी उसका मरम्मत का इंतजाम कराया जा रहा है। जो मा0 सदस्य की जिज्ञासा हो दे दें। मरम्मत का काम कराया जा रहा है सात लाख रुपया प्रस्तावित है इसमें 62 हजार रुपया रिलीज कर दिए गए हैं। पचास परसेन्ट कार्य पूरा हो गया है। बाकी भी पूरा हो जाएगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मा0 सदस्य का अनुरोध है उन्होंने जो जानकारी दी है कि हर साल बाढ़ आ रही है और आप भी स्वीकार कर रहे हैं रजवाहा बंधे के रूप में काम कर रहा है तो आप मा0 सदस्य नये हैं इनको बुलाकर बात कर लें।

श्री अध्यक्ष-

एक बार मा0 विधायक जी को बुलाकर बात कर लें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ठीक है।

जनपद लखीमपुर खीरी के गन्ना किसानों के भुगतान की मांग

*7-श्रीमती कृष्णाराज-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर खीरी के गन्ना किसानों का वर्ष 2006-2007 में लगभग 3 सौ करोड़ रुपये गन्ना मिलों पर बकाया है ? क्या मंत्री जी गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान शीघ्र करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

दिनांक 04-07-2007 की स्थिति के अनुसार जनपद लखीमपुर खीरी में सहकारी क्षेत्र की दो चीनी मिलों तथा निजी क्षेत्र की 06 चीनी मिलों पर कुल रु0 325.60 करोड़ बकाया है।

सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलें अपने संसाधनों से बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रही हैं। शासकीय गारण्टी प्रदत्त कर वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर बकाये के भुगतान के प्रयास किये जा रहे हैं।

चीनी मिलों पर कृषकों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हेतु अन्तिम तिथि 31-08-2007 निर्धारित करते हुए शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती कृष्णा राज-

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न यह है कि जितनी बकाया धनराशि है, गन्ना किसानों की, अतिशीघ्र भुगतान कराए जाने की बात यहां कही गई है। मंत्री जी जवाब दे रहे है कि शत प्रतिशत भुगतान कराने का दबाव बनाया जा रहा है। मान्यवर, आप सक्षम हैं इसलिए दबाव की बात न करके जो हमारा प्रश्न है कि कब तक आप भुगतान करा देंगे, यह हम जानना चाह रहे हैं ?

(श्रीमती सीमा द्विवेदी तथा कुछ अन्य सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

सीमा जी, क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं ?

श्रीमती कृष्णा राज-

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है 31-08-2007 तक भुगतान करा देंगे यदि उस तिथि तक भुगतान नहीं होगा तो क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाह रही थी, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि शासकीय गारण्टी प्रदत्त कर वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर बकाये के भुगतान के प्रयास किये जा रहे हैं। तो हम जानना चाह रहे हैं कि किस तरह की संस्थाओं से ऋण लेना चाहते हैं और उस दिशा में कहां तक पहुंचे हैं, इसका जवाब आ जाए। आपने कहा है कि शत प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा है। आप दबाव बनायें और अधिकारी न मानें, यह बात समझ में नहीं आती। आप स्पष्ट कर दें, क्योंकि यह गन्ना किसानों से जुड़ा मामला है, आप घोषणा कर दें कि यदि इतनी तारीख तक, जैसा मा0 न्यायालय के आदेश हैं, 15 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान नहीं होता है तो आप कार्यवाही करेंगे ?

(श्रीमती कृष्णा राज एवं श्रीमती सीमा द्विवेदी के आपस में कुछ बात करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृष्णा राज जी, आप आपस में ही लड़ रही हैं ?

(कुछ अन्य सदस्यों के बोलने पर)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

हर काम काम्बीनेशन से हो रहा है, यहां भी अच्छा काम्बीनेशन है। अगर महिला-महिला का काम्बीनेशन है, एक साथ मिलकर सवाल पूछ रही है, जब हमें एतराज नहीं है तो आप को क्या एतराज है ? आप अगर दुखी है तो अलग बात है। मान्यवर, जो पूछा है, सहकारी चीनी मिलों और निगम की चीनी मिलों के बारे में जिसमें 200 करोड़ शासकीय गारण्टी की बात कही गई है। मैं स्पष्ट कर दूं कि सहकारी चीनी मिलों के लिए मान्यवर, 125 करोड़ रुपये की शासकीय गारण्टी बैंकों को दी

गई है कि वहां से ऋण लेकर सहकारी चीनी मिलें उनका भुगतान कर दें। मान्यवर, अब गारण्टी का मतलब क्या होता है, जब गारण्टी हम दे रहे हैं, सरकार दे रही है तो इसका क्या अर्थ है ? इसी तरह से जो निगम की चीनी मिलें हैं, उसमें 75 करोड़ रुपये की शासकीय गारण्टी प्रदान की गई है और मैं यह भी बता दूं कि सरकार ने अपने फण्ड से सहकारी चीनी मिलों के लिए 14 करोड़ से कुछ ज्यादा और 13 करोड़ प्लस निगम की चीनी मिलों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। मैं स्वयं ही 7 तारीख को मेरठ और मुजफ्फरनगर गया था।

मैंने स्वयं वहां सम्बन्धित चीनी मिलों को ड्राफ्ट दिए हैं और जहां तक 15 प्रतिशत ब्याज की बात है तो इसके बारे में मैंने पहले ही कहा है कि विधि के अनुरूप जो होगा पूरा ब्याज दिलाया जाएगा। जहां तक दबाव की बात है तो मैंने कहा कि अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, सहकारी और निगम की चीनी मिलों पर और तीसरा निजी चीनी मिल वालों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। 7 चीनी मिलों के खिलाफ आर0सी0 जारी की गई है और जरूरत होगी तो और के खिलाफ आर0सी0 जारी की जाएगी और विधि के अनुरूप गन्ना किसानों का गन्ना बकाया मूल्य चुकाने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती कृष्णा राज-

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न यह है कि जनपद खीरी के गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी है उसके बारे में आप स्पष्ट रूप में उत्तर दें कि आप भुगतान करा देंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, अब मैं कैसे संतुष्ट करूं यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

माननीय विधायकों के प्रस्तावों पर सड़क बनाने की योजना

*8-श्री सतीश महाना, डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2006-2007 में विधायकों द्वारा प्रस्तावित 7 कि0मी0 सड़क बनाने हेतु तत्कालीन विधायकों के प्रस्तावों पर धनराशि अवमुक्त कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में भी मा0 विधायकों के प्रस्ताव पर 7 कि0मी0 सड़क बनाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सभी मा0 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित कार्यों में धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। जिन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति दी गयी है, उनका विवरण संलग्न है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 19 पर)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं इस प्रश्न के लिए अधिकृत किया गया हूं। मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार में दो वर्षों तक प्रति विधायक 5 कि0मी0 सड़क तथा दूसरी बार 7 कि0मी0 सड़क प्रति विधायक प्राप्त हुई। जो विवरण हमें दिया गया है उसमें विधान सभा के विभिन्न दलों के 395 विधान सभा सदस्यों की संस्तुति पर स्वीकृत मार्गों का विवरण दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यह मानती है कि पिछली सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी थी इसलिए 7 कि0मी0 की सड़क दे रहे थे। मैं पूछ रहा हूं कि क्या सरकार यह मानती है कि इस सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि पूर्ववर्ती सरकार की तरह यह सुविधा देने में असमर्थ है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जहां तक सुविधा का सवाल है तो चालू वित्तीय वर्ष में 18154.36 लाख रुपया अवमुक्त किया गया है और जहां तक इस योजना के बारे में कहा गया है तो मान्यवर, इससे पहले भी सदन में बात आई कि हमारी सरकार ने डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना बनाई है जो एक मानक पर निर्धारित है। इसमें जो पिछड़े क्षेत्रों में गरीब वर्ग के लोग रहते हैं उन्हें सड़कों से जोड़कर लाभ पहुंचाने की योजना है। मान्यवर, इस योजना के तहत हम विकास कार्य करवाएंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना मूलतः ग्रामीण क्षेत्र की योजना है। शहरों में भी तो मलिन बस्तियां है, तो क्या सरकार महसूस करती है कि यह जो सुविधा 10 गांव ग्राम सभाओं के चयन की आपने ग्रामीण क्षेत्रों के विधायकों को दी है वही सुविधा नगरीय क्षेत्रों की मलिन बस्तियों को सुधारने के लिए नगरीय क्षेत्रों के विधायकों को देंगे ? आप केवल ग्रामीण विधायकों को वह सुविधा दें और नगरीय क्षेत्रों के विधायकों को न दें तो विधायकों की समरूपता के हिसाब क्या यह उचित होगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, नगरों के लिए पूर्व में सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में अवगत कराया है कि मान्यवर, कांशी राम जी के नाम से एक योजना चलायी गयी जिसमें अलग से धन स्वीकृत है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, इसका मा0 सदस्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों में तो अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत लेकर गांवों को सुविधा दी है, तो क्या उसी प्रकार समान रूप से यह अधिकार नगरीय क्षेत्रों को भी देंगे भले ही यह सुनिश्चित आप कर लें कि वह मलिन बस्तियों के लिए दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

नगरीय क्षेत्रों में अलग से है यह बता दिया।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, पांच किलोमीटर और सात किलोमीटर सड़क बने लेकिन यह सरकार कहती है वित्तीय स्थिति खराब है, नहीं देंगे। पूर्व सरकार ने दो सालों में दिया और आप यह काम नहीं कर पा रहे है। तो मैं यह यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुविधा [illegible] [illegible] विकास योजना के माध्यम से दी जा रही है उसी प्रकार नगरीय क्षेत्र के विधायकों को भी,

जो नगरीय मलिन बस्तियां हैं, उनके सुधार के लिए देंगे ? मान्यवर, नगरीय क्षेत्रों में भी इक्कीस प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं हमें उनको भी बेहतर बनाने की बात सोचनी है। यह सरकार यह क्यों सोचती है कि वह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते है। मान्यवर, अगर इसका लाभ नगरीय क्षेत्रों को दिया जायेगा तो इससे एक समरूपता आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर में स्पष्ट आ गया है कि नहीं देंगे क्योंकि वित्तीय संकट है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मा0 अग्रवाल साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि मा0 बहन कुमारी मायावती जी की सरकार की मंशा क्या है ? उनकी इच्छा इसको विकासयुक्त प्रदेश बनाने की है। इनकी भी मजबूरी है। यहां पर यह कुछ कहते हैं और बाहर जब मिलते हैं तो कुछ कहते हैं। मान्यवर, जहां तक शहर की बात है, तो विधायक निधि हमारी सरकार ने बढ़ायी है। जो हमने इनके प्रश्न का उत्तर दिया है, वह बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें हमने कहा है कि "जी नहीं"। यह केवल सात किलोमीटर से सम्बन्धित है। हमने "जी नहीं" कह दिया तो फिर कहां से प्रश्न उपस्थित हो गया है ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष जी, जो सात-सात किलोमीटर की सड़क का प्रस्ताव मा0 विधायकों द्वारा दिया गया है क्या वह रोडें बन गयी है, पूरा पैसा चला गया है, अगर नहीं बनी है तो क्या वह रोडें बन जायेंगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, पैसा के बारे में पहले ही बता चुका हूं जो रिलीज हुआ है, वह मैंने उत्तर में कह दिया है।

श्री अध्यक्ष-

यह नीचे नत्थी हुआ है।

श्री उदयराज यादव-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने यह कहा कि हर विधान सभा क्षेत्र में पांच गांव सभाओं को अम्बेडकर ग्राम विकास योजना से चयनित करने का काम किया जायेगा और उसमें माननीय मंत्री जी ने यह भी जिक्र किया है कि वहां बहुत ही गरीब लोग रहते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के अन्दर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में केवल पांच ग्राम सभाओं के अन्दर ही गरीब लोग रहते हैं उसके अलावा जो गांव हैं उन गांवों के विकास के बारे में क्या माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने कोई योजना बनाई है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, यह विधायक निधि भी है, अन्य निधियां भी है और जब यह पांच हो जायेंगे तो फिर अन्य के बारे में माननीय विधायक जी से बैठकर हम बात कर लेंगें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सात किलोमीटर सड़क वित्तीय कारणों से नहीं बनाया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा और अनुरोध भी करूंगा यह विधायकों की भावना का मामला है मान्यवर, हम अपने क्षेत्र में जाते हैं लोगों की अपेक्षायें हैं। लोग हमसे सवाल करते हैं कि पिछली सरकार में इतना सब कर दिया, यह मौजूदा सरकार क्या कर रही है ? तो विधायकों की भावनाओं का आदर करते हुए, उनका सम्मान करते हुए कुछ उदार बनने की कोशिश करें मान्यवर। मैं इसी सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर योजना जो है उसमें विधायकों का कोई श्रेय नहीं है मान्यवर, वह तो एकदम क्राईटेरिया बना हुआ है, उस क्राईटेरिया में जहां उनकी संख्या आयेगी, वह अपने आप हो जायेंगे उसमें हमारा कोई एहसान नहीं है मान्यवर। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विधायकों की भावनाओं का आदर करते हुए, इस बात पर पुनः विचार करें और सात की जगह दस किलोमीटर सड़क देने का आश्वासन दें। इस पर विचार कर लें ?

श्री अध्यक्ष-

अभी तो सात वाला ही मामला फंसा है, दस पर कहां से विचार कर लें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच गांव बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम से चयनित किये जायेंगे, क्या उस चयन मे विधायकों का प्रस्ताव लिया जायेगा या सरकारी अधिकारी/कर्मचारी उसे प्रस्तावित करेंगें ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यमर, विधायकों से ही प्रस्ताव ले लेंगें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं।

जनपद मेरठ की तहसील सरधना के ग्राम पिठलोकर को काली नदी की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने की मांग

*9-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मेरठ के गांव पिठलोकर हिण्डन नदी के किनारे बसा हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि हिण्डन नदी के बहाव से गांव तक कटान होने के कारण ग्रामवासियों को जीवन का खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार नदी के पानी का बहाव कम करने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। यह ग्राम हिण्डन नदी के बजाय काली नदी पर बसा हुआ है।

काली नदी द्वारा किये जा रहे कटान से इस ग्राम की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है।

जनपद मेरठ की तहसील सरधना के ग्राम पिठलोकर को काली नदी की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु कटाव निरोधक कार्यो की एक योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् उत्तर प्रदेश की तकनीकी सलाहकार समिति से एकल ग्राम की योजना के रूप में संस्तुत है। इस योजना का वित्त पोषण डी0आर0डी0ए0 से किया जाना प्रस्तावित किया गया था परन्तु धन की व्यवस्था न हो पाने के कारण योजना पर कार्य नहीं कराया जा सका। दरों में वृद्धि हो जाने के कारण योजना वर्तमान दर अनुसूची के अनुसार संशोधित कर टी0ए0सी0 की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जानी प्रस्तावित है।

उक्त योजना के अर्न्तगत नदी द्वारा किये जा रहे कटाव को रोकने के उद्देश्य से पत्थरों द्वारा 6 नग डैम्पनरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सरकार भी मान रही है, माननीय मंत्री जी भी मान रहे हैं कि गांव की आबादी तक नदी का बहाव आ गया है। जहां तक मेरी जानकारी में है, कई परिवारों के मकान कटान के साथ नदी में चले गये हैं उनके घर नदी में जा चुके है। नाम मेरे पास में है आप अगर इजाजत देंगें तो मैं नाम भी बता दूंगा। पिछले कई वर्षों से हर वर्ष बरसात के दिनों में गांव की आबादी का कुछ भाग, नदी में कट कर मिल जाता है। तो कटान को रोकने के लिए जो छः नग डैम्पनरों का निर्माण वहां पर कराया जाना है तो मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी से इतना चाहता हूं कि आने वाली बरसात जो अभी शुरू होने वाली है, इसमें भी गांव का कुछ न कुछ भाग कट कर नदी के अन्दर मिल जायेगा तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था, जो आने वाली टी0ए0सी0 यानी टेक्निकल एडवाईजर कमेटी की जो बैठक होगी उसमें इसको पास कराने का काम करेंगें ? इतना तो आश्वासन मिल जाय हमको, कि जिससे आने वाले समय में कटान न हो। यह गांव बचा रहे। नहीं तो पूरा गांव ही कट कर के चला जायेगा। हर साल, थोड़ा-बहुत कट जाता है, मान्यवर, यह बैठकें होंगी टी0ए0सी0 की उसमें इस प्रस्ताव को पास करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

जो प्रस्ताव हैं उसमें कहा है कि विचाराधीन हैं। आपका कहना है कि गांवों के कटान को रोकने के लिये, जो गांव समाहित हो रहे हैं, उनको रोकने के लिये, प्राथमिकता पर विचार किया जायेगा। इनका पूछना है कि यह जो बैठक प्रस्तावित हैं और जो आपकी योजनायें चल रही है उन पर विचार किया जायेगा।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जी हां, विचार कर लेंगे।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में हर नदी के किनारे जो गांव है उनमे कोई न कोई गांव कटता है। तो इस सम्बन्ध में सरकार कोई विस्तृत योजना बनाकर उन गांवों को बचाने का काम करेगी। पिछले साल

का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो पायेंगे कि पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं गांव कटे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार गांव कट गये थे, पिछली बार निर्माण हुआ, 10 लाख रु0 खर्च हुआ और पूरा गांव बच गया था। मान्यवर, अगले बजट में प्रदेश के ऐसे सभी गांवो के लिये जो किसी नदी के किनारे बसे हुये हैं और जिनका कटाव के कारण अस्तित्व समाप्त हो रहा है, उनके लिये योजना प्रस्तावित की जायेगी और वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित कराये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

वह प्रश्न एक स्पेसिफिक प्रश्न था जो आपके गांवों का प्रकरण है तो उसके बारे में अलग से लिखकर उनको दे दें या प्रश्न कर लें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, अगर यह भी कट रहे हैं तो बता दें। वैसे हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे साथ बैठकर बात कर लेंगें।

श्री अध्यक्ष-

आप देख लेंगे। वैसे आप उसके लिये अलग से भी एक प्रश्न लगा दें। आपकी भावना सही है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

अगले वर्ष के बजट में योजना बना लें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात सही है। इसमें पूरी सूचना सब जगह से कलेक्ट करनी पड़ेगी आप अलग से प्रश्न लगा दें या अन्य नियमों में इसकी बाबत कोई सूचना दे दें।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं इस प्रश्न के माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि आने वाले बजट में ऐसी योजना बना लें क्योंकि पूरे प्रदेश में ऐसे बहुत से गांवों का अस्तित्व खत्म हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, सरकार का ध्यान आकर्षित हो गया है।

वर्तमान गन्ना मूल्य नीति एवं प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाये का भुगतान

*10-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान गन्ना मूल्य नीति जो वर्ष 2006-07 में लागू थी में सरकार द्वारा कोई परिवर्तन करने की कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश के गन्ना किसानों का चीनी मिल मालिकों पर करोड़ों रुपया बकाया है ? यदि हां, तो उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष यथासमय गन्ना लागत आदि को ध्यान में रखकर राज्य परामर्शित मूल्य घोषित किया जाता है।

दिनांक 4-7-2007 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों पर देय गन्ना मूल्य की स्थिति निम्नवत् है :-

क्षेत्र	देय	भुगतान	बकाया
निगम	610.23	365.29	244.94
संघ	1300.68	922.84	377.84
निजी	9091.96	7188.46	1923.50
योग	11002.67	8456.59	2546.08

कृषकों के शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान हेतु समयबद्ध नोटिसें जारी करते हुए कड़े निर्देश जारी किये गये हैं। बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 31-08-2007 निर्धारित करते हुए शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। चीनी निगम एवं सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलें अपने संसाधनों से बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रही हैं। रुपये 200 करोड़ की शासकीय गारन्टी प्रदत्त कर वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर बकाये के भुगतान के प्रयास किये जा रहे हैं। रुपया 27.00 करोड़ की धनराशि बकाये हेतु इन मिलों को उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मैंने प्रश्न के पहले अंश में यह सवाल पूछा था कि क्या सरकार 2006-07 की गन्ना मूल्य नीति जो है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने का काम कर रही है तो इस दिशा में मान्यवर, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया केवल नीति बना दी गयी कि यह नीति होती है तो नीति तो सभी जानते हैं हमारा स्पष्ट सवाल था कि क्या कोई जो पिछली सरकार में गन्ना नीति थी उस गन्ना नीति में कोई परिवर्तन करने पर आप विचार कर रहे हैं दूसरा माननीय जी ने जो बकाया बताया इसमें यह नहीं बताया कि लाख में बकाया है या करोड़ में। जहां तक मेरी जानकारी है उससे लगता है यह करोड़ में है। जो कुल बकाया है उत्तर प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों पर वह 2546.08 करोड़ है तो एक तरफ इतना बड़ा बकाया है और दूसरी तरफ किसानों पर सरकारी वसूली इतनी बेरहमी के साथ की जा रही है, किसानों को लाकअप में बन्द किया जा रहा है तहसील की कोठरियों में जहां न पानी है गर्मियों के दिनों में न और कुछ तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन किसानों के गन्ने का मूल्य मिलों पर बकाया है उन किसानों पर अगर कोई सरकारी देय है तो सरकार की तरफ से कोई निर्देश आप देंगे कि उनके साथ उत्पीड़न न किया जाय और उनका बकाया न लिया जाय, कोई स्टे करेंगे और दूसरा सवाल जो मैंने नीति पूछी थी कि क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं

इसको बतायें ? दूसरा यह कहा कि कड़े निर्देश दिये जा रहे हैं तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी इन सवालों का मुझे जवाब दिला दें ? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि जब से यह सरकार आयी है एक पैसा भी गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, बड़े अफसोस की बात है हर बार मैं बताता हूं कि कितना भुगतान हुआ, माननीय सदस्य इतने वरिष्ठ होते हुए यह कह रहे हैं कि एक पैसे का भुगतान नहीं हुआ, बड़ी अजीब सी बात है।

जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की गन्ना मूल्य नीति की बात कही है मान्यवर, माननीय सदस्य को पहले मालूम करना चाहिए कि नीति है भी, इस प्रकार की इस नाम की कोई नीति है ही नहीं गन्ना मूल्य नीति उत्तर प्रदेश सरकार की कोई है ही नहीं। माननीय सदस्य को पहले मैं बता दूं कि थोड़ा मालूम कर लें फिर सवाल कर लें और जहां तक नीति की बात है जो भी है भारत सरकार की तरफ से है एसएलपी की तहत यह मूल्य घोषित किया जाता है जो भी है भारत सरकार की तरफ से है। आपने जो पूछा है जो धनराशि दिखायी। यह करोड़ में है और जो किसानों से वसूली की बात कही है उनका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह अलग प्रश्न है यह अलग है किसानों से वसूली का कोई प्रश्न नहीं है, न मेरे पास कोई सूचना है जब प्रश्न होता तो मैं सूचना प्राप्त कर सूचित करता।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, गन्ना नीति या किसी विभाग की नीति के सम्बन्ध में कोई बात जब हम बात करें तो आने वाली या रहने वाली सरकारें यह बतायेंगी कि वह इस बारे में क्या सोचती हैं। गन्ना नीति का मतलब नहीं था माननीय सदस्य की तरफ से कि कोई लिखी हुई किताब है, कोई चार्टर है कोई एक्ट का हिस्सा है बल्कि गन्ने की क्या नीति है अब आप नये आये हैं सत्ता में तो आप बतायेंगे कि गन्ने के बारे में आपकी क्या नीति है गन्ना के किसानों के बारे में उसके बकाये के बारे में। आप वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं और आपको अच्छी तरह से मालूम है।

(किसी सदस्य द्वारा टोकाटोकी करने पर)

देखिये अकेला नहीं बोलने दूंगा किसी मिनिस्टर को आपके।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, आप बैठें मिश्रा जी। जब कोई बात चल रही है तो उठके बीच में खड़े हो जाते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी, आपको सदन चलाना मुश्किल होगा।

श्री हाजी याकूब-

मान्यवर, यह धमकी है।

श्री अध्यक्ष-

यह आपका गौरव है, आप चलायें या न चलायें।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अभी वह प्रश्न कर रहे हैं, यह क्या तरीका है, आप लोग बैठिये। सदन चलाना न चलाना यह आप लोगों का सहयोग है। हमारे लिए कुछ नहीं है। आजम साहब आप प्रश्न पूछें।

श्री मोहम्मद आजम खां (बैठे हुए)-

कैसे पूछें, उधर बहुमत बैठा है ?

श्री अध्यक्ष-

आप पूछें, माननीय आजम खां साहब और माननीय सदस्यगण, आप लोग एक बात सुन लें। अगर सदन में कोई माननीय मंत्रीगण या माननीय सदस्यगण बोलते हैं तो बीच में किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अगर अपनी बात कहना चाहता है तो उनकी बात समाप्त होने के बाद अपनी बात कहें, उसमें तो रोक नहीं है। लेकिन बीच में टोकाटाकी करके कटुता आप लोग बढ़ाना चाहते है। इस सदन की एक गरिमा है, एक माहौल है, उसको भाईचारा और प्यार के आधार पर गरिमा बनाकर आप लोग चलें, बीच-बीच में खड़े होकर आप यह परम्परा बनायेंगे तो इससे कटुता बढ़ती है। अभी माननीय आजम खां साहब एक प्रश्न कर रहे हैं, माननीय गन्ना विकास मंत्री जी से, इसमें आप लोगों से क्या मतलब था, वह पूछ रहे हैं कि कोई नीति है, कोई सिद्धान्त है, इसका माननीय मंत्री जी जवाब देंगे या आप लोग जवाब देंगे ? अगर यह परम्परा आप लोग बना रहे हैं तो यह बहुत अच्छी परम्परा नहीं है। सदन में गम्भीरता से रहना और आचरण करना महत्वपूर्ण चीज होती है आपके पढ़ने-लिखने से ज्यादा आचरण महत्वपूर्ण होता है। आजम साहब, आप अपना प्रश्न पूछें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

आप लोग बैठें, गम्भीरता नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो आप लोग हंस रहे हैं, यह सदन की परम्परायें नहीं हैं। इसकी गम्भीरता और आचरण पर आपको विश्वास हो किसी माननीय सदस्य को माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछने का अधिकार है। माननीय मंत्री जी अपनी स्थिति के अनुसार सदन में जवाब देंगे। हो सकता है कि आपको वह बात न पसन्द हो या आपकी बात उनको न पसन्द हो। यह भी हो सकता है कि सत्ता पक्ष उसके लिए न तैयार हो लेकिन प्रतिपक्ष की पूरी जिम्मेदारी है कि वह कम से कम सरकार से जानकारियां हासिल करें या सरकार को वह सुझाव देना चाहे, यह प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है। उसका निर्वहन माननीय आजम खां साहब कर रहे हैं तो आप लोग इसमें बीच में क्या बोल रहे हैं ? माननीय आजम खां साहब आप प्रश्न पूछें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अब समय समाप्त हो गया, प्रश्नों का। कहना मेरा सिर्फ यह था कि आप वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं। यह हमेशा सरकारों में रहा है कि जिन किसानों का बकाया होता है अगर उनके ऊपर कोई वसूलयाबी है तो उसे रोक दिया जाता है। हमेशा यह होता रहा है तो मानवीय आधार पर इस पर विचार किया जा सकता है। इस तरह के मामलों को प्रतिष्ठा का सवाल भी नहीं बनाना चाहिए।

किसान है, गरीब है उसका पेमेंट नहीं हो रहा है और उससे वसूलयाबी भी चल रही है तो इस पर विचार कर लेना चाहिए कि ऐसे किसान जिनका अपना बकाया है, गन्ने का और उनसे वसूलयाबी की जा रही है तो उनका रोक दिया जाय। तो यह अच्छी बात होगी, एक अच्छा सन्देश जायेगा, इससे आपकी ही शोहरत बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जिन गन्ना किसानों का बकाया है, उन पर वसूली की कहीं कड़ाई हो रही है तो 31 अगस्त तक भुगतान होना है तो इस बीच में अगर कोई उत्पीड़न हो रहा है तो उस पर विचार कर लें सरकार, कि उनका उत्पीड़न न हो।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

आगरा टर्मिनल नहर पर टूटी पुलिया के निर्माण की मांग

1-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि आगरा जनपद के दयाल बाग विधान सभा क्षेत्र में आगरा-तांतपुर राजमार्ग पर ग्राम मलपुरा आगरा टर्मिनल नहर पर टूटी पुलिया का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के साथ पुलिया का पुनर्निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में चौ0 चरण सिंह नलकूप योजना के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों के निर्माण की विचाराधीन स्वीकृति

2-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में कुल कितने राजकीय नलकूप वर्ष 2007-08 में चौ0 चरण सिंह नलकूप योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुये हैं ? जसपुरा, बड़ोखर खुर्द, तिन्दवारी ब्लाक में स्वीकृत नलकूपों की संख्या क्या है तथा कब तक नलकूप निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिये जायेंगे ?

नोट :-ता0 प्र0 सं0-10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। ता0 प्र0 सं0-3 को ता0 प्र0 सं0-10 के उपरान्त लिया गया।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 2007-08 में चौधरी चरण सिंह नलकूप योजना के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों के निर्माण की स्वीकृति विचाराधीन है। अभी तक जनपद बांदा के लिए नये राजकीय नलकूपों की स्वीकृति निर्गत नहीं हुई है।

स्थिति उपरोक्तानुसार।

जनपद हाथरस के सादाबाद कस्बे में करबन नदी पर बने जर्जर पुल के स्थान पर नया पुल बनाने की मांग

3-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल हाईवे 93 पर जनपद हाथरस के सादाबाद कस्बे में करबन नदी पर बना पुल जर्जर हो गया है, जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है ? यदि हां, तो सरकार उक्त स्थान पर नया पुल बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। प्रश्नगत सेतु काफी पुराना है परन्तु यातायात के आवागमन में कोई व्यवधान नहीं है।

वर्ष 2007-08 के प्लान में स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय को प्रस्तावित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

नेशनल हाइवे 93 आगरा से अलीगढ़ तक के क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत की मांग

4-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल हाईवे 93 आगरा से अलीगढ़ तक क्षतिग्रस्त है, जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। प्रश्नगत मार्ग के जिन भागों में क्रस्ट की मोटाई अपर्याप्त है, वे भाग अत्यधिक यातायात घनत्व के कारण क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त आबादी वाले भाग में जल भराव के कारण भी मार्ग क्षतिग्रस्त होते रहते हैं।

सामान्य रख-रखाव में उपलब्ध सीमित संसाधनों से गड्ढ़ा मुक्ति का कार्य सतत् प्रक्रिया के अधीन कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हाथरस में सादाबाद तहसील में नहरी पानी लगातार पहुंचाने सम्बन्धी योजना

5-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हाथरस में सादाबाद तहसील को आपूर्ति करने वाली मांट ब्रान्च व हाथरस ब्रान्च भंगनहर के राजवाहों व अल्पिकाओं के टेल पर होने के कारण पानी नहीं मिल पाता है जिससे सादाबाद तहसील के दोनों विकास खण्ड डार्क घोषित हैं ? क्या सरकार उपरोक्त क्षेत्रों में नहरी पानी लगातार पहुंचाने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद हाथरस में सादाबाद तहसील को आपूर्ति करने वाली मांट ब्रांच व हाथरस ब्रांच गंग नहर के राजवाहों व अल्पिकाओं के टेल तक नहरी पानी पुरानी प्रणाली द्वारा पहुंचाया जाता है। मांट ब्रांच की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना के अन्तर्गत कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2007-08 में परियोजना के कार्य पूर्ण होने पर सादाबाद तहसील में पानी पहुंचाया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज, तहसील नौतनवा में रोहिन हेड के टूटने से हो रही असुविधा

6-श्री अमरमणि त्रिपाठी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील नौतनवां, जनपद महराजगंज में रोहिन हेड के टूटने से सिंचाई पूरी तरह से बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हेड को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद महराजगंज के तहसील नौतनवा में रोहिन नदी पर रोहिन नहर प्रणाली स्थित है। रोहिन नदी पर निर्मित वियर, जिसका निर्माण स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, वर्ष 2004 के वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो गया था। फिलहाल इस टूटे वियर के स्थान पर एक अस्थाई बंधे का निर्माण कर सिंचाई की जा रही है।

क्षतिग्रस्त वियर के स्थान पर नये वियर के निर्माण हेतु परियोजना तैयार की गयी है। निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

महराजगंज में महाब नदी पर स्थित क्षतिग्रस्त तटबन्ध को ठीक कराने की मांग

7-श्री अमरमणि त्रिपाठी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज के अन्तर्गत महाब नदी पर स्थित तटबन्ध पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है ? क्या यह सही है कि हर वर्ष बाढ़ के कारण इस क्षेत्र में व्यापक धन जन की हानि होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तटबन्ध को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद महराजगंज स्थित महाव नदी नहीं अपितु नाला है। इस नाले पर सिंचाई विभाग द्वारा तटबंध का निर्माण नहीं किया गया है। महाव नाला पहाड़ी नाला है, जिसमें यदा-कदा पानी के अधिक बहाव के फलस्वरूप किनारों से फैल कर बहता है। इस नाले पर तटबंध के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर ब्लाक भावलखेड़ा के खराब नलकूपों को ठीक कराने की मांग

8-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक भावलखेड़ा में सिंचाई के कितने नलकूप खराब हैं ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि महोलिया खाड़े का नलकूप पिछले 3 वर्षों से खराब है ? यदि हां, तो उक्त नलकूप कब तक रिबोर/ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावल खेड़ा में सिंचाई विभाग के दो राजकीय नलकूप संख्या-89 एवं संख्या-18 खराब हैं।

ग्राम महोलिया खाड़े में स्थित नलकूप संख्या-103 वर्ष 1998 से फेल है।

राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत, वर्ष 2007-08 में उपर्युक्त नलकूप को रिबोर कराने पर विचार कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर व बस्ती में बाढ़ से हुई क्षति एवं नदी की सिल्ट हटाने की कार्य योजना

9-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 तथा 2001 की भयंकर बाढ़ में गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल में कौन-कौन से बांध टूटे थे तथा विभिन्न क्षेत्रों में कितनी भूमि नदी के सिल्ट जमा होने के कारण अनुपयोगी हो गयी ? उनमें से किन क्षेत्रों तथा कितने क्षेत्रफल की जमीनों से सिल्ट हटा दी गयी तथा शेष जमीनों से नदी के सिल्ट को हटाने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 1998 में गोरखपुर राजस्व मण्डल में 33 तटबंध, बस्ती राजस्व मण्डल में 13 तटबंध टूटे थे, वर्ष 2001 में गोरखपुर राजस्व मण्डल में 20 तटबंध तथा बस्ती राजस्व मण्डल में 02 तटबंध टूटे थे। इन तटबंधों के टूटने से कोई भूमि नदी की सिल्ट जमा होने से अनुपयोगी नहीं हुई। बाढ़ में नदी के जल में घुली सिल्ट के साथ आने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को ही बढ़ाते है। अतः सिल्ट हटाने का प्रश्न नहीं है।

जनपद बांदा में अन्त्योदय योजना के राशन कार्डों का ब्लाक वार विवरण

10-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में कुल कितने बी0पी0एल0/अन्त्योदय योजना के राशन कार्ड हैं उनका ब्लाकवार विवरण क्या है ? क्या पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0/अन्त्योदय योजना का कार्ड सही ढंग से न वितरण की शिकायतें माह दिसम्बर, 06 से अब तक जनता/तहसील दिवस बांदा, अतर्रा, बबेरू, नरैनी में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा अब तक कितने प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण किया गया है ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

बी0पी0एल0 अन्त्योदय के ब्लाकवार कार्डो का विवरण निम्न प्रकार है:--

क्र0सं0	नाम विकास खण्ड	बी0पी0एल0 कार्डों की सं0	अन्त्योदय कार्डो की संख्या	योग
1	जसपुरा	6220	3162	8382
2	तिन्दवारी	8402	5088	13490
3	बड़ोखर खुर्द	9192	5557	14749
4	बबेरू	9837	5958	15795
5	बिसण्डा	8546	5174	13720
6	कमासिन	8044	4870	12914
7	महुआ	10269	6217	16486
8	नरैनी	12064	7305	19369
9	नगरीय क्षेत्र	6787	5007	11794
	योग:--	78361	48348	126709

जी हां।

कुल 197 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें 153 का निस्तारण किया गया है।

आगरा शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत की मांग

11-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा शहर में महात्मा गांधी मार्ग एवं अन्य मुख्य-मुख्य सड़कों, सिकन्दरा-बोदला सड़क, भगवान टाकीज से दयालबाग सड़क तक आर0बी0एस0 कालेज के सामने वाली सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण कब से नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि शहर की अधिकतर सड़कों में गड्ढे होने के कारण स्थानीय जनता तथा आने वाले पर्यटकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़कों का सर्वे कराकर मरम्मत कराये जाने के आदेश पारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

केवल भगवान टाकीज से दयालबाग मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन है, जिसकी समय-समय पर आवश्यकतानुसार मरम्मत एवं डामरीकरण का कार्य कराया गया है तथा वर्तमान में मार्ग की दशा ठीक है। महात्मा गांधी मार्ग एवं अन्य मुख्य-मुख्य सड़कें, सिकन्दरा-बोदला सड़क तथा आर0बी0एस0 कालेज के सामने वाली सड़क आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा एवं नगर निगम आगरा के अधीन है।

जी नहीं। क्षतिग्रस्त सड़कों के आवश्यकतानुसार समय-समय गड्ढे भरे जाते रहे है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी, ग्राम रामपुर के समीप बेवर ब्रांच के नहर पर पुल बनवाने की मांग

12-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी के समीप बेवर ब्रांच पर नहर का पुल न होने के कारण स्थानीय नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो सरकार उक्त ब्रांच पर पुल बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जी नहीं। ग्राम रामपुर बेवर शाखा के कि0मी0 86.00 (दांयीं पटरी) से लगभग 325 मीटर की दूरी पर स्थित है। बेवर शाखा में इस ग्राम के अपस्ट्रीम में कि0मी0 84.60 एवं डाउनस्ट्रीम में कि0मी0 86.41 पर पुल निर्मित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी की जर्जर सड़कों की मरम्मत सम्बन्धी जानकारी

13-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी0टी0 रोड भोगांव से ग्राम अहिरबा ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी की सड़क जर्जर है जिससे आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर क्षेत्र मुहम्मदाबाद में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में हो रही अनियमितता की जांच

14-श्री सिबगतुल्ला अंसारी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद में कुल कितने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को वर्ष 2006-07 में लाइसेन्स दिया गया है ? इसमें से कितनी दुकानें ऐसी हैं जहां कालाबाजारी एवं खराब वितरण व्यवस्था के आरोप में जांचोपरान्त प्रथम दृष्टया गड़बड़ी पाये जाने पर निलम्बन की कार्यवाही की गयी, किन्तु उनका लाइसेन्स निरस्त नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

वर्ष 2006-07 में विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद के अन्तर्गत कुल 19 उचित दर की दुकानें नियुक्त हुई थी। जांचोपरान्त प्रथम दृष्टया गड़बड़ी पाये जाने पर मुहम्मदाबाद विधान सभा में 41 उचित दर दुकानों को निलम्बित किया गया था, जिसमें 19 दुकानों का अनुबन्ध निरस्त किया गया तथा शेष दुकानों की प्रतिभूति की सम्पूर्ण धनराशि शासन के पक्ष में जब्त करते हुए बहाल की गई है, क्योंकि विस्तृत जांचोपरान्त पाया गया कि अनियमितातायें अधिक गम्भीर नहीं थी तथा इन दुकानों को बहाल करने हेतु कार्डधारकों एवं ग्राम प्रधान आदि ने संस्तुति की थी।

माताटीला विद्युत गृह, ललितपुर के डैम में बढ़ते लीकेज को रोकने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

15-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि माताटीला विद्युत गृह, ललितपुर के डैम में बढ़ते लीकेज को रोकने के सम्बन्ध में माननीय भानुप्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 13-01-2007 एवं श्री अशोक खुराना, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) का पत्र दिनांक 03-02-2007 जो कि प्रमुख सचिव (सिंचाई) को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

समस्या के निराकरण हेतु विशेषज्ञ संस्थानों से प्रकरण का अध्ययन/परीक्षण कराया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

गोरखपुर से महराजगंज तक के निर्माणाधीन मार्ग में की गयी अनियमितता की जांच की मांग

16-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर से महराजगंज तक निर्माणाधीन मार्ग के सम्बन्ध में गम्भीर वित्तीय अनियमितता, मानक के विपरीत कार्य करना आदि शिकायतों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो कब और किस एजेन्सी द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासकीय भारी धन के व्यय और आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए क्या मंत्री जी विशेष तकनीकी जांच दल का गठन कर नए सिरे से जांच कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर से जांच करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर से जांच आख्या प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर में भुईधरा सम्पर्क मार्ग का कार्य पूर्ण कराने की मांग

17-श्रीमती सीमा द्विवेदी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद जौनपुर में भुईधरा सम्पर्क मार्ग पिछले 5 वर्ष से अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्ग का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में कंधी घाट के एप्रोच मार्ग के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की मांग

18-श्रीमती सीमा द्विवेदी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में कंधी घाट का एप्रोच मार्ग का कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

एप्रोच मार्ग का कार्य पूर्ण है, परन्तु एडिशनल एप्रोच मार्ग (अतिरिक्त पहुंच मार्ग) का कार्य अधूरा है।

अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य को पूरा कराना वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी0 टी0 रोड से ग्राम किन्हाबर, मैनपुरी की 2 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की मांग

19-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी0टी0 रोड से ग्राम किन्हाबर, तह0 भोगांव मैनपुरी की 2 कि0मी0 सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में पीने के पानी की समस्या को दूर करने हेतु बैराज के निर्माण की जानकारी

20-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में पानी की समस्या को दूर करने के लिए बैराज का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद आगरा में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए बैराज का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ताज ट्रेपोजियम जोन के अन्तर्गत पूर्व में प्रस्तावित बैराज का निर्माण यमुना नदी का जल प्रदूषित होने के कारण वर्तमान में नगर विकास विभाग द्वारा परियोजना वापस लेने के कारण अब बैराज का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई हेतु टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था

21-श्री पूरन प्रकाश-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में गोवर्धन क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई का एक मात्र साधन लोवर आगरा कैनाल आगरा है जिससे टेल तक पानी न पहुंचने के कारण किसानों को विगत चार वर्षों में उसकी आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई हेतु आगरा नहर से निकलने वाले राजवाहा अडीग, मथुरा व फरह के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाता है। नहरों की टेलों तक जलापूर्ति कराये जाने के लिए नहरों को रोस्टर के अनुसार चलाया जा रहा है। फिर भी विगत चार वर्षों में गोवर्धन क्षेत्र की नहरों की टेलों तक जलापूर्ति कराये जाने के बावजूद जल उपलब्धता कम होने के कारण किसानों को आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं मिल पा रहा है।

टिहरी जलाशय से सिंचाई हेतु दिनांक 01-11-09 से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त 3500 क्यूसेक जल उपलब्ध होने पर उसमें से 1100 क्यूसेक जल आगरा नहर को दिया जाना प्रस्तावित है। इसमें गोवर्धन क्षेत्र की नहरों को भी पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के ग्राम खिवाई से ग्राम करनावल तक के जीर्ण-शीर्ण मार्गों के मरम्मत की मांग

22-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद मेरठ के ग्राम खिवाई से ग्राम करनावल तक का सम्पर्क मार्ग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो यह सही है कि उक्त सम्पर्क मार्ग जीर्ण-शीर्ण होने के कारण विकास कार्यों पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ग्राम खिवाई से करनावल तक लोक निर्माण विभाग के सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 6.00 कि0मी0 है, जिसमें प्रथम 3.50 कि0मी0 ईट खड़ण्जा, 2.00 कि0मी0 लेपित व शेष 0.50 कि0मी0 खड़न्जा स्तर तक मार्ग निर्मित है। यह मार्ग क्षतिग्रस्त है।

ग्राम करनावल, दौराला-बरनावां मार्ग के कि0मी0 18 व 21 से भी सम्पर्क मार्ग से जुड़ा हुआ है।

मार्ग के मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के ग्राम कैड़वा से ग्राम मवीकला के सम्पर्क मार्गों के मरम्मत की मांग

23-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बागपत के ग्राम कैड़वा से ग्राम मवीकला तक का सम्पर्क मार्ग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो यह सही है कि उक्त सम्पर्क मार्ग के जीर्ण-शीर्ण होने से विकास कार्यों पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

आवागमन में असुविधा हो रही है।

मार्ग के मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जिसे नवम्बर, 2007 तक पूरा किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के विनौली से तेड़ा मार्ग निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

24-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-6-2007 जो मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण, मेरठ को सम्बोधित है तथा जो बिनौली से तेड़ा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में था प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्राप्त पत्र पर बिन्दुवार अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2005-06 में राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत जनपद बागपत में बिनौली से मीताली वाया ग्वाली खेड़ा लं0 21.00 कि0मी0 के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु कुल रु0 120.14 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 02-03-2006 के द्वारा निर्गत की गयी है। इस मार्ग में 3.66 कि0मी0 में लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा है। यह जानकारी प्राप्त होने पर कि प्रश्नगत मार्ग की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से प्राप्त हो गयी है। इस कार्य को 3.66 कि0मी0 तक सीमित रखा जा रहा है। शेष कार्य के बारे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यवाही ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग से सम्बन्धित है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा शहर में यातायात को व्यवस्थित करने हेतु रिंग रोड्स के निर्माण की मांग

25-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा शहर में यातायात को व्यवस्थित करने के लिए आगरा शहर के चारों ओर रिंग रोड्स का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद रायबरेली में सड़कों के विस्तार, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ा करने की मांग

26-श्री राजाराम त्यागी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2004 एवं नवम्बर, 2005 में केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत रायबरेली जनपद में सड़कों के विस्तार, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ा करने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी किये गये हैं ? यदि

हां, तो क्या उक्त सभी कार्य अभी तक अपूर्ण हैं ? उन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

अवशेष सभी कार्यों को माह जून, 2008 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।.

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर की नजूल भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने सम्बन्धी जारी शासनादेश

27-श्रीमती कृष्णा राज-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की नजूल भूमि संख्या 23/2 रकबा 92.40 मीटर की सम्पूर्ण भूमि को फ्री होल्ड किये जाने संबंधी जारी शासनादेश संख्या-1424/आ0-4-06-417 एन/2003 दिनांक 14 सितम्बर, 2006 का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

जनपद गाजीपुर स्थित प्रश्नगत नजूल भूमि संख्या-23/2 रकबा-92.40 मीटर अवैध कब्जे की भूमि में से कब्जेदार के पत्र दिनांक 19-03-03 में किये गये अनुरोध के आधार पर 46.20 वर्गमीटर भूमि का फ्री-होल्ड विलेख निष्पादित किया जा चुका है। दिनांक 01-01-92 के पूर्व के अवैध कब्जों को विनियमित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 01 दिसम्बर, 1998 के प्रस्तर-7 तथा शासनादेश संख्या-2873/9-आ-4-02-152एन/2000टीसी, दिनांक 10 दिसम्बर, 2002 के प्रस्तर-5 पर अग्रेतर कार्यवाही शासनादेश संख्या-1364/8-4-06-137एन/ 2004टीसी, दिनांक 30 जून, 2006 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से अस्थगित रखी गयी। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या-1642/8-4-06-137एन/ 2004, दिनांक 08 अगस्त, 2006 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 01 दिसम्बर, 1998 के प्रस्तर-7 तथा शासनादेश दिनांक 10-12-02 के प्रस्तर-5 की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।

जनपद बांदा के सड़क निर्माण में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

28-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में सड़क निर्माण में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-6-07 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

शिकायती-पत्र दिनांक 11-06-07 में उल्लिखित मार्गों के निर्माण में अनिमितताओं की जांच हेतु शासन के पत्र दिनांक 03-07-07 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विकास), लो0 नि0 वि0, लखनऊ को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ हरदोई मार्ग पर स्थित ग्राम मुजासा में लोक निर्माण की भूमि पर महेश कुमार मौर्य द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाने की मांग

29-श्री सुल्तान बेग-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि श्री जमाल अहमद पुत्र खलील अहमद निवासी मुजासा थाना/तहसील- मलिहाबाद, जनपद लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव लोक निर्माण को प्रेषित पत्र प्रत्रांक संख्या-10/2007 दिनांक 8-1-2007 जो लखनऊ हरदोई मार्ग पर स्थित ग्राम मुजासा में लोक निर्माण विभाग की भूमि पर महेश कुमार मार्य द्वारा अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण एवं निर्माण हटाने के संबंध में था प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा लोक निर्माण विभाग के स्थानीय अधिकारियों के द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में गोवर्धन के चारों ओर बैरियर लगाकर आने वाले श्रद्धालुओं से की जा रही कथित अवैध वसूली

30-श्री पूरन प्रकाश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में गोवर्धन गिरिराज महराज की परिक्रमा करने एवं दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं से गोवर्धन के चारों तरफ लोक निर्माण की सड़कों पर वैरियर लगाकर आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों से पार्किंग के नाम पर विभाग द्वारा अवैध वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़कों पर लगे वैरियर हटाकर अवैध वसूली को रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई वसूली नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखीमपुर खीरी के पसगवां में मढ़िया आश्रम जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की मांग

31-श्रीमती कृष्णा राज-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी (लखीमपुर खीरी) के वि0 खं0 पसगवां में एन0 एच0 मैगलगंज कस्बा से मढ़िया आश्रम को जाने वाली सड़क काफी

क्षतिग्रस्त है, जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? क्या सरकार उक्त सड़क को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

मार्ग के मरम्मत एवं नवनिर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय में कार्यरत दफ्तरियों को अनुसेवकों की भांति प्रोन्नतीय वेतनमान की मांग

32-श्री बैजनाथ दूबे-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वित्त (वेतन आयोग)-2 के शासनादेश सं0 वे0-आ0-2-179/दस-2007-44/ 2001 टी0 सी0 दिनांक 01 फरवरी, 2007 द्वारा सचिवालय में कार्यरत अनुसेवकों को 14 वर्ष तथा 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अगला वेतनमान दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सचिवालय में कार्यरत दफ्तरियों को भी अनुसेवकों की भांति 14 वर्ष तथा 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अगला वेतनमान दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कुमारी मायावती)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्त (वेतन आयोग)-2 के शासनादेश सं0-वे0आ0-2-179/दस-2007-44/2001 टी0सी0, दिनांक 01 फरवरी, 2007 द्वारा वेतनमान रु0 2550-3200 के केवल ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनके लिए पदोन्नति का कोई पद उपलब्ध नहीं है, के लिए 14 वर्ष तथा 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अगले वेतनमान की व्यवस्था की गयी है। चूंकि सचिवालय में अनुसेवक वेतनमान रु0 2550-3200 के लिए पदोन्नति के पद उपलब्ध हैं अतः इन पदों पर कार्यरत अनुसेवकों को वित्त विभाग एवं सचिवालय प्रशासन विभाग के सुसंगत शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य है।

गोरखपुर मुख्य मार्ग से छपिया, मम्मरिया, मुण्डेरवा जिला बस्ती तक के क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण की मांग

33-श्री बैजनाथ दूबे-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती गोरखपुर मुख्य मार्ग से ग्राम-छपिया मंझरिया मुण्डेरवा जिला-बस्ती तक का मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग ईंट सोलिंग स्तर तक निर्मित है, जिसकी दशा संतोषजनक है तथा आवागमन सामान्य रूप से चल रहा है।

मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला संत कबीर नगर में ग्राम जोगाराजा एवं ग्राम कलुआपुर के मध्य कठिनाईया नदी के अर्द्धनिर्मित पुल को पूर्ण कराने की मांग

34-श्री बैजनाथ दूबे-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जिला संत कबीरनगर में ग्राम-जोगाराजा एवं ग्राम-कलुआपुर के मध्य कठिनाईया नदी पर बनने वाला पुल अर्द्धनिर्मित है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा लखनऊ में स्थित आवासों के आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था सुनिशिचित कराये जाने की मांग

35-श्री राधेश्याम जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करोंगे कि कार्मिक विभाग से निर्गत शासनादेश संख्या-बी0-510/का-2/1995, दिनांक 29-9-95 में किये गये प्राविधानानुसार राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन लखनऊ में स्थित आवासों के आवंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को आरक्षण की व्यवस्था लागू है ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार आवास आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

कार्मिक विभाग से निर्गत शासनादेश संख्या-बी-510/का-2/1995, दिनांक 29-9-95 में सरकारी भवनों के आवंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का कार्यान्वयन किया जाना अपेक्षित है। राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रबन्धन एवं नियन्त्रण में आने वाले आवासों का आवंटन सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास स्थान) आवंटन नियमावली, 1980 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश की भावनाओं के दृष्टिगत विभिन्न वर्गों के आवेदकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर आवास आवंटन किया जाता है। उक्त आवंटन में समस्त वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।

जनपद झांसी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को बी0पी0एल0 राशन कार्डों का लक्ष्य बढ़ाने की मांग

36-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 के कितने राशन कार्ड मई, 2007 तक जारी किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त राशन कार्डों के लक्ष्य को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

झांसी जनपद में मई, 2007 तक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अन्त्योदय परिवारों के 45831 एवं बी0पी0एल0 के 74310 राशन कार्ड निर्गत किये गये हैं।

जी नहीं।

जनपद झांसी के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्ड निर्गत कर दिये गये हैं, जब तक भारत सरकार द्वारा उक्त कार्डो के लक्ष्य में वृद्धि नहीं की जाती है, अतिरिक्त राशन कार्ड बढ़ाया जाना संभव नहीं है।

राज्य सम्पत्ति विभाग में तृतीय/चर्तुथ श्रेणी के पदों पर कोटा पूरा करने की जानकारी

37-कुं0 आर0 पी0 एन0 सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 में विभाग में चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के पदों पर रिक्त एवं स्वीकृति से अधिक पदों पर नियुक्तियां की गई हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इन नियुक्तियों में पिछड़ी जाति के अतिरिक्त अन्य आरक्षित जातियों का कोटा भी पूरा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्वीकृति से अतिरिक्त पदों पर की गई नियुक्तियों को तत्काल निरस्त करते हुए स्वीकृत पदों की नियुक्तियों में भी अन्य आरक्षित जातियों का कोटा पूरा करने पर विचार करेगी , यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जी नहीं।

जी नहीं।

सीधी भर्ती के माध्यम से की गयी नियुक्तियों में आरक्षण का कोटा पूर्ण है। मृतक आश्रित के अधीन, मृतक आश्रित परिवार के ही एक सदस्य को सेवायोजित किया गया है। 29 जून, 1991 के पूर्व से नियुक्त एवं लगातार कार्यरत दैनिक दर कर्मियों को (उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" व "घ" के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1998 व 2001 के अधीन इस नियमावली से आच्छादित दैनिक दर कर्मियों का ही विनियमितीकरण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद का मया-टाण्डा मार्ग के निर्माण की मांग

38-श्री लल्लू सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद का मया-टाण्डा मार्ग अत्यन्त खराब एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में कठनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चौधरी चरण सिंह नलकूप योजनान्तर्गत नलकूपों का स्थल चयन

39-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में चौधरी चरण सिंह नलकूप योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2007-08 में जनपदवार कुल कितने राजकीय नलकूप लगाने की योजना है ? क्या इस हेतु मा0 विधायकों के प्रस्ताव के अनुसार स्थल चयन किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रदेश में चौधरी चरण सिंह नलकूप योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 में 591 नलकूपों के निर्माण की कार्य योजना विचाराधीन है, जिसमें जनपदवार फॉट भी सम्मिलित है।

नलकूपों का स्थल चयन जारी होने वाले विभागीय निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के खराब नलकूपों को ठीक कराने की योजना

40-श्रीमती कृष्णा राज-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में कुल कितने सरकारी नलकूप हैं उनमें से कितने संचालित हैं एवं कितने खराब हैं ? क्या खराब नलकूपों को ठीक कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

दिनांक 01-04-2007 की स्थिति के अनुसार जनपद लखीमपुर खीरी में 712 सरकारी नलकूप कार्यशील हैं। इसमें से दिनांक 14-06-2007 की बंदी की स्थिति के अनुसार 632 नलकूप संचालित एवं शेष 14 नलकूप यांत्रिक एवं 66 नलकूप विद्युत दोष से अस्थायी रूप से बंद हैं।

जी हां।

यांत्रिक दोष से बंद 14 नलकूपों को दिनांक 28-06-2007 तक ठीक कराया जा चुका है तथा विद्युत दोष से बंद 66 नलकूपों में से 59 नलकूप दिनांक 05-07-2007 तक ठीक किये जा चुके

हैं। शेष 7 नलकूपों में से 3 नलकूप दिनांक 17-07-2007, एक नलकूप दिनांक 30-07-07 तथा 3 नलकूप दिनांक 20-08-2007 तक ठीक कराने के लिए विद्युत विभाग द्वारा कार्यक्रम दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महायोजना को स्वीकृति प्रदान करने की मांग

41-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महायोजना शासन में स्वीकृति हेतु लम्बित है ? यदि हां, तो स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

गोरखपुर महायोजना का परीक्षण शासन स्तर पर निर्धारित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जा चुका है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण को उच्च स्तरीय समिति की संस्तुतियों को समाहित करते हुए अपना प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करने को कहा जा रहा है, जिसके प्राप्त होने पर महायोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में महायोजना के स्वीकृत करने की कोई तिथि निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के चित्रकूट धाम मण्डल के मुख्यालय में सर्किट हाउस बनाने की योजना

42-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के चित्रकूट धाम मण्डल के मुख्यालय में वर्तमान वित्तीय वर्ष में सर्किट हाउस बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

स्वीकृति की कार्यवाही विचाराधीन है।.

बांदा में महोबा रोड, केन नदी के पास बाईपास मार्ग बनाने की योजना

43-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के शहर बांदा मे महोबा रोड, केन नदी के पास बाईपास मार्ग बनाने की योजना शासन में विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

'दि किसान सहकारी चीनी मिल' महमूदाबाद में गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान की मांग

44-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "दि किसान सहकारी चीनी मिल" महमूदाबाद में चीनी मिल पर गन्ना किसानों का 16 करोड़ रुपया बकाया है ? यदि हां, तो गन्ना किसानों को उनके बकाये का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद पर वर्तमान सत्र 2007-08 में किसानों का गन्ना मूल्य रु0 15.77 करोड़ बकाया है।

दि किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद की वर्तमान आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मिल अपने संसाधनों से बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रही है। मिल द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर बकाए के भुगतान के प्रयास किये जा रहे हैं।

दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद जनपद सीतापुर के जमीन अधिग्रहण सम्बन्धी जानकारी

45-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद, जनपद सीतापुर की जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 महमूदाबाद (अवध) जिला सीतापुर के लिए भूमि का अधिग्रहण करने हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4(1) एवं 17 की अधिसूचना दिनांक 10-1-2007 को जारी कर दी गयी है।

46-डा0 धर्मपाल सिंह-

[5वें गुरु0 के अता0प्र0सं0-38 पर स्थानान्तरित]

जनपद महमूदाबाद के पीपलसाना लालू वाला मार्ग के शेष कार्यों को पूर्ण कराने की मांग

47-श्री उस्मानुल हक-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत पीपलसाना लालू वाला मार्ग लगभग 3 कि0मी0 पर लगभग 60 प्रतिशत निर्माण कार्य कराया जा चुका है ? यदि हां, तो शेष कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

शेष कार्य नवम्बर, 2007 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में बुन्देलखण्ड विकास पैकेज के अन्तर्गत सड़कों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि

48-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 2006-07 में बुन्देलखण्ड विकास पैकेज के अन्तर्गत तिन्दवारी-पपरेन्दा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 496.59 लाख की धनराशि स्वीकृत थी ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर शीघ्र कार्य पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

कार्य प्रगति में है तथा मार्च, 2008 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

कार्य मार्च, 2008 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

49-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[4थे गुरु0 के अता0 प्र0 सं0-26 पर स्थानान्तरित]

जनपद वाराणसी में रिंग रोड निर्माण कराने की मांग

50-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद वाराणसी में रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, भूमि अध्यापि की कार्यवाही प्रगति पर है।

यह प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में प्रेषित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखीमपुर खीरी की बजाज हि0 लि0 खम्भ खेड़ा चीनी मिल पर गन्ना किसानों के भुगतान की मांग

51-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी की बजाज हि0 लि0 खम्भ खेड़ा, चीनी मिल पर गन्ना किसानों का इसी वर्ष का लगभग 51 करोड़ रुपया बकाया है ? यदि हां, तो सरकार गन्ना किसानों को उनके बकाये का भुगतान कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-लखीमपुर खीरी की बजाज हिन्दुस्तान लि0 खम्भखेड़ा चीनी मिल पर दिनांक 04-07-2007 तक की स्थिति के अनुसार निम्नवत् गन्ना मूल्य बकाया है। :-

(धनराशि करोड़ रुपये में)

देय गन्ना मूल्य	भुगतान	अवशेष
151.51	109.88	11.63

कृषकों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हेतु अन्तिम तिथि 31-08-2007 निर्धारित करते हुए शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में उतल नदी पर नया पुल बनाने व पुराने पुल के लोहे की नीलामी की मांग

52-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में उतल नदी पर ग्राम सैधरी में नया पुल बनवाकर पुराने लोहे का पुल लो0नि0वि0 द्वारा तोड़ा जा चुका है ? क्या लोहे के सामान की नीलामी हुई है ? यदि नहीं, हुई है तो पुल के लोहे का क्या किया गया

है ? क्या सरकार पुल के लोहे की नीलामी कराकर प्राप्त धनराशि कोष में जमा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

नये पुल का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, किन्तु पुराना लोहे का पुल तोड़ा नहीं गया है।

जी नहीं।

यथावत है।

नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

53-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[3सरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हाथरस कचौरा माइनर में टेल तक पानी न पहुंचने के कारण फसलों को हो रही क्षति

54-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस के रजबहा की भदवास, कचौरा माइनर में टेल तक पानी न पहुंचने के कारण हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई पिछले 10 वर्षों से नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जी नहीं। सिकन्दराराऊ रजवाहा की क्षमता पुनर्स्थापना का कार्य वर्ष 2005-06 में कराया गया था। तत्पश्चात् वर्ष 2006-07 में फसली 1414 खरीफ एवं फसली 1414 रवी में जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ रजवाहा की भदवास तथा कचौरा माइनर की टेल पर तीन बार पानी पहुंचा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के सोहावल अन्तर्गत हरीपुर आदि मार्ग हेतु स्वीकृत धनराशि

55-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोहावल अन्तर्गत हरीपुर जलालाबाद से नगरिया मूसेपुर शीशीरोड तक तथा रायपुर मानापुर सम्पर्क मार्ग पर धन स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मार्च, 2008 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

सोहावल फैजाबाद स्थित सम्पर्क मार्ग लखोरी से बीरभानपुर व अन्य मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि व निर्माण कार्य

56-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सोहावल फैजाबाद स्थित सम्पर्क मार्ग लखोरी से बीरभानपुर तथा फतेहपुर सरैया सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु धन अवमुक्त हो चुका है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य रोके जाने का कारण क्या है ? निर्माण कार्य कब से शुरू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत लखोरी से बीरभानपुर सम्पर्क मार्ग हेतु धनराशि जिलाधिकारी, फैजाबाद से लोक निर्माण विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत फतेहपुर सरैया सम्पर्क मार्ग हेतु आवश्यक धनराशि लोक निर्माण विभाग को अवमुक्त की जा चुकी है।

लखोरी से बीरभानपुर सम्पर्क मार्ग धनाभाव के कारण रुका है।

फतेहपुर सरैया सम्पर्क मार्ग का कार्य प्रगति पर है।

लखोरी से बीरभानपुर सम्पर्क मार्ग का कार्य शुरू करना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

फतेहपुर सरैया सम्पर्क मार्ग का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है तथा प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

पाण्डुनगर कानपुर स्थित आवास भवन का व्यवसायिक उपयोग किये जाने सम्बन्धी जानकारी

57-श्री सतीश महाना-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मकान नं0-117/एच-2/202 पाण्डुनगर कानपुर स्थित आवास भवन को व्यवसायिक उपयोग हेतु इस्तेमाल किया जा रहा है ? क्या प्राधिकरण द्वारा इसकी अनुमति प्रदान की गयी है ? क्या उक्त भवन में निर्धारित अग्निशमन सुविधाओं, विद्युत सुरक्षा उपकरणों एवं अन्य सुरक्षात्मक प्राविधान उक्त भवन में किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, किन्तु भवन का उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग आवासीय/दुकानों के विपरीत कार्यालय उपयोग में किया जा रहा था, जिसे महायोजना प्राविधानों एवं स्वीकृत मानचित्र के विपरीत होने के दृष्टिगत उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए दिनांक 4-7-2007 को परिसर को सील कर दिया गया है।

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में आवासीय मकानों के नियमितीकरण/बेटरमेंट चार्जेज योजना की जानकारी

58-श्री सतीश महाना-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में आवासीय मकानों के नियमितीकरण/ बेटरमेंट चार्जेज की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। वर्तमान में नियमितीकरण/बेटरमेंट चार्जेज की योजना प्रचलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राधिकरण द्वारा अर्जित एवं ग्राम समाज की भूमि पर किये गये अवैध कब्जों को नियमित करने हेतु नियमितीकरण नीति-1988 लागू थी किन्तु भूखण्डों के नियमितीकरण करने में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर शासन के आदेश संख्या-यूओ-116/9-आ-3-2004, दिनांक 23-9-2004 द्वारा नियमितीकरण कार्यवाही पर रोक लगा दी गयी। पुनः शासनादेश संख्या-यूओ-116(1)/ 9-आ-3-2004, दिनांक 4-12-2004 द्वारा भू-खण्डों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में सुस्पष्ट नीति प्राधिकरण की स्वीकृति के पश्चात् शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ के कार्यालय में प्रमुख अभियन्ता संवर्गीय अधीक्षक के पदों पर चयन की जानकारी

59-श्री राजाराम त्यागी-

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ के कार्यालय में प्रमुख अभियन्ता संवर्गीय अधीक्षक के स्वीकृत पदों पर मण्डलीय संवर्ग के कार्यालय अधीक्षक की पदस्थापना की गयी है जबकि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय संवर्ग के कार्यालय अधीक्षक लखनऊ मुख्यालय पर प्रतीक्षारत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में कार्यरत मण्डलीय संवर्ग के कार्यालय अधीक्षक को मण्डल कार्यालय में स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। कार्यालय अधीक्षक प्रमुख अभियन्ता एवं मण्डलीय कार्यालयों का एक संयुक्त संवर्ग है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ रजबहा की भदवास माइनर में पानी न पहुंचने से किसानों को हो रही असुविधा

60-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ रजबहा की भदवास माइनर में पानी न पहुंचने से किसानों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार

दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करके सिकन्दराराऊ रजबहा में टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। वर्ष 2006-07 में फसली 1414 खरीफ एवं फसली 1414 रबी में जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ रजवाहा की भदवास माइनर की टेल पर तीन बार पानी पहुंचा है जिससे किसानों को कोई असुविधा नहीं है।

चूंकि टेल तक पानी पहुंचाया जा रहा है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवयकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में नहरों के टेलों पर पानी पहुंचाने की मांग

61-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में आगरा जनपद की समस्त नहरों की सफाई का कार्य कागजों पर कराकर भुगतान सम्बन्धित लोगों को करा दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त नहरों में टेल तक पानी अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है जिससे हजारों किसानों की फसलें सूख गयी हैं ? क्या सरकार प्रकरण की जांच कराकर इसके दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराकर जनपद की सभी नहरों की सफाई एवं टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

जनपद आगरा की गत रबी 1414 फसली में 67 में 67 नहरों की टेलों पर पानी पहुंचाया गया है। वर्तमान खरीफ 1415 में भी दिनांक 30-06-07 तक 72 में से 48 नहरों की टेलों पर पानी पहुंचाया जा चुका है। अवशेष टेलों पर शीघ्र ही पानी पहुंचाया जाना प्रस्तावित है।

इसमें कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। आगरा जनपद की फसली वर्ष रबी 1415 हेतु सिल्ट सफाई का कार्यक्रम बनाकर लक्ष्य के अनुसार टेलों पर पानी पहुंचाया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

आगरा शहर में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा शास्त्रीपुरम् आवसीय योजनान्तर्गत आवंटित आवास एवं भूखण्डों का कब्जा दिये जाने की मांग

62-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियेाजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा शहर में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा शास्त्रीपुरम् आवासीय योजना में आवंटित आवास एवं भूखण्डों का कब्जा आवंटियों को दे दिया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के समस्त आवंटियों द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिये

जाने के बावजूद आवास तथा भूखण्डों का कब्जा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो आवंटियों को कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

शास्त्रीपुरम् योजनान्तर्गत आवंटित सम्पत्तियों का कब्जा प्राधिकरण द्वारा आवंटियों को दे दिया गया है। मात्र 21 प्रकरणों में भू-स्वामित्व सम्बन्धी विवाद/न्यायिक स्थगनादेशों के कारण आवंटित सम्पत्तियों का कब्जा नहीं दिया जा सका है। इस स्थिति का प्रमुख कारण राजस्व अनुभाग-13 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-18आर0एम0-1-13-2005-7-5(6)-2004, दिनांक 17-11-05 द्वारा ग्राम-दहतौरा व ग्राम-मोहम्मदपुर की लगभग 5.60 हेक्टेयर भूमि को अर्जन से मुक्त कर देना एवं कुछ प्रकरणों में भू-स्वामित्व सम्बन्धी विवाद है।

जी नहीं।

योजनान्तर्गत मात्र 21 आवंटियों को सम्पूर्ण भुगतान के उपरान्त कब्जा नहीं दिया गया है। विवाद के निराकरण के उपरान्त अवशेष आवंटियों को कब्जा दिये जाने पर नियमानुसार कार्यवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

समर विहार कालोनी आलमबाग, लखनऊ के सेन्ट्रल पार्क पर अवैधानिक रूप से किये गये निर्माण को हटाने की मांग

63-श्री सुल्तान बेग-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समर विहार कालोनी आलमबाग, लखनऊ का मानचित्र एल0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कालोनी के सेन्ट्रल पार्क के दक्षिण में सड़क अवरुद्ध करके उस पर अवैधानिक रूप से निर्माण करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या एल0डी0ए0 अवैधानिक निर्माण को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

जी हां। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27(1) की नोटिस जारी कर कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में गौरा चौकी से मसकनवा तक सड़क मरम्मत की मांग

64-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोण्डा जनपद में गौरा चौकी से मसकनवा तक की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के ग्राम मनुआगढ़ से मुकरफदपुर के मार्ग की मरम्मत व पानी निकासी की व्यवस्था

65-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित ग्राम मनुआगढ़ से मुकरफदपुर मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है तथा मनुआगढ़ गांव में बीच सड़क पर हमेशा पानी भरा रहता है ? जिससे लोगों को आवागमन की असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरी सड़क की मरम्मत कराकर पानी निकासी की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, तथा जलभराव से आवागमन में थोड़ी असुविधा होती है।

मार्ग की मरम्मत एवं जल निकासी का व्यवस्था वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में गौरा चौकी से चन्द्रदीप घाट तक के क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत की मांग

66-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोण्डा जनपद में गौरा चौकी से चन्द्रदीप घाट तक की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे जनता को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोण्डा के बभनान से गौरा चौकी सादुल्लानगर मनकापुर की सड़क के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण की मांग

67-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि गोण्डा जनपद के बभनान से गौरा चौकी सादुल्लाहनगर मनकापुर की सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर में सरायखास से मनकापुर तक के क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत की मांग

68-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर में सरायखास से बूधीपुर मौर्यागंज विशुनपुर ग्रान्ट मार्ग जो उतरौला मनकापुर मार्ग में मिलता है, पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

मरम्मत का कार्य वर्ष 2008 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐतिहासिक शहर आगरा को हाइटेक सिटी बनाये जाने का प्रस्ताव

69-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा को हाईटेक सिटी बनाये जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो हाईटेक सिटी बनाये जाने हेतु आगरा शहर के किसानों एवं भू-मालिकों की अधिग्रहीत जमीन का उचित मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

आगरा शहर में हाईटेक टाउनशिप विकसित करने हेतु वर्तमान में 689.6611 हे0 भूमि के अर्जन हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम-1894 के अन्तर्गत धारा-4/17 की अधिसूचना दिनांक 3-01-2007 की निर्गत की गई है तथा धारा-6/47 की अधिसूचना अभी निर्गत नहीं हुयी है। जिस कारण मुआवजा निश्चितीकरण/वितरण की स्टेट अभी नहीं आयी है।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ स्थित मोती झील के सौन्दर्यीकरण की योजना

70-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में स्थित मोती झील के सौन्दर्यीकरण की कार्य योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मोती झील सौन्दर्यीकरण की कार्य योजना के अन्तर्गत टूटे हुए कोटा स्टोन का कार्य, ग्रिल की मरम्मत/पेंटिंग, सुरक्षा दीवार का निर्माण, पार्किंग हेतु इण्टरलाकिंग ब्लाक लगाने का कार्य, झील में

विकसित जलकुम्भी की सफाई, शौचालय का निर्माण, घास लगाने का कार्य, पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाने का कार्य, बैठक हेतु बैंच की व्यवस्था, वृक्षारोपण एवं उसका अनुरक्षण का कार्य एवं पाथ-वे लाइट का कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय गेट सं0-3 से दारूलशफा तक पैदल पुल बनवाने की मांग

71-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय गेट सं0-3 से दारुलशफा ए ब्लाक व बी ब्लाक को सड़क पार कर जाना पड़ता है, जिससे दुर्घटना होने का भय बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पैदल पुल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जी हां, दुर्घटना न हो इसके लिये जेबरा क्रांसिग की व्यवस्था की गयी है।

सचिवालय गेट सं0-3 से दारूलशफा ए ब्लाक व बी ब्लाक को जोड़ने हेतु पैदल पुल का निर्माण सचिवालय/विधान सभा परिसर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 11 जुलाई, 2007 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :--

पहली सूचना श्री निर्मल कुमार वर्मा की सीतापुर जिले के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पूर्वांचल विकास निधि से मिलने वाली सुविधाएं जनपद सीतापुर में भी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है, पढ़ी हुई मानी गई। दूसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत मनकानुर और छपिया में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया में मानक के अनुसार चयन न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पढ़ी हुई मानी गई।

तीसरी सूचना श्री चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की जनपद सहारनपुर के ग्राम बीराखेड़ी, ब्लाक गंगोह में तालाबों पर किये गये अवैध कब्जों को हटवाने के सम्बन्ध में है, पढ़ी हुई मानी गई।

चौथी सूचना श्री धनीराम वर्मा की जनपद औरैया के विकास खण्ड विधूना में बहने वाले कनसुआ रजबहा पर अमृतपुर और पूर्वामाखन के बीच टूटी हुई पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में है, पढ़ी हुई मानी गयी।

पांचवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की गत तीन वर्षों में रिपोर्ट दर्ज न होने का आधार लेकर जनपद उन्नाव में कोटेदारों एवं पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को परेशान करने के सम्बन्ध में है, पढ़ी हुई मानी गयी।

छठी सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की मुजफ्फरनगर के थाना भवन क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों एवं सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है, पढ़ी हुई मानी गई।

सातवीं सूचना श्री इमरान मसूद की है, माननीय सदस्य अनुपस्थित है, इसलिए इनकी सूचना निरस्त की जाती है।

आठवीं सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य की श्री शिव सिंह, सहायक अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेषण गृह जनपद फतेहगढ़ की सेवानिवृत्ति के उपरान्त अभी तक पेंशन एवं अन्य देयकों का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पढ़ी हुई मानी गई।

नौवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा में जल निगम के अधिकारियों द्वारा गत कई वर्षो से स्वीकृत हैण्डपम्पों को अभी तक न लगाये जाने से उत्पन्न पेयजल संकट का निवारण करने के सम्बन्ध में है, पढ़ी हुई मानी गई।

दसवीं सूचना श्री सुन्दर सिंह की श्री वीरपाल सिंह निवासी ग्राम हाजीपुर जनपद बुलन्दशहर की मार्ग दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में है, पढ़ी हुई मानी गई।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गई उनके नाम इस प्रकार हैं 1-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा 2-श्री दुर्गा प्रसाद यादव।

सीतापुर जिले के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पूर्वांचल विकास निधि से मिलने वाली सुविधाएं जनपद सीतापुर में भी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री निर्मल कुमार वर्मा-

[अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरा जनपद सीतापुर अत्यन्त पिछड़ा जिला है, पड़ोसी जिला बाराबंकी तक पूर्वांचल विकास निधि का लाभ मिल रहा है।

अतः मेरी मांग है कि सीतापुर जिले के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए पूर्वांचल विकास निधि से मिलने वाली सुविधायें जनपद सीतापुर में भी उपलब्ध करायी जाये जिससे अति पिछड़े जिले का पिछड़ापन समाप्त हो सके।]

जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत मनकापुर और छपिया में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया में मानक के अनुसार चयन न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम बिशुन आजाद-

[अध्यक्ष महोदय, आपको अवगत कराना है कि देवीपाटन मण्डल के जनपद गोण्डा के क्षेत्र पंचायत मनकापुर और छपिया में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया में अधिकारियों द्वारा पारदर्शिता नहीं अपनाई गयी है। डी0पी0ओ0 एवं सी0डी0पी0ओ0 की

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिलीभगत से शासन के नियमों को ताक में रखकर मानक के अनुसार चयन नहीं किया गया। किन्हीं-किन्हीं केन्द्रों पर एक ही परिवार के लोगों को ही कार्यकत्री/सहायिका में चयन कर लिया गया, इससे ग्राम के अन्य लोग लाभ से वंचित रह गये। आवेदकों द्वारा जो भी अभिलेख लगाये हैं, अधिकांशतः जांच एवं भौतिक सत्यापन न कर अपने निहित स्वार्थ में रफा-दफा कर दिया। अधिकांश जो भी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे हैं मात्र कागजों पर ही चलाया जा रहा है क्योंकि गांव के प्रभावशाली घर की होने के कारण वे केन्द्रों पर नहीं जाती हैं। पंजीकृत बच्चों को मिलने वाला पुष्टाहार भी अधिकारियों की मिलीभगत से बाजारों में बेंच लिया जाता है। इसके अतिरिक्त भी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जो भी अन्य वस्तुएं आपूर्ति की गयी हैं वे कार्यकत्रियों के घर पर ही रहती हैं जिससे लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पाता। स्कूल पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, संदर्भन सेवा, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, पोषक आहार का वितरण, स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आदि सेवाएं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा किया जाना चाहिए परन्तु कोई ज्ञान न होने के कारण सेवाएं नहीं दी गयी जबकि समय-समय पर प्रशिक्षण होना चाहिए परन्तु कागजों में ही प्रशिक्षण करा दिया जाता है और शासकीय धन का दुरुपयोग किया जाता है। उक्त समस्याओं के सम्बन्ध में मेरे द्वारा पत्रों के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित किया है परन्तु कार्यवाही नहीं हुई।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के ग्राम बीराखेडी, ब्लाक गंगोह में तालाबों पर किये गये अवैध कब्जों को हटवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान एक जनहित के लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जनपद सहारनपुर के ग्राम बीराखेड़ी ब्लाक गंगोह, जनपद सहारनपुर में चन्द्रपाल सिंह नामक व्यक्ति ने तालाब पर अवैध रूप से कब्जा करके अपना निवास स्थान बना लिया है। क्षेत्र की जनता द्वारा कई बार जिला प्रशासन को इस मामले में शिकायत करने के बाद भी कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। इस तरह से तमाम तालाबों पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है जिससे गांवों में पानी का निकास बन्द होने के कारण बरसात में गन्दा पानी घरों में घुस जाता है और उससे डेंगू व अन्य संक्रमण रोग तो फैलते ही हैं तथा पर्यावरणों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। संक्रमण रोग से विगत कई वर्षों से जनपद सहारनपुर में कई लोगों को मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा और आज भी तमाम लोग जूझ रहे हैं लेकिन जिला प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है जिससे तालाबों पर दिनों दिन कब्जे हो रहे हैं। जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र व जनपद सहारनपुर में पर्यावरण को भी खतरा उत्पन्न हुआ है तथा जिला प्रशसन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का भी अनुपालन नहीं कर रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में तालाबों को कब्जा मुक्त कराने हेतु सरकार को निर्देशित करने कर कष्ट करें।]

जनपद औरेया के विकास खण्ड विधूना में बहने वाले कन्सुआ रजबहा पर अमृतपुर और पूर्वमाखन के बीच टूटी हुई पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनीराम वर्मा-

[अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त संदर्भित पुलिया टूट चुकी है। जिससे किसानो को एक ओर से दूसरी और हल, बैल, ट्रेक्टर आदि ले जाने में और राहगीरों के निकलने में बहुत परेशानी हो रही है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त पुलिया का निर्माण जनहित में अतिशीघ्र कराया जाय।]

गत तीन वर्षो में रिपोर्ट दर्ज न होने का आधार लेकर जनपद उन्नाव में कोटेदारों एवं पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को परेशान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल लोधी-

[अध्यक्ष महोदय, शासन द्वारा जारी आदेश कि 22 जुलाई सन् 2007 तक उन व्यक्तियों की रिर्पोट अंकित की जाय जिनकी समाजवादी पार्टी सरकार में रिर्पोट दर्ज नहीं हुई है। इस आदेश का लाभ लेकर ग्रामों में कोटेदार जो जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। उनका विरोध यदि किसी ने किया तो पुलिस से सांठ-गांठ कर पिछली सरकार में रिर्पोट न लिखे जाने का बहाना लेकर अविलम्ब अपने विरोधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी ही घटना दिनांक 6-7-07 को थाना सोहरामऊ के ग्राम मिर्जापुर में घटित हुई ग्राम के प्रधान श्री शिवचरन ने अपने ही ग्राम के कोटेदार श्री छेदी लाल से राशन व मिट्टी के तेल के वितरण की व्यवस्था जनता ने ठीक से करने के जिए कहा इस पर छेदी लाल जो कि राशन का वितरण भी नहीं करते और निर्धारित कीमत से अधिक धन वसूलते और विरोध करने वालों को अपमानित करते हैं। और सम्पूर्ण राशन व मिट्टी के तेल की काला बाजारी करते हैं इस अपने कृत्य को छिपाने के लिए कोटेदार श्री छेदी लाल ने योजना बनाई और शिवचरन यादव प्रधान पर झूठा आरोप पिछले वर्षो का लगाकर विभिन्न अपराधों जिनमें हरिजन एक्ट लगाकर मुकदमा पंजीकृत कराया। थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव की पुलिस अविलम्ब शक्रिय होकर बिना किसी जांच के पकड़ लाई और बंद कर दिया। दिनांक 7-7-07 को मैं स्वयं थाना अध्यक्ष सोहरामऊ व क्षेत्राधिकारी जालिम सिंह से टेलीफोन पर सम्पर्क किया और जांच की मांग की परन्तु इन अधिकारियों ने किसी प्रकार की जांच करने से मना किया इस प्रकार 8-7-07 को प्रातः 10 बजे पुलिस अर्धाक्षक से मिले और बेगुनाह प्रधान को अकारण जेल न भेजे कृपया प्रकरण की जांच करा लें और बेगुनाह प्रधान को जेल न भेजे।

आदेश में संशोधन की आवश्यकता है कि तीन साल के अन्तराल में जिस व्यक्ति की रिर्पोट नहीं दर्ज नहीं हुई क्या रिर्पोट दर्ज कराने वाला व्यक्ति क्या थाने गया या पुलिस अर्धाक्षक के पास जाकर मिला, तो उस समय के कार्यरत पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी जिनके कारण रिर्पोट नहीं

नोटः-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लिखी गयी उस पर भी कार्यवाही सुनिश्चित कर, जनता में व्याप्त रोष का संज्ञान लेकर इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने का कष्ट करें।]

मुजफ्फरनगर के थाना भवन क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों एवं सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अब्दुल वारिस खां-

[अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये सदन को यह बताना चाहता हूं कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत जर्जर है ग्रामों के सभी सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है व इस क्षेत्र का मुख्य मार्ग थाना भवन ऊन निमजना टूटा हुआ है व जगह-जगह गड्ढ़े हुये है जिससे कि वाहनो के आवागमन में बहुत परेशानी होती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

श्री शिव सिंह सहायक अधीक्षक राजकीय सम्प्रेषण गृह जनपद फतेहगढ़ की सेवानिवृति के उपरान्त अभी तक पेंशन एवं अन्य देयकों का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

[अध्यक्ष महोदय, श्री शिव सिंह, सहायक अधीक्षक, रा0 सम्प्रे0 गृह जनपद फतेहगढ़ दिनांक 31 जनवरी, 2005 को सेवानिवृत्त हुए है किन्तु अभी तक इनको न तो पेंशन ही दी जा रही है और न ही ग्रेच्युटी एवं जी0पी0एफ0 आदि सहित अन्य देयकों का ही भुगतान किया जा रहा है। जबकि सेवानिवृत्ति के उपरान्त ये गठिया, नेत्र रोग एवं डिप्रेशन आदि की बीमारियों से ग्रसित है। इनके देयकों का भुगतान न होने से जहां इनका उपचार सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है वहीं इनके परिजनों को भी विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ इनके देयकों का अभी तक भुगतान न होने के कारण ये मानसिक रूप से भी परेशान रहते है चूंकि श्री सिंह को सेवानिवृत्त हुये लगभग 3 वर्ष व्यतीत हो चुके है और अभी तक इनके देयकों का भुगतान न होने से जहां इनके विभिन्न कार्य आर्थिक परेशानी के कारण बाधित हो रहे है वहीं इनमें व इनके परिजनों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न होने से उनमें चिन्ता भी व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अवलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा में जल निगम के अधिकारियों द्वारा गत कई वर्षो से स्वीकृत हैण्ड पम्पों को अभी तक न लगाये जाने से उत्पन्न पेयजल संकट का निवारण करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान महत्वपूर्ण विषय की तरफ करना चहाता हूं जनपद बांदा में जल निगम 16 वीं शाखा यांत्रिक शाखा द्वारा लगभग 250 स्वीकृत हैण्डपम्प जिनकी 10% अंशदान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राशि लाभार्थियों द्वारा जमा होने के बावजूद ब्लाक तिन्दवारी जसपुरा, बड़ोखरखुर्द में पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है। लोग नदी एवं ताल पोखरों का पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, प्रदूषित पानी पीने से सैकड़ो लोग बीमार पड़ गये हैं इसलिए स्वीकृत हैण्डपम्प को लगाना जनहित में बहुत आवश्यक है जल निगम के अधिकारियों द्वारा गत कई वर्षो से स्वीकृत हैण्डपम्पों को नहीं लगाया गया तथा प्लेट फार्म भी नहीं बनाये गये। जो कुछ हैण्डपम्प लगाये गये हैं उनमें बाजार के निम्न कोटी के नीले पाइप लगाये जाने से एक वर्ष पूर्व लगाये गये हैण्डपम्प पानी देना बन्द कर दिये है तथा पाइप फट गये है। उदाहरण के तौर पर ब्लाक बड़ोखखुर्द के कई गांव एवं ग्राम भरागढ़ में त्रिवेणी तिराहे पर इन्दु खां के मकान के पास तथा उसी के पास यादव के मकान के पास जल निगम यात्रिंक शाखा द्वारा एग्रो के नीले पाइप डाले गये हैं। जिनकी जांच कराना अतिआवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि उक्त पेयजल की महत्वपूर्ण सूचना को नियम-301 के अन्तर्गत स्वीकृत करने की कृपा करें।]

श्री वीरपाल सिंह, निवासी ग्राम हाजीपुर, जनपद-बुलन्दशहर की मार्ग दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर सिंह-

[अध्यक्ष महोदय, श्री वीरपाल सिंह पुत्र श्री हरिश्चन्द्र नि0 ग्राम हाजीपुर, थाना-स्याना, जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला था जो आम का बाग खरीदता था व आम दिल्ली मण्डी में बेचने जाता था। दिनांक 27-06-2007 को गाड़ी से आम लेकर दिल्ली मण्डी बेचने जा रहा था। गोदाम के सामने हापुड़-स्याना मार्ग पर गाड़ी टकराकर पलट गयी व वीरपाल सिंह की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। वीर पाल सिंह की मृत्यु के बाद उनका परिवार जिसमें उनकी पत्नी, एक वयस्क पुत्री एवं तीन छोटे पुत्र हैं। परिवार में कमाई का कोई अन्य साधन नहीं है। परिवार भूमिहीन है। उनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गयी है। वयस्क पुत्री की शादी व परिवार के भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं मा0 मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से पूरे परिवार को दो लाख रुपये की सहायता प्रदान करने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 11 जुलाई, 2007 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 5 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनका विवरण इस प्रकार है :-

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के अनुभाग-4डी(2) द्वारा शासनादेश संख्या-570/5-7-2002-7-44/2001, दिनांक 27 फरवरी, 2002

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का दुरुपयोग कर अनेक फार्मासिस्टों/चीफ फार्मासिस्टों के स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री उदय भान करवरिया की सदन में उठाये गये प्रश्नों को विभागीय अधिकारियों द्वारा गम्भीरता से न लिए जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के सदर क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 29-06-2007 को दी गयी सूचना पर शासन की ओर से सदन में दिनांक 04-07-2007 को दिये गये वक्तव्य में असत्य तथ्यों का उल्लेख होने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी व प्रदीप जैन आदित्य की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जो प्रतिवेदन दिनांक 10-07-07 को सदन के पटल पर रखा गया है, में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की सदन में प्रक्रिया नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर सदन में शासन का ध्यानाकर्षण किये जाने के उपरान्त उन पर कृत कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित मा0 सदस्य एवं विधान सभा सचिवालय को न दिये जाने के सम्बन्ध में है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के अनुभाग-4डी(2) द्वारा शासनादेश संख्या-570/5-7-2002-7-44/2001, दिनांक 27 फरवरी, 2002 का दुरुपयोग कर अनेक फार्मासिस्टों/चीफ फार्मासिस्टों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-300 के अन्तर्गत इस सूचना को मैंने आपके सामने रखा है। इसका मकसद केवल इतना है कि दिनांक 22-11-2006 को नियम-51 के अन्तर्गत मैंने एक सूचना सदन में रखी थी और माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस सूचना को स्वीकार किया था तथा इसमें कार्यवाही करके माननीय सदस्य को तथा विधान सभा सचिवालय को यथाशीघ्र अवगत कराने के निर्देश दिये थे। हम सब जितने भी विधायक यहां पर चुनकर आते हैं, जिन समस्याओं का निराकरण हम बाहर नहीं कर पाते, कठिन समस्यायें होती हैं, उन समस्याओं को प्रश्नों और नियमों के माध्यम से ला करके, आपका संरक्षण प्राप्त करके, उनको यहां पर रखते हैं ताकि उनका समाधान मिल सके। इस पीठ के माननीय अध्यक्ष के दिनांक 22-11-2006 के निर्देश के बावजूद भी शासन के अधिकारियों ने आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है और न ही मुझे इसकी कोई सूचना दी है। हम लोग, लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय चर्चा के लिए रखते हैं, उनकी धज्जियां उड़ जाती हैं जब ये सरकारी अधिकारी आपके निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस नोटिस को ध्यान में रखकर जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्रीवास्तव जी, नियम-300 के अन्तर्गत आपने सूचना दी है, आपने बताया कि नियम-51 के तहत सूचना दी थी, तो उस पर वक्तव्य आया होगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं ?

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आप स्वयं देख रहे हैं कि यह नियम-300 में कहां से आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

आपको सुन लिया गया और संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी बता दिया। आपने जो सूचना दी उसको सुना गया। जो अपेक्षा व्यक्त कर रहे हैं उसे 300 के अन्तर्गत नहीं और भी नियमों में आप ला सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि 22-11-2006 को जो नियम-51 के अन्तर्गत मेरी सूचना पर आदरणीय पीठ से निर्देश दिये गये थे उसका पालन नहीं हुआ है, न ही मुझे कोई सूचना दी गयी है। मान्यवर, बहुत गम्भीर बात है कि आपके निर्देश पर भी कार्यवाही नहीं होती।

श्री अध्यक्ष-

श्रीवास्तव जी का कहना है कि नियम-51 के अन्तर्गत सूचना स्वीकार हुई उसमें क्या कार्यवाही हुई, इसकी कोई सूचना उनको नहीं मिली। यह सूचनायें मिलती रही हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसको आप दिखवा लें और जो भी कार्यवाही हुई है उससे माननीय सदस्य को अवगत करा दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः इसको निरस्त करता हूं।

सदन में उठाये गये प्रश्नों को विभागीय अधिकारियों द्वारा गम्भीरता से न लिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उदयभान करवरिया-

मैंने औचित्य के प्रश्न के माध्यम से एक ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है जो केवल मेरा ही नहीं सारे विधायकगणों की पीड़ा है। हम लोग अपने क्षेत्र से चुनकर आते हैं क्षेत्र की जनता की हम लोगों से बहुत उम्मीदें होती हैं विशेष कर जब विधान सभा का सत्र चल रहा होता है तो उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि क्षेत्रीय समस्याएं विधान सभा में रखी जाएंगी उस पर चर्चा होगी और कुछ न कुछ सार्थक-निर्देश आदेश प्राप्त किये जायेंगे। अभी श्रीवास्तव जी ने भी इसी विषय को उठाया था। विशेष नियमों के तहत हम लोग प्रश्न लगाते हैं उसका हमें उत्तर प्राप्त होता है। मैं दूसरी बार विधायक चुनकर आया हूं जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे तो उस समय विधान सभा का महत्व समझा करते थे सोचते थे कि प्रश्न विधान सभा में उठा है इसलिए इसका उत्तर ठीक ढंग से दिया जाएगा। जिले में अगर एक प्रश्न लगता था तो पूरे क्षेत्र के नागरिकों को पता लग जाता था कि यह प्रश्न विधान सभा में उठा है और इसका उत्तर देने के लिए सरकारी महकमा भाग-दौड़ कर रहा है। लेकिन अब दूसरी बातें हो गयी हैं। प्रश्नों की गम्भीरता समाप्त होती जा रही है यह सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। हम प्रश्नों को रखते हैं और उनके अनुकूल जवाब की उम्मीद रखते हैं। जवाब

देने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं जिलों में बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके कन्धे पर रखकर सरकार अपने कामों को क्रियान्वित करती है। जब कोई विधायक अपने प्रश्न को उठाते हैं तो उस समय अगर सरकार का जवाब नीचे स्तर से गलत प्राप्त होता है तो उस पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। फिर प्रश्न का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। कल ही देखें हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को जोरदार ढंग से उठाया था एक नौजवान की हत्या का प्रकरण था।

श्री अध्यक्ष-

आप विषय पर आइये।

श्री उदयभान करवरिया-

मैं उसी पर आ रहा हूं। उस नौजवान की हत्या पर नीचे के अधिकारी जवाब कुछ दे रहे हैं और उस कर्मचारी को बचाने के लिए पूरा बजट बगैर कटौती और चर्चा के पास हो गया।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय में कहां आ गया।

श्री उदयभान करवरिया-

मैंने इन्हीं तथ्यों पर सूचना दी है। मैंने सूचना दी है कि सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विधान सभा में उठाये गये प्रश्नों का सही उत्तर न देना यह गम्भीर विषय है। राजस्व विभाग का एक प्रकरण मैंने विधान सभा में उठाया मैंने आरोप लगाया कि एस0डी0एम0 द्वारा पट्टे किये गये हैं उनको अनुमोदित किया गया है सरकार का जवाब आया कि एस0डी0एम0 द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है। मैं कल राजस्व मंत्री जी से उनके चैम्बर में मिला मैंने बाकायदा उसकी फोटो प्रति भी दी जिस पर एस0डी0एम0 के हस्ताक्षर हैं जिनमें अवैध पट्टों का अनुमोदन किया गया है। जबकि जवाब दिया गया कि एस0डी0एम0 द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है। क्या हम इस तरह का जवाब लेने के लिए विधान सभा में बैठे हैं। विधान सभा की कार्यवाही संचालित होने में लाखों रुपये खर्च होते हैं हम यहां पर प्रदेश के लिए अच्छी नीतियां बनाने के लिए बैठे हैं प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी।

श्री उदयभान करवरिया-

इससे भी गम्भीर विषय है मैंने कौशाम्बी जनपद में 26 लोगों की नाव दुर्घटना में हुई मौत का प्रश्न उठाया जिसमें 17 शव बरामद किए गये थे यह हृदय विदारक घटना थी। मैंने कार्य-स्थगन के माध्यम से अपना प्रश्न रखा था उसका उत्तर परिवहन विभाग देता है कि डग्गा मार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जिले के अधिकारियों को बार-बार निर्देश दिये गये हैं। नाव दुर्घटना से 17 लोगों की मौत होती है उसका उत्तर परिवहन विभाग से दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि विधान सभा का सत्र चलाया जाता है कि हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा सकें। यह सामने की दर्शक दीर्घा बहुत ही खतरनाक है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोंक-झोंक होती है तो वहां दर्शक दीर्घा में

बैठे अधिकारी मन ही मन में हंसते हैं कि ठीक है, यह लोग आपस में झगड़ रहे हैं। मान्यवर, यह लोगों में जो बहस होती है वह किसके लिए होती है ? उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए, उनको बचाने के लिए नहीं होती है, जो यहां पर सदन में किसी प्रश्न का गलत उत्तर आता है उसके लिए होती है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी है करवरिया साहब।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों से, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उपस्थित हैं और अन्य माननीय मंत्रिगण भी उपस्थित हैं। मान्यवर, आपका संरक्षण चाहते हुए कहना चाहता हूं कि औचित्य के प्रश्न के माध्यम से या और नियमों के तहत हम जो भी प्रश्न लगाते हैं उसका सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों द्वारा सही जवाब नहीं दिया जाता है और न ही उस पर कोई कार्यवाही होती है। तब हमारे प्रश्न लगाने का आचित्य ही क्या रह जाता है। विभागीय कर्मचारी/अधिकारी जो सही उत्तर नहीं देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, नियम-300 की अपनी सीमाएं हैं। अगर सदन में कोई प्रश्न का उत्तर गलत आता है तो उसके लिए भी आपके निर्देश हैं और उन नियमों के तहत उसके लिए सवाल उठाये जा सकते हैं। माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया वह नियम-56 में उन्होंने एक सवाल उठाया था, उसके विषय में है। जहां तक मुझे याद है उस सवाल के दो हिस्से थे। एक तो डग्गामार वाहनों का जिक्र था और दूसरा एक नाव दुर्घटना का जिक्र था। सामान्यतया वह नियम-56 की श्रेणी में नहीं था क्योंकि ऐसी सूचना जिसमें कई विषय शामिल हो गये हों वह नियम-56 में नहीं आना चाहिए। माननीय सदस्य ने यह जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, वह नियम-300 में नहीं आता है। आपको शिकायत है, अगर कोई गलत उत्तर मिला है तो उसके लिए नियमावली में नियम भी है और साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश हैं। उन निर्देशों के अन्तर्गत आप उस विषय को उठाने का काम करेंगे तो उसका परीक्षण कराकर मान्यवर आप उस पर कार्यवाही भी करेंगे। माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न कहीं से औचित्य की परिधि में नहीं आता है, इसलिए इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें। जहां तक कार्य-स्थगन का सवाल है, कार्य-स्थगन का कोई उत्तर आता ही नहीं। यह कह रहे है कि नियम-56 के अन्तर्गत इन्होंने उठाया था। नियम-56 में प्रश्न का उत्तर नहीं आता, यहां खड़े होकर जो बात कहते हैं वही माना जाता है। आज आपने जो सवाल उठाया है वह कार्य-स्थगन की नोटिस के विषय में उठाया है। हर प्रश्न को उठाने के लिए नियमावली में नियम है और उसके तहत ही आप सूचना देंगे और मान्यवर, आपको उसका परीक्षण कराकर कार्यवाही करने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

यह जो थोड़ी सी माननीय सदस्य ने इच्छा व्यक्त की है उसको कहीं न कहीं दिखवा लें कि क्यों प्रश्नों का उत्तर या सूचना देने में सम्बन्धित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं।

आप इसको विभागों को निर्देशित कर दें कि सही उत्तर दिये जायं। इस तरह के उत्तर न दिये जायं जिससे कन्ट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, थोड़ा उदार होने की जरूरत है। यह रोजमर्रा की बात रही है। पहले आप इधर थे, हम उधर थे। सब कुछ नियमों से नहीं चलेगा। कुछ न कुछ उदार होकर चलना पड़ेगा। अगर सब कुछ चाहते हैं कि नियमों से चले तो नहीं चल पायेगा। नियमों का सहारा लेकर बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। मैं कल से माननीय संसदीय कार्य मंत्री का मूड देख रहा हूं। नियमों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और आपकी पीठ पर कम विश्वास है। अच्छी तरह से सदन चलाने के लिए यह अच्छा है कि बजाय हर प्रश्न के जवाब में हम यह कह दें कि यह नियमों में नहीं आता किसी में हल्का सा आश्वासन दे दें। किसी में कह दें दिखवा लेंगे। इस तरह सन्तुष्ट कर दें तो इधर की भी बात हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात सही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अपनी एक बात में आप संशोधन कर लें आप शुरू में ही कह देते कि नियमों में नहीं आता है उसे अन्त में कह दें। तो अच्छा हो पहले अपनी बात फरमा दें फिर कह दें कि नियमों में नहीं आता लेकिन आप शुरू ही इससे करते हैं कि नियमों में नहीं आता तो बात वहीं खराब हो जाती है। तो थोड़ा उदार हों।

श्री अध्यक्ष-

मैंने उदयभान करवरिया और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना उसमें निर्देश भी दे दिये हैं। अब इसमें दिक्कत की बात नहीं है आपने जो इच्छा व्यक्त किया था वह मैंने सरकार से कह दिया है। अब रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। मैंने करवरिया साहब को सुना, संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इसको निरस्त करता हूं।

जनपद-आजमगढ़ के सदर क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शासन के वक्तव्य में असत्य तथ्यों का उल्लेख होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह गम्भीर प्रश्न है मैंने नियम-51 में सूचना 29-06-07 को दी थी सदन में इस प्रकरण को उठाया था और उसमें जो सरकार का जवाब आया वह सदन को गुमराह करने का जवाब था। उसके बाद मैं खुद आजमगढ़ गया था वहां जिन मोहल्लों में पानी नहीं जा रहा है मैं उन मोहल्लों में गया था, चाहे वह बाजबहादुर हों, कोट बदरका, हरी की चुंगी अनेक मोहल्ले हैं मैं गया माननीय अध्यक्ष वह आपका जिला है आपका शहर है मैं कहना चाहूंगा कि मैं एक बार नहीं सदर विधान सभा से 6 बार विधायक रहा हूं। 1985 से मैं सदन में आ रहा हूं। मगर इस तरह का जवाब

जिस तरह से संसदीय कार्यमंत्री जी ने देने का काम किया है इस तरह से गुमराह करना उचित नहीं है। मैंने खुद जाकर देखा है उन मोहल्लों में पानी नहीं जा रहा है। जो नगर आजमगढ़ शहर के अन्दर हैं जो ट्यूबवेल वहां लगाये गये हैं वह बहुत पुराने हैं वह पानी सप्लाई नहीं कर पाते हैं जिससे दिक्कत हो रही है। इन्होंने कहा कि पांच सौ मार्क-टू इण्डिया हैण्ड मार्का-2 लगाया है। मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार 120 हैण्ड पम्प मेरे सुझाव से मेरे शहर के अन्दर लगे। कुछ और लगे। 200 रख लीजिए। इससे ज्यादा हैण्ड पम्प नहीं लगा। वहां पानी का साधन एक ही है कि ट्यूबवेल के द्वारा नगरवासियों को पानी दे सकें। जिन मोहल्लों का मैंने जिक्र किया है उन मोहल्लों में पानी नहीं जा रहा है और इसलिए नहीं जा रहा है कि उनकी ट्यूबवेल से दूरी ज्यादा है इसलिए मैंने प्रश्न उठाया था कि क्या फलां-फलां मोहल्लों में पानी नहीं जाता है तो इसमें नये ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था करें। ताकि लोगों को सुचारु रूप से पानी मिल सके। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो जवाब आता है। अधिकारियों के द्वारा जो जवाब दिया जाता है यह सरासर गलत है यह गम्भीर मसला है मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर जवाब देना है तो सही जवाब दें। अगर यह सही जवाब है तो मैं सदन से इस्तीफा देने का काम करूंगा वरना अगर गलत है तो मंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दे दें। इस तरह का [× × ×] प्रश्न का उत्तर लगाकर सदन को गुमराह किया जा रहा है यह गलत है। मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बहुत सी सरकारें आयीं हैं कोई प्रश्न लगा है तो उस पर गम्भीरता से विचार हुआ है। हमारी सरकार रही तो गम्भीरता से विचार किया गया है। आपकी सरकार में गम्भीरता से विचार नहीं किया जा रहा है। जो अधिकारी जवाब देते हैं उसी को सही मानकर जवाब दिया जाता है जो टोटल गलत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन में जवाब देना है तो जिन मोहल्लों में नलकूप नहीं हैं वहां सरकार व्यवस्था कराये।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, न तो आपको इस्तीफा देने की जरूरत है और न मुझे देने की जरूरत है। समस्या का निराकरण और यदि सही बात कहेंगे तो माननीय उप नेता फिर खड़े हो जायेंगे, इसलिए मैं आपको दूसरी तरफ मोड़ रहा हूं। मान्यवर, मुझे और आपको भी यहां बहुत दिनों तक रहने का अवसर मिला है। जहां तक प्रश्न की बात है, यह तो आपकी उदारता है, आप अन्तिम दो लाइन पढ़े 'अतः मैं अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से चर्चा कराने की मांग करता हूं' इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, इसका निर्णय आपको करना है। मान्यवर, जब कोई प्रश्न उठता है, उसका जवाब मांगा जाता है, जो सम्बन्धित अधिकारी होता है, वह उसका जवाब देता है। कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि जवाब गलत आया है और जब जवाब गलत आया है तो नियमों के अन्तर्गत सदन में उठा है, उसका संशोधित उत्तर भी आया है और काफी लम्बे समय के बाद भी उसका संशोधित उत्तर आया है और उन अधिकारियों के खिलाफ दण्ड की भी प्रक्रिया है, उसके अनुसार वे दण्डित भी किए गये हैं। मैं भी इस पर वही उत्तर दूंगा जो निश्चित रूप से उसी पर आधारित होगा जो अधिकारियों ने बनाकर भेजा है। विभाग से उसके आधार पर ही उपलब्ध होता है। यदि आप चाहे तो हम पूरा डिटेल बता दें।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। माननीय दुर्गा प्रसाद जी ने जिन मुहल्लों का उल्लेख किया है। विभाग ने लिख दिया कि उन मुहल्लों में पानी मिलता है लेकिन एक सदस्य स्पेसिफिक तौर पर कह रहे हैं कि वहां पानी नहीं मिल रहा है, यह कन्ट्रोवर्सी वाली बात आई है इसीलिए मा0 विधायक जी ने नियम-300 के अन्तर्गत यह सूचना दी है। यदि वास्तव में पानी नहीं मिल रहा है, मैं चाहूंगा कि सरकार भी इसको दिखवा ले। विधायक जी जिस समस्या के बारे में कह रहे हैं, उसको दिखवा लें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि इसमें चर्चा कराने की मांग की गई है, मान्यवर, चर्चा की मांग औचित्य के प्रश्न में दी गई है। जब नियम-51 में मैंने दिया था, उसमें साफ-साफ कहा गया है कि जो पुराने मोटर हैं। उसे बदलकर नया मोटर लगाया जाये तथा जिन मोहल्लों में पानी नहीं जा रहा हैं। उन मुहल्लों में नया नलकूप लगाया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब 51 छोड़ो, कमी-बेसी जो भी रही हो, आप एक सदस्य होने के नाते कह रहे है और सदन में कह रहे हैं कि वहां पानी नहीं पहुंचा है और अधिकारी कह रहे हैं कि पानी पहुंच रहा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो सूचना है, उसके अनुसार मैंने सूचना दी है। हम इसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री दुर्गा प्रसाद यादव और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-300 में नहीं आता है अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की है।

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का दि0 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सदन के पटल पर रखे गये प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण औचित्य के प्रश्न को आपके बीच में उठा रहा हूं। यह प्रश्न किसी एक क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है। यह पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों करोड़ रुपये से सम्बन्धित है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसमें नियमों के अन्तर्गत इस पर पूरा विचार-विमर्श कर लें और फिर औचित्य के प्रश्न पर उत्तर देने के पहले इसकी संवेदनशीलता पर भी विचार करें। मान्यवर, भारत का संविधान 151 स्पष्ट है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन होता है, 151(2) के अन्तर्गत वह प्रदेश के सदनों में रखा जाता है और 151(1) के अन्तर्गत लोक सभा में रखा जाता है। जब ऐसा प्रतिवेदन किसी सदन में रख दिया जाता है, लोक लेखा रामिति उसका परीक्षण करती है, देखती है और उस पर विचार करती है। मान्यवर, यह भी सदन की मान्य परम्परा है कि जब कोई प्रतिवेदन सदन में रख दिया जाए तो वह सदन की सम्पत्ति बन जाता है और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रत्येक सदस्य का यह अधिकार हो जाता है कि वह उसका अवलोकन कर सके। मान्यवर, मैंने अपने उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया है और उसके बाद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मान्यवर, इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के हजारों करोड़ रुपये की बरबादी के प्रश्न को उठाना मैंने अपना अधिकार समझा है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर खुले दिल से विचार करे। अगर सरकार इस पर कार्यवाही नहीं करेगी तो मैं समझता हूं कि इस सदन की उपयोगिता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। मान्यवर, जब इस सदन की लोक लेखा समिति का गठन हो जाएगा तो इस प्रतिवेदन पर वह समिति नियमानुसार परीक्षण करेगी ही लेकिन जो तथ्य भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने दे दिये हैं और जो इस सदन की कार्यवाही का अंग बन गया है उसकी 3-4 चीजें सुन लें और अगर आपको लगता है कि इस प्रदेश की जनता के साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए तो मैं चाहूंगा कि लोक लेखा समिति तो इसका परीक्षण करेगी ही, साथ ही दूसरी एजेंसी से भी इसकी जांच प्रारम्भ करा दें। एक तथ्य यह है कि 27 अपूर्ण योजनाओं में 3 हजार 551 करोड़ रुपया अवरुद्ध रहा है। मान्यवर, यह कोई साधारण धनराशि नहीं है। अगर इसका समय से उपयोग नहीं हुआ तो इसका ब्याज निकालें। देखें अगर यह पूर्ण उपयोग किया गया होता तो इससे प्रदेश को कितना लाभ होता।

मान्यवर, वर्ष 2001 की तुलना में, वर्ष 2005-06 में 83 प्रतिशत की वृद्धि भी हुई राजस्व आय में और इसमें 60 प्रतिशत की वृद्धि केन्द्रीय सहायता और राज्य ने अपने संसाधनों से जुटाए थे और उसके बावजूद भी अगर इसमें 50 प्रतिशत हानि होती है तो क्या यह वित्तीय कुप्रबंधन नहीं है और अगर है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं एक साधारण सी बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, यह प्रतिवेदन जो इस सदन की सम्पत्ति का अंग बन गया है उसके पृष्ठ 90 में लिखा है कि वर्ष 2001 से वर्ष 2006 के बीच में 98.55 लाख मी0 टन लेवी चावल के उद्ग्रहण में 1543.71 करोड़ रुपये के भाव की भिन्नता है। अगर इतने रुपये की बाजार भाव की भिन्नता है और जो आप ले रहे हैं तो यह दर्शाता है कि किस तरह से लूट हुई है। मैं आपको 3 वर्ष का लेखाजोखा देता हूं। मान्यवर, वर्ष 2003-2004 में अतिरिक्त भार जो प्रदेश सरकार पर आया है वह 492.44 करोड़ रुपये का है। वर्ष 2004-05 में 443.72 करोड़ रुपये का, वर्ष 2005-06 में 327.85 करोड़ रुपये का हैं मान्यवर, यानी किसानों को नहीं मिला। मान्यवर, किसान से जो वसूली हुई उसमें कमी आई। जो चावल मिल मालिकों को दिया गया उन्हें जो मिलना चाहिए था उससे ज्यादा दिया गया, 3 साल लगातार। यह लूट होती रही और प्रदेश खामोशी से यह देखता रहा। यही नहीं भारत सरकार के मानक के सापेक्ष कम वसूली के कारण मिल मालिकों को अदेय वित्तीय लाभ 53.51 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया गया। मान्यवर, अगर यह गबन नहीं तो क्या हे। यह मिल मालिकों को लुटाया गया धन नहीं तो और क्या है ? मान्यवर, मैंने वर्षवार दिखा दिया, इसमें किस तरह से यह किया गया है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया है कि जो बी0पी0एल0 के परिवार हैं उसमें विसंगति करोड़ों रुपयों में हे। जो जिन्दा नहीं है, जो है नहीं, वह हैं और जो हैं वह नहीं हैं। यानि लूट और भ्रष्टाचार का इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। अगर आ गया है तो इतना आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार ने एस0आई0टी0 बनायी है, मैंने जो कुछ भी बोला है वह

कार्यवाही का अंग बन गया है और मैंने बड़े ही विश्वासपूर्ण ढंग से बोला है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, तो क्या सरकार एस0आई0टी0 को जांच सौप करके, जो तीन वर्षों के इसके लेखे-जोखे हैं, इसकी जांच करायेगी और अगर वह करायेगी तो जो कुछ सच होगा वह सामने आ जायेगा और अगर सच नहीं होगा तो नहीं आयेगा। उसमें यह आ जायेगा कि वे कौन हैं जिन्होंने प्रदेश के हजारों करोड़ रुपये की चोट पहुंचायी है, उनके चेहरे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आने चाहिए। मैं इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहतें हुए यह व्यवस्था आपसे चाहता हूं, शासन व्यवस्था दें तब जो प्रदेश के अट्ठारह करोड़ के चेहरे हैं वह आपके सामने होने चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का साहस रखते हैं तो जो प्रश्न बताया, जो रिपोर्ट आयी हैं उसकी जांच एस0आई0टी0 से करायें और अगर नहीं करते हैं तो आप यह मत कहें, अपने विज्ञापनों से यह मिटा दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जो बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में बनी है, वह प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कराना चाहती है और मैं पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनायेंगे। साथ ही साथ यह भी आश्वस्त कराना चाहता हूं कि कोई भी भ्रष्टाचारी कितना ही बड़ा क्यों न रहा हो वह बचने नहीं पायेगा। जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से जांच करायी जायेगी। जहां तक विषय की बात है संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2005-06 महामहिम के आदेश से प्रस्तुत की गयी है। बजट मैनुअल के प्रस्तर 178 के अन्तर्गत, "विनियोग लेखे, वित्तीय लेखे तथा उनपर लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को सदन के समक्ष रखवा दिया जायें तो उसके बाद वे लोक लेखा समिति की जांच और प्रतिवेदन के लिए निर्देशित समझे जायेगें।" उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 230 तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर 184 के अन्तर्गत लोक लेखा समिति द्वारा उसपर विचार किया जायेगा तथा उसकी संस्तुति लोक लेखा समिति के सभापति द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत की जायेगी। विधान सभा सचिवालय तथा शासन के प्रशासकीय विभाग समिति के सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे, जिसकी सूचना विधान सभा सचिवालय को, वित्त विभाग एवं महालेखाकार को दी जायेगी। इस प्रकार संविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, लोक लेखा समिति का गठन शीघ्रातिशीघ्र हो जाना है यह सभी जानते हैं। आपने सभी नेताओं से नाम मांग लिये हैं, विधान सभा में प्रस्ताव भी आ गया है। जब गठन हो जायेगा तो उसके अन्तर्गत लोक लेखा समिति कार्यवाही करेगी। जहां तक नियम-300 की बात है तो यह विषय नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए आपसे आग्रह है कि इसे अग्राह्य किया जाय।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका निर्णय आ जाये उसके पहले मैं यह कहना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। तो जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दिया है वह मैंने अपने सवाल में ही दे दिया था। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रक्रिया को रोक दें। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि जो यह तथ्य हैं, जिनको एक विधान

सभा सदस्य ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए कुछ तथ्य इस सदन में रख दिये है। क्या उन तथ्यों की जांच आप किसी एजेन्सी से करायेंगे ? क्योंकि जो कुछ भी मैंने सदन के अन्दर कहा है वह एक विधान सभा सदस्य के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए मैंने कहा है और जो तथ्य मैंने रखे हैं, वह तथ्य अगर आपको कहीं से विचलित करते हैं, आपको लगते हैं कि ये चौकाने वाले हैं आपको लगते हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई पर ये डाका डालने जैसा हो सकता है तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मेरे कहने पर आप फांसी के तख्ते पर लटका दें। लेकिन क्या जांच कराने की घोषणा करने में भी सरकार को कोई संकोच है ? अगर नहीं है मान्यवर, तो मैं यह नहीं कहता, इतना नियम-कानून मैं भी जानता हूं। मेरा सिर्फ यह कहना है कि जो कुछ मैंने एक विधान सभा सदस्य के रूप में कहा है, मैंने तो आपको स्रोत बता दिया, उस स्रोत के आधार पर आपको जांच करवाने में क्या दिक्कत है। आप एस0आई0टी0 से इसकी जांच करवा दीजिए। एस0आई0टी0 से जांच करवा कर सच्चाई सबके सामने आ जाये और लोक लेखा समिति अपनी जांच अलग करती रहे। उससे तो कुछ लेना-देना नहीं है मान्यवर, यह तो एक आपराधिक कृत्य है, क्रिमिनल अफेन्स है, मैं क्रिमिनल अफेन्स की बात कर रहा हूं, मैं वित्तीय प्रबन्धन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्रिमिनल अफेन्स पर जानना चाहता हूं सरकार का रूख।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि व्यवस्था के तहत जहां तक लोक लेखा जो स्रोत आपने बताया उस स्रोत की जो प्रक्रिया है वह अलग है, उसके अनुसार कार्यवाही होती है। इसके अतिरिक्त जो तथ्य सरकार के संज्ञान में आते हैं उन तथ्यों की जांच होती ही है और जांच के उपरान्त कोई भी दोषी होगा उसको बक्शा नहीं जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय सदस्य श्री प्रमोद तिवारी जी को सुना और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं अपनी बात यहां खड़े होकर भी कह सकता हूं और वेल में आकर भी कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं, आप अपनी बात बैठ कर भी कह सकते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप मुझे विवश कर रहे हैं, सरकार विवश कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है। जब एक व्यवस्था उन्होंने दे दिया कि यह लोक लेखा समिति के पास प्रत्यावेदन जाता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं उस आपराधिक कृत्य की जांच की मांग कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

तो लोक लेखा समिति उसका परीक्षण करती है, जो भी दोषी होगा, महालेखा परीक्षक का जो भी प्रत्यावेदन अभी प्रस्तुत हुआ है, उस पर लोक लेखा समिति परीक्षण करेगा, उसे देख लेगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

वह होता रहे मान्यवर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो मैंने यहां कहा है, इसकी जांच करवा लेने में सरकार को क्या ऐतराज है ?

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है, एक प्रक्रिया उन्होंने बतायी है, उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

वह एक प्रक्रिया है, मान्यवर, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

लोक लेखा समिति में जब यह प्रत्यावेदन जायेगा, उसका परीक्षण होगा। तिवारी जी आपने जो सरकार के संज्ञान में ला दिया। मैंने इस विषय पर माननीय सदस्य श्री प्रमोद तिवारी जी को सुना और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इस प्रतिवेदन पर सदन की लोक लेखा समिति विचार करती है, इसके साथ ही मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विनम्रतापूर्वक सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार की जांच के लिए सरकार एक आश्वासन दे दें। मान्यवर, भ्रष्टाचार के प्रश्न पर सरकार का आश्वासन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इस पर सरकार ने एक व्यवस्था दे दी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अगर इस भ्रष्टाचार की जांच नहीं होती है तो इस प्रश्न को उठाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

सूचना का औचित्य हम लोग देखते हैं, विषय का औचित्य नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय तिवारी जी वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं समझता हूं कि हम लोग जब से देख रहे हैं हमेशा यह यहीं पर है और काफी अच्छे ढंगों से अपनी बात भी रखते हैं। जांच की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कोई भी आरोप आयेंगे उसकी जांच अवश्य करायी जायेगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

करा दें न, बस बात खत्म।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको अग्राह्य कर चुका हूं। माननीय श्यामदेव राय चौधरी साहब आप अपनी बात कहें।

सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर शासन का ध्यानाकृष्ट किये जाने के उपरान्त उन पर कृत कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित सदस्य एवं विधान सभा सचिवालय को न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अन्तर्गत नियम-51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सभी माननीय सदस्य सूचना देते हैं। नियम-51 के अन्तर्गत उसके महत्व को देखते हुए आप द्वारा कुछ सूचनाओं को वक्तव्य के लिए और कुछ सूचनाओं को केवल वक्तव्य के लिए और कुछ सूचनाओं के महत्व को देखते हुए जो इस प्रकार आप द्वारा चुने नहीं जाते, उस पर शासन का ध्यान आप द्वारा आकृष्ट किया जाता है। और उस पर आपके द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार कार्यवाही करे। मान्यवर, जो आपके द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश हैं उसके निदेश में शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के लिए आशयित सूचनाओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो भी कार्यवाही की जाय, उसकी सूचना सम्बन्धित सदस्य एवं विधान सभा सचिवालय को यथाशीघ्र भेजी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य जनता की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप जनता की समस्याओं को यहां पर उठाते हैं और अपनी सूचनायें देते हैं। लेकिन नियमों में जो उनको अधिकार प्राप्त हैं कि ऐसी सूचनायें जो वक्तव्य के लिए, केवल वक्तव्य के लिए चयनित नहीं की जाती हैं उस पर आपके द्वारा शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। और उसके सम्बन्ध में जो आपके लिखित निदेश हैं उसके अनुसार उसकी कृत कार्यवाही से न तो माननीय सदस्य को अवगत कराया जाता है और न विधान सभा सचिवालय को अवगत कराया जाता है। तो मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं। मैंने जो औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत किया है उसका आशय यही है कि जो निदेश हैं उसके अनुसार ऐसी सूचनाओं के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से सम्बन्धित माननीय सदस्यों को और विधान सभा सचिवालय को अवगत कराया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं एक निर्णय इस पर अपना दे रहा हूं।

मा0 श्री श्यामदेव राय चौधरी, स0वि0स0 ने आज दिनांक 11 जुलाई, 2007 को सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-300 के अन्तर्गत एक सूचना दी है जिसमें उनका कहना है कि उक्त नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी जिन सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है उन पर अग्रतर कार्यवाही नहीं होती है जबकि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेशों के अन्तर्गत ऐसी सूचनाओं पर कृत कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित सदस्य एवं विधान सभा सचिवालय को भेजी जानी चाहिए।

मा0 सदस्य श्री श्यामदेव राय चौधरी की आपत्ति तर्कसंगत है। नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-16 के अन्तर्गत और नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी

सूचना पर निदेश संख्या-21 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने पर उन पर कृत कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित सदस्य एवं विधान सभा सचिवालय को यथाशीघ्र भेजे जाने का प्राविधान है।

इस सम्बन्ध में प्रसंगवश मैं यह भी बतलाना चाहूंगा कि प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी एवं स्वीकृत की गयी सूचनाओं का अन्तिम उत्तर सम्बन्धित मंत्री के हस्ताक्षर से एक माह के भीतर सम्बन्धित सदस्य को और उत्तर की प्रति विधान सभा सचिवालय को भेजे जाने का प्राविधान है।

ऐसा देखा जा रहा है कि प्रक्रिया सम्बन्धी उक्त निदेशों के प्राविधानों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है।

मैं इस ओर मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि वे कृपया वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं इस सूचना को निस्तारित करता हूं।

संसदीय कार्य एंव चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, आपके आदेश का पालन होगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-300 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को सुनने में आप बहुत लिबरल हैं, यह मैं देख रहा हूं। मेरा यह अनुभव है कि जब से आप पीठासीन हुए हैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को और उनकी पीड़ा को आप प्राथमिकता देते हैं। नियम और प्रक्रिया यह सब बातें बाद में देखते हैं। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से नियम-300 में जो मैंने आज औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया था और उस पर आपने जो व्यवस्था दी है वह बहुत सुन्दर है। मैं इसके लिए भी आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा, तिन्दवारी तथा बड़ोखर खुर्द में बन्द पड़े व खराब पड़े नलकूपों को ठीक कराकर चालू कराये जाने विषयक श्री फूल चन्द्र निषाद आदि निवासीगण जनपद-बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा, तिन्दवारी तथा बड़ोखर खुर्द में बन्द पड़े व खराब हो गये नलकूपों को ठीक करवाकर चालू कराये जाने विषयक श्री फूलचन्द्र निषाद तथा श्री अकील खां व अन्य निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 †

संसदीय कार्य एंव चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 24-8-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 11 जुलाई, 2007 को नियम-311 में प्राप्त 1 सूचना को नियम-56 में परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुई है। जिनमें से निम्नलिखित सूचनाये चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला और इसी के साथ चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी व श्री धनीराम वर्मा के प्रदेश में मानसून की बेरुखी से अवर्षण की स्थिति तथा जमीन जलस्रोतों का अंधाधुन्ध दोहन व नहरों से सिंचाई की समुचित व्यवस्था न हो पाने से किसानों के समक्ष उत्पन्न गम्भीर आजीविका की स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री कौकब हमीद, डॉ0 अजय तोमर, डॉ0 अनिल चौधरी की जनपद बागपत के छपरौली थानान्तर्गत किसानों के पट्टों पर अवैध कब्जों के नाम पर उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री उदयराज, श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद उन्नाव के थाना गंगाघाट के अन्तर्गत पुलिस उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर एक नवयुवक द्वारा स्वयं को आग लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण लटकते तारों के स्पर्शाघात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों एवं घायलों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री मो0 आजम खां, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री जोखू लाल यादव, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री लाल जी यादव, श्री सनातन पाण्डेय, डॉ0 पी0 के0 राय और श्री अरविन्द सिंह की जनपद रामपुर की तहसील सदर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में सदन में आश्वासन के बावजूद तोड़-फोड़ किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गयीं, अतः अस्वीकृत हुईं। पहली श्री प्रदीप माथुर, दूसरी श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, तीसरी श्री अरविन्द सिंह, चौथी श्री संजय कपूर, पांचवीं श्री राम किशुन, छठी डा0 राधामोहन दास अग्रवाल तथा सातवीं श्री महेश चन्द्र गुप्ता की जो नियम-311 में प्राप्त हुई थी।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैंने नियम-56 में दिया था वह अविलम्बनीय है कल लखनऊ में 4-4 कालेजों में डकैती पड़ी है।

श्री अध्यक्ष-

कल दे दीजिएगा, ले लेंगे जब इतनी बड़ी घटना है।

*श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में धान की फसल किसानों की पहली पसन्द है। लाखों किसान धान की फसल पर अपना जीविकापार्जन करते हैं आज प्रदेश का बहुत बड़ा अंचल धान की फसल के लिए मानसून पर निर्भर है। आज प्रदेश के 25 से ज्यादा जनपदों में औसत से बहुत कम मात्रा में वर्षा हुई है। जो जानकारी है पूरे प्रदेश के, कृषि विभाग को भी जानकारी है, सिंचाई विभाग को भी जानकारी है कि वर्षा कम होने के कारण प्रदेश के सम्पूर्ण बांधों में पानी के जलधारण की क्षमता बहुत कम है। आज नहरें नहीं चल पा रही है, टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है धान की बहुत सारी प्रजाति ऐसी है जिसमें 100 दिन पकने में समय लगता है। चाहे हम नरेन्द्र 97 को देखें 118 को देखें, गोविन्द और अश्विनी जैसे किसी भी बीज को देखें तो इनको 100 दिन से ज्यादा का समय चाहिए। ऐसे समय में पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, सूखे की स्थिति है, अकाल की स्थिति है। जहां एक ओर बुन्देलखण्ड में पूरा सूखा है वहीं जहां पर धान उत्पादित होता है वहां पर पानी न होने के कारण, टेल तक पानी न पहुंचने के कारण आज बहुत किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इसमें जो एक व्यवस्था करेंगे ताकि पानी की अनुपलब्धता के कारण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो ताकि जितना पानी है वह टेल तक पहुंच सके।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं सिर्फ इसी उद्देश्य से लाया हूं कि इसके लिए प्रदेश तैयार हो जाय। मान्यवर, घाघ ने बहुत पहले कहा है कि "का भई बरखा जब कृषि सुखानी" मान्यवर, आज 11 जुलाई है, अब अगर वर्षा होगी भी, तो फसलों का उत्पादन प्रभावित हो जायेगा। क्योंकि धान मुख्य फसल है और उसके लिए जो बेहन लगाने का समय था, वह निकल चुका है और अब लगाया भी जायेगा तो उत्पादन प्रभावित होगा। मान्यवर, चौंकाने वाली स्थिति है, 25 जनपदों में 40 प्रतिशत से कम वर्षा हुई है यानि जहां 100 प्रतिशत होना चाहिए था, वहां आधे से भी कम वर्षा हुई है और 13 और ऐसे जनपद हैं जहां मानसून फीका है तो कुल मिलाकर मान्यवर, प्रदेश के 38 जिलों में औसत से कम वर्षा हुई है। मान्यवर, अब तक जो 92.5 प्रतिशत वर्षा हो जानी चाहिए, कुल मिलाकर पूरे प्रदेश को जोड़ लिया जाय तो कुल 52 प्रतिशत वर्षा हुई है। जैसे हरदोई है 162.3 होनी चाहिए है नहीं हुई है। इसी तरह संत रविदास नगर में 176.8 हो जाना चहिए, नहीं हुई है। देवरिया में पिछले वर्षों के सापेक्ष 248.6 हो जाना चाहिए था, नहीं हो पायी है। मान्यवर, इसी तरह चित्रकूट में 160.4 होनी चाहिए, नहीं हो पायी है। जालौन, बुन्देलखण्ड में 12.3 है, इसी तरह 134.4 सोनभद्र का है जबकि 175 होना चाहिए।

मान्यवर, 201.5 है गाजियाबाद में, जबकि कुल मिलाकर 14 प्रतिशत हो पायी है इसी प्रकार एटा में 134.7 होनी चाहिए सिर्फ 18 प्रतिशत हो पायी है। फर्रुखाबाद में यही स्थिति है 128 के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुकाबले सिर्फ 33 प्रतिशत हुई है। बांदा में 134 के मुकाबले केवल 36 प्रतिशत हुई है। इसी तरह बाराबंकी में 116 के मुकाबले 66 प्रतिशत हुई है। मान्यवर, 185 अम्बेडकर नगर में होना चाहिए, 176.5 प्रतिशत हुई है। इसी प्रकार गोण्डा की स्थिति है वहां 88.6 हुई है जबकि 237 प्रतिशत होना चाहिए। मान्यवर, एक-एक जनपद का जो मेरा आंकलन है कुल मिलाकर वर्षा औसत के मुकाबले मात्र 40 प्रतिशत हुई है। अब वर्षा हो भी जाय और अब अगर फसल लगायी भी जायेगी, तो उसे निश्चित समय नहीं मिलेगा। 2-3 वैराइटी हैं नरेन्द्र 97, नरेन्द्र 118, गोविन्द और अश्विनी। मान्यवर, यह चार वैराइटी है, जिनके बीज की उपलब्धता बाजार में नहीं है। अगर यह उपलब्ध कराई जाये तो यही 100 दिन के अन्दर तैयार हो पाती है। मेरा इस विषय को लाने का मूल मकसद यही था कि प्रदेश सरकार अब हर जगह कटौती करके देहातों में बिजली दे जिससे सिंचाई हो सके और युद्ध स्तर पर टेल तक पानी पहुंचाया जाय और इन किस्मों को लाया जाय तो शायद हम उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें वरना मान्यवर, प्रदेश का किसान प्रभावित होगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय धनीराम वर्मा जी, आपकी जो सूचना है जलस्तर जो गिर रहा है, इस तरह की जो परिस्थितियों हैं, इसीलिये सबको एक साथ संकलित किया हूं, जो जलस्तर गिर रहा है या सूखे की स्थिति है। आपके यहां भी जलस्तर की स्थिति थी, उसी में सबको एक साथ क्लब करके मैं सुन रहा हूं।

* श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, हमारे जनपद औरैय्या के तहसील विधूना ब्लाक कछेला में एक नाला बसेरा कासिम नगर के नाम से है, इसमें कई वर्षों से सफाई का काम नहीं हुआ है। जिसके कारण हजारों एकड़ जमीन जलभराव के कारण बुवाई के योग्य नहीं रह गयी है। हर समय पानी भरा रहता है, न तो धान की फसल होती है और न रबी की फसल होती है। खरीफ और रबी दोनों चली जाती है, इसके कारण वहां के लोग या तो दिल्ली चले गये या बम्बई वगैरह, या क्षेत्रीय तौर पर मजदूरी करने लगे हैं। श्रीमन्, विधायक निधि से मैंने कहा कि सफाई करवा दें तो अधिकारीगण का कहना है कि विधायक निधि से नाले की सफाई नहीं हो सकती है क्योंकि 25 प्रतिशत से ज्यादा कच्चा काम नहीं हो सकता है सांसद निधि से भी प्रयास किया हमारे सांसद जी ने, उनके लिये भी कह दिया गया कि 25 परसेंट से ज्यादा कच्चा काम नहीं कर सकते हैं तो श्रीमन्, सिंचाई विभाग सफाई नहीं करवा रहा है और कभी-कभार अगर सफाई हुई भी है तो उसमें केवल घास काट दी जाती है जिसके कारण जलनिकास समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में वहां के किसान बहुत दुःखी हैं, उनकी दशा बहुत दयनीय हो गई है, उनको खाने-पीने की दिक्कत है, इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से यह चाहूंगा कि जो नाला मैंने बताया है कासिमनगर का उसे मशीन से खुदवाकर सफाई करा दी जाए। मैं मशीन की बात इसलिये कह रहा हूं क्योंकि बसेरा से कासिमनगर तक बहुत कंकड़ हैं और इसकी वजह से मजदूर किसी भी हालत में वहां पर सफाई नहीं कर पायेंगे, वहां केवल मशीन से ही खुदाई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्भव हो सकती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि समुचित रूप से इसकी खुदाई करवा दी जाए ताकि वहां के कास्तकार अपनी जमीनों को बोने लगें और मैं समझता हूं कि सारी कार्यवाही को रोककर इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यही मेरा निवेदन है।

कृषि मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

पहले सोलंकी जी अपनी बात कह लें।

*चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और यह पूरे प्रदेश की समस्या है। गिरते भू-गर्भ जलस्तर को रोकने के लिये आज जलस्तर पूरे प्रदेश में गहराई में जा रहा है, उसके कई कारण हैं, अधिक मात्रा में जल का दोहन, कम वर्षा का होना आदि। पिछले वर्षों से काफी कम वर्षा हो रही है जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, बुवाई समय से नहीं हो पा रही है, किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि किसानों को धन की बुवाई और गन्ने की फसल के लिये पानी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बढ़ाने का सरकार काम करे और जो जलस्तर गिर रहा है उसको चुनौती के रूप में सरकार लेने का काम करे क्योंकि यह चिन्ता का विषय है। मान्यवर, अगर स्थिति यही रही तो हमारी आने वाली पीढ़ी को पानी नसीब नहीं होगा और उस समय कैसी हालत होगी, पीने के लिये पानी नहीं होगा, खेती के लिये पानी नहीं होगा, दैनिक जीवन में उपभोग के लिये पानी नहीं होगा और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो आने वाली पीढ़ी को किसी भी कीमत पर पानी नहीं मिलेगा। सरकार को इसे एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए, पानी के संरक्षण के लिए योजना बनानी चाहिए और उसे क्रियान्वित करना चाहिए, जलसंचय करने का काम करना चाहिए, तालाबों की खुदाई का काम सरकार को करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गिरते हुए भू-गर्भ जलस्तर को रोकने का काम सरकार करे।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, जैन साहब, वर्मा जी और सोलंकी जी ने जो सवाल उठाया है वह ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्षा कम हो रही है लेकिन तिवारी जी ने जो धान के बारे में कहा था उसके बारे में कहना है कि पहली बार हमारी सरकार ने 92 हजार क्विंटल धान का हाईब्रिड बीज उपलब्ध कराया है, खाद भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायी है। जहां तक नहरों का सवाल है तो माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अलग-अलग दौरे भी किये हैं, टेल तक पानी पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य हैं इसमें कोई सन्देह नहीं कि पिछले तीन-चार सालों से प्रदेश में सूखे का काफी प्रभाव है। सूखे के प्रभाव को रोकने के लिए हमारे मा0 सोलंकी जी ने जो बात कही थी, इस बार कृषि विभाग और सिंचाई विभाग द्वारा चेक डैम भी बनाने की योजना है, जल संचय की भी योजना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। इस सम्बन्ध में सरकार निश्चित रूप से पूरा प्रयास करेगी भूगर्भ के स्तर को रोकने की और सूखे के प्रभाव को रोकने की। वैसे मैं यह अनुरोध करूंगा कि मैं मानता हूं कि सोलंकी जी जो कह रहे हैं कि बागपत को छोड़कर प्रदेश में ज्यादातर हैण्ड पम्प में पानी सूख गया है। इसलिए उन्हें निश्चित रूप से चिन्ता हो रही होगी। जहां तक जैन साहब का सवाल है, प्रकृति किसी के हाथ में नहीं है, मैं जैन साहब से भी अनुरोध करूंगा कि उनके यहां झांसी के पास ओरछा और दतिया तो पवित्र तीर्थ-स्थल हैं, महावीर जी के पास जाकर वह भी वर्षा के लिए प्रार्थना करें। वर्मा जी तो कृष्ण वंशी है ही, उनके तो सब कुछ अधीन है। माननीय प्रमोद तिवारी जी से जरूर अनुरोध करना चाहूंगा कि जब कभी भी सूखे की स्थिति इस देश में रही है तो इतिहास यह बताता है कि जब कोई भी इस तरह का संकट जनता पर आया है तो विप्र समाज ने, ऋषि महर्षि हुए हैं और ब्राह्मण जनों में घनघोर तपस्या करके जनता के कष्ट का हरण किया है। आदरणीय तिवारी जी से भी मेरी प्रार्थना है कि वे ऐसी तपस्या करें जिससे प्रदेश में पर्याप्त वर्षा हो सके।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी नियम-56 में सूचना मेरी है, पहले मुझे सुन लें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, कभी-कभार ही खड़ा होता हूं।

श्री अध्यक्ष-

श्री धनीराम वर्मा जी, खड़े हुए है, वरिष्ठ सदस्य है इसलिए पहले श्री वर्मा जी को सुन लेते हैं।

श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमन्, हमने अपने कार्य-स्थगन में ज़लभराव की समस्या का उल्लेख किया है। जो नाला वहां पर है अगर उसकी खुदाई करा दी जाए तो समस्या का निदान हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय कृषि मंत्री जी, जो माननीय वर्मा जी कह रहे हैं वह एक लिखित तौर पर दे देंगे जिससे कि संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है।

श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमन्, अगर सरकार स्वयं इस कार्य को नहीं करवा सकती है तो वह परमीशन दे दे, विधायक निधि से या सांसद निधि से खुदवा दी जाए लेकिन समस्या का हल होना चाहिए, किसी भी तरीके से हल हो चाहे सरकार अपने संसाधन से करवा दे या विधायक निधि, सांसद निधि से जिससे परमीशन दे दी जाए। आज हजारों एकड़ जमीन जल प्लावित है और वहां पानी अब भी भरा हुआ है, धान अब भी नहीं लग पायेगा क्योंकि पानी भरा हुआ है। श्रीमन्, इस समस्या के निस्तारण के लिए आप सरकार को निर्देश दे दें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, कृषि मंत्री जी ने एक ऐसे विषय को जो गम्भीरता लिए हुए था और संवेदनशील विषय है, करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, जितने हल्के तरीके से उत्तर दिया है, मैं 30-35 वर्षों के

इतिहास में इसी माननीय सदन का सदस्य हूं, 1974 से वह भी हमारे साथी रहे हैं, कभी भी सरकार पक्ष से यह नहीं आता है कि हवन कराया जाय, पूजा करायी जाए, यह बहुत ही हल्केपन से इस तरह की बात को करना, उनके जैसे वरिष्ठ साथी को शोभा नहीं देता है। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन विषय की गम्भीरता के अनुरूप कार्यवाही होनी चाहिए, जल स्तर नीचे गिर रहा है, जल भराव, जल प्लावन जैसी स्थिति बनी हुई है। उसमें यदि यज्ञ और महायज्ञ से ही काम चलता हो तो पूरी विधान सभा एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी जाए और सभी माननीय सदस्यों को बिठाकरके एक बहुत बड़ा महायज्ञ करा दिया जाए ताकि उत्तर प्रदेश के लोगों को जो संकट हो रहा है, जल स्तर नीचे जा रहा है, वह भी ऊपर आ जाए और ऊपर से भी इन्द्र भगवान प्रसन्न होकर इतनी वर्षा कर दें कि हम सबकी समस्या का समाधान हो जाए। यह उम्मीद करता हूं कि इतने गम्भीर विषय को इतने हल्केपन से जवाब देना एक वरिष्ठ साथी को मेरा ख्याल है कि वह स्वयं चिन्तन करेंगे इसलिए विवश होकर मैंने इतना समय लिया है। इस पर मेरे हस्ताक्षर भी नहीं हैं लेकिन कदाचित यह विषय स्वयं संसदीय कार्यमंत्री जी भिज्ञ हैं, अनुभवी साथी बैठे हैं मुझे भी आपके सानिध्य में बैठने का अवसर मिला है। मुझे विवश होकर यह बात कहने की बाध्यता हुई है। मैं माफी चाहता हूं क्षमा याचना के साथ यह आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पीठ पर विराजमान हैं हमारे संरक्षक हैं मामले की गम्भीरता को देखते हुए ऐसे विषय पर आवश्यक हुआ तो दो घण्टे की बाकायदा चर्चा भी मंजूर की गयी है। सूखे पर बाढ़ पर इसी सदन में दो-दो घण्टे की चर्चाएं हुई हैं मैं समझता हूं कि इसको उसी गम्भीरतापूर्वक लेने की जरूरत है। इसी अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैंने इस विषय को नियम-56 में उठाया मंत्री जी ने पूरा उत्तर देने के बाद हास परिहास में कुछ बातें कहीं। गम्भीरता के बाद हास परिहास संसदीय विधा का अंग है इसे थोड़ा बहुत चलने दीजिए।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

पहले विषय पर गम्भीरतापूर्वक चिन्तन हो जाए। श्री धनीराम वर्मा जी वरिष्ठ सदस्य है उनके यहां इस तरह का संकट है इसलिए उन्होंने कहा कि विधायक निधि या सांसद निधि से इसकी अनुमति मिले। सरकार को चाहिए, सिंचाई विभाग को चाहिए कि इसका प्रबन्ध करे इसका प्रबन्ध करने के बाद हास परिहास चले। हमने भी इन्ज्वाय किया है हास परिहास के क्षण भी होते हैं लेकिन कभी-कभी विषय इतना गम्भीर होता है, संकट के क्षण हों आम आदमी पीड़ित हो उस समय इस तरह की बातें मैं समझता हूं कि सदन का मखौल होता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जवाब दिया है उसी सन्दर्भ में अपना जवाब देने के बाद हास परिहास किया है उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए यह बातें कही हैं इसे दिल में रखने जैसी बात नहीं है। मैं एक बात गम्भीरतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न लगाने के पीछे उद्देश्य था कि जो दैवीय संकट है उसके लिए सरकार सचेत हो जाय। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि जो स्थितियां बन रही है इसके लिए सरकार एक कार्य योजना तैयार कर ले खास तौरसे हमारी बिजली और नहरों पर निर्भरता

ज्यादा होगी। हमें ऐसे उन्नतशील बीज देना होगा जिससे कम समय में फसल तैयार हो जाय। धान पूर्व और मध्य में कैश क्राप है इसलिए इस ओर ज्यादा ध्यान देना होगा। जहां तक पूजा हवन की बात है सबके काम बंटे हुए हैं जो काम हमारा था उसको मंत्री जी ने ले लिया है तो ठीक बात है मेरे पुराने साथी हैं अकलमन्द न होते तो हम यहां होते वह वहां कैसे होते। मैं उनकी अकलमन्दी की दाद देता हूं। हम जो हैं उसको भी वह लेना चाहते है। वह चाहते हैं कि हम बाहर हवन करें और वह मंत्रिपरिषद् का सुख भोगते रहें। कम से कम ब्राह्मण और जाटों के बीच जो रिश्ता है वह तो बना रहने दीजिए। जहां तक वर्मा जी की बात है वह वरिष्ठ सदस्य है उन्होंने जो कहा मैं उनकी बात पर बल देता हूं। अध्यक्ष महोदय मेरा आग्रह है कि सरकार कार्य योजना तैयार कर ले और आने वाली स्थिति का सामना करने के लिए चाहे तो संसदीय कार्यमंत्री जी की अध्यक्षता में या आपकी अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुला लें।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मंत्री जी ने बीज के बारे में बताया कि वह किस तरह से प्रयत्नशील हैं और शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के बारे में बताया। जहां तक नहरों में पानी उपलब्ध कराने का सवाल है इसके लिए निर्देश दिये जा चुके हैं। और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नहरों में पर्याप्त पानी पहुंचे। इसके साथ ही साथ इस स्थिति को देखते हुए अब चूंकि मान्यवर, प्रकृति पर तो किसी का बस नहीं है लेकिन समाधान के जो रास्ते हैं उसको खोजने के लिए हम संकल्पित हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिजली की उपलब्धता रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घण्टे, तहसील में 15 घण्टे, जनपद स्तर पर 16 घण्टे और जहां पर पम्प कैनाल हैं वहां पर 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति के प्राविधान किये गये हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से सरकार चिन्तित है और जैसा माननीय तिवारी जी ने सुझाव दिया है, एक सर्वदलीय बैठक इस गम्भीर समस्या के समाधान के लिए बुलाई जायेगी और जो भी सुझाव उसमें आयेंगे, उनको ध्यान में रखते हुए क्योंकि सरकार की चाहत है और निश्चित रूप से प्रयास किया जायेगा और इस संकट से बचने के लिए जो भी सम्भव प्रयास होंगे वे किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस बैठक के बारे में तिथि निश्चित कर ली जायेगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं। एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो ट्रान्सफार्मर जले हुए हैं, आप युद्ध स्तर पर आगणन करवा लें और उनको बदलने का काम किया जाय।

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, हम कह क्या रहे हैं और बात क्या आ रही है। कहते हैं खेत की, सुनते हैं खलिहान की। मान्यवर, हम जल भराव की बात करते हैं और वो कहते हैं कि नालों की सफाई की जायेगी। मान्यवर, हम कहते कुछ हैं और ये सुनते कुछ हैं। यह सरकार क्या करने वाली है।

श्री लाल जी वर्मा-

मैंने नहरों में पानी की बात कही है। नालों की बात नहीं कही।

श्री धनीराम वर्मा-

ठीक है, तो नालों के बारे में क्या कह रहे हैं ?

श्री लाल जी वर्मा-

आपका एक अलग प्रश्न है, आपने इस विषय के साथ उसको मिला लिया है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां जल भराव रहता है और नालों की सफाई नहीं हो पा रही है। वित्तीय संसाधनों को देखते हुए इनको साफ करने का प्रयास किया जायेगा।

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण आपके माध्यम से चाहता हूं। मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने तो कह दिया कि वित्तीय स्थिति को देखते हुए सफाई करवाई जायेगी। मान्यवर, वित्तीय स्थिति तो इनकी बदतर है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि सफाई तो आप नहीं करवायेंगें लेकिन यह जो विधायक निधि या सांसद निधि है उससे इन नालों की सफाई करवाने के लिये अनुमति प्राप्त होगी जिससे जल भराव की स्थिति को समाप्त किया जा सके।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, जिस दिन सर्वदलीय बैठक होगी उसमें कुछ सुझाव भी आयेंगे। विधायक निधि या सांसद निधि से कौन से कार्य हो सकते हैं, इसके बारे में गाइड लाइन है। इस कार्य को करने के लिये उसमें संशोधन की आवश्यकता होगी। उसमें संशोधन किये बगैर कुछ नहीं कहा जा सकता है। सर्वदलीय बैठक होगी तो उसमें इस बारे में विचार हो जायेगा। श्री प्रमोद तिवारी, श्री सोलंकी, श्री धनीराम वर्मा जी और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम-56 में नहीं आती इसलिये मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, एक निवेदन है कि जो एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कर रहे हैं। अगर संभव हो सके तो जिन माननीय सदस्यों ने इस गम्भीर विषय को उठाया है उनको भी इस बैठक में बुलाने का काम कर लें।

श्री अध्यक्ष-

आप किसी न किसी दल से सम्बन्धित जरूर होंगें। दलीय नेताओं को बुलाया है, आप अपने सुझाव उनको लिख कर दे दें उन पर भी विचार हो जायेगा।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे नियम-56 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के थाना क्षेत्र के कुछ गांवों की

ज्वलन्त समस्या को आपके माध्यम से सदन में चर्चा कराना चाहता हूं जिसकी वजह से वहां वर्ग संघर्ष की स्थिति, जातिय संघर्ष की स्थिति और तनाव बना हुआ है। मान्यवर, हमारा थाना क्षेत्र छपरौली का अधिकतर हिस्सा यमुना नदी के किनारे का है और यमुना नदी के किनारे एक तरफ हरियाणा एक तरफ यू0पी0 है उस खादर क्षेत्र में जमीन, कभी जमीन हरियाणा में चली जाती है कभी यू0पी0 में आ जाती है वहां बहुत झगड़े होते हैं आदमी तक मर चुके हैं। एफ0आई0आर0 दर्ज है कुछ चंडीगढ़ में मुकदमें चल रहे हैं कुछ यू0पी0 में मुकदमें चल रहे हैं। लखनऊ में मुकदमें चल रहे हैं। मान्यवर, अभी वहां पिछले दो हफ्तों में छपरौली के करीब बीस लोगों के खिलाफ, शबगां गांव के तीन-चार लोगों के खिलाफ, बदरखा गांव के लगभग बीस लोगों के खिलाफ जेड0ए0 धारा के 198/4 के अन्तर्गत असल पट्टेदारों को बेदखल कर अवैध कब्जे के रूप में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई है मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं हो सकता है कि असल पट्टेदार हों, हो सकता है अनाधिकृत कब्जे हों, लेकिन क्या जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का यह काम है कि किसी की सूचना पर एकदम कार्यवाही करके उनके खिलाफ रिपोर्ट करा दें। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां का जिला प्रशासन, यहां का पुलिस प्रशासन मौके पर जाता और उनके खसरा नम्बर जो उनके पट्टे एलाट हुए है उनके खसरा, खतौनी के तहत, उनके नक्शे के तहत वहां पर पैमाइश करता। अगर पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन का कोई अवैध कब्जेदार या किसान कोई विरोध करता, वहां कोई विरोध की स्थिति बनती या वहां मौके पर कब्जे वाला मिलता तो मान्यवर, वहां पर अवश्य मुकदमें दर्ज हो जाने चाहिए थे। क्या प्रशासन ने ऐसा कुछ मौके पर जाकर पहले पैमाइश का काम किया।

मान्यवर, यहां पर एक गांव में एक दलित की भूमि को एक बाल्मीकी ने कब्जा कर रखा है। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि उससे उगाई पर ले रखी है वहां हर तीसरे और चौथे आदमी के खिलाफ मुकदमा दायर हो रखा है। वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद कार्यवाही होनी चाहिए। हमारे यहां तो हरियाणा और यू0पी0 का इतना झगड़ा है वही निपटने में नहीं आता है ऊपर से अगर गांव-गाव में इस तरह का झगड़ा हो गया जाति विशेष, वर्ग विशेष में झगड़ा हो गया तो मान्यवर, वहां विषम परिस्थिति पैदा हो जाएगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कोई चर्चा या बहस की बात नहीं है कि जिला प्रशासन को यह हिदायत दी जाए कि जिनके विरुद्ध मुकदमें है जिनके विरुद्ध इस तरह की कार्यवाही है। जिन पट्टाधारकों की जमीन है उसको सुनिश्चित करा लें यह उनकी जमी है या नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

पूरी बात आ गई है। और भी सूचनायें हैं।

डा0 अजय तोमर-

अखबारों में भी आता है अवैध कब्जों के बारे में, तो अधिकारी ज्यादा उत्साहित हों अगर ऐसा है तो अधिकारियों और पुलिस प्रशासन पर अंकुश की आवश्यकता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, विभिन्न समय में प्राप्त पट्टों पर कब्जा दिलाने का अभियान चल रहा है और कब्जा दिलाने की कार्यवाही समय-समय पर होती रही है। आज सरकार ने जो काफी दिनों से जिसको

पट्टे मिले है। उस पट्टे के आधार पर उस जमीन पर कब्जे दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। कहीं पर उसके विपरीत ऐसी शिकायत आती है मा0 सदस्य उसको देंगे तो निश्चित रूप से दिखवा लिया जाएगा। लेकिन जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको पट्टे वर्षों से मिले हैं और अगर कब्जा प्राप्त नहीं है और उस पट्टे वाली भूमि पर कोई दूसरा व्यक्ति काबिज है और बार-बार प्रयास करने के बाद भी पट्टे को नहीं छोड़ रहा है तो नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। मुकदमों को दर्ज किया जाता है। अगर कोई शिकायत है, मान्यवर, स्पेसिफिक दे देंगे तो निश्चित रूप से उसको दिखवा कर उसका समाधान किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य का कहना है कि जिन लोगों का लीगली पट्टा है, उनको भी तंग किया जा रहा है, उसको भी लिखकर दे दें, दिखवा लेंगे।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने दो गांवों का स्पेसिफिक नाम दिया है, उसमें प्रशासन जाकर नाप-तौल कर लें। सही समझते हैं तो कार्यवाही करवा दें, लेकिन लगता नहीं कि कार्यवाही सही है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कहा है कि लिखकर दे दें।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैंने स्पेसिफिक तीन गांवों के नाम दिए हैं और बताया है कि मुकदमें दर्ज हुए हैं, कर्मचारी नाप तौल करके उनके पट्टे दिलाने का काम करें न कि मुकदमें दर्ज कराने का काम करें। आप उन्हें कब्जा दिला दें और यदि कब्जें का कोई विरोध करता है तो उस पर मुकदमा दर्ज करायें। क्या पहले मुकदमा दर्ज करायेंगे और बाद में पट्टे देंगे ? मैंने स्पेसिफिक बता दिया अब लिखकर देने की बात कहां रह गई। मैं कहता हूं कि जितने लोगों के पट्टे हैं, तीनों गांवों में सब को दिलवा दो।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह तो बताना पड़ेगा कि किन-किन लोगों के खिलाफ गलत तरीके से मुकदमें दर्ज हुए हैं ? मा0 सदस्य उसको लिखकर दे दें तो निश्चित रूप से उसको दिखवाकर उसका समाधान कराया जायेगा।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं बताता हूं, 5 तारीख को जेड0ए0 धारा 198/4 के अन्तर्गत केवल छपरौली में एक रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसके अलावा कोई रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई है। इससे ज्यादा और क्या जानकारी दे दें, पहले भी मैंने बता दिया है।

श्री अध्यक्ष-

तोमर साहब, आप लिखकर दे दें, लिखने में आप इसको प्रतिष्ठा क्यों बनाये हैं, उसका स्पेसिफिक नाम लिख दें कि यह पट्टेदार है, पट्टा उसका हुआ है, कब्जा कराने से पहले ही उस पर

उल्टे मुकदमा कर दिया गया कि अवैध कब्जा है, उसको देने में क्या प्रतिष्ठा की बात है, आप लिखकर दे दीजिए कि फलां व्यक्ति है, इसको मैं चिन्हित कर रहा हूं कि पट्टेदार कानूनन है, उसका कब्जा होना चाहिए लेकिन कब्जा के पहले से उसका उत्पीड़न कर दिया गया, मुकदमा कर दिया गया तो आप उसको प्रतिष्ठा नहीं, सदन में भी कह लिया, सरकार ने भी संज्ञान में ले लिया है, उन्होंने आमंत्रित भी कर दिया है कि एक पत्र आप इसके संदर्भ में दे दें।

मैंने माननीय श्री कौकब हमीद साहब, मा0 श्री अजय तोमर साहब, मा0 डा0 अनिल चौधरी और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसको मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री उदय राज यादव जी।

*श्री उदय राज यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, आज मैं जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूं, शायद हिन्दुस्तान की आजादी के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर इस तरह की घटना नहीं घटी होगी। मान्यवर, निश्चित रूप से जब कहीं किसी दल के द्वारा हो सकता है, कोई धरना प्रदर्शन, आन्दोलन किया जाए, हो सकता है कि कोई थाना या दूसरा कार्यालय घेरा गया हो, उसमें तोड़-फोड़ और आगजनी जैसी घटनाएं घटित हुई हों, लेकिन मान्यवर, उन्नाव जनपद के अन्दर, थाना गंगा घाट के अन्दर एक ऐसी घटना घटी कि जिस व्यक्ति को पुलिस से न्याय नहीं मिल रहा था, गोविन्द द्विवेदी पुत्र श्री गिरिजा शंकर द्विवेदी, निवासी ग्राम फत्तेपुर, थाना गंगाघाट को पुलिस लगातार प्रताड़ित करती चली आ रही थी। सबसे पहले उस लड़के को जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष होगी, सबसे पहले उसको 151 के अन्तर्गत जेल भेजने का काम किया। उसके बाद गांव के दूसरे पक्ष ने उस लड़के को इतनी बुरी तरह से मारा और तो और मारपीट की घटना ही यह नहीं थी, उसका कान काटने का काम स्थानीय स्तर पर गांव के दूसरे पक्ष के द्वारा किया गया। जब वह अपनी फरियाद ले करके थाना गंगा घाट के अन्दर गया तो मान्यवर, केवल उसकी एन0सी0आर0 लिखकर उसको थाने से खेदने का काम किया गया, बराबर वह प्रयास करता रहा कि जिन लोगों ने उसके साथ अत्याचार, अन्याय करने का कार्य किया है, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए लेकिन मान्यवर, पुलिस के कान पर जूं रेंगने तक का काम नहीं किया और अन्त में यह हुआ, जब उसने देखा कि स्थानीय पुलिस उसको न्याय नहीं दे सकती है, जिन लोगों ने उसका कान काटने तक का काम किया है, उनको गिरफ्तार करने का काम नहीं करेगी।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वह कल थाना गंगाघाट जाता है तो पुलिस ने उसका उत्पीड़न किया और उसके बाद उसका 151 में चालान करने का काम किया और उसे जेल भेजने का काम किया। पुलिस से न्याय न मिलने के कारण वह थाना गंगाघाट जाकर अपने आपको आत्मदाह करने का काम करता है और इसमें वह 60 प्रतिशत तक जल जाता है। स्थानीय लोग उसे बचाते हैं और उसे जिला अस्पताल ले जाते है। मान्यवर, जिला अस्पताल में दिये गये बयान को ठीक नहीं मानता। निश्चित रूप से उसने यह बयान दिया है कि पुलिस ने उस पर आग लगाने का काम किया है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है और इसके साथ ही मैं एक दूसरी घटना की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, 8 तारीख को थाना गंगाघाट में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। वह घटना दिनांक 07-07-07 की घटना दिखाई गयी और जिस व्यक्ति के खिलाफ घटना दिखाने का काम किया गया वह और कोई नहीं बल्कि उन्नाव से इस विधान सभा के सदस्य श्री दीपक कुमार जी के खिलाफ मुकदमा लिखने का काम किया गया।

श्री अध्यक्ष-

यह आपकी सूचना से अलग है।

श्री उदयराज यादव-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। मान्यवर, दीपक कुमार जी उन्नाव के कप्तान के यहां बैठे हुए थे उस समय की घटना दिखाकर दीपक कुमार जी के साथ करीब एक दर्जन लोगों को नामजद करने का काम किया गया और पुलिस उन लोगों को थाने में बिठाने का काम कर रही है। पुलिस के ऊपर अंकुश नहीं रह गया है, पुलिस कुछ स्थानीय नेताओं के दबाव में न्याय नहीं दे रही है। मान्यवर, जो घटना गोविन्द द्विवेदी के साथ घटी है, यह अविलम्बनीय और लोकमहत्व की है। मैं इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं। मान्यवर, साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस घटना की स्थानीय पुलिस से जांच न कराकर उच्च स्तरीय जांच करायी जाय। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लाल जी वर्मा-

उपरोक्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, उन्नाव से आख्या प्राप्त की गयी। उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार दिनांक 10-07-2007 को समय 15.10 बजे थाना-गंगाघाट जनपद-उन्नाव पर उप निरीक्षक श्री सूरजपाल सिंह थाना गंगाघाट ने सूचना अंकित करायी कि पोनी रोड तिराहा के समीप यादव होटल के सामने एक व्यक्ति समय करीब 12.35 बजे पहनी हुई कमीज से बटन खोलकर बनियाइन को फाड़कर मिट्टी के तेल की बोतल अपने ऊपर डाल लिया तथा शोर मचाया कि गंगाघाट की पुलिस को हत्या में फंसा दूंगा तथा जेब से माचिस निकालकर अपने कपड़ों में आग लगा ली व अपने कपड़े उतारकर फेंक दिया तथा थाना गंगाघाट की तरफ भागा। पुलिस द्वारा उसकी आग बुझाने का प्रयास किया गया, तब तक वह भागकर थाना परिसर में आ गया, जिसने अपना नाम गोविन्द द्विवेदी पुत्र गिरजा द्विवेदी नि0-फत्तेपुर थाना-गंगाघाट बताया, जिसे तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु पी0एच0सी0 गंगाघाट उपचार हेतु ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। उसकी देख-रेख हेतु पुलिस कर्मचारियों को लगाया गया है तथा उसकी स्थिति सामान्य बतायी गयी है।

उक्त सूचना के आधार पर थाना-गंगाघाट पर मु0अ0सं0-642/07 धारा-309 भा0दं0वि0 बनाम गोविन्द द्विवेदी उपरोक्त पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना उप निरीक्षक श्री अजीत सिंह द्वारा प्रचलित है। घटना के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक से जांच करायी गयी तो ज्ञात हुआ कि गोविन्द द्विवेदी पुत्र गिरजा द्विवेदी द्वारा 02-04-2007 को थाना-गंगाघाट पर एन0सी0आर0

नं0-25/07 धारा-323/504 भा0दं0वि0 बनाम रविशंकर एवं विमल शंकर पुत्रगण तेजनरायण के विरुद्ध करायी गयी थी, जिसकी जांच उप निरीक्षक श्री सूरजपाल सिंह हल्का प्रभारी के सुपुर्द की गयी थी किन्तु इनके द्वारा दिनांक 30-05-2007 को मात्र धारा-107/116 द0प्र0सं0 की चालानी रिपोर्ट उभय पक्षों के विरुद्ध प्रेषित की गयी और कोई प्रभावी कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी, जिससे यह विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई एवं गोविन्द द्विवेदी द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया। प्रकरण में दोषी पाये गये उप निरीक्षक श्री सूरजपाल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। स्थिति सामान्य है। मान्यवर, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है। इसलिए आप इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

उदयराज जी आप बैठ जायें, कार्यवाही पूरी हो चुकी है। मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है।

श्री उदयराज यादव-

मान्यवर, केवल एक बिन्दु पर जांच करा लें। मान्यवर, जवाब में यह कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक, उन्नाव की रिपोर्ट के अनुसार वह लड़का थाने के बाहर आग लगाकर थाने के अन्दर गया। केवल इस बिन्दु पर आप जांच करा लें कि उसने थाने के अन्दर आग लगायी थी या बाहर आग लगायी है। बस इतना ही मुझे कहना है।

(श्री उदयराज यादव द्वारा बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ नहीं, कार्यवाही हो चुकी है, मुकदमा दर्ज हो गया। कहां पर आग लगायी कहां पर नहीं लगायी गयी इस बात का मतलब नहीं है। मैंने इस पर मा0 उदयराज यादव जी को और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, इस सूचना पर मैं अग्राह्य करता हूं। अब आप बैठ जायें। मदन चौहान जी बहुत ही सूक्ष्म में अपनी बात को रखें।

श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-56 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, जनपद गाजियाबाद, गढ़मुक्तेश्वर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा जो अनदेखी की जा रही है, जो तार खम्भे लटके हुए हैं उससे आये दिन दुर्घटना हो जाती है और उसकी भरपाई भी नहीं हो रही है। मान्यवर, कल जोताई ग्राम में भट्ठा में कार्य करने वाले कई मजदूरों की, जो ग्यारह हजार के0वी0ए0 की लाईन जा रही है और वह लाईन फट्टों पर टिकी थी, लकड़ी के फट्टे थे, वह किसी तरह उनके सिर को छू गयी, उसमें मजदूर चिपक गये। उसमें मुनार और मोहिसीन और महबूब पुत्र श्री मोमिन उल्ला तीनों की हालत गम्भीर है। मरीज अस्पताल में दाखिल हैं, उपचार व्यवस्था नहीं है तथा किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है। दूसरी घटना 4-7-2007 की है, उसमें नाई जाति के एक मजदूर आदमी, जो सुबह अपने गांव से निकल रहा था, उनकी ग्यारह हजार के0वी0ए0 का तार पड़ा था उस लाईन छूने से मृत्यु हो गयी। इसी प्रकार दिनांक 28-6-2007 की घटना है, जिसमें सुन्दर यादव ग्राम सिकन्दरपुर के ग्यारह हजार के0वी0ए0 के तार टूटने से उसकी मृत्यु हो गयी। मैं एक बात पर बल देना चाहता हूं, एक तरफ तो बगैर देखे भाले

विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट लिख दी जाती है लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इस प्रकार की दुर्घटना हो जाय तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है जिससे उसकी भरपाई न हो, उपचार के लिए पैसे न देने पड़ें। तो इस प्रकार की कार्यवाही में इन लोगों को, जो भी इसमें दोषी हों, विद्युत कर्मचारी रिश्वत लेकर किसी भी उपभोक्ता को राहत देने का काम करते हैं, चोरी की रिपोर्ट लिख देते हैं लेकिन दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, तो इसमें जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और जिनकी मृत्यु हो गयी है उनके परिवारजन को पांच लाख रुपये सरकार की तरफ से दिये जायें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह स्थानीय स्तर की घटना है, कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार होने योग्य नहीं है। ऊर्जा विभाग के बजट पर इसमें चर्चा हो जायेगी। माननीय सदस्य को पूरा अवसर मिलेगा उस दिन अपनी बात को कहेंगे और माननीय ऊर्जा मंत्री जी उस समय उन परिस्थितियों को भी अवगत कराने का काम करेंगे। जहां तक कार्य-स्थगन के रूप में सवाल है मान्यवर, चूंकि इसमें चर्चा ऊर्जा विभाग के बजट पर होनी ही है और स्थानीय स्तर की समस्या है, इसलिए यह कार्य-स्थगन की सीमा में नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी जहां पर दो-तीन मृत्यु हो गयी और चार लोग घायल हैं, यह तार की दुर्व्यवस्था है और विद्युत विभाग के लोगों की लापरवाही है, इसको दिखवा लें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, उसमें नियम है अगर विद्युत विभाग के तार से मृत्यु होती है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं वह नहीं है। इन्होंने तार को दुरुस्त कराने की मांग की है, इस तरह की घटनायें होती जा रही है विद्युत विभाग देख नहीं रहा है। इसको सरकार की तरफ से निर्देशित करायें, उसको दिखवा लें।

श्री लाल जी वर्मा-

ठीक है, मान्यवर, आपके आदेशों का पालन होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें इतना ही कर लें, यह अविलम्बनीय तो है, बजट पर चर्चा होगी तो उसमें देर हो जायेगी क्योंकि लोग जख्मी हैं, मरीज हैं, अस्पताल में दाखिल हैं और गरीब हैं और यह सही है कि बिजली विभाग में यह व्यवस्था है कि वह पैसा देते हैं। अगर आपकी तरफ से एक टेलीफोन भी चला जायेगा तो लोगों को पैसा मिल जायेगा और उनका उपचार भी अच्छा हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस पर आज ही बात कर लें।

श्री लाल जी वर्मा-

ठीक है, मान्यवर, मैं आज ही इस पर बात कर लूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, जो मामला नियम-56 के तहत मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं, यह लोक महत्व का भी है और अविलम्बनीय भी है। मान्यवर, यूं तो मैं इस मामले में सदन में पहले भी कह चुका हूं और अब सच तो यह है कि उसके बारे में सिर्फ यह कि हम कुछ वाकयात, कुछ दिल की बात आप तक पहुंचा दें। सरकार को जो कुछ अपनी ताकत का इसमें इस्तेमाल करना था वह सब कुछ वह कर चुकी और जो रह गया है उसके लिए आगे के दरवाजे खुले हुए हैं।

"शोहरत की बुलन्दी भी, पल भर का तमाशा है,
जिस शाख पे बैठे हो, वह टूट भी सकती है।"

मान्यवर, यह ध्यान रहे कि ताकत का अगर सही इस्तेमाल हो, दवा का इस्तेमाल अगर सही हो तो दवा जिन्दगी देती है और दवा का इस्तेमाल अगर सही न हो तो जिन्दगी नहीं मौत देती है। जितने भी बड़े तानाशाह हुए हैं वह लोकतन्त्र के रास्ते से ही आये। हिटलर पहले पार्लियामेंट के मेम्बर हुए और उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी मेज्योरिटी बनायी, उसके बाद हिटलर तानाशाह हुए। सद्दाम हुसैन भी पार्लियामेंट के रास्ते से आये, इलेक्शन के रास्ते से आये और उसके बाद तानाशाह हुए। हिटलर का अन्जाम दुनिया ने देखा, सद्दाम हुसैन का भी अन्जाम सामने है। इस देश में भी मान्यवर, 1975 में तानाशाही का दौर शुरू हुआ और इस देश ने उन चीजों को भी अपनी आंखों से देखा है जो अपने को हिन्दुस्तान की आजादी का हीरो बताते थे वह कहां खड़े हैं इसलिए सब चीजों को मान्यवर, एक तजुरबे के तौर पर आपके सामने रख कर ही मैं अपनी बात को कहना चाहूंगा और चाहूंगा यह कि तथ्य सामने आयें। कल एक बात कही माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कि गरीबों की जमीन ले ली गयी है। मान्यवर, मैंने उस वक्त भी कहा था जाहिर है हमें जमीनें देने वाले किसान लोग हैं। बात यहां से शुरू हुई कि चकरोड बन्द की गयी है।

मान्यवर, मेरे पास तहसीलदार की रिपोर्ट है। राजस्व निरीक्षक की आख्यानुसार गाटा संख्या-1183 यूसुफ अली आदि के नाम हैं, जो जौहर यूनिवर्सिटी से बाहर हैं तथा गाटा संख्या-1161 राजस्व अभिलेखों में चकमार्ग अंकित है जो कुछ दूरी तक ही नक्शे में है। मान्यवर, तकरीबन 200 सवा दो सौ एकड़ जमीन जो विश्वविद्यालय के लिए खरीदी गयी हो और कुल ढाई सौ एकड़ हो मौके पर, उसके बारे में भी मैं बताउंगा कि क्यों ढाई सौ एकड़ है। उसमें से जो चकरोड निकली है वह उसी विश्वविद्यालय की जमीन में जाकर बन्द हो जाती है। यह चकरोड है मान्यवर, लेकिन यह बन्द हो गयी। उसका इस्तेमाल करने का अधिकार विश्वविद्यालय का है। वह उसे कैसे इस्तेमाल करेगा ? मान्यवर, कोई बदले की भावना से इसे बरबाद करने के लिए यह काम किया जाय तो ठीक है। दीवारें मान्यवर, इसलिए नहीं उठाई जा रही है कि यह किसी का महल बन रहा है, दीवारें उठाने की मंशा सिर्फ एक थी जो मैंने उस दिन भी रखी थी, कि आपने कई विश्वविद्यालय में देखा है कि असामाजिक तत्व आ जाते हैं और अक्सर हत्यायें हो जाती हैं इसे रोकने के लिए करोड़ों रुपये की मालियत से दीवारे और दरवाजे बनाये जा रहे थे कम्प्यूटर सिस्टम से अन्दर आने जाने की व्यवस्था करने का इरादा है खुद में यह सिस्टम देश भर में चलता होगा। बच्चों की हत्यायें हो जाती हैं। उस विश्वविद्यालय में दीवारें बनाकर एक दरवाजा बनाया गया है, जिसमें कम्प्यूटराइज सिस्टम से स्टूडेण्ट्स

को आने के लिए, यहां तक कि अगर उनके वाल्देन भी आयेंगे जो उनके रहने के लिए भी हास्टल अलग से बनाया गया है। मान्यवर, जो दीवारें तोड़ी गयीं, वह चकरोड कितनी चौड़ी होगी। 30 मीटर, 20 मीटर चौड़ी होगी। मान्यवर, आप चाहें तो सदन की एक समिति बनाकर वहां भेज दें वह जाकर सब कुछ देख लें। मान्यवर, दो बुल्डोजर लाकर एक जगह से दीवारें तोड़ी गयी है। मान्यवर, अगर वाकई चक रोड इतनी होती है तो ठीक तोड़ी गयी है। अगर इतनी नहीं होती है तो गलत तोड़ी गयी है। मान्यवर, तोड़ी जाने वाली जगह इंजीनियरिंग कालेज के पीछे की है, जो भव्य लाइब्रेरी बन रही है उसके पीछे की है। मान्यवर, वहां लाइब्रेरी का काम 80 प्रतिशत पूरा हो गया है वहां करोड़ों रु0 की किताबें रखी हुई हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं हजारों की तादात में पुरानी किताबें रखी हुई हैं। इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। मान्यवर, इस सवाल को रखने का कितना औचित्य है यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मान्यवर, यहां जो लोग बैठे हैं वह लॉ मेकर्स हैं और हाजी क्रिमिनल नहीं हैं। मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि आपको दीवार तोड़नी थी तो उसके लिए 122 बी के अन्तर्गत आपको नोटिस देना था और दूसरी पार्टी से उसका जवाब लेना था। लेकिन जिस तहसील का जिक्र किया गया है, मान्यवर, आप देखें कि सारी कार्यवाही एक दिन में की जाती है। वहां के तहसीलदार और पुलिस वालों को मेरा पता नहीं मालूम है कि मैं कहां का रहने वाला हूं। जिस गांव में यूनिवर्सिटी है उस गांव में मुझे तलाश किया गया मैं नहीं मिला। फिर यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। आपकी नीयत क्या है।

मान्यवर, एक बुल्डोजर से काम हो सकता था लेकिन दो बुल्डोजर लाये गये और आग बुझाने की गाड़ी भी साथ में लायी गयी। असामाजिक तत्व भी साथ में लाये गये। मान्यवर, मेरे पास उसकी सी0डी0 है आप कहें तो प्रोजेक्टर लगवाकर वह पूरी सी0डी0 दिखा सकते हैं कि किस तरह से बुल्डोजर द्वारा दीवारें तोड़ी गयी हैं। उनके पास केन्स थीं। अब उसमें पानी पेट्रोल, डीजल क्या था यह नहीं मालूम। जो लोग आये थे उनके हाथ में केन्स कैसे थे। आग बुझाने की गाड़ी वहां पर क्यो लायी गयी। लाइब्रेरी के पीछे की दीवार क्यों तोड़ी गयी ? अगर आग लगा दी जायेगी तो सरकार कहेगी कि हमने तो आग बुझा दी थी। मान्यवर, बहुत से मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें चश्मदीद गवाह नहीं होते हैं केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं और उसी ही की बुनियाद पर सजा हो जाती है। यह भी सही है कि 302 सबसे बड़ा जुर्म है। अगर किसी खम्भे में लाईट दिखायी गयी है, लाईट जल रही है और हत्या हुई है, तो रिजनेबिल एप्रोच के तहत खंभे की दूरी दिखायी जाती है। लेकिन यदि दूरी जिरह में बढ़ जाये तो शुबह की बुनियाद पर 302 में वह बरी कर दिया जाता है। मान्यवर, किसी एक बेगुनाह को सजा न हो इसलिए 99 गुनहगार छोड़ दिये जायं यह है न्याय का मूल। लेकिन जब इंसाफ की पकड़ ढीली हो जाती है तो कहीं न कहीं तो इंसाफ होता ही है। पार्लियामेंट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट दखल देता है तो कहा जाता है हमारे अधिकारों में अतिक्रमण हो रहा है। इसी तरह से असेम्बली के मामले में हाई कोर्ट दखल देता है। तो भी वही कहा जाता है लेकिन खुद भी हम अपने को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। रात दो बजे हाई कोर्ट का जज कोई फैसला दे यह अच्छी परिपाटी नहीं होगी लोकतंत्र के लिये। क्योंकि यह सदन जो कानून बनाता है अगर इस सदन से इंसाफ नहीं मिलेगा तो इंसाफ पाने के लिये कहीं न कहीं तो जाया ही जायेगा। आपने फरमाया कि गरीब किसान है। जाहिर है

कि किसान गरीब होते हैं लेकिन मान्यवर यह सारे सदन में जितने बैठे हुए लोग हैं सब तजुर्बेकार हैं। जमीन बेचने वाला जमीन बेचता है और फिर कह देता है कि मुझसे अंगूठा लगवाकर दस्तखत करा लिये गये। मान्यवर, डेढ़ साल पहले यह जमीन खरीदी गयी है। उसके विरुद्ध कोई दरख्वास्त नहीं है कोई शिकायत नहीं है कोई मुतालवा नहीं है दाखिल खारिज हुए एक साल से ज्यादा हो गया है। उसके बाद सरकार के वजीर जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी है उनका इतना हल्का कमेन्ट आना इस बात को साबित करता है कि आपकी नीयत क्या है। उस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की नीयत है। इसलिए मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं आप उस पीठ पर थे 27 तारीख को जब नियम-300 के तहत यहां उठाया गया था आपने यह कृपा की थी 27 तारीख को इस पर सरकार से वक्तव्य चाहा गया था और 28 तारीख का माननीया मुख्य मंत्री जी की तरफ से यह दो पेज का वक्तव्य आया था। जिसमें आश्वासन दिया गया था आप कार्यवाही निकालकर देख सकते है। यह भी आश्वासन दिया गया था कि यूनिवर्सिटी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी बल्कि पुलिस उसकी हिफाजत करेगी और पीएसी लगाई जायेगी। मान्यवर, कुछ तो इन्सानी कदरे कुछ तो शराफत की होती सांप भी अपने बिल में सीधा चलता है जो डसकर आता है किसी को वह भी बिल में सीधा चलता है। मान्यवर, एक शैक्षिक संस्था, के साथ अगर करना ही था यह काम, गैरकानूनी ढंग से ही करना था, ऐसे ही तोड़ना था तो मना किसने किया था। मान्यवर, इससे 122 बी का नोटिस मिल जाता तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। मेरी तरफ से जवाब दिया जाता आप फाइन डालते, आप दीवारों को गिराते लेकिन कैसे गिराते क्यों वह रास्ते आर-पार नहीं है उन्हें इस्तेमाल करने का अधिकार यूनिवर्सिटी का है। उसके अन्दर से जो गुजरेगा वह ट्रेसपासर होगा। मान्यवर, मैं बार-बार क्यों कहता हूं कि न्याय होगा इस पर बकौल आपके मुझे भरोसा है लेकिन न्याय दिलाने का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से न्याय दिलायेगें आप ? केवल कह देने से न्याय हो जायेगा। इस सदन में आश्वासन दे देने से न्याय हो जायेगा। इसीलिए मैंने कहा, क्या भी मैंने सदन में कहा था कि न्याय के लिए उसकी प्रक्रिया अख्तियार करना होगी और प्रक्रिया के लिए 122 बी का पहले नोटिस दी जानी चाहिए था जो नहीं दिया गया। बुलडोजर ले जाकर दीवारें तोड़ दी गयीं। मान्यवर, साढ़े बारह बजे आपने सदन में हमें आश्वासन दिया था।

आपकी विश्वसनीयता का सवाल है आज, सरकार की विश्वसनीयता हो न हो, जाहिर है कि हम और वो राजनीतिक लोग है सत्ताएं आयेगीं और जायेगी। मान्यवर, किसी का बड़े जिनके चिराग जलते थे हिन्दुस्तान में सियासत के, जो हिन्दोस्तान की आजादी का अपने को हीरो कहते थे, मान्यवर, सिमटकर कहां आ गये हैं। इसलिए कोई इस गलतफहमी में न रहे कि सत्ता उसी की होगी। यह जो चक्र चलाता गया है यह बड़ा खतरनांक है। मान्यवर, हमारे खिलाफ बहुत मुकदमें दर्ज है। लेकिन दो चीजें है, न तो कोई क्रिमिनल मुकदमा है और न ही कोई हमारे दामन पर दाग लगाने वाला है। हमने किसी की एक इंच जमीन अपने लिये नहीं ली है, अपने बच्चे के लिए, अपनी वीबी के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं ली है बल्कि हाईकोर्ट का आदेश था। आपने शहर को अच्छा बनाया है, जाकर देखिये, खुश होगे, उससे जलिये मत, उस शहर की खूबसूरती से जलिये मत। सीख लीजिए, इस लिये मत, बर्बाद मत कीजिए। सजाइये उसे।

(हाजी याकूब कुरैशी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

डा0 वकार अहमद शाह-

यह विकृत आत्माएं हैं इनको रोकिये, वरना दिक्कत हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

वकार साहब बैठिये, गिरी जी बैठिये।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, वहां बहुत सी जमीनें जिन पर इन्क्रोचमेन्ट जिला इंतजामियां ने खाली कराई हैं। एक अच्छा जिलाधिकारी आया था, बड़ी मेंहनत से ईमानदारी से और सख्ती से उसने काम किया। अब अगर इसलिए उसे सजा दी जाय कि आपने उसे सजा दी अब हम भी उसे सजा दे। उसने इन्क्रोचमेन्ट्स हटाये। जहां पर तहसील बनी है, मेरा क्या जुर्म है अगर अधिकारियों से कब्जा लेकर तहसील बनवाई है तो मेरा क्या कोई गुनाह है। मुकदमा मेरे नाम लिखा गया। तहसील के सामने सड़क बनवाई है मुकदमा मेरे नाम लिखा गया, पार्क बने हैं जबरदस्ती लोगों ने जमीनों पर कब्जे कर लिये थे कब्जे खाली कराकर पार्क बने है, मुकदमा मेरे खिलाफ कायम हुआ है। वह सब तो हम देखेंगे। एक ओर हाईकोर्ट का आदेश कि नाजायज कब्जे हटाये जाये, दूसरी ओर कब्जे हटाये गये तो नेता और अधिकारी विशेष थानों द्वारा मुजरिम बना दिये गये। वह सब तो हम देखेगें लेकिन मान्यवर, हुआ क्या इसमें ? जिन साहब ने तहसील और उसकी सड़क के सामने आपके कुछ चाहने वालों के कहने पर मुकदमा कायम करा दिया, वह हमारे यहां कहा जाता है जब नमाज का हुक्म आया तो कुछ साहिबान अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुये, उन्होंनें कहा कि अल्लाह नमाज तो बहुत हो जायेगी, कुछ रियायत फरमा दीजिये तो अल्लाह ने फर्माया 30 दिन के रोजे और रखना है, जाइये वापस। तो नमाज बख्शवाने गये थे, रोजे भी साथ लेकर आये। जिन साहिबान ने हमारे खिलाफ रपटे लिखवाई जब उनके बारे में नगरपालिका और जिला प्रशासन ने जांच की जो मालूम हुआ कि न सिर्फ तहसील की जमीन, न सिर्फ यह सड़क बल्कि वह सारी जमीन जिस पर उनका बाग लगा हुआ है, यह सारा का सारा ट्रैचिंग ग्राउन्ड है। और अब जिलाधिकारी को नगरपालिका की तरफ से नोटिस चला गया है कि हमें यह जमीन खाली कराकर दी जाय। वह मामलात बिल्कुल अलग है। मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह एक नोबेल काम था, एक अच्छा काम है विश्वविद्यालय बनाना। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैं बुरा सही मान्यवर, मैं बहुत बुरा आदमी हूं। मैं बहुत बुरा काम कर रहा हूं, आप अच्छा काम कर लीजिये, इससे अच्छा बना दीजिये, इसे सहायता दीजिये आप, जो कमियां है, उन कमियों को दूर करिये आप, यह विश्वविद्यालय छोटा है आप एक और बहुत बड़ा विश्वविद्यालय किसी और जिले में किसी के नाम से बनाइये, एक नहीं अनेक बनाइये। मान्यवर, प्राइमरी स्कूल के लिये, इण्टर कालेज के लिये, डिग्री कालेज के लिये.....

(हाजी याकूब कुरैशी द्वारा खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपको क्या परेशानी है, आप बैठिये। याकूब साहब आप बैठ जाइये। माननीय आज़म खां साहब बोल रहे हैं। आप बैठ जाइये। यह तरीका अच्छा नहीं हैं। बीच-बीच में अचानक कैसे खड़े हो जाते हैं, कोई बात है क्या ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, थोड़ी पढ़ी लिखी बात हो जाय। मेरी समस्या को हलाल न किया जाय, न झटका किया जाय। सुन लिया जाय, पढ़ी लिखी बात है, अच्छा है पढ़े लिखों के बीच में रहे। मान्यवर, मैं एक कागज आपके पास अभी भेजता हूं यह भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग कार्यालय, भारत की शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक का कार्यालय। मान्यवर, कुल 45 गाटे क्षेत्रफल 13.842 हेक्टेयर स्थित ग्राम सिंघनखेड़ा, परगना व तहसील सदर जनपद रामपुर उत्तर प्रदेश ने इमामुद्दीन पुत्र अजहरूद्दीन पाक नागरिक से सम्बन्धित को वार्षिक किराये पर देने के सम्बन्ध में है। मान्यवर, यह 1947 के बाद, हिन्दुस्तान के बंटवारे के बाद 1947 से 1972 तक वह लोग जो पाकिस्तान चले गये, उनकी जमीन कस्टोडियन लैंड कहलाई और जब उसका आवंटन हुआ तो उस व्यक्ति को, जिसे वह जमीन दी गयी, उसे मालिकाना अख्तियार भी दिये गये और कुछ दिन बाद प्रदेश सरकारों ने और देश की सरकारों ने यह तय किया कि वह अगर बेचना चाहे तो उस जमीन को बेच सकता है लेकिन 1972 की जंग के बाद यह कस्टोडियन लैन्ड नहीं रह गयी, इसे एनिमी प्रापर्टी कहा गया, यह दुश्मन की जमीन है। यह बेची और खरीदी नहीं जा सकती थी इसे किराये पर दिया जा सकता था, लीज पर दिया जा सकता था, चुनांचे जिलाधिकारी की तरफ से एक इश्तहार निकला, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय ने उसमें अपनी अर्जी डाली और यह रेत की जमीन है बिल्कुल बेकार जमीन है, कभी आप जायेगें तो देखेगें नदी का किनारा है।

जो जमीनें किसानों से खरीदी गयी है, मै दावत दूंगा, मैं आपको भी दावत देता हूं, कि एक बार आइये और उसे देखिये, मैं पूरे सदन को दावत देता हूं। एक बार हमारे मेहमान बनकर देखिये कि एक छोटे से आदमी ने क्या किया है। हां मैं लाया हूं चंदा, इसलिये लाया हूं कि पेबन्द लगे है मेरे दामन पर एक-एक रुपया लाया हूं, उसी से बना है यह विश्वविद्यालय। मान्यवर, उस रेत की जमीन का 1,705 रुपये प्रति एकड़ का टेण्डर हमने दिया। हमारा सबसे ज्यादा था, नतीजा यह हुआ कि भारत सरकार से हमें यह आदेश प्राप्त हो गया, यह आदेश संख्या है 29-266/1541 दिनांक 31-05-2007 का है, इस आदेश में है कि अतः इस शत्रु सम्पत्ति को अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को किराये पर 1,705 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक दर से तीन वर्ष के लिए लीज़ पर देने का अनुमोदन किया जाता है। अनुमोदन कर दिया जाए नहीं, बल्कि अनुमोदन किया जाता है। हमने पैसा दाखिल करने के लिए चिट्ठी के साथ इसकी फोटोकापी भेजी, उन्होंने उसका जवाब जब नहीं दिया तो हमने श्री दिनेश सिंह भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक को तकरीबन पौने दो लाख रुपये का तीन साल का ड्राफ्ट भेज दिया। अब विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है और आज अखबार में पढ़ने को मिला है कि जिलाधिकारी ने ही उस रिकमेंडेशन को निरस्त कर दिया। हम न्यायालय जायेंगे मान्यवर, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें वहां से इंसाफ मिलेगा।

लेकिन मान्यवर, हमें इंसाफ तो मिलेगा वहां से, हाईकोर्ट में हमारी 122 बी जो नहीं की गई है, उसके खिलाफ भी रिट है और कल बहस भी होनी है। और जो न्यायमूर्ति महोदय के कमेंट्स है अदालत के, उन्हें मैं यहां पर कहना नहीं चाहता, जितना सख्त स्टैंड था उनका, हमें न्याय मिलेगा, अदालत से हमें न्याय मिलेगा, मान्यवर और हमें बहुत से मामलात में न्याय मिलेगा, इसमें भी मिलेगा।

क्योंकि यह समझ में नहीं आता कि नियमों से ली हुई जमीन को वही जिलाधिकारी जो रिकमेंडेशन भेजता है, वह कौन सी वजह है कि एक महीने के अन्दर क्योंकि सत्ता बदल गयी है, उस रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया गया। ठीक उस दिन जब उसे चुनाव आयोग द्वारा हटा दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समय का भी ध्यान रखें।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, ऐसी बातें बहुत कम ही सदन में आती हैं इसलिए अच्छा है आ जाएं, मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा, आपका कीमती वक्त खराब हो रहा है, क्योंकि यह मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का मामला है यकीनन आपका वक्त खराब हो रहा है। मैं मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं आपसे। मैंने एक बात शुरू में कहीं आपसे कि जो होना था हो गया, जो होना है वह आगे होगा भी लेकिन मंत्री जी से चाहूंगा जरूर कि जो कुछ मैंने कहा है, सियायी बातों को थोड़ा दूर रखकर और न्याय को मद्देजर रखकर क्योंकि न मेरे सवाल से कुछ हल हो रहा है और न आपके जवाब से मेरे लिए अदालत के रास्ते रुक रहे हैं। लेकिन मान्यवर, एक बात जरुर है, हमें न्याय तो मिलेगा सौ फीसदी मिलेगा और न्याय उससे ज्यादा मिलेगा जितना हम सोच रहे हैं, उससे भी ज्यादा मिलेगा लेकिन फिर इस सदन की क्या जरूरत रह जाएगी ? अगर हर बात के लिए, स्टेडियम के लिए भी लोग न्यायालय जायेंगे, विश्वविद्यालय के लिए भी लोग न्यायालय जायेंगे तो मान्यवर, इस सदन की फिर क्या जरुरत रह जाती है। हमारे यहां बोलने की क्या जरूरत है अगर तीन-तीन साल पुराने मुकदमें कायम होंगे, आखिर हम क्या रास्ता दिखा रहे हैं, कोई दूसरी सरकार आयेगी तो पूरे कार्यकाल के मुकदमें कायम करायेगी, इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि कानून की परिधि में रहें। आज से ही हम यह सबक लें कि इस सदन में जो सवालात् उठाये जायें उन पर अगर न्यायोचित कार्यवाही हो जाए तो कम से कम इस सदन में बैठने वाले न्यायालय का दरवाजा न खटखटायें। न्याय अगर उन्हें वहां से मिला, और यहां से नहीं मिला तो इसको हम न्याय का मन्दिर नहीं कह पायेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम एक अच्छे ढंग से किसी बात को कहकर कभी-कभी लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में करने में अच्छा साबित कर लेते हैं। अभी माननीय आज़म खां साहब ने कहा कि जिलाधिकारी ने अनुमोदन दिया शत्रु सम्पत्ति को लीज़ पर देने का और कुछ दिनों बाद उन्होंने उसे निरस्त भी कर दिया। अगर सत्ता बदलने से निरस्त किया तो इसका तात्पर्य हुआ कि सत्ता के कारण ही एक हजार रुपए किराये पर उसको देने का अनुमोदन भी किया। मान्यवर, इसके साथ ही साथ नियमों के अनुसार ही, न्याय के अनुसार ही अनुसूचित जाति के लोगों को अपनी जमीन बेचने के लिए सदन ने प्रतिबंध भी लगाया है, नियमों के अनुसार कानून बनाकर। उस कानून की अनदेखी करके ऐसे भी जमीनों को लेने का काम किया गया। दूसरे मान्यवर, जिस स्थान को बुल्डोजर से गिराने की बात की गयी है जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक रामपुर से प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 28-06-07 को श्री महिपाल सिंह, प्रवर राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र सैदनगर तहसील सदर, रामपुर द्वारा थाना अजीमनगर पर लिखित सूचना दी गयी कि ग्राम सीगनखेड़ा में सार्वजनिक मार्ग चकरोड

1151/0.031 हेक्टेयर, 1154/0.044 हेक्टेयर, 1455/0.068 हेक्टेयर, 1161/0.082 हेक्टेयर, 1202/0.066 हेक्टेयर, 1193/0.135 हेक्टेयर एवं 1173/0.052 हेक्टेयर स्थित है जिस पर सार्वजनिक रूप से आसपास के लोगों का आना जाना होता था परन्तु मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री मोहम्मद आजम खां व अन्य व्यक्तियों द्वारा स्थानीय व्यक्तियों के विरोध के उपरांत भी इन सार्वजनिक मार्गों को दीवार खड़ी करके अवरूद्ध कर दिया गया जिससे स्थानीय लोगों व अन्य लोगों के लिए यह सार्वजनिक मार्ग अगम्य हो गये।

इस प्रकार उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त सभी सातों सार्वजनिक उपयोग के मार्गों की बाउण्डरीवाल/दीवार बनाकर अवरूद्ध कर दिया। इन सार्वजनिक मार्गो पर आने जाने वाले व्यक्तियों सर्वश्री अबरार पुत्र अब्दुल निवासी ग्राम अलियागंज एवं यूनुस अली, यासीन अली, मोहम्मद उमर एवं सज्जाद अली निवासी ग्राम सीगनखेड़ा द्वारा विरोध किये जाने के उपरांत भी उक्त सार्वजनिक मार्ग चकरोड़ को अवरूद्ध किया गया। तो मान्यवर, सार्वजनिक मार्ग था, जिला प्रशासन ने उस सार्वजनिक मार्ग को नियमों के तहत ही, खाली कराने के लिए जो अवरूद्ध किया गया था उसको गिराने का काम किया गया। मान्यवर, नियमों के तहत ही कार्यवाही की गयी है और नियम के अनुसार ही हम बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं, कमजोर हैं, कोई छोटा हो या बड़ा हो सबके लिए कानून बराबर है। अभी माननीय आज़म खां कह रहे थे कि सत्ता से ही तानाशाह पैदा होते हैं। यह सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में और कानून पर विश्वास करती है लेकिन इससे पहले जिन लोगों के हाथों में प्रदेश की बागडोर थी, उनको तानाशाही पर पूर्ण-रूपेण विश्वास था, उनको लोकतांत्रिक मर्यादाओं में कोई यकीन नहीं हुआ करता था। हम तो आप चाहे जितने जोर से भी कहते हैं, चाहे जितने दबाव से भी कहते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं और सुनते भी हैं। मान्यवर, आपने भी देखा है, इसी सदन में ऐसा लगता है कि सही बात भी कहना केवल एक बात यह कह देना कि 71 करोड़ रुपये के बजट का 69 करोड़ रुपया केवल एक महाविद्यालय को दे दिया गया और यहां क्या स्थिति पैदा की गयी थी ? उसका गवाह यह सदन है। अपने आस्तीन में झांककर देखना चाहिए कि हमने क्या किया था। हम तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं। नियम और कानून से चलने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, अच्छे शब्दों के द्वारा कभी-कभी गलत तथ्यों को भी इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ लोग भावुक हो जाया करते हैं। कुछ लोगों को इसमें काफी निपुणता हासिल है। मैंने देखा चुनाव में एक महाशय चुनाव प्रचार में गए थे भाषण देते देते ही बेहोश होकर गिर गए। यह कला है उस कला के माध्यम से हम कानून को अपनी जेब में रखकर घूमना चाहे यह उचित नहीं लगता। नियमों के अनुसार ही जिला प्रशासन ने वह कार्यवाही की है और नियम 56 के तहत यह ग्राह्यता का विषय नहीं है। कानून अपना काम करेगा। कानून पर किसी का दखल नहीं है। न्यायालय के निर्णय को चाहे एस0डी0एम0 का न्यायालय हो, डी0एम0 का न्यायालय हो, चाहे तहसीलदार का न्यायालय हो उस न्यायालय का फैसला अगर गलत होता है तो उसकी अपील की भी व्यवस्था है उसके अनुसार कार्यवाही करें। चूंकि रास्ता सार्वजनिक था उस रास्ते को खाली कराना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है उस आधार पर कार्यवाही की गई है। यह नियम 56 के तहत ग्राह्य योग्य नहीं है इसलिए इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

एक हजार 705 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष है। इसलिए आप हिसाब लगाएंगे तो हिसाब लम्बा बैटेगा। मैंने आज कुछ भी भावुक होकर नहीं कहा। दूसरा मैंने तहसीलदार की जो रिपोर्ट देखी थी, पता नहीं मंत्री जी के पास है कि नहीं, उसमें उन चक रास्तों को आगे चलकर बन्द होना इंगित किया गया है। उसमें यह है कि वह रास्ते उसी इलाके के इस्तेमाल के लिए होंगे।

वह चकरोड वही इस्तेमाल करेगा जिन खेतों में चकरोड है। इस्तेमाल करने का अधिकार किसको होगा,चक कितना चौडा होता है यह आप अच्छी तरह जानते है। 20 मीटर का क्या चक रोड़ होता है। नहीं होगा। क्योंकि यह मामला न्यायालय में है आप इतना भी उत्तर दे देते फिर आपको शायद इतना कष्ट न उठाना पड़ता। यह आपकी उदारता है कि इतना उत्तर दिया। यह सारी बातें आपके ऊपर है मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जब हम सदन में कोई सवाल उठाते है तो जाहिर है सवाल को आप पर भरोसा करके उठाते हैं। जाहिर है हमने कुछ गलत किया होगा तभी तो यहां बैठे हैं नसीहत यह है आपको कि आप वह न कीजिए, जुबान ए-खल्क को नक्कारा-ए-खुदा समझो। बाहर कौन क्या कह रहा है आपकी इन कार्यवाहियों पर वह शायद आपको इस हाल में सुनाई नहीं दे रहा होगा। मेरी शिकायत सिर्फ यही थी कि 12.30 बजे यहां आश्वासन दिया गया और 4.30 बजे कार्यवाही हो गई अगर एक दिन इन्तजार कर लिया जाता। यह कार्यवाही अगले दिन भी हो सकती थी कागज का पेट ठीक से भर लिया जाता। एक ही दिन में नोटिस दी गई एक ही दिन में दूसरी नोटिस एक ही दिन तीसरा नोटिस एक ही दिन मेरे ऊपर फाइन डल गया उसके बाद मुकम्मल नहीं मिला तो यूनीवर्सिटी के गेट पर नोटिस और एक ही दिन में दीवारा गिरा दी गई। कानून ने तेज काम किया। इतना तेज काम कि कई महीने का काम एक ही दिन में कर लिया। अदालत में फैसला होगा लेकिन 27 तारीख को जो मामला यहां उठाया गया 28 तारीख को सरकार ने इस पर जवाब दिया और उसी दिन सरकार के हाथ से अनर्थ हो गया। मैं इसकी कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

जवाब दिया गया था कि व्यक्तियों द्वारा कोई गलती नहीं होगी लेकिन अगर कानून कोई कार्यवाही करेगा तो उसके लिए रोक नहीं लगाई गई थी। मान्यवर, अच्छा होता सारी जमीन ले लेते क्योंकि गांव सभा की जो जमीन है उसको लेने की प्रक्रिया है। रास्ते की जो जमीन थी उसको एक साथ मिलाकर जोड़ा गया।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, यह सच बात है। बहुत सी बातें ऐसी थीं जो उस वक्त हो जानी चाहिए थीं। मैं बिल्कुल सिविल मैटर से वाकिफ नहीं हूं। कहां चक कहां चक रोड़ है, मुझे नहीं मालूम। मान्यवर, मेरा इन्वॉल्वमेंट सीधे ज़मीन की खरीद फरोख्त में नहीं रहा है और रहना भी नहीं चाहिए। मुझसे तो इतना कहा जाता था कि इतने का चेक काटिये और वह चेक चला जाता था। एक बड़ा काम था और मैंने वह काम किया, पैसा जमा करके लाने का। कुछ कमियां रह गयी हैं, आप उसको पूरा कर दीजिये। मैं आपको दावत दे रहा हूं कि आप वहां आइये।

(श्री हाजी याकूब के खड़े होने पर माननीय सदस्य शोर करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर आज़म साहब और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं।

(मद सं0 10 पुकारे जाने पर श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव खड़े हो गये)

श्रीवास्तव जी, आपको मैंने कह दिया है कि आप कल दे दीजियेगा।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मेरी सूचना बहुत ही अविलम्बनीय विषय पर है।

श्री अध्यक्ष-

एक दिन में इसकी अविलम्बनीयता खत्म नहीं हो जायेगी। आपसे बात हो गई है। मैंने कह दिया था कि कल दे दीजियेगा, मैं कल सुन लूंगा।

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-54, लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम), अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु), अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन, सड़कें)

श्री अध्यक्ष-

माननीय लोक निर्माण मंत्री जी आप मद मंख्या 10(1) से 10(5) तक एक साथ प्रस्तुत कर दीजिये।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री-(श्री नसमीुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,39,80,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 46,27,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र

कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,07,50,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,24,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,32,98,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक निर्माण विभाग वर्ष 2007-08 के बजट को मा0 सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, हम सभी जानते है कि प्रान्त में सड़कों का विकास होता है, जो प्रान्त सड़कों से विकसित होगा उसका सम्पूर्ण विकास स्वतः होने लगता है। मेरा मानना है जो गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं उस गांव का विकास 15-20 परसेन्ट स्वतः हो जाता है। क्योंकि विकास की धारा वहां से प्रारम्भ हो जाती है उदाहरण के लिए हमारे ही देश के कई प्रान्त हैं हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्रा, पंजाब आदि ऐसे अधिकांश प्रान्त हैं जहां अधिकांश मजरे मुख्य मार्गों से जुड़े हैं जिसका बहुत बड़ा लाभ उन प्रान्तों को हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कृषकों को भी इसका बड़ा लाभ हुआ है। मान्यवर, कृषक अपने कृषि उत्पाद को सुगमता से मण्डियों में पहुंचाकर उसका उचित मूल्य प्राप्त करते हैं। सड़कों के साथ-साथ जहां सड़कों की व्यवस्था हो जाती है गांव मुख्य सड़कों से जुड़ जाते हैं तो मान्यवर, सड़कों के साथ और भी मूलभूत सुविधायें मिल जाती है। जैसे शिक्षा, बिजली, पानी यह सब स्थापित हो जाती है। विदेशों में विकासशील जो देश हैं वहां देखते हैं तो एक ओर चौड़े हाइवे दूसरी तरफ एक्सप्रेस हाइवे भी और मान्यवर, वहीं पर सभी मुख्य मार्गों से गांव जुड़े हैं जिससे अच्छे-अच्छे धनी लोग, व्यापारी, धनी बुद्धिजीवी लोग शहर की अपेक्षा देहात में रहना पसन्द करते हैं। और मान्यवर, यह प्रसन्नता की बात है इस बार पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों को हमारी सरकार ने विशेष महत्व दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मरम्मत के लिए पुर्ननिर्माण के लिए पहली बार लगभग चार हजार करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था इस बजट में किया गया है।

(इस समय 2 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल पीठासीन हुए।)

(मेजें थपथपाई गईं)

इसमें मान्यवर, प्रधानमंत्री सड़क योजना भी शामिल है। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग द्वारा एक लाख 33 हजार 104 किलोमीटर मार्गों का रख-रखाव और मरम्मत का कार्य किया जाता है। इसमें से 5,570 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग और राष्ट्रीय मार्ग की मरम्मत का कार्य, सुधार का कार्य जो होता है

इसके लिए भारत सरकार से समय-समय पर राशि प्राप्त होती है। हमारा विभाग इसमें कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करता है और प्रदेश में 8 हजार 551 किलोमीटर राज्य मार्ग हैं तथा 7 हजार 345 किलोमीटर प्रमुख जिला मार्ग हैं। मान्यवर, यह सभी भारी वाहनों के आवागमन हेतु इस प्रदेश को अन्य प्रदेश से जोड़ने में सार्थक हैं इसलिए मैं इस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण मार्गों को चौड़ा एवं सुधार, ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण तथा विभागीय कार्यों हेतु इस वित्तीय वर्ष में अभी तक का सबसे अधिक मद है। मान्यवर, 6 हजार करोड़ रुपये का बजट में प्राविधान किया गया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

इससे पहले कभी इस तरह का प्राविधान बजट में नहीं किया गया है यह पहली बार बजट में प्रस्ताव आया है। मान्यवर, पिछले वर्ष जो बजट था वह 5 हजार 407 करोड़ का, अर्थात् इस वर्ष जो प्राविधान प्रस्तावित है उसमें 540 करोड़ का अधिक बजट का प्राविधान किया है ताकि अधिक से अधिक गांवों को हम सम्पर्क मार्ग से जोड़ सकें। और मान्यवर, इस बजट में जो कार्य प्रस्तावित किये गये हैं, उसका भी विवरण मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मान्यवर, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना है। मान्यवर, हमारी सरकार ने प्रथम प्राथमिकता दी है, ग्राम सभा योजना है। हमारी सरकार ने जो प्राथमिकता दी है, जो पहली प्राथमिकता दी है, उसमें वर्ष 1995-96, 1997-98, 2002-03 तथा वर्ष 2003-04 में अगस्त, 2003 तक जितने अम्बेडकर गांव चयनित किये गये थे, उसमें यदि सम्पर्क मार्ग नहीं पहुंचा है तो उसको सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाए। जो पहले से जुड़े हैं, उनकी मरम्मत प्राथमिकता पर करायी जाए। इन वर्षों में चयनित असम्बद्ध अम्बेडकर गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिए 300 करोड़ की बजटीय व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। इन 4 वर्षों में गांवों की मरम्मत, सुधार के लिए भी 100करोड़ की व्यवस्था की जा रही है। मैं माननीय सदन को हर्ष के साथ सूचित करना चाहता हूं कि माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में पहली बार डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना प्रारम्भ की जा रही है। यह पहली बार प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा में 5-5 अम्बेडकर ग्राम सभायें चयनित की जायेंगी तथा उन चयनित की गयी ग्राम सभाओं में अन्य मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनको पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का प्रस्ताव है। इस महत्वकाक्षी योजना में इस वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की जा रही है।

(एक सदस्य के बोलने पर)

बाद में पूछ लीजिएगा। एक परम्परा है, बाद में पूछ लीजिएगा। मैं सब जवाब दे दूंगा। जो भी आप चाहेंगे उसका मैं एक-एक जवाब दे दूंगा। अभी न मैं समझ पाऊंगा और न आप समझ पायेंगे। मैं भी विधायक हूं, परेशान मत होइए।

मान्यवर, इसमें लगभग 5200 किलोमीटर लम्बे सम्पर्क मार्गों का निर्माण प्रस्तावित है। इसी प्रकार 1400 करोड़ की धनराशि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित की जा रही है। जिला योजना का जहां तक सवाल है, इस योजना के अन्तर्गत चालू कार्यों हेतु रुपये 356 करोड़ नये कार्यों हेतु रुपये 150 करोड़ का बजटीय प्राविधान और वर्ष 2007-08 के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है।

अब कितना पैसा पहले मिलता था और कितना पैसा इसमें प्रस्तावित है, यह माननीय सदस्य भी जानते हैं। इस वर्ष 2007-08 में इस योजना के अन्तर्गत 2 हजार कि0मी0 ग्रामीण मार्गों का निर्माण कराने का लक्ष्य है, यह पहली बार हुआ है और नाबार्ड योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों के निर्माण हेतु यह योजना वर्ष 1996-97 में प्रारम्भ की गयी और इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में चालू कार्यों के लिए 63 करोड़ और नये कार्यों के लिए 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 183 करोड़ बजटीय प्राविधान किया गया है। इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत 750 कि0मी0 लम्बी सड़कें बनायी जायेंगी और बनाये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है। मान्यवर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी विकास योजना है। उस क्षेत्र के भी माननीय सदस्य बैठे हैं और उसके अन्तर्गत नक्सल प्रभावित जनपद चन्दौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, मऊ, बलिया, देवरिया और कुशीनगर में मार्गों के निर्माण हेतु वर्ष 2005-06 से एक विशेष योजना प्रारम्भ की गयी थी। मान्यवर, इस योजना के अन्तर्गत चालू कार्यों के लिए 43 करोड़ और नये कार्यों के लिए 57 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 100 करोड़ रुपये का प्राविधान वर्ष 2007-08 के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इसमें लगभग 400 कि0मी0 लम्बी सड़कें बनाने का प्रस्ताव है। विश्व बैंक सहायतित स्टेट रोड प्रोजेक्ट 2 के सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि प्रदेश की यातायात और घनत्व के अन्य पहलुओं को देखते हुए राजमार्गों तथा जिला मार्गों तथा अन्य मार्गों का विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराया गया तथा लगभग 6 हजार8 सौ कि0मी0 मार्ग चिन्हित किये गये और इसमें 2817 कि0मी0 लम्बाई के मार्गों को सुधारने का कार्य विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है और इस परियोजना में कुल लागत 2950 करोड़ प्रस्तावित है। यह योजना दो चरणों में है। यह योजना अप्रैल, 2003 में लागू की गयी थी तथा दिसम्बर, 2008 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें मार्च, 2007 तक 1142 कि0मी0 लम्बे मार्ग निर्माण पूरे हो चुके हैं तथा रुपये 1167 करोड़ व्यय हो चुका है और वर्तमान में जो स्थिति है।

मान्यवर, वर्तमान में जनपद उन्नाव में बांगरमऊ टाउन के बाईपास का निर्माण तथा गौराबाग शाहजहांपुर, जौनपुर में बाईपास का निर्माण, बदायूं में कछड़ा घाट पर गंगा नदी, मथुरा में शेरगढ़ घाट पर यमुना नदी एवं बैराज में चैलारी घाटर, घाघरा नदी पर पुल का निर्माण का कार्य प्रगति में है इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में परियोजना हेतु 700 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है। इसमें 600 करोड़ इस योजना के चालू कार्यों के लिए 15 करोड़ नये कार्यों के लिए और 50 करोड़ सेतु के निर्माण हेतु प्रस्तावित है। इसी तरीके से वित्तीय वर्ष 2007-08 में 700 कि0मी0 लं0 के मार्ग निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है जिसमें 550 कि0मी0 पर बृहद् रख-रखाव के कार्य और 150 कि0मी0 लं0 के मार्गों को उच्चीकृत किये जाने का लक्ष्य है। मान्यवर, राज्य योजना सामान्य के बारे में बताना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत राजमार्ग ओर उप जिला मार्ग और अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यों के लिए 225 करोड़ रुपये और नये कार्यों के लिए 225 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 450 करोड़ रुपये का प्राविधान इस बजट में किया गया है। इस धनराशि से लगभग 900 कि0मी0 लं0 के मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य होना है। राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों हेतु वर्ष 2007-08 में रुपये 300 करोड़ का बजट में प्राविधान किया गया है। इस धनराशि से लगभग 600 कि0मी0 लं0 के मार्गों में चौड़ीकरण एवं

सुदृढ़ीकरण का कार्य होना है। मान्यवर, एक निधि और है केन्द्रीय सड़क निधि। इसमें आयोजनेत्तर मद में केन्द्र सरकार से केन्द्रीय सड़क निधि योजनान्तर्गत प्रदेश के प्रमुख मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों हेतु नियमित धनराशि प्राप्त होती है। इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत मार्गों के चालू कार्य हेतु एक सौ पैसठ करोड़ रुपये, जो नये कार्य हैं उन नये कार्यों के लिये एक सौ दो करोड़ रुपये अर्थात इस आधार पर कुल 267 करोड़ रुपये का बजट में प्रस्तावित किया गया है। इस धनराशि से लगभग पांच सौ पचास किलोमीटर लम्बाई के मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाना लक्षित है। मान्यवर, औद्योगिक नगरों को मुख्य मार्गों से जोड़ने तथा ग्रोथ सेन्टर को निकटतम रेलवे स्टेशन तथा शहरों से जोड़ने के लिये मार्गों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित किया जायेगा। मान्यवर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली वाइबेलिटी कैस फंडिंग स्कीम हेतु इस चालू वर्ष में दस करोड़ रुपये का बजट में प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। सड़कों के निर्माण के साथ-साथ वर्तमान में अनुरक्षण एवं सुधार में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा राष्ट्रीय मार्गों को छोड़कर कुल एक लाख सत्ताईस हजार पांच सौ चौंतीस किलोमीटर मार्गों का अनुरक्षण एवं रख रखाव बजट में किया जा रहा है। इतने बड़े मार्ग के नेटवर्क का समुचित रख-रखाव एवं आवागमन की आवश्यकता को देखते हुए वित्तीय वर्ष में 1239 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस धनराशि से लगभग पच्चीस हजार किलोमीटर के मार्गों को गड्ढामुक्त किया जायेगा। बाईस हजार किलोमीटर लम्बाई में पूर्व निर्मित मार्गों पर मरम्मत एवं विटुमिन से नवीनीकरण का कार्य कराया जायगा। इसके अतिरिक्त लगभग तीस हजार किलोमीटर के ग्रामीण मार्गों एवं अन्य श्रेणी के मार्गों के विशेष मरम्मत एवं सुधार पर डामरीकरण का कार्य प्रस्तावित है। इसके साथ-साथ मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 1995-96, 97-98, 2002-2003 तथा अप्रैल, 2003 से अगस्त, 2003 तक चयनित अम्बेडकर ग्रामों के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों पर आवश्यक सुधार हेतु वांछित धनराशि इस मद में वहन की जायेगी।

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग विगत वर्षों में वर्गीकृत टेन्डर प्रणाली से कार्य कराने की प्रथा थी जिससे इस प्रक्रिया में कुछ स्थानों पर माफिया ठेकेदारी का प्रवेश है, जिससे कार्यों में गुणवत्ता प्रभावित होती है। अक्सर यह देखा जाता है कि मा0 सदस्य शिकायत करते हैं चाहें वह सत्तापक्ष के हो या विपक्ष के हों, कि जहां भी टेन्डर पड़ते हैं वह माफिया लोग बड़े-बड़े टेन्डरों में अपना कब्जा कर लेते हैं और टेन्डर वहीं खरीदते हैं जिन्हें माफिया चाहता है। इसके तहत मैं यह बताना चाहता हूं कि कार्यों की गुणवत्ता पर प्रभावी विभागीय नियंत्रण रखने के लिये यह निर्णय लिया गया है बड़े कार्यों की निविदाओं में माफियाओं का वर्चस्व समाप्त करने के लिये टेन्डर कार्य को सीमित करके अधिक से अधिक कार्य विभागीय प्रणाली द्वारा कराया जायेगा। मान्यवर, विभाग में उपलब्ध पुरानी मशीनों की मरम्मत के लिये वर्ष 2007-2008 में नयी मशीनों को क्रय करने के लिये तीस करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। कुछ मशीनें हम पहले ले भी चुके हैं उनका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि 12 हाट मिक्स प्लान्ट खरीदा जा चुका है, 12 पेवर फिनिशर खरीदे जा चुके हैं, 24 वायब्रेटरी रोलर खरीदे जा चुके हैं, 70 सामान्य रोला खरीदे जा चुके हैं और दो डब्लू0एम0एम0 प्लान्ट भी खरीदा जा चुका है। इस तरह से जो ठेकेदारी में माफिया गिरी हावी होती जा रही है उसमें अंकुश

लगाने का भी प्रयास किया गया है। मान्यवर, प्रदेश के पिछड़े एवं पूर्वान्चल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिये भी हमारी सरकार को विशेष ध्यान है। इस कारण आयोजनागत मद में 2007-2008 में पूर्वान्चल की विशेष योजनाओं के लिये मान्यवर 170 करोड़ रुपये एवं बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये 50 करोड़ रुपये की धनराशि मान्यवर, प्रस्तावित की गयी है। इसके अतिरिक्त आयोजनेत्तर मद में वर्ष 2007-2008 में पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के विकास के लिये 175 करोड़ रुपये की धनराशि मान्यवर, प्रस्ताव की गई हैं मान्यवर, इस प्रकार पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विकास हेतु इस वर्ष कुल 395 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। मान्यवर, आयोजनागत मद में भवनों के निर्माण हेतु 45 करोड़ की धनराशि के बजट की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, यह देखा गया है कि बहुत सी कमिश्नरियां बना दी गईं, मण्डल बना दिये गये। मण्डल तो बना दिये गये, कमिश्नरियां तो बना दी गई, हेड क्वार्टर बन गये हैं, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि जाते हैं वहां पर सर्किट हाउस की व्यवस्था नहीं है। इस पर भी मान्यवर, हमने और हमारी सरकार ने ध्यान दिया है और इस बजट में मान्यवर, प्रस्ताव किया है और इसके तहत बांदा, बस्ती, देवीपाटन तथा मिर्जापुर में मण्डलीय मुख्यालयों पर नये सर्किट हाउस निर्माण हेतु 12 करोड़ रुपये की धनराशि भी सम्मिलित की गई हैं तो इसमें हमारे सारे पूर्वान्चल के जो सदस्यगण हैं, उनको इसमें खुश होना चाहिए और हैं भी। आयोजनेत्तर मद में भवनों के अनुरक्षण हेतु 40 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान है। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के प्रदेश राज्य सेतु निगम एवं राजकीय निर्माण निगम सार्वजनिक उपक्रम हैं मान्यवर, इससे सभी लोग परिचित हैं।

यह दोनों संस्थायें मान्यवर, इस प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि इन्होंने विदेश में भी जाकर के अच्छा काम करके, एक गुणवत्ता का हण्डरेड परसेन्ट पालन करते हुए हमारे प्रदेश का ही नहीं, देश का भी नाम बढ़ाने का, नाम कमाने का काम किया है। मान्यवर, गुणवत्ता और समयबद्धता के लिए यह दोनों हमारी संस्थायें जानी जाती हैं। प्रदेश में सेतुओं एवं रेलपथ मार्ग आदि के लिए कुल रुपया 262 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण अंचलों में, नदियों एवं बड़े नालों में पुल के निर्माण हेतु 175 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है और इसमें से 76 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। आयोजनेत्तर मद में सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और साथ ही सेतु निगम को अन्य वित्तीय संसाधनों से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष उसके द्वारा अतिरिक्त 34 सेतु पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। मान्यवर, मैं बजट के अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी उल्लेख करना चाहूंगा। केन्द्र से सहायता प्राप्त इस योजना के अन्तर्गत 40 जनपदों में लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2007-2008 में फेज-3 व फेज-4 के अन्तर्गत समस्त कार्य मात्र 2008 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है। मान्यवर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-2008 में फेज-3 और फेज-4 तथा फेज-5 के अन्तर्गत कुल 1121 करोड़ भी व्यय किये जाने का लक्ष्य है। मान्यवर, इसमें 1954 मार्ग कराये जा रहे हैं तथा 2118 बसावटे लाभान्वित होंगी। मान्यवर, कार्यों की गुणवत्ता का भी इसमें विशेष ध्यान रखा गया। मान्यवर, कार्यों की उच्च गुणवत्ता हमारी प्राथमिकता है। कार्यों को गुणवत्ता से सम्पादित करने के लिए समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों को सख्त निर्देश दे दिये गये हैं। इसके अलावा मान्यवर, मैं स्वयं

प्रदेश में दौरा लगा करके अपने चीफ इंजीनियर और जो दूसरे हमारे प्रदेश में टेक्निकल अधिकारी हैं, उनको ले जा करके इस प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मैंने स्वयं गुणवत्ता को चेक किया है। मान्यवर, मैंने स्वयं गुणवत्ता को चेक किया है सड़क खुदवाकर देखी है। जो मेटीरियल इस्तेमाल किया गया है उसको देखा है। उसको टेस्टिंग के लिए भेजा है और जहां पर कमी मिली है उस पर कार्यवाही की है। कहीं-कहीं तो यह नौबत आयी है कि पेमेन्ट हुआ है 32 से0मी0 थिकनेस का। उसमें जो आइटम शामिल हैं 40-90, 25-50, 22-53 के और सभी तरीके के और जो मौके पर थिकनेस मिली हैं वह 13 से0मी0 की मिली है। यह उपलब्धि है सामने बैठने वाले लोगों की (शेम शेम की आवाजें) मान्यवर, हम इसके प्रति भी गम्भीर हैं और पारदर्शी भी हैं। हम इस प्रदेश को विकास की ओर ले जायेंगे और विकासोन्मुख बनायेंगे यह निर्देश माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी का है। हम कटिबद्ध हैं हम इस प्रदेश को विकास की ओर ले जायेंगे किसने क्या-क्या किया है वह अलग बात है। भले ही विरासत में हमें कुछ भी मिला हो वह अलग बात है लेकिन हम विकास की ओर ले जायेंगे। मान्यवर, लगभग एक दर्जन से अधिक अभियन्ताओं और सम्बन्धित अधिकारियों को गुणवत्ता में कमी मिलने के कारण या भ्रष्टचार में लिप्त होने के कारण निलम्बित किया है। दूसरी ओर जो गुणवत्ता के साथ समय से काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं हमारे इंजीनियर्स हैं उनको सम्मानित करने की मंशा भी हमारी सरकार की है। हम चाहते हैं कि जो अच्छे काम करने वाले हैं वह आगे आयें वह सम्मानित हैं।

इसलिए मान्यवर, मैं सदन में माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि प्रदेश के विकास के हित में अपना पूरा योगदान हमें प्रदान करें और इन मांगों को, लोक निर्माण विभाग के बजट को ध्वनिमत से पारित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-54, अनुदान संख्या-55, अनुदान संख्या-56, अनुदान संख्या-57, अनुदान संख्या-58, के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी लोक निर्माण विभाग का बजट प्रस्तुत किया है। बहुत विस्तार से जो उनको जानकारी विभाग से मिली उसको पढ़कर सदन को सन्तुष्ट करने का भी प्रयास किया है। मान्यवर, यह सही बात है कि अभी मात्र दो महीने का मौका आपकी सरकार को मिला है। हम कोई आपकी आलोचना करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने एक बात को स्वीकारा है कि प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए अच्छी सड़कों और पुलों का होना नितान्त आवश्यक है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने बजट को पढ़ा है तमाम पिछली ऐसी योजनायें हैं जो हमारी सरकार ने चलायी थीं हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा चलायी गयी थीं और जो उनके द्वारा कार्यक्रम चलाये गये थे किसी भी योजना के लिए बजट में पैसे की व्यवस्था नहीं की गयी है। आप वरिष्ठ मंत्री हैं। आपको सुझाव दे रहा हूं कि किसी भी सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं को बीच में रोक देने से इसमें दो दिक्कतें आती हैं।

एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि जिस क्षेत्र के लिए विकास की योजना लागू की गयी उस क्षेत्र की जनता यह चाहती है कि विकास पूरा हो जाये। लेकिन जब कोई योजना बीच में रोक दी जाती है तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दो तीन साल के बाद कोई सरकार आकर फिर उस पर काम शुरू कराने का विचार करती है तो उसकी अनुमानित लागत कई गुना बढ़ जाती है जिससे वित्तीय संकट भी बढ़ता है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। अपने भाषण में तमाम चीजों का उल्लेख किया गया है कि हमने ये उपकरण खरीदे, हमने प्लांट लगवाया, तमाम ऐसी मशीने खरीदी गयी हो सकता है कि मेरी जानकारी पूरी न हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं यह जो उपकरण का लेखा-जोखा आपने सदन में दिया है क्या इसमें कुछ चीजें हमारी सरकार ने खरीदा है ? मुझे जहां तक जानकारी है यह मेरी सरकार के द्वारा खरीदे गये उपकरण है और हो सकता है आपके अधिकारी लोग यह भी बतावें कि कुछ कार्यक्रमों में हम लोग शरीक भी हुए हैं किसी न किसी बहाने। आपने सेतु निगम और निर्माण निगम की चर्चा की। यह खुशी की बात है कि यह दो निगम ऐसे हैं जो प्रदेश का गौरव खासकर सेतु निगम विदेशों में भी फैला है और निर्माण निगम के काम की जो क्वालिटी है उसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता है। जो अधिकारी हैं डिपार्टमेंट में, अच्छे अधिकारी हैं यह मैं यह भी मानता हूं लेकिन क्या पिछले 3 महीनो के अन्दर निर्माण निगम का जो टर्नओवर है या सेतु निगम का जो टर्नओवर है, उसको बताने की कृपा करेंगे। दूसरी बात, तमाम सड़कों की चर्चा की गयी यह भी होगा, वह भी होगा लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बजट की काफी चर्चा अभी हुई 6 हजार करोड़ की जहां तक मेरा ध्यान जा रहा है हो सकता है कि जानकारी कम हो, मैं आपसे जानना चाहता हूं हमारे समय में भी वर्ष 2006-07 का बजट 6000 करोड़ का था और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 5300 करोड़ की हमने स्वीकृतियां जारी कर दी थी क्योंकि फरवरी में आचार संहिता लागू हो गयी थी उसके बाद में हम स्वीकृतियां जारी नहीं कर पाये। यह भी स्पष्ट हो जाय कि जो बार-बार बजट की बात आ रही है, अच्छी बात है प्रदेश के विकास के लिए बड़ा बजट होना चाहिए। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इसमें सब जुड़ा है तो इतना बड़ा अन्तर सबकी जानकारी में होना चाहिए। एक चीज कहना चाहता हूं 2007-08 का बजट देखने से स्पष्ट हो रहा है कि अधिकांश पूर्व में स्वीकृत अपूर्ण पुलों और सड़कों को पूर्ण करने के लिए बजट में व्यवस्था नहीं की गयी है।

पुल एवं सड़कें जनहित का कार्य है एवं विकास का मुख्य स्रोत होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण सड़क के ऊपर अभी बड़ा बल दिया गया है। यह जो विभाग का लेखा जोखा होता है इससे न तो किसी को झुठलाया जा सकता है न गलत बात को सही कहा जा सकता है। मैंने पहले ही कहा कि मात्र 2 माह की आपकी सरकार है, हम लोग आपको सुझाव दे रहे हैं। चाहे ग्रामीण मार्ग हो, चाहे कोई मार्ग हो, मैं केवल इतना ही पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार में हमारे नेता ने दोनो सदनों में यहां भी और विधान परिषद् में भी पहले 5 कि0मी0 और फिर 7 कि0मी0, 5 कि0मी0 करीब-करीब सबकी पूरी हो गयी, जो 7 कि0मी0 का प्रस्ताव था हर जगह काम शुरु हो गया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है जनता को छोड़िये जनता को आप क्या देने जा रहे हैं। जो जनता को देंगे उसका हिसाब जनता करेगी लेकिन जो जनता से चुनकर जनप्रतिनिधि आये हैं

जिनका अधिकार था तमाम सदन के सम्मानित सदस्यों ने समय-समय पर उठाया था कि उनको सड़कें दी जायं। हमारे नेता ने 5 कि0मी0 पूरी करने के बाद 7 किलोमीटर सड़क दी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह योजना समाप्त करने की कगार पर खड़ी है या कर दी गयी है ? जब जन प्रतिनिधि अपनी बात को नहीं रख पायेंगा जो जनप्रतिनिधि को अधिकार मिला है तो उस अधिकार का हनन यह सरकार करती है तो हम लोग क्षेत्र में जाकर क्या जवाब देंगे ? चाहे जिस दल का विधायक हो, एम0एल0सी0 हो उसको भी सड़क मिली। मैं माननीय मंत्री जी आपसे स्पष्ट जवाब चाहता हूं कि आखिर यह 7 कि0मी0 सड़क का क्या हुआ ? देना है या नहीं देना है, सदन में बात आ जाय तो हम लोग भी अपने क्षेत्र में बता दें। तमाम ऐसे विधायक हैं जो सत्ता पक्ष में बैठे है वह भी इस बात को चाहते होगें कि क्षेत्र में विकास हो। आप मंत्री हो, आपकी कुछ सीमायें हैं आप चाहते हुये भी 200 विधायकों को उतनी सड़कें नहीं दे पाओगे, जितना देना चाहते हो। तमाम दिक्कतें आती हैं, कम से कम एक अधिकार जो हमारे श्री मुलायम सिंह यादव जी ने विधायकों को दिया, 7 कि0मी0 सड़कों का, उसकी कटौती न की जाय और मैं आपसे कहना चाहूंगा जहां तक पिछली सरकार की आपने बात कही कि जो विरासत में मिला है उसी को देख रहा हूं आप वरिष्ठ हो, हमसे बड़े हो, जो पिछली सरकार ने पी0डब्लूडी0 को विरासत में दिया है, मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, पूरे सदन को, कि अगर उसको संभाल कर रखा गया और आपके नेतृत्व में आपके अच्छे अधिकारियों द्वारा उसमें काम को सम्पन्न करा दिया गया तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उसमें 5 साल तक कोई ऊंगली उठाने वाला नहीं।

यह सौभाग्य की बात है कि आपको अच्छी चीज मिली है विरासत में। जहां तक गुणवत्ता की बात है, यह अच्छी बात है कि क्वालिटी में सुधार होना चाहिये और समय-समय पर हमारी सरकार ने भी काम किया और सख्ती से काम किया जो निर्णय हमारी सरकार ने लिया, वह कठोर निर्णय था लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लेने के बाद निर्णय वापस लेने का काम नहीं किया। जो लोग दोषी थे, उनको जेल भेजने का काम भी किया। जहां तक सेतु निगम की बात है मुझे अच्छी तरह से याद है 1973 से 2003 तक 30 वर्षों में 1389 सेतुओं हेतु 1080 करोड़ की स्वीकृतियां जारी हुयी थीं। प्रतिवर्ष 46 सेतुओं का औसत था, लेकिन हमारी सरकार ने केवल 3 वर्ष में 531 सेतुओं हेतु 2279 करोड़ की स्वीकृति जारी की अर्थात् 177 सेतु प्रतिवर्ष निर्माण का औसत रहा। सेतु निगम ने रिकार्ड कायम किया है, निर्माण निगम ने रिकार्ड कायम किया है, और आज पूरे प्रदेश के अन्दर अगर ईमानदारी से किसी से पूछा जायेगा तो यह कोई सदस्य नहीं कहेगा कि मेरे क्षेत्र में सड़के नहीं बनी हैं। कम ज्यादा हो सकती है मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि जो निर्माण निगम की गरिमा है और जो सेतु निगम की गरिमा है, उसको बचाये रखा जाय। इससे पूरे प्रदेश में और देश में एक संदेश जाता है। जहां तक वर्तमान सरकार ने पुलों के बारे में कहा, हमारी जानकारी है कि 275 करोड़ का किया गया है, यह शायद कम है। तमाम आंकड़ों के बाद पिछली सरकार द्वारा प्रस्तुत एवं पूर्व सरकार द्वारा चलाये गये कार्यों की स्वीकृति के अनुसार धनराशि निर्गत नहीं की गयी है, जिसके कारण अधूरी पड़ी सड़कों के कारण जनता को अत्यंत कठिनाई होगी। कार्य अधूरा रहने पर परियोजना की लागत बढ़ती है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, विकास सारी योजनाओं को ठप करके नहीं किया जा

सकता है। आज आपकी सरकार अम्बेडकर गांव के नाम पर विकास कर रही है, अच्छी बात है विकास करिये। किसी न किसी महापुरूष और किसी न किसी योजना के नाम से विकास होना चाहिये लेकिन विकास का यह मतलब नहीं कि समग्र गांव रोक दिये जायें, लोहिया ग्राम की सड़कें रोक दी जायें, केवल एक जगह विकास हो।

माननीय मंत्री जी विधान सभा बड़ी होती है और केवल 5 गांव के चयन से पूरे विधान सभा का विकास नही हो सकता। मैं बड़े आदरपूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपने जो बजट पढ़ा और पूरी प्रगति रिपोर्ट एक तरीके से पढ़ी गयी है उसमें तमाम हमारी सरकार की खूबियों का उल्लेख देखने को मिला, यह अच्छी बात है। कोई भी कमेटी बने, कोई भी जांच हो, उसमें विधायकों को भी सम्मिलित करना चाहिये मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी दो महीने के कार्यकाल में हो सकता है कि आपको मौका न मिला हो लेकिन आने वाले समय में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो आंकड़े हम लोगों के सामने पेश किये गये हैं, इसमें वह सच्चाई नहीं है जो होनी चाहिए। हम आपकी मजबूरी भी समझते हैं, आपने पूरी कोशिश की है कि बढ़िया बाजीगरी पेश करके आपने अच्छा बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया है लेकिन सच्चाई यह है कि बजट भाषण और वास्तविकता में जमीन आसमान का अन्तर है। मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मेरे पांच छः प्रश्नों के जवाब आप अपने उत्तर में दे करके जरूर संतुष्ट कीजिएगा। जो भी विकास की योजनाएं हमारी सरकार ने चलायी थीं उन योजनाओं पर किन कारणों से धन नहीं दिया जा रहा है। कहीं पुल बन जायेगा, कहीं बढ़िया सड़क बन जायेगी, इन चीजों पर कोई एक पार्टी के लोग ही नहीं जाते हैं। एक चीज मैं और आप से जानना चाहता हूं कि आप त्वरित विकास योजना के बारे में भी बतायें। इन तमाम सुझावों के साथ मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो सदस्य आपको सुझाव देंगे उस पर आप गम्भीर होकर विचार करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं, धन्यवाद।

*श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

माननीय अधिष्ठता महोदय आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। अधिष्ठाता महोदय, निश्चित रूप से लोक निर्माण विभाग का वर्ष 2007-2008 का यह बजट एक लोकप्रिय सरकार द्वारा जनहित में रखा गया बजट है। यह कटौती प्रस्ताव भाई अरविन्द सिंह द्वारा डा0 वकार अहमद के निर्देशन में प्रस्तुत किया गया क्योंकि हम सुन रहे थे, कई बार वकार साहब का निर्देशन चल रहा था।

श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप-

जो छात्र राजनीति से निकलकर आये हैं, वह असत्य नहीं बोलते। मेरे कार्य करने के बारे में मेरे मित्र जानते हैं कि सलाह मशविरा की हमें कम जरूरत पड़ती है। निश्चित रूप में माननीय अधिष्ठाता महोदय जो कटौती का प्रस्ताव भाई अरविन्द सिंह द्वारा रखा गया है वकार साहब के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्देशन में, तो मैं समझता था कि इतने अच्छे बजट पर एक अच्छा प्रयास जो सरकार करने जा रही है उस पर निश्चित रूप से रचनात्मक सहयोग देने का काम विपक्ष करेगा। अधिष्ठाता महोदय, अरविन्द जी मेरे ख्याल से दो माह पूर्व तक इस विभाग में मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे इन्होंने बहुत सी बातें कही है और उन्होंने आज इस सदन में स्वीकार भी किया है और मुझे खुशी है कि कम से कम इधर से उधर बैठने में कितनी जल्दी बदलाव आ जाता है। आज उन्होंने स्वीकार किया कि योजनाओं को बीच में रोक देने से जनता को बड़ी कठिनाई होती है। याद कीजिए हम लोग भी उधर बैठते थे, पूर्वांचल विकास निधि जिसकी स्वीकृति पूर्व की सरकार ने जारी किया था, सत्ता में आने के बाद तत्कालीन सरकार ने रोक दिया। हमारे यहां आधी सड़कें बनी थीं, काम रूक गया हम लोग सूचनाएं लगाते रहे लेकिन तब इस बात का कोई असर आपके ऊपर नहीं पड़ता था। मुझे इस बात की खुशी है कि दो महीने के अन्दर ही आपका नजरिया बदल गया है और आपने यह जाना है कि योजनाओं को बीच में जब रोक दिया जाता है तो जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार ने जो अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत गांवों में सड़क बनाने और सुधार करने की योजना बनायी है, निश्चित रूप से आने वाले समय में यह योजना पूरे प्रदेश में अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत सड़कें बनने जा रही हैं उस पर किसी जाति, धर्म विशेष के लोग नहीं चलेंगें। यह तो योजना का नाम है, इस योजना के अन्तर्गत उस गांव में सड़क बन जायेगी, उस पर चलने वाले सभी वर्ग और धर्म के लोग होंगें। हमारी सरकार निश्चित रूप से डा0 अम्बेडकर को मानने वाली सरकार है। पिछली सरकार ने जब अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना को बंद करके समग्र ग्राम्य विकास योजना चलायी गयी थी तो तब यह सोचा जाना चाहिए था कि यह परिपाटी तो आपके द्वारा ही डाली गयी थी। हम अम्बेडकर के मानने वालों को जनता ने सत्ता में बैठने का मौका दिया है तो निश्चित रूप से अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के गांवों को विकास की ओर ले जाने का काम करेंगें। भाई अरविन्द सिंह जी ने एक-आधी बातें और कही हैं कि हमारी सरकार ने रिकार्ड कायम किया, हम इस बात से इन्कार नहीं करते। निश्चित रूप से रिकार्ड कायम किया गया था, उसी रिकार्ड का नतीजा है कि आप उस तरफ बैठे हैं और हम इस तरह बैठे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार को 2 माह भी पूरे नहीं हुये हैं। मैं भाई अरविन्द सिंह से और पूरे सदन से इस बात का अनुरोध करूंगा कि हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है, इस प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के बजट में पूरे प्रदेश में, सड़कों का जाल बनाने का तथा खराब पड़ी सड़कों के सुदृढ़ीकरण करने का। आपको रचनात्मक सहयोग देना चाहिए और उस सहयोग की भावना के तहत आपको कम से कम एक वर्ष का समय इस सरकार को निश्चित रूप से देना चाहिए, लोक निर्माण विभाग को देना चाहिए। आप देखेंगें कि आपको कितना बदलाव पूरे तौर से इस बात का प्रयास करने पर लगी है कि प्रदेश की टूटी हुई सड़कों को निश्चित रूप से अच्छी सड़क बनाकर एक अच्छा और उत्तम प्रदेश बनाने का सपना बहिन मायावती जी ने देखा है उसको निश्चित रूप से पूरा करने का काम करेंगें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई अरविन्द सिंह जी को यह भरोसा दिलाता हूं कि गुणवत्ता का जो रिकार्ड बनाया था, हम केवल उसका ही नहीं, हम गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों को ध्यान में रखकर ऐसी सड़क निर्माण करके देंगें जिस पर कभी किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अधिष्ठाता जी, मा0 अरविन्द सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी का बजट भाषण मैं सुन रहा था। वह शुरूआत वहां से करते हैं जब आपने यह कहा कि विरासत में जो मिला है निश्चित तौर पर पीछे पलटकर देखने की आवश्यकता है कि वर्ष 2002-2003 में पी0डब्लू0डी0 डिपार्टमेण्ट का बजट कितना था और जिस वक्त आपको विरासत में यह सत्ता मिली है उस समय पी0डब्लू0डी0 का बजट कितना पहुंच गया था। वर्ष 2002-2003 के बजट भाषण में नेता सदन ने इस बात को कहा था पहले पृष्ठ पर कि आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है जर्जर है। प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है लेकिन आज सत्ता आपको मिली है इसे स्वीकार भी करना चाहिए कि आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम हमारी सरकार ने श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में करने का कार्य किया है। आज ही सबेरे के वक्त अधिष्ठाता जी आप यहां से खड़े होकर एक सवाल उठा रहे थे आपने यह कहा कि इसके पहले पांच कि0मी0 और सात कि0मी0 सभी दल के विधायकों को सड़कें दी गयी थीं और अपनी मांग रखते हुए यह कहा क्या यह मान लिया जाय कि वर्तमान सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वह सड़कें देने में समर्थ हो या सड़कें देने का मन नहीं है यह बात स्पष्ट होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

वह राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा था यहां पर जो बैठे हैं वह अधिष्ठाता बैठे हैं।

डा0 पी0 के0 राय-

आप पूर्वांचल से हैं। कटौती में आपका भी नाम है। मेरे मित्र हैं मैं तो जब आप यहां राधा मोहन दास थे उस समय की बात कर रहा हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ओ0 पी0 सिंह जी ने सही कहा कि अभी सरकार को दो महीने पूरे नहीं हुए हैं तभी अधूरे कार्यों को पूरा करने की बात श्री अरविन्द सिंह जी द्वारा कही गयी तो आपने यह स्मरण दिलाने की कोशिश की कि हम वही कर रहे हैं जो आप लोगों ने किया इसका मतलब यह है कि यह सिलसिला जारी रहेगा इसका यही संकेत मिलता है कि सरकार किसी की हो यह सतत प्रक्रिया है। अधिष्ठाता जी "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" के नारे को वास्तव में अगर चरितार्थ करना है तो सड़क और सेतु की व्यवस्था ऐसी है जिस पर हर किसान गुजरता है चाहे वह किसी जाति का हो, धर्म का हो या वर्ग का हो, दल का हो वह सबकी सुविधा के लिए है। इसलिए जो भी कार्य प्रारम्भ किये गये हैं अगर उनकी गुणवत्ता गड़बड़ है तो गुणवत्ता का परीक्षण करते हुए उन अधूरे सेतुओं को और अधूरी सड़कों को पूरा कराने का पहले प्रयास होना चाहिए। जिससे सन्देश जाय अगर हमने आपके कथनानुसार आपके साथ भेद भाव किया था तो जनता ने जनादेश आपको दिया है आपके हाथों में सत्ता सौंपी है आप कम से कम उन चीजों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। पूर्वांचल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। बीमारियों का शिकार भी है और गरीबी का भी शिकार है। विकास से बहुत दूर है। पश्चिमी क्षेत्र के लोग पूरब के लोगों को हीन भावना से देखते हैं। पिछड़ेपन की वजह से पूर्वांचल विकास निधि की जो धनराशि विगत वर्ष में आवंटित की गयी थी उस धनराशि से इस बार का आवंटन निश्चित तौर पर कम है। जो 395 करोड़ रुपये हैं विगत वर्ष में यह धनराशि इससे ज्यादा थी हमें यह उम्मीद थी कि अगर आपने बजट में 24 फीसदी का इजाफा किया है जो बजट भाषण में आया है तो पूर्वांचल के पिछड़े इलाके को इसका एक हिस्सा मिलना चाहिए था। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जब आप अपना जवाब दें तो इन बातों का समावेश करते हुए दें। मैं उस इलाके से आता हूं जो बिहार सीमावर्ती इलाका है, बिहार से लगा हुआ इलाका है और एक नदी से विभाजित है। मैं पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया माननीय मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस नदी से यह इलाका विभाजित है, उस पर आवागमन के लिए बांसी नदी पर एक पुल बनकर तैयार हो गया और दो पुल बन रहे है। लेकिन अगर इस सरकार का ऐसा ही रुख रहा तो इस बात की निश्चित तौर पर आशंका है कि वह पुल पूरे हो पायेंगे कि नहीं हो पायेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जो पुल अधूरे हैं, जहां पर दो तीन पाए बन कर खड़े हो चुके हैं उन पुलों को जनहित में पूरा कराने का आदेश देंगें। अन्त में मैं माननीय अरविन्द जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री महिपाल सिंह-

आदरणीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग का बजट जो माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं और पहली बार सदन में बोल रहा हूं क्षमा चाहूंगा। मान्यवर, हमारी नेता बहिन कुमारी मायावती जी ने वर्ष 2007-2008 का जो बजट रखा है आज उसी के क्रम में माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री जी ने यह बजट प्रस्तुत किया है। मान्यवर, अगर किसी प्रदेश का वास्तव में विकास कराना है तो सबसे पहले उस प्रदेश में रास्ते सही हों, उनका संचालन सही हो तब ही ग्रामीण क्षेत्र का किसान भी जो खेत खलिहान में अपनी फसल उगायेगा और मण्डी की ओर जायेगा तो उसको उसकी फसल का सही दाम मिल पायेगा। अगर रास्ते खराब होंगे तो किसान को या ग्रामीण क्षेत्र से मण्डी जाने वालों के रास्ते में अवरोध उत्पन्न होगा। मान्यवर, यह लोक निर्माण विभाग का जो बजट रखा गया है उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर ग्राम में सड़कों के निर्माण का जो प्रस्ताव आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इसी के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी ने जो सड़कों की गुणवत्ता की तरफ इशारा किया है वह प्रशंसनीय है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जिस तरह से गुणवत्ता को खराब करने का काम किया है आज उसी का परिणाम गड्ढायुक्त सड़कें सामने देखने को मिल रही है। माननीय मंत्री जी ने गुणवत्ता बनाये रखने के लिए जगह-जगह पर अधिकारियों द्वारा सड़कों की चेकिंग करायी है जिससे आने वाले समय में निश्चित तौर से गुणवत्ता के आधार पर सड़कों के निर्माण का कार्य होगा। सड़कों के निर्माण में जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ठेकेदारी प्रथा चली आ रही है, उसको भी समाप्त करने का निर्णय लिया है ताकि माफिया सड़क से हट जायं और सड़कें गुणवत्ता के आधार पर बनें। इसी क्रम में मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र नकुण में हरियाणा को जखनौती से दौलतपुर से करनाल को जोड़ने वाला पुल अपने विधान सभा की तरफ से रखना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कि अगर इसको भी बजट का थोड़ा सा हिस्सा देकर यमुना ब्रिज को बनवाने का अगर थोड़ी मेरी तरफ मेहरबानी हो जायें मैं इस सदन के माध्यम से उन्हें फिर से उनको धन्यवाद देते हुए इसका समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

जो माननीय सदस्य इस विषय पर अपने विचार रखना चाहते हैं, वे अपना नाम लिखकर दे दें।

श्री सनातन-

मान्यवर, माननीय अरविन्द कुमार सिंह गोप जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं नये सदस्य के रूप में आया हूं। मान्यवर, चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हुए सदस्य हों या विपक्ष में बैठे सदस्य हों सबकी भावनाएं एक जैसी ही होती है। माननीय अधिष्ठाता जी, जब हमारे माननीय सदस्य अरविन्द जी कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे थे उनकी कमियों को उजागर करने के लिए सत्ता पक्ष में बैठे मित्र ने कुछ कहने का काम किया। अपनी तकलीफ से अवगत कराने का काम किया। जब आपकी सरकार आयी तो उस जमाने में जो हमारी योजनायें चालू थीं उनको बन्द करने का काम किया। यह गलत परिपाटी डालने का काम किया जा रहा है सत्तापक्ष द्वारा ऐसा किया जा रहा है। अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इससे मर्माहत विपक्ष में बैठे समाजवादी पार्टी के लोग ही नहीं होंगे सारे दलों के विपक्ष में बैठे लोग होंगे। विपक्ष द्वारा अगर बनायी हुई सड़क होगी तो उस पर समाजवादी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग क्या नहीं चलेंगे ? उस क्षेत्र में आपके लोग भी चलेंगे, जो सड़कें बनायी जाती हैं उस पर बहुजन समाजपार्टी के लोग भी चलेंगे। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं जो आपके द्वारा मांगें रखी गयी हैं उसका निश्चित रूप से स्वागत करते हुए उस क्षेत्र में आपके लोग भी रहते हैं आपके भी लोग चलने का काम करेंगे। नया सदस्य हूं तमाम साहित्य मिला हुआ है जो आपका परफार्मेन्स बजट 2007-2008 मिला है उसके पेज नम्बर 4 पर देखें आपके माध्यम से पी0डब्लू0डी0 के मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं आपने राष्ट्रीय मार्ग में 31-3-2002 तक 4,860 कि0मी0 सड़क को बनाना बताया है। आपने 2003 में 4,931 कि0मी0 सड़क का बनाया बताया है। 31-3-2004 में 4,931 पहले जैसा बताया गया है। 31-3-2005 में 5,576 कि0मी0 राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण कराना बताया गया है और 31-3-2006 में, अगर 31-3-2005 में 5,576 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराया गया है तो 31-3-2006 में यह सड़क घटकर 5,570 कैसे हो गयी यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

राष्ट्रीय मार्ग सड़क जो बढ़ रही थी वह घट कैसे गयी 6.27 कि0मी0, क्या हमारे प्रदेश की सीमायें कम हो गयी। दूसरे प्रदेश के हिस्से में बाकी हिस्सा चला गया। यह आपके द्वारा, आपके अधिकारी द्वारा बनाया हुआ पन्ना है। अगर आपने राज्य मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग में परिवर्तित करने का

काम किया है तो 9098 कि0मी0 का आंकड़ा 31-3-2002 का है। 31-3-2003 में आपने 76 कि0मी0 जोड़ दिया राज्य मार्ग में। मैं मान लेता हूं कि 76 कि0मी0 राज्य मार्ग मैं दे दिया। 9,022 हो गया। फिर 31-3-2004 में यह 9097 कि0मी0 हो गया। फिर 2005 में 8,888 बता रहे हैं यह घट गया। उसके बाद बता रहे हैं 336 कि0मी0 लम्बाई घट गयी 2006 में बता रहे हैं यह और घट गयी 8,551 हो गयी मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य मार्ग क्या जिला मार्ग में कन्वर्ट किया गया कि लम्बाई घट गयी। अगर राज्य मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग में परिवर्तित किया गया है चाहे जिसकी सरकार रही हो अगर 336 कि0मी0 घटाने का काम किया है अगर निश्चित रूप से राष्ट्रीय मार्ग में जोड़ने का काम किये होते तो इसकी संख्या 5900 कि0मी0 हो गयी होती। अगर प्रमुख जिला मार्ग का कोई शासनादेश था कि राज्य मार्ग को प्रमुख जिला मार्ग कर देंगे तो 7,345 न हो करके यह 7,381 कि0मी0 हुई होती। यह आंकड़ा क्या है अगर इसी आंकड़े के बल पर, आपके बताये अधिकारियों के बल पर बजट बनाया गया है तो मैं निश्चित रूप से बजट की निन्दा करता हूं। सम्मानित सदन को आंकड़े दिये हैं यह निश्चित रूप से दर्शा रहे हैं कि आप कुछ जनहित में करना नहीं चाहते हैं। कोई विचार ही नहीं है। न समतामूलक समाज स्थापित करने की बात है, न समाज में समरसता स्थापित करने की बात है न समाज को जोड़ने की बात है न प्रदेश के विकास की तरफ आपका ध्यान है। आप आंकड़े के बल पर जो गलत आंकड़े दिये हैं उनके बल पर बजट लाने का काम किया है। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं आप इस पर विचार करने का काम करें। विपक्ष की भावनाओं का आदर करते हुए अपने समाज से जुड़े हुए लोगों की मांग है उसके अनुसार काम करेंगे। धन्यवाद।

श्री भीमराव अम्बेडकर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत लोक निर्माण विभाग के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ हुआ हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं इटावा जनपद की लखना विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। हमारे जनपद की यहां सदन में भी काफी चर्चा होती है और पूर्व की सरकार के मुखिया भी हमारे जनपद के ही हैं, इसलिए यहां से जो भी पैसा पास होकर गया है, उसमें से बड़ा हिस्सा और बड़ा हिस्सा ही क्या, यहां तक कहा गया कि 71 करोड़ में 69 करोड़ मात्र एक महाविद्यालय को गया। इसी तरह से लगभग 90 प्रतिशत पैसा जो इटावा जनपद में जाता है वह मात्र एक विधान सभा क्षेत्र जसवंत नगर और विधान सभा क्षेत्र ही न कहें आप मात्र एक गांव सैफई के आसपास की जो सड़कें हैं, वह एक बार नहीं कम से कम 20-20 बार बनायी गयी हैं। मैं मा0 मंत्री जी और अधिष्ठाता महोदय के संज्ञान में इसलिए भी लाना चाहता हूं कि ऐसी सड़कें भी हमारे जनपद में हैं जो बनी ही नहीं हैं और उनका पेमेन्ट हुआ है। एक सड़क का मैं जिक्र करना चाहता हूं। मैं लगभग 15 साल से अपने क्षेत्र में अपने जनपद में घूमता हूं और हमारे एक सदस्य यहां बैठे हैं वह इटावा सदर सीट से आते हैं, उनके गांव के पास इकनौर से दलीप नगर की जो सड़क है, उस सड़क से मैं 15 वर्ष से निकल रहा हूं, वह डामरीकृत सड़क है, लेकिन आज तक उस पर डामर दिखी नहीं है, ऐसी सड़कें हमारे जनपद में, हमारे विधान सभा क्षेत्र में बनी हुई हैं। यह पूर्व के कुछ दोस्त उधर बैठे हैं, कुछ इधर बैठे हैं।

मैं नया सदस्य हूं, बार-बार सुनता हूं, उधर के लोग ज्यादातर सलाह देते हैं, अच्छी बात है, यदि यह सलाह खुद मान लेते तो यह कहते कि हम उधर बैठे होते। चलो ठीक है, आपने सलाह नहीं मानी और आप उधर बैठ गये और आप हमें सलाह बता रहे हैं कि उधर बने रहें लेकिन एक बात जरूर कहूंगा अधिष्ठाता महोदय, इटावा जनपद में जितनी सड़कें बनी हैं जो यहां बैठते थे, वह भी ठेकेदार हैं, मंत्री जी ने कहा कि हम माफियागिरी से अलग करेंगे। यहां आगे की सीटें खाली हैं, मैं सोचता था कि पूरे बजट में लोक निर्माण विभाग का बजट बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पूरे प्रदेश का ही नहीं पुरे देश के किसी भी हिस्से के लोग कहीं से निकलते हैं तो सड़क से ही निकलते हैं और उसी से अन्दाजा लगता है कि यहां की स्थिति क्या है। मान्यवर, आगे की सीटें खाली हैं, मा0 अरविन्द गोप जी जब चुनाव लड़ रहे थे, तब मैं वहां गया था, आज उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है। मान्यवर, उधर से कटौती प्रस्ताव रखने के लिए आजम खां साहब नहीं हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं, मा0 चौधरी साहब भी नहीं हैं, शायद इसीलिए नहीं हैं क्योंकि आपने इतना अच्छा बजट लोक निर्माण विभाग का प्रस्तुत किया है इसलिए ये लोग पहले से ही सीटें खाली करके चले गये हैं। मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि इटावा जनपद का जो 80-90 प्रतिशत पैसा वहां गया है, उसकी आप जांच जरूर करायेंगे, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी कहा जा रहा था कि "मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, मान्यवर, एक रुपया क्या, जो वहां पहले गया है, उसका एक-एक रुपया वसूला जाय, जो लाखों-करोड़ों रुपये खाया गया है, उसका भी हिसाब होना चाहिए। अभी मा0 प्रमोद तिवारी जी जो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होने बहुत मोटी किताब में एक चीज ढूंढ ली, वे खाना खा रहे थे, नहीं तो मैं उनसे पूछता कि इतनी मोटी किताब से एक चीज कैसे ढूंढ ली कि कितना घोटाला हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। मैं भी माननीय मंत्री जी से, अधिष्ठाता महोदय से अनुरोध करूंगा, मैं लोक निर्माण विभाग के बजट पर शत-प्रतिशत बल देता हूं लेकिन यह अनुरोध जरूर करता हूं, हमारे यहां चम्बल नदी पर पुल बना है, अभी कहते थे कि बहुत जल्दी पुल बनाते हैं, 20 साल में सहसों का पुल, जो 20 साल पहले स्वीकृत हुआ था, अभी बना है और उसकी जो हिच है, जहां से पुल को जोड़ते हैं, वह तीन बार टूट चुकी है, यह पुरानी सरकार का इस तरह का कार्य रहा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं इस बजट का भरपूर समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री ईश्वरचन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे पूर्व मंत्री श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप साहब बोल रहे थे कि हमने बहुत सारे पुल बनाये, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि राजाज्ञा संख्या-1865/33-5-99(8)77, दिनांक 22-06-99 को उसका सोहांस मोहाना मार्ग के किमी0 3 में करपुलिया घाट पर पायल ब्रिज बनने के लिये रुपया 1 करोड़ 26 लाख 61 हजार की स्वीकृति दी गई थी और उसमें 72 मीटर का पक्का आर0सी0सी0 पुल बनना था। परन्तु इनकी सरकार ने अपनी राजाज्ञा संख्या 3318/23-14/63सी 15-12-2006 को निरस्त कर दिया था। यह कहां कहते हैं कि हम बहुत अच्छा पुल बनाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार के इस बजट में इस पुल का समावेश अवश्य ही होना चाहिए था। क्योंकि इस पर 45 लाख रुपया अवमुक्त कर दिया गया था और

सपा सरकार ने उस 45 लाख रुपये को वापस मंगा लिया है। इसलिए इसमें उस पुल का निश्चित रूप से समावेश होना चाहिए। मान्यवर, अभी मैंने विधान सभा में अतारांकित प्रश्न भी उठाया था जो तेतरी बाजार से महदेवा बाजार को सड़क जाती है उसके बीच में पिठनी घाट पर एक पायल ब्रिज जो 1977-80 के बीच में बना हुआ था, टूट गया है परन्तु उसमें जवाब आया कि वह पुल बनवाकर चालू हालत में कर दिया गया है। लेकिन वह पुल टूटा हुआ है और उससे आवागमन ठप्प है और उस पुल का भी समावेश इस बजट में होना चाहिए क्योंकि वहां से इसका पूरा इस्टीमेट बनकर आया था और माननीय मंत्री जी से भी मैंने व्यक्तिगत निवेदन किया था तो इन्होंने कहा था कि मैं इसको दिखवा लूंगा।

मान्यवर, हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग है जो राज्य मार्ग है। पिछली बार इस सड़क पर भारत सरकार ने पैसा दिया था और यह बन रहा था लेकिन पिछली बार लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव जी सिद्धार्थनगर जनपद में गये और कई जगह सड़कों को चेक किया और वहां पर कार्यरत एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और सहायक इंजीनियर का अन्य स्टाफ को सस्पेंड कर दिया। आज तक सिद्धार्थनगर में न एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है और न सहायक इंजीनियर है और न उचित संख्या में अन्य स्टाफ है। इसी प्रकार लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग के और किमी0 11-24 तक में आज भी 2-2 फिट का गड्ढा है। लुम्बिनी और कपिलवस्तु जाने के लिये आज भी रास्ते अवरुद्ध हैं। पैदल चलना मुश्किल है। मान्यवर, सपा के लोग कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी-अच्छी सड़के बनाई, मान्यवर, उसका पैसा हमारे जिले पर पड़ा हुआ है लेकिन आज तक यह सड़क नहीं बनी और न उसमें किसी प्रकार की कार्यवाही हुई। मान्यवर, सिद्धार्थनगर पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है जहां कपिलवस्तु, भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन की राजधानी थी जहां आज भी विदेशी आते हैं, वहां की सड़कें और पुल इतने खराब हो यह बात अच्छी नहीं हैं मान्यवर, उसी लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग के 47वें किमी0 पर बूढ़ी राप्ती पर ककरही का पुल है जिसका बीच का पावा टूट गया था वहां 6 जून तक पायल ब्रिज से काम चलाया जा रहा था, यह पायल ब्रिज भी टूट गया है। हमारे माननीय मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पिछले दिन नियम 56 में आश्वासन दिया था कि मैं इसको चालू रखने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आज वहां पर प्राइवेट नावें लगी हैं जिस पर 20 से 40 रुपये तक की मल्लाही ली जा रही है। मैं चाहूंगा कि जब तक वह पुल तैयार नहीं हो जाता तब तक उस पर निःशुल्क यात्रियों के उतरने की बात की जानी चाहिए। मान्यवर, इसी प्रकार जनपद की बांसी से डुमरियागंज की सड़क जो 30 किमी0 है सबसे खराब सड़क है, आज भी वह सड़क चलने की स्थिति में नहीं है। जबकि हमारे जिले में 4-4 मंत्री हुआ करते थे-श्री कमाल यूसुफ साहब, श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी, जो इसी कुर्सी पर बैठा करते थे, श्री दिनेश सिंह जी मंत्री थे। लेकिन बांसी से डुमरियागंज की सड़क और इटवा से बांसी की सड़कों की जो हालत समाजवादी पार्टी की सरकार में थी उतनी दुर्दशा शायद प्रदेश की किसी सड़क की नहीं होगी। उन सड़कों का भी जिक्र इस बजट में आना चाहिए था। मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन सड़कों का भी इस बजट में समावेश किया जाना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री राजेश कुमार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, अभी श्री गोप समग्र गांव की चर्चा कर रहे थे कि हमने समग्र गांव दिया है और इसका विकास नहीं हो रहा है। मान्यवर, यहां पर जो दस-दस समग्र गांव दिये गये थे, पूर्व की सरकार ने राजस्व ग्राम दिये थे, और एक-एक ग्राम सभाओं में पांच-पांच राजस्व गांव थे। तो इसमें एक गांव का चयन हो पाता था और चार लोग उससे वंचित हो जाते थे। लोग यह कहते थे कि आपने एक गांव तो ले लिया है लेकिन हमको वंचित कर दिया है। लेकिन आज जो ग्राम सभाओं को अम्बेडकर ग्राम सभाओं द्वारा लिया गया है, यह पांच-पांच ग्राम पंचायतें हैं, एक-एक ग्राम सभा में बीस-बीस गांव हैं, मेरे विधान सभा में तीस पैतीस गांव ऐसे है ग्राम सभा में, जहां अम्बेडकर ग्राम सभा योजनाएं चलायी जा रही हैं, निश्चित ही पूरे गांव सभा को सभी लोगों को इसमें लाभ होगा और पूरा विकास कार्य होगा। लेकिन मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि समग्र गांव के तहत एक भी गांव का कही भी विकास नहीं हुआ है। आपने तो दस-दस गांव मा0 विधान सभा सदस्य को, विधान परिषद् के सदस्य को, दो माननीय ब्लाक प्रमुखों को, एक-एक जिला पंचायतों के सदस्यों को, आपने समग्र गांव चयनित करने का अधिकार दिया है लेकिन जहां तक इन्दिरा आवास का सवाल है, आपने बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है, तो आपको इन्दिरा आवास कहां से मिलेंगे। जो भी केन्द्र सरकार द्वारा इन्दिरा आवास का आवंटन हुआ था उसी में जिला पंचायत की मीटिंग में कहीं-कहीं हमारे उत्तर प्रदेश के जनपदों में, कहीं-कहीं पर ब्लाक प्रमुखों को दो-दो समग्र गांव में इन्दिरा आवास का आवंटन हुआ है, कहीं-कहीं नहीं हो पाया है। वहां की जनता इससे उपेक्षित रह गयी। इसी तरह से इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प के विकास के लिए आपने एक सौ पचास हैण्ड पम्पों की घोषणा, ब्लाक प्रमुखों के लिए कर दी कि हम देगे और 10 जिला पंचायत सदस्यों को देंगे लेकिन आपने इस हेतु कोई भी बजट में प्राविधान नहीं किया।

कहीं भी एक ब्लाक प्रमुखों का हैण्ड पम्प नहीं लगा। जब जानकारी की तो अधिकारियों ने बताया कि सारा पैसा सैफई चला गया है, एक भी इण्डिया मार्का न तो ब्लाक प्रमुखों को मिला और न ही जिला पंचायत सदस्यों को मिला। जहां तक सात किलोमीटर रोड की बात कही गयी तो इसके लिए कितना आपने बजट में प्राविधान किया ? शायद बीस या पच्चीस प्रतिशत और कुल पचास प्रतिशत पैसा आपने रिलीज किया। मेरे जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो सात किलोमीटर रोड दी थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने मैंने प्रस्ताव किया था बांकेगंज से रेलवे लाइन रमतरिया तक, आज भी उसका काम नहीं शुरू हुआ है, आपने पैसा रुकवाने का काम किया है। अगर हमदर्दी थी तो शत प्रतिशत पैसा उस समग्र गांव के लिए, रोडों के लिए देना चाहिए था लेकिन आपके नियत में खोट थी आपने पूरा पैसा नहीं दिया जिससे विकास नहीं हुआ। आज जो भी ग्राम सभाएं, पांच-पांच अम्बेडकर ग्राम सभाएं ली जा रही है उससे सारा विकास होगा। रोड से लेकर बिजली तक सारी चीजों का विकास होगा। गुणवत्ता की बात कही गयी, इसी सदन में बैठते थें,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमने बीसियों मर्तबा प्रश्न लगाया, नियम-56 में दिया। मान्यवर, यही सदन था, वहां से कभी बोलने नहीं दिया गया, अपनी आवाज उठाने तक नहीं दी गई कि यहां पर हम अपनी बात कह लें मान्यवर। गुणवत्ता की बात देख लीजिये, जो भी सड़कें बनीं वहां पर, आज गुणवत्ता जांच करा ली जाय, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी मिले हुए थे। टेकेदार एक ही तपके के लोग थे, माफिया थे, समाजवादी पार्टी से सम्बन्धित थे मान्यवर, इसलिए विकास गुणवत्ता उनकी बहुत ज्यादा खराब थी। इसी के साथ हम माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को बल देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं, आपने कटौती के प्रस्ताव पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, एक समय था, बड़ी पुरानी बात है माननीय मंत्री जी जब हम लोग भी इस सदन में आया करते थे 1974 की बात मान लीजिए और जब भी किसी निर्माण कार्य के भ्रष्टाचार की जांच की बात आती थी तो हम लोग यही कहते थे माननीय अध्यक्ष जी, कृपया इसकी जांच पी0डब्ल्यू0डी0 से करवा लीजिए। यह आपकी विश्वनीयता थी। सारे निर्माण कार्य की भ्रष्टाचार की जांच हम चाहे पक्ष में हों, चाहे विपक्ष में हों, पी0डब्ल्यू0डी0 से ही जांच कराने की मांग करते थे यह आपकी विश्वनीयता थी। उस विश्वसनीयता का क्षरण हुआ है। बड़ा लोक लुभावना आपका बजट है, इधर भी ध्यान दीजिएगा। कम समय है, कोई आलोचना का बात तो मैं करता नहीं, मैं कुछ अपने क्षेत्र से सम्बन्धित, कुछ कामों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, गोरखपुर से नेपाल जाने का सबसे सीधा रास्ता, सबसे सीधी सड़क, सबसे कम दूरी की सड़क गोरखपुर-पिपराईच, पतरौल-पुराना होती हुई छोटीराई तक जाती है। यह सबसे जर्जर सड़क है मान्यवर, और कुछ काम हमारी सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम पर या जैसे भी हो लेकिन यह सड़क जब तक बड़े पैमाने पर विस्तृत सड़क नहीं बनेगी तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा और इस सड़क की इम्पारटेन्स मान्यवर, इसलिए भी बढ़ गई है कि नेपाल इस समय मित्र देश नहीं रह गया है, अशान्ति आपने नक्शलवादी इलाकों की ओर कुछ विशेष पैकेज देने की बात कही, नक्शलवादी इलाके से ज्यादा खतरे की स्थिति हमारे यहां महाराजगंज में आई है। माओवादी धीरे-धीरे महाराजगंज तक पहुंच रहे हैं और अब वह गोरखपुर की तरफ देख रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, आपको इसकी पूरी जानकारी है, इसलिए मेरी मांग है कि इस सड़क को प्राथमिकता के आधार पर, यह अन्तर्राष्ट्रीय सड़क इस अन्तर्राष्ट्रीय सड़क को प्राथमिकता के आधार पर अगर बजट में आपने इसे मेन्सन नहीं किया है तो इसे जरूर मेन्सन करेंगें यह मेरा आपसे अनुरोध है। दूसरी एक सड़क चिरपरिचित है मान्यवर, सरकारें आई, सरकारें चली गई, बौद्ध परिपथ का नाम हम लोग रटते रहे। कहीं दो किलोमीटर बना, कहीं चार किलामीटर बना, आये दिन अखबारों में आता है कि उसका यूं परिवर्तन होगा, कहीं यूं परिवर्तन होगा, तो हमारे जनपद में सोनरिया, झंझनपुर सनोरिया, शिकारपुर, घुघली, कप्तानगंज होती हुई जो कुशीनगर सड़क जाती है, पहले तो आप यह सुनिश्चित करें कि इस मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा और निश्चित रूप से आप आश्वासन दें, मुझे आप ही के द्वारा पता चला है कि कुछ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जापानी फण्ड भी आया है। जो बौद्ध देश है वह भी पैसा लगा रहे है तो बड़ी कृपा आपकी होगी कि सरकार की कृपा हम तो मानते हैं होगी अगर इस सड़क को एकदम कुशीनगर तक पूरा कराने का काम करें।

मान्यवर, महाराजगंज नया जनपद है दूरस्थ इलाके उससे जुड़े हुए नहीं है अगर भर्तृहरि से मंगलपुर होते हुए महराजगंज 35 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर बन चुका है इसको जोड़ देंगें तो नये जिले का औचित्य अपने आप में ठीक हो जायेगा। गोरखपुर से महाराजगंज की सड़क बन रही है 15 करोड़ रुपये की लागत से। मान्यवर, उस पर बड़ी वित्तीय अनियमितता हैं मैंने प्रश्न भी किया था और मैंने उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की थी और उसका जवाब भी आपने दिया है। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर से जांच आख्या प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा। मैंनें मांग की थी कि विशेष तकनीकी जांच दल का गठन किया जाय। मान्यवर, हम मुख्य अभियन्ता पर अविश्वास तो नहीं करते, हम उन्हें संदेह के घेरे में तो नहीं लाते लेकिन मान्यवर, उन्हीं के विभाग के लोग, उन्हीं के अधीनस्थ लोगों की जांच वह कैसे करेंगें, जिस पारदर्शिता की बात आप और आपकी सरकार कर रही है, वह इससे दूर जा रहा है। मान्यवर, मैं टेक्निकल आदमी तो नहीं हूं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, टेक्निकल नहीं हूं, लेकिन मेरा स्पष्ट आरोप है आपके सदन में, कि 40 प्रतिशत का गबन इस सड़क में हुआ है। मान्यवर, सरकार किसी की हो भ्रष्टाचारी अपना काम करते रहते हैं। इसकी जांच होनी चाहिये। आप एक स्पेशल आडिट सेल नियुक्त कर दें इसके लिये। तो निश्चित रुप से बड़े से बड़े लोग कानून की नजर में जेलों में चले जायेंगें। मान्यवर, इसी प्रकार छोटी गंडक पर चार पुलों का सर्वेक्षण कार्य हुआ था ब्रिज कारपोरेशन के माध्यम से। जिसमें बेलवा का बन गया है, कप्तानगंज, राम जानकी का बन गया है, पनियारा में बाराछत्र घाट में तीन करोड़ की लागत का पुल बन रहा है। मान्यवर, इसमें टेढ़वा-काशी-छपरा रह गया है अगर यह बन जाता है तो फिर अन्तर्प्रान्तीय रास्ता ठीक हो जायेगा। बस्ती-पटना तक का रास्ता हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैंने श्री अजय यादव को बुला लिया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। मान्यवर, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो अपने वोटरों से कुछ कहते हैं। उनकी मांगें होती हैं और उसकी हम लोग पैरवी करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे गांव में कुछ कार्य विभाग का हो गया तो हमें अधिकारियों से उसका पता तक नहीं चलता। मान्यवर, इसीलिये जब तक आप जनप्रतिनिधियों की भागीदारी उनकी साझेदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक विकास के कार्य पूरे नहीं हो पायेंगे। विकास की छाप नहीं पड़ पायेगी। हम ठेकेदार बन कर काम कराये यह हम नहीं चाहते है लेकिन हमको जानकारी होनी चाहिये और कार्यो के सम्बन्ध में हमारे सुझाव होने चाहिये। मान्यवर, क्षेत्र की वास्तविकता क्या है जरुरत क्या है यह हम ज्यादा जानते हैं अधिकारीगण कम जानते हैं। ठेकेदार लोग जो हैं और यह जो सफेदपोश लोग हैं, ठेकेदारी को चलने नहीं देते हैं। मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह तय कर दिया है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी ठेकेदार नहीं होगा। उनकी कुछ अच्छी बातों को

आप भी मान्यवर सीखिये। मान्यवर, इसी तरह से हमारे यहां जो कैम्पियरगंज-पनियारा-परतावल-कप्तानगंज और बिहार का बार्डर सेवरही पड़ता है इस सड़क पर आप काम करा दें यह अन्तर्प्रान्तीय सड़क हो जायेगी और जनता को बहुत सुविधा होगी। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अजय यादव-

मान्यवर, मैं माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, पिछले दिनों माननीया बहन मायावती जी ने जो वार्षिक बजट यहां पर रखा है उस बजट से मैं समझता हूं कि सदन में चाहे कुछ भी हो, उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया स्वरूप विपक्ष के माननीय सदस्य उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन हमें देखने को मिला है कि चाहे हम शहर में निकले हों, चूंकि हम नये सदस्य है इसलिए बहुत घूमना फिरना होता है, और होटलों में और पान की दुकान पर जाते हैं तो इस बजट की हर जगह तारीफ होती मिली है। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, विपक्षी माननीय सदस्यों की प्रक्रिया से हमें यह देखने को मिला है और जब तब देखा है कि थोड़ी-थोड़ी सी बात पर उत्तेजित हो जाते हैं। और अगर अध्यक्ष पीठ से उन्हें बोलने के लिये मना किया जाता है तो यह सदन के वेल में आ जाते हैं। और वहां पर आकर एक ही नारा देते हैं कि यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मान्यवर, हमें वे बतायें कि यह सरकार क्यों नहीं चलेगी। जब बैसाखी वाली सरकारें चल सकती हैं तो यह सरकार क्यों नहीं। (मेजों की थपथपाहट) यह तो पूर्ण बहुमत की सरकार है यह सरकार क्यों नहीं चल सकती है। (मेजों की थपथपाहट) मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार चलेगी पांच साल चलेगी और हमारी सरकार लोक लुभावन कार्यक्रमों के अन्तर्गत काम करने वाली सरकार है यह सरकार पूरे पच्चीस साल चलेगी। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, पिछले दिनों भर्तियां हुई थीं जो भर्ती हुई वह किसी से छिपी नहीं हैं। मान्यवर, जो भर्तियां हुई पुलिस में उनमें एक जिले के लोगों की भर्ती हुई, पूरे उत्तर प्रदेश में एक जिले के लोगों की भर्ती हुई। चाहे वह भर्ती सहारनपुर में हो रही हो, चाहे बलिया में हो रही है, चाहे एटा में हो रही हो लेकिन भर्ती होने वाले सिर्फ एक जिले के लोग थे। मान्यवर, जो 35 साल की उम्र वाले लड़के थे उनको दुबारा हाईस्कूल कराकर पुलिस में भर्ती करा दिया गया। यह हुआ है पिछली सरकार में, यह था पिछली सरकार का कानून मान्यवर, लोकनिर्माण विभाग का जो बजट रखा गया है उसमें हर क्षेत्र की सड़कों के लिए प्राविधान किया गया है अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत मान्यवर, जो आरोप लगाने का विपक्ष का तरीका है वह उचित नहीं है। उत्तम प्रदेश की सरकार बनी थी और उस उत्तम प्रदेश की सरकार में क्या देखने को नहीं मिला था। देखने को वह भी मिला था, चुनाव भी देखने को मिला था। जो इलेक्शन की जगह सेलेक्शन देखने को मिले थे उस चुनाव में चाहे जिला पंचायत के चुनाव रहे हों, चाहे बीडीसी के रहे हों, चाहे प्रधानी के चुनाव रहे हों, उसमें चुनाव में इलेक्शन नहीं सेलेक्शन हुआ था और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तमाम भ्रष्टाचार हुआ है इन साढ़े तीन चार सालों के अन्दर। आप लोगों को यह न्योता देना चाहता हूं कि पटियाली विधान सभा में गंगा बहती हैं वहां पर आकर उन पापों को धो लेना तो आपके पाप दूर हो जायेंगे।, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राधे श्याम गुप्त-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने को मौका दिया। मान्यवर, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी हम लोगों के साथ मंत्रि परिषद् में 1997 में रह चुके है। आप अच्छा काम करिये सक्षम मंत्री है और मुझे विश्वास भी है कि लोक निर्माण विभाग में सुन्दर कार्य करेंगे। कुछ विशेष बाते मैं जरूर बताना चाहता हूं। फतेहपुर जनपद बहुत पिछड़ा हुआ जनपद है और फतेहपुर जनपद में 6 विधान सभा है और 6 विधान सभाओं में 4 विधान सभाओं में आपके विधायक हैं 2 विधान सभाओं में हम लोग हैं और सांसद भी आपका है। लेकिन फतेहपुर की बहुत उपेक्षा की गयी। मैं चाहता हूं कि आप फतेहपुर पिछड़े जनपद को अपने स्तर से देखें इसलिए कि आप भी बांदा जनपद से आते हैं और फतेहपुर तथा बांदा दोनों जनपद एक साथ मिले हुए है। सबसे बड़ी समस्या तो आपके पूरे बजट में यमुना में पुल औगासी और फतेहपुर के मार्ग में है वह बनाना बहुत आवश्यक है उसको बनाने का बजट में प्राविधान नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह अति महत्वपूर्ण यमुना का पुल है औगासी और फतेहपुर के मध्य, इसको आप बनवायेंगे तो बुंदेलखण्ड और फतेहपुर जो पिछड़ा जनपद है, दोनो को बहुत लाभ होगा। दूसरा एक जो व्यवस्था बनी हुई है वह आपके कार्यकाल का नहीं है लेकिन वह अब भी अच्छी परेशानी का विषय बना हुआ है बांदा बहराइच मार्ग जो राष्ट्रीय मार्ग है इसका निर्माण कार्य सम्पन्न हो जाना चाहिये था 2005 में और अभी तक वह चलने लायक नहीं है। आप भी उस मार्ग से कभी आये गये हैं तो देखते होंगे कि वह मार्ग जो दतौली गतौली से लेकर फतेहपुर तक इतना खराब है और कितना पैसा उसमें लग चुका है।

लेकिन उसकी गुणवत्ता की बात तो दूर रही, वह चलने लायक भी मार्ग नहीं है। इसलिये मान्यवर, उसको भी अपने स्तर से देखें। इधर का यह बांदा-बहराइच मार्ग भी नहीं बन पा रहा है और पता नहीं किस कारण से, यह ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे हैं। यह बछरावां तक इस मार्ग को अब तक बढ़िया बन जाना चाहिये और इसकी बहुत ही हालत दयनीय है और काम भी बहुत सुस्त चल रहा है। मान्यवर, मैं अपने फतेहपुर जनपद में अपने विधान सभा की हालत बताऊं, तो इतनी दयनीय है, फतेहपुर जनपद पिछड़ा भी है और किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल पाता है, इतनी सड़कें वहां नहीं बन पायी है और कम से कम एक-एक हजार के ऐसे गांव हैं जहां पर कम से कम 25-26 प्रतिशत अनुसूचित जाति के, पिछड़ी जाति के लोग रह रहे हैं और वह सम्पर्क मार्ग नहीं बन पाये हैं, जिनके बनने से बहुत कुछ हो सकता है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि एक तो फतेहपुर-लखनऊ मार्ग से आलमपुर-नरही मार्ग, एक आशिकपुर औरय्या से जयचंदापुर सलेमपुर मार्ग, एक फतेहपुर कुसुम्भी मार्ग से बसावनपुर मार्ग, एक सरायं अभैयापुर से पंथुआ मार्ग, एक आमापुर आम्वापुर पिलखिनी मंडासरांय मार्ग से सिरसी भलेवा मार्ग, एक पिलखरी खिनी मार्ग से उमरापुर मार्ग, एक जी0टी0रोड0 से सैनीपुर मार्ग, एक लोहारी मार्ग से महेवा मार्ग, एक मकनपुर मार्ग से बरमतपुर मार्ग, एक पनई से खडगसेनपुर मार्ग, यह बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, इनको बनाने से वहां की जनता को, वहां के सब किसानों को बहुत फायदा होगा, इतना ही निवेदन करते हुये मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनायें करता हूं कि दो वर्ष आगे आने वाले वर्षों में आपके रहते हुये लोक निर्माण विभाग का महत्व बढ़े, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री योगेन्द्र सागर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सदन में माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने अपने विभाग का बजट प्रस्तुत किया, मैं स्वयं को इससे सम्बद्ध करते हुये, उनके अच्छे बजट की सराहना करता हूं पूरा सदन राहत महसूस कर रहा होगा कि वर्तमान सरकार सड़क बनाने में सभी गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये कितनी गम्भीर है और इसलिये इस वर्ष का जो बजट प्रावधान किया गया है, 6301 करोड़ रुपये किया गया है वह पिछले वर्ष के बजट से 24 प्रतिशत अधिक है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार गांव के विकास के लिये खासतौर से सड़कों के निर्माण के प्रति बहुत गम्भीर है। आज पूरे सदन के सभी दलों के विधायकगण इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं और इस सदन इस सदन के माध्यम से वह यह मांग कर रहे हैं कि समानता का बर्ताव किया जाय सभी विधान सभाओं में सड़कों का बराबरी से वितरण किया जाय और वह जानते हैं कि प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ चुकी है और इस समय अगर हम सही मांग करेंगे तो निश्चित रूप से यह सरकार निष्पक्ष होकर पूरे प्रदेश के विकास की सोच रखते हुये मांग को पूरा करेगी जबकि इससे पूर्व की सरकार में सभी जानते हैं कि इन सारी बातों का दरकिनार रखते हुये आपाधापी का माहौल था, और यहां पर किसी भी माननीय सदस्य के सुझावों को गम्भीरता से नहीं लिया जाता था और यही कारण था कि कुछ एक क्षेत्र, जिन सदस्यों की सरकार में ज्यादा दखलन्दाजी रहती थी, उन्हीं क्षेत्र विशेष में विकास कार्य हुये। खासतौर से लोक निर्माण विभाग का पैसा लगाया गया।

किन्तु इस सरकार में ऐसा नहीं होगा इस सरकार में पूरे प्रदेश के विकास को ध्यान में रखकर योजना बनाई जायेगी और जिस प्रकार से यह कहा जा रहा है कि समानता का वातावरण हो इसमें मैं अपना यह सुझाव रखना चाहूंगा कि जिस प्रकार प्रदेश की पिछली सरकार ने मनमानी तरीके से कुछ एक क्षेत्रों को चिन्हित करके उनके क्षेत्रों में इस विभाग के पैसे को लगाया है, इस प्रकार की व्यवस्था में बहुत से विधान सभा क्षेत्र वंचित रह गये हैं, जहां सड़कों की विशेष जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस बात पर भी विशेष ध्यान देगी ऐसे वंचित क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिये विशेष प्राविधान रखा जाय। मैं अपनी सरकार में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना की सराहना करता हूं और मा0 लोक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट की सराहना करता हूं।

उन सभी विधान सभा क्षेत्रों में जहां विकास कार्य नहीं हो सके हैं, सड़कें नहीं बन सकी हैं, उन विधान सभा क्षेत्रों में भले ही ज्यादा पैसा देना पड़े लेकिन वहां पर विकास कार्य कराया जाए। जहां तक यह सवाल उठ रहा है कि पिछली योजनाओं में रुकावटें न डाली जाएं तो हमारी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। जो अम्बेडकर गांव संतृप्त नहीं हो सके थे उन गावों को अम्बेडकर ग्राम योजना से जोड़ने का सरकार ने प्रावधान रखा है जबकि पिछली सरकार ने उनको पैसा देना बन्द कर दिया था। हमारी सरकार काम करने में विश्वास रखती है और मैं इस अच्छे बजट के लिए माननीय मंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद देता हूं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

अधिष्ठाता महोदय, आपने आज लोक निर्माण विभाग के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अधिष्ठाता महोदय, मैं दो चार बातें इस सदन में रखना

चाहता हूं कि जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में सड़कों और पुलों का कार्य चल रहा था, इस समय जब से बहुजन समाज पार्टी की सरकार आयी है उन योजनाओं पर काम धीमा हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भवरनाथ-तहबरपुर मार्ग का काम चल रहा है, मदुरी ताबरपुर मुहम्मदपुर का काम चल रहा है और सूफीपुर मसलमपट्टी बसही मार्ग पर काम चल रहा है, मैं चाहता हूं कि यह कार्य आधे से ज्यादा बन चुके हैं, इन्हें पूरा कराया जाए। इसके अतिरिक्त हमारे क्षेत्र में खोजापुर-हासपुर मार्ग पर टोंस नदी पर पुल बन रहा है, बेलवा-बेलहरा मार्ग पर टोंस नदी पर पुल बन रहा है और बीबीपुर-खोटौली मार्ग सीलनी ड्रेन पर पुल बन रहा है, मैं चाहता हूं कि इनमें से सभी कार्य आधे से ज्यादा पूर्ण हो चुके हैं इसलिए बचे हुए शेष कार्य को भी पूर्ण करा दिया जाए।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बदले की भावना से किसी कार्य को रोकने का काम न करें क्योंकि विकास तो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, विकास होता है इसलिए सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करें। माननीय मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में चाहे सत्तापक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों सभी को सात किलोमीटर सड़क देने का काम किया गया था मैं चाहूंगा कि आप भी इस योजना को प्रस्तावित करें ताकि सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में काम हो सकें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे आजमगढ़ का बाईपास 10 किलोमीटर का पड़ता है, वह बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, उस पर गाड़ियां नहीं चल पाती हैं, गाड़ियां दिन में चौक होकर निकलती है जिसके कारण चौक की रोड भी टूट गई है। मेरा अनुरोध है कि इस शहर के बाईपास को मिक्सप्लांट से बनाया जाए ताकि गाड़ियां जो बाहर से आती हैं वह निकल करके बलिया, गोरखपुर चली जाएं। जो शहर के किनारे बांध है, सारी गाड़ियां उस बंधे से होकर निकलती हैं, इसके लिए पहले भी प्रस्ताव आया था लेकिन किन्हीं कारणों से काम नहीं हो सका था, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे आजमगढ़ में उस बंधे वाले मार्ग को ठीक कराने की व्यवस्था करें ताकि आने जाने में सुविधा मिल सके। मैं अन्त में इतना ही कहूंगा कि दो महीने आपको शासन करते हुए हैं आप अपनी योजनाएं भी चलायें और जो योजनाएं पहले से चल रही थीं उन्हें भी काटने का काम न करें क्योंकि उन्हें बदले की भावना से काटने का काम न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री कैलाश सिंह राजपूत-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा रखे गये लोक निर्माण विभाग के लोकप्रिय बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत 5-5 गांवों के चयन की योजना बनायी है, पहले एक गांव चयनित होता है। अबकी बार उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहिन कुमार मायावती जी ने 5 ग्राम सभाओं के चयन की व्यवस्था की है जिससे कि इन ग्राम सभाओं में जितने भी ग्राम आते हैं, वह सभी संतृप्त किये जायेंगे। यह बहुत ही अच्छा कार्य है और जो बजट में पैसा बढ़ाकर माननीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोक निर्माण मंत्री जी ने रखा है इसके लिए मा0 लोक निर्माण मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। हमारा कन्नौज जनपद पूर्व सरकार में वी0आई0पी0 जनपद रहा है। मुझे पता नहीं अभी माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का अचानक दौरा हुआ था तो माननीय मंत्री जी ने वहां एक सड़क को खुदवाकर देखा था। जब सड़क खोदी गयी पूर्व सरकार के कार्यकाल की तो उस सड़क की परत एकदम अलग हो गयी और नीचे गिट्टी ढूढ़ने से मिल रही थी। हमारे जनपद कन्नौज जो पूर्व में वी0आई0पी0 जनपद में जो सड़कें बनवायी गयी तो मैं समझता हूं कि वहां पर सड़कें नहीं ठेकेदारों को बनाया गया। कन्नौज जनपद में दो खण्ड है, एक निर्माण खण्ड, दूसरा प्रान्तीय खण्ड। एक खण्ड के दो अधिशासी अभियन्ता चेकिंग में आ गये और हमारे लोक निर्माण मंत्री जी ने सम्बन्धित सभी अधिकारियों को निलम्बित किया एक खण्ड और रह गया है। अभी मा0 ओझा जी कह रहे थे कि माननीय नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि हम ठेकेदारी नहीं करेंगे। मुझे तो मालूम है कि माननीय शिवपाल सिंह जी खुद ही लोक निर्माण विभाग में एक एजेंसी काम करती थी जिसमें करोड़ों के ठेके वह एजेंसी लेती रही।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा टोकाटाकी की गयी)

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मा0 अधिष्ठाता जी, यह गलतबयानी कर रहे हैं। यह उस एजेंसी का नाम बता दें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य आपसे आग्रह है कि कृपया आसन ग्रहण करिये। आप अपने सम्बोधन में इन बातों को कहियेगा। माननीय सदस्य अपनी बात रखें।

श्री कैलाश सिंह राजपूत-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, चूंकि मैं कन्नौज में रहता हूं वहां पर अगर आप दिखवा लें, मा0 मंत्री जी दिखवा लें, हमारा विधान सभा क्षेत्र उर्मदा लगता है वहां पर सड़कों पर हाट-मिक्स किया गया, मैं समझता हूं कि बहुत मामूली सा किया गया, पहले डामर पड़ता था तो गर्मी के सीजन में ऊपर आ जाता था लेकिन हमारे कन्नौज जनपद में ठेकेदारों ने पता नहीं कौन सा केमिकल डाला है जो सिर्फ एक चमक मारता है और जहां उस पर से गाड़ी निकली वहीं टूट जाता है। इस तरीके की स्थिति शायद हमने कभी उत्तर प्रदेश के रिकार्ड में नहीं देखी, पता नहीं कौन सी योजना बनाकर समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार ने कहां से डामर अरेन्ज किया है, क्या इंतजाम की है और ठेकेदारों को बनाने का काम किया है ? माननीय मंत्री जी के बजट से पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की बात कही गयी है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। एक निवेदन मैं उनसे अपने कन्नौज जनपद के लिए करता हूं कि कन्नौज जनपद में जो सड़कें बनायी गयी वह एक जाति विशेष के गांव के लिए बनायी गयी, जो भी सड़कें चयनित हुई पूरे जनपद में, एक जाति विशेष के गांव के नाम देकर सड़कें बनायी गयी चाहे तो जांच करवा लें, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जिले में, विधान सभा नहीं पूरे कन्नौज जनपद में अन्य दलित वर्ग से सम्बन्धित और वर्गों के लोग रह गये हैं तो पूरे जनपद पर माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे। हमारा नया जनपद है तो वहां पर पी0डब्लू0डी0 का गेस्ट हाऊस नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी ने जिले में घोषणा भी की थी। जिले पर अधिकारियों और

मा0 मंत्रीगण के रुकने का इंतजाम नहीं है। तो कन्नौज जनपद में पी0डब्लू0डी0 का गेस्ट हाऊस बढ़िया सा बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के इस बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। मान्यवर, इस बजट को एक राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं देखना चाहता इस बजट से गरीब की दृष्टि से, किसान की दृष्टि से देखना चाहता हूं। जब इन बिन्दुओं से इस बजट को देखने की कोशिश करता हूं तो मैं पाता हूं इस बजट के अन्दर कि यह बजट आर्थिक विषमताओं का बजट है, जातिगत विषमताओं का बजट है, सामाजिक विषमताओं का बजट है। अम्बेडकर गांवों के लिए मंत्री महोदय ने बताया कि उन्होंने तकरीबन 2 हजार गांवों के लिए एक हजार करोड़ का बजट रखा है मैं गुजारिश करूंगा यदि पांच गांव की जगह पन्द्रह गांवों को कर दें और ग्राम सभाओं के लिए यह कर दें कि एक ग्राम सभा के लिए कम से कम 15 लाख देंगे।

(इस समय 4 बजकर 31 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

एक ग्राम सभा के लिए इस बजट में 50 लाख का प्राविधान किया है। मंत्री महोदय ने बताया कि 3200 कि0मी0 सड़कों का निर्माण करेंगे मैं निवेदन करना चाहता हूं जब यह सड़क बना ही रहे हैं और वित्तीय संसाधनों की कमी की बात करते हैं तो कम से कम 8 कि0मी0 सड़क प्रत्येक विधायक के प्रस्ताव पर बनवाने का कष्ट करें। हमारे क्षेत्र में फतेहाबाद जहां से मैं चुनकर आता हूं वहां पर सड़कों की हालत बहुत खराब है। कम से कम 20 कि0मी0 से 30 कि0मी0 तक सड़कें ऐसी हैं जहां कुछ भी नहीं है सिर्फ डगरें हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक विषमताओं के बजट के अन्दर हमारे क्षेत्र को कितना फायदा होगा हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। हम इस बात के लिए आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने कहा कि पारदर्शिता और मानकों के अनुसार सड़कों का निर्माण कराएंगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि पी0डब्लू0डी0 के अन्दर अगर पारदर्शिता और मानकों के अनुसार काम होने लगे तो आधा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आपने जो बात कही है उसका पालन किया जाय। हम चाहते हैं कि अच्छी सड़क बने। होता यह है कि कोई सरकार सड़क बनवाती है तो अगले साल फिर उसी पर काम होने लगता है गुणवत्ता इस तरह की होनी चाहिए कि कम से कम सड़क पांच साल चले।

आपने अनुरक्षण सुधार के लिए एक लाख 27 हजार 534 कि0मी0 सड़कें रखी हैं। आपने कहा कि 25 हजार कि0मी0 सड़कों को गढ्ढा मुक्त करेंगे 30 हजार कि0मी0 सड़कों का डामरीकरण करेंगे। मैं बताना चाहता हूं अगर आप 75 हजार कि0मी0 सड़कों में गढ्ढों को भरवा देंगे तो बात बन जाएगी। मैं आपसे शमसाबाद आगरा व शमसाबाद ईरादतनगर जो अन्तर्राज्यीय मार्ग है इनकी गुणवत्ता बहुत खराब है मेरा निवेदन है कि कम से कम इन दो सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बनवा दीजिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन ग्राम सभाओं के अन्दर अनुसूचित जाति के लोग कम हैं लेकिन इन ग्राम सभाओं में गरीबों की संख्या बहुत बड़ी है उन गांवों के लिए आप

सड़कें बनवाने का काम करेंगे या गरीब और गरीब के बीच विभेद किया जायेगा। यह अजीब सी बात है इससे समानता के सिद्धान्त को आघात लगा रहे हैं। महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस बजट के अन्दर जो प्राविधान किए गए हैं वह आर्थिक विषमताओं, जातिगत विषमताओं और दिशाहीनता का परिचायक है। इसलिए मैंने इस बजट में जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उस पर बल देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी बातों का खास तौर से ध्यान रखेंगे। हम एक लिस्ट लेकर आए हैं जिसके अन्दर क्षेत्र की सारी सड़कों की लिस्ट है अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी तरफ से यह लिस्ट मंत्री जी को इस सूचना के साथ निर्गत कराने की कृपा करें कि उन सड़कों पर भी काम हो जाएगा। आपने बोलने का मौका दिया आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और इस सदन के प्रति नमन करते हुए मैं पहली बार बोल रहा हूं इस सदन में जिसमें गोविन्द बल्लभ पन्त, सम्पूर्णानन्द जी, चन्द्र भानु जी, चौधरी चरण सिंह जी, कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, मुलायम सिंह जी कु0 मायावती बैठते या बैठे हैं इससे हम यहां आने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सदन में हमारे आगे बैठे हुए माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी शायद चले गये, माननीय आज़म खां साहब, इन सबके आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे माननीय अरविन्द जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष-

बहुत से माननीय सदस्यों के विचार और सुझाव आ चुके हैं और अभी कई माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि अभी आगे और भी महत्वपूर्ण विभाग के बजट हैं जिस पर भी माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सब अपने विचार और सुझाव दे लेकिन थोड़ी समय की पाबन्दी के साथ।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी चार विभागों के बजट और प्रस्तुत होने हैं। मैं समझता हूं कि इसी बजट पर लगभग पौने दो घंटे हो गये हैं। समय को ध्यान में रखते हुए जो माननीय सदस्य अपने सुझाव देना चाहें, वे लिखकर दे दें जो भी संभव हो सकेगा उन पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं कह रहा था कि सभी माननीय सदस्य दो-दो मिनट में अपने विचार और सुझाव रख दें तो ठीक रहेगा। अभी समाजवादी पार्टी के ही 15 सदस्यों के नाम लम्बित हैं।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर किसी महिला को बोलने देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आगे आबकारी की महत्वपूर्ण चर्चा आ रही है।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

हमारे लिये नहीं, इन्हीं के लिये है। हमारे लिये आबकारी कोई महत्वपूर्ण नहीं है।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

प्रदीप जी, आप तो रोज ही बोलते रहते हैं फिर बोल लीजियेगा। चलिये, सब लोगों की सहमति बन गई है आप दो मिनट में अपनी बात कह लें। आबकारी पर नहीं बोलियेगा।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। मान्यवर, यह आपकी अनुकम्पा है कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन अनुकम्पा दो मिनट के लिये है।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मान्यवर, आप जानते हैं कि भारत के संविधान में हमको कुछ मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं और उस मूल अधिकार में एक समानता का अधिकार भी है। अभी माननीय मंत्री जी अपना बजट पढ़ रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा बजट है और आपने कई गुना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है और समानता के आधार पर सबको काम मिल सकेगा। 15 तारीख को एक क्वैश्चन जो हमारे विधान सभा में कधीघाट के सम्पर्क मार्ग और एक जो भुईधरा सम्पर्क मार्ग के बारे में मैंने किया था। मान्यवर, पांच साल पहले जब मैं विधायक थी तब मैंने उसकी शुरुआत की थी। एक फुट गिट्टी पड़कर उसका पैसा पता नहीं कहां चला गया मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे बड़ा विश्वास था कि जब मैंने वह प्रश्न लगाया था कि इसका उत्तर यही आयेगा कि इस वित्तीय वर्ष में इसको शामिल कर लिया जायेगा। मुझे बड़ी वेदना तब हुई जब उत्तर यह पढ़ने को मिला कि वित्तीय संसाधनों के आधार पर काम कराया जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि जहां एक ओर हजारों हजार करोड़ रुपया इस प्रदेश को दे रहे हैं तो क्या मेरा जिला जौनपुर और जनपद जौनपुर की गड़वारा विधान सभा उत्तर प्रदेश की सीमा की परिधि में नहीं आती ? मैं बड़े विनम्र शब्दों के साथ कहना चाहती हूं कि इससे हमारी नहीं, मान्यवर, सरकार की निन्दा हो रही है। आप कल्पना करिये हजारों-करोड़ों रुपये लगकर कंधीघाट का पुल तैयार हो गया है लेकिन मान्यवर, कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि 20-25 लाख से ज्यादा लागत उसके एप्रोच मार्ग बनने में नहीं आयेगी। मेरा निवेदन है कि यदि उसको बनवा दिया जाता है तो जनता को एक अच्छा संदेश जायेगा कि यह अच्छा काम हो रहा है। मान्यवर, बेलवार घाट पर बहुत दिनों से पुल प्रतीक्षित है, नहीं बन रहा है। इसकी गति बहुत धीमी है हमको लगता नहीं है कि वह बन पायेगा।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य बीच में न बोलें।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

सम्पर्क मार्ग अम्बेडकर गांव भी हैं उस रोड की इतनी दयनीय स्थिति है कि उस पर पैदल आदमी नहीं चल सकता हैं इतने गिट्टे पड़े हैं कि उस पर आदमी पैदल नहीं चल सकता है रोज

किसी न किसी के हाथ-पैर टूटते रहते हैं। इसके अलावा कहना चाहूंगी कि जैसे प्रधान मंत्री रोड बनती है, उसमें आपका यह मानक होता है कि इतने समय के अन्दर अगर रोड खराब होती है तो सम्बन्धित ठेकेदार को जुर्माना देना पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था अगर अन्य रोडों में लागू कर दें ताकि आपकी व्यवस्था बरकरार रहे। क्योंकि लोक निर्माण विभाग का जनता में ऊंचा स्थान है। लोग इस विभाग को बड़ी ईमानदारी के साथ देखते हैं। इसी तरह से जौनपुर से इलाहाबाद के लिये रोड चौड़ीकरण हो रही है यह जौनपुर से इलाहाबाद मछलीशहर होकर जाती है लेकिन सिकरारा से जो मान्यवर, सुजानगंज को जो रोड जाती है, वह एकल रोड है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर इसको आप डबल लेन में ले लेते हैं तो बड़ा कल्याणकारी होगा। इस विभाग के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उस पर मैं बल देती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

दोनों तरफ से परम्परानुसार एक-एक मा0 सदस्य को बुलवा लेते हैं।

*श्री वारिस अली-

मान्यवर, आपकी कृपा से मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं हृदय से आभारी हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी बहन कुमारी मायावती के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जनाब नसीमुद्दीन सिद्दीकी द्वारा प्रस्तुत लोक निर्माण विभाग के बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बड़े दुःख की बात है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जब नाम आता है तो कुछ लोगों के मन मस्तिष्क और चेहरे पर पता नहीं कैसे बल पड़ जाते हैं। मान्यवर, बहन मायावती जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना का जो लक्ष्य रखा है उसमें लोक निर्माण विभाग का जो बजट रखा गया है उसमें मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि डा0 अम्बेडकर साहब ग्राम सभा योजना के तहत गांव के गरीब की झोपड़ियों तक पक्की सड़कें जायेंगी, ऐसी-ऐसी गांव पंचायतें हैं जिसमें दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह और बीस-बीस मजरे हैं उन मजरों का प्रस्ताव डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत होता है तो जो लोग एक गांव के विकास की बात करते हैं उन्हें ध्यान देना होगा कि अम्बेडकर विकास योजना में एक साथ 28-30 गांव का विकास होगा। मान्यवर, अभी एक मा0 सदस्य बता रहे थे कि सात किलोमीटर और पांच किलोमीटर की बात कह रहे थे। हमारे मा0 सदस्य ने बताया कि सात किलोमीटर की सड़क में 25 परसेन्ट धन आवंटित हुआ है बाकी योजना लम्बित रह गई। मा0 सदस्य आप सात किलोमीटर की बात कर रहे हैं मैं जनपद बहराइच की बात आपको बताना चाहता हूं जहां राष्ट्रीय राज्य मार्ग के नाम पर नेपाल की सरहद तक रोड बनाने का कार्यक्रम प्रचारित किया गया था पूर्ववर्ती सरकार द्वारा। और हमारे सम्मानित और वरिष्ट सदस्य जो इस सदन के आज भी सम्मानित सदस्य हैं पूर्ववर्ती सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। मान्यवर, मुझे जहां तक याद है कि उनके द्वारा उस रोड के निर्माण का शुभारम्भ किये जाने की भी बात कही गयी थी तो जो लोग इस लोकप्रिय बजट को असत्य का पुलिंदा और बकवास बताना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैं यह बताना चाहता हूं, मान्यवर, आपके माध्यम से कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कल्पनाओं की बात करने वालों की यह सरकार नहीं है, धरातल पर काम करने वालों की सरकार है। अभी पिछले दिनों हमारे एक वरिष्ट सदस्य आज यहां मौजूद नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि "हवाएं मगरूर दरख्तों को पटक देती हैं, आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक देती हैं, लचक जाती है जो शाखें, वही महफूज रहती हैं", हमें बहुत खुशी है कि आज भी सच्चाई की बात कहने और स्वीकार करने वाले लोग मौजूद हैं और विपक्ष में बैठे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। झूठ की बुनियाद पर किसी बात को प्रचारित करके जनता को धोखा देना ठीक नहीं होता हैं आज मा0 लोक निर्माण मंत्री ने पूरे प्रदेश के समुचित विकास के लिये और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिये जो जनहितकारी बजट प्रस्तुत किया है, मैं इस पूरे सदन से पूरे सम्मान के साथ अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बजट का पूरा समर्थन होना चाहिए, पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार को कम से कम एक वर्ष स्वतंत्रतापूर्वक काम करने का मौका दिया जाना चाहिए और उसके कार्य को देखा जाना चाहिए। मान्यवर, नया सदस्य होने के नाते पहली बार आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

(बोलने के लिये कई सदस्यों के हाथ उठाने पर)

श्री अध्यक्ष-

इधर से भी कई सदस्यों को बोलना है। लोकदल से तय कर लीजिये कि कौन बोलेगा। ठीक है, लोक दल से एक सदस्य और कांग्रेस की तरफ से दो सदस्य।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद करते हुए मैं लोक निर्माण मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने बजट में कई सारे नये प्राविधान किये हैं, ग्राम विकास की योजनाओं को जोड़ा है लेकिन मैं कटौती के रूप में कुल तीन बिन्दुओं की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए, उन्हें भी जोड़ने का आग्रह करूंगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का एक बहुत मुख्य मार्ग है, दिल्ली-यमुनोत्री राजमार्ग, इसके फायदे हैं, दिल्ली से यमुनोत्री जाने वाला जो उत्तर प्रदेश , हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखण्ड, चार प्रदेशों को मिलाता है, देश की राजधानी दिल्ली को उत्तराखण्ड की राजधानी देरादून से मिलाता है, भारत के पवित्र धाम यमुनोत्री को जाता है, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी ट्रानिका सिटी के बीच से होकर जाता है। मान्यवर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद और बागपत के बीच से होता हुआ सहारनपुर को जाते हुए उत्तराखण्ड और यमुनोत्री तक जाता है उस पर लोनी क्षेत्र में आईबीपी, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के गैस संयंत्र लगे हुए हैं उस पर अतिभारित गैस के सिलेण्डर के रूप में, जिसे हमारे यहां कैपसूल के नाम से जाना जाता है, भारी-भारी वाहन चलते हैं। वहां पर वाहनों की इतनी अधिक संख्या है कि एक दूसरे के पीछे चलते हुए घण्टों-घण्टों लग जाता है। 8 शुगर मिलें हैं, पूरे मार्ग पर, लम्बे-लम्बे जाम लगते हैं। माननीय मंत्री जी, लोकहित का मामला है, हमारी विधान सभा से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जो आपके लिये, प्रदेश के लिये और सदन के लिये बहुत अच्छा कार्य हैं मान्यवर, आप उसे डिवाइडर डालकर 4 लेन का कर दें। मान्यवर, इस स्टेट हाईवे को उच्चीकृत किया जाये। मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान केन्द्रीय सड़क निधि से जो बड़ौत से मेरठ तक मार्ग बना था उसकी

तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, इसका 19 कि0मी0 हमारे जनपद में पड़ता है वह पूर्ण हो चुका है लेकिन बाकी का 31 कि0मी0 जनपद मेरठ में आता है, उस सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है। मान्यवर, मैं निवेदन करता हूं कि या तो राज्य सरकार की निधि से इसका निर्माण करायें या केन्द्रीय सड़क निधि से इसका निर्माण पूरा कराया जाए। मान्यवर, इसके अलावा मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, बड़ौत छपरौली टांडा मुख्य मार्ग पर एक चीनी मिल है और 9-10 इण्टर कालेज हैं। उस सड़क की स्थिति बहुत खराब है। मैं चाहूंगा कि इस सड़क का चौड़ीकरण किया जाए और हाटमिक्स प्लांट से उसका निर्माण कराया जाए। मान्यवर, मैं इन तीन रास्तों दिल्ली-यमुनोत्री राजमार्ग, मेरठ बड़ौत मार्ग और बड़ौत छपरौली टांडा मार्ग का भी बजट में प्राविधान किया जाए, इसकी मैं मांग करता हूं। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अब्दुल कलाम-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जनपद संत कबीर नगर में वहां 64 नम्बर मार्ग बस्ती मेंहदावल ऐमिरियावा तमकुही राज मार्ग पर साडे का पुल का अप्रोच बन जाए तो वहां पर सैकड़ों कि0मी0 का अवागमन चालू हो जायेगा। जबकि पुल बना है आवागमन बाधित है। मान्यवर, पिछले साल में सड़क के चौड़ीकरण के लिये 142 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी रखा है। अगर उसे आप उसे करवा दें तो अच्छा होगा। मान्यवर, हमारे यहां सड़क 64 नं0 राज्य मार्ग पर जो आबादी वाला इलाका पड़ता है उस लम्बी सड़क पर कट स्टोन लगवा दिया जाए। मान्यवर, हमारे यहां एक सड़क बखीरा लोहजौली मार्ग पर गोन्हा घाट पड़ता है उस पर अप्रोच और सड़क बननी है इसके लिये आप पैसा भिजवा दें। मान्यवर, इसी तरीके से मेंहदावल बिसौवा आदि का क्षेत्र गड्ढों से भरा हुआ हैं मान्यवर, और 2-4 सड़कों के बारे में मैं अलग से लिखकर दे दूंगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

5 बज चुका है। 2 बजे से इस पर चर्चा चल रही है। 3 घण्टे हो गये हैं।

*कृषि मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि "खुदा करे सारे हसीनों के मां-बाप मर जायें, बहाना हो मौत का और हम उनके घर जायें" जिन बाबा साहब के नाम से लोगों को छींक आया करती थी, इन सड़कों के सहारे कम से कम आज वह बाबा साहब का नाम तो ले रहे हैं।

*श्री दीनानाथ कुशवाहा-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। मान्यवर, हमारे क्षेत्र गौतमबुद्ध की धरती है और आज से ढाई हजार साल पहले महामानव गौतम बुद्ध ने शांति और अहिंसा का संदेश दिया था। मैं इसी जनपद से देवरिया सदर से विधायक हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि देवरिया और कुशीनगर दोनों जनपदों को जोड़ने वाली सड़क है, उसमें जो उपरिगामी सेतु बन रहा है, उसकी लागत ग्यारह करोड़ के आसपास है, हमने अभियंता से बात की थी उन्होंने कहा था कि तिरपन फीसदी काम पूरा हो चुका है, मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पैसे के अभाव में इतना महत्वपूर्ण परियोजना बन्द हो चुकी है इसको चालू किया जाय। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज से लगभग साल भर पहले बैकुन्डपुर पर पुल, छोटी गन्डक नदी पर जो है, बनकर तैयार हो चुका है। दोनों तरफ सौ मीटर मिट्टी का काम हो चुका है लेकिन किसानों के मुआवजे को देने के लिए, जो भूमि अध्याप्ति होनी चाहिए, करीब आठ लाख का खर्चा है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आठ लाख यह दे दिया जाय, जिससे भूमि अध्याप्ति हो जाये और सड़क का काम पूरा हो जायेगा। माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का जिक्र किया है। हमारे यहां भी नक्सल प्रभावित दस गांव हैं। जैसे सरोरा, सिसवां, हथियागढ़, मधवापुर इत्यादि हैं। यह पांच सात किलोमीटर की एरिया में फैले हैं, माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, तो इन गांवों पर विशेष ध्यान दिया जाय, इन गांवों में सड़क बनायी जाय। जो बैकुन्टपुर पुल है इस पुल के बन जाने से 10-12 गांव सीधे जुड़ जायेंगे और उसका सम्बन्ध बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हो जायेगा। मान्यवर, देवरिया से गोपालगंज की लम्बाई 105 किलोमीटर है और देवरिया हैड क्वार्टर से लेकर करोली जो बार्डर है, जहां से बिहार की सीमा शुरू होती है, वह बीस किलोमीटर है। करोली से लेकर गोपालगंज तक यह एन0एस0 रोड है, अच्छी सड़क बनी है, यह सड़क अगर आप ले लते हैं तो सीधे लखनऊ से लेकर गोपालगंज बिहार पटना से इसका सीधा सम्पर्क हो जायेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपने अपने भाषण में कहा कि चार सौ पचास करोड़ रुपये सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिये देने जा रहे हैं।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य शांत रहें। सभी को मौका मिल रहा है। कृपया व्यवधान पैदा न करें।

श्री दीनानाथ कुशवहा-

आज से सौ साल पहले छोटी गण्डक पर एक पुल बना है यह पुल जर्जर स्थिति में है, इसमें करीब तीन करोड़ तीन लाख रुपया स्वीकृत हो गया है लेकिन इस पुल के निर्माण की जो गति है वह बहुत धीमी है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पुल का निर्माण कराया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय। इसी के साथ मैं श्री अरविन्द कुमार सिह गोप द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

कांग्रेस की तरफ से निवेदन किया गया था कि दो लोगों को बुलवा लिया जाय। पीछे पंकज मलिक बोलने के लिये खड़े हुए हैं, यह नये सदस्य भी हैं इन्हें भी पहले अपनी बात आप लोग कह लेने दीजिए।

श्री पंकज मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये हृदय से मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज लोक निर्माण विभाग के बजट के ऊपर चर्चा हो रही है, बजट सुन कर के मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे सरकार हमारे मंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र के लिये कुछ करना चाहते हैं। इनकी सोच में ग्रामीण क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की पानीपत-खटीमा मार्ग जिसकी चौड़ाई बहुत कम है। मान्यवर, चौड़ाई कम होने के कारण वहां बहुत ज्यादा संख्या में दुर्घटनायें घट रही हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र की इस प्रमुख समस्या को आप बजट में शामिल करा के उस मार्ग का चौड़ीकरण और उस पर डिवाइडर बनवाने की कृपा करेंगे। मान्यवर, मुजफ्फरनगर से शाहपुर-बुढ़ाना बड़ौत तक जाने वाला एक मुख्य मार्ग है जो आगे जाकर के दिल्ली तक पहुंचता है। मान्यवर, पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का उस मार्ग पर आना जाना रहता है, मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उस रोड का चौड़ीकरण और उस पर भी डिवाईडर बनवाने की कृपा की जाय। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरी इन मांगों को ग्रामीण क्षेत्र के विकास के हित में अपने बजट में सम्मिलित करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय सदस्यगण, अपने क्षेत्र की इस तरह की समस्या के बारे में कहना चाहते हैं वह माननीय मंत्री जी को लिख कर के दे दें तो वह और भी औचित्यपूर्ण होगा। जैसा कि अभी मलिक जी ने अपने क्षेत्र के मार्ग की समस्या के बारे में कहा है तो इस तरह से जिन सदस्यों के क्षेत्र में मार्ग की समस्या हो, तो वह सब माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी को लिख कर के दे दें तो माननीय सदस्यगणों को अपने और विचार रखने का मौका मिल जायेगा।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण लिख करके दे देंगे माननीय मंत्री जी को तो ज्यादा उचित रहेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, केवल एक मिनट दे दें, हमें अपनी बात कहने के लिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वर्मा जी आप केवल एक मिनट में ही अपनी बात कह लें।

*श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रस्तुत बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, लोक निर्माण विभाग द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें मैं केवल दो तीन निवेदन करना चाहता हूं। नम्बर-एक, जो राज्य सेक्टर और जिला सेक्टर सड़कें बनाई जा रही हैं प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत इन सड़कों के निर्माण की भी लायबिलिटी विभाग पर तय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होनी चाहिए, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष इन सड़कों की कुछ समय-सीमा होनी चाहिए। नम्बर-दो, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जिस सड़कों पर काम हो रहा है उनमें सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, शाहजहांपुर जनपद में फेज-3 का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। मेरा आग्रह है कि चूंकि भारत सरकार का पैसा है और फेज-3, फेज-4, फेज-5 के काम न होने के कारण इन सड़कों पर दूसरे विभागों से भी काम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इसको भी दिखवा लें और अधूरे कार्य को शीघ्र पूरा कराने का प्रयास करें, मान्यवर, मैं जिस जनपद से आता हूं, सीतापुर जनपद में मान्यवर, नैमिषारण्य का पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा स्थान है। श्रीमन्, सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य का स्थान हिन्दुस्तान की धरती पर बहुत बड़ा है और लखनऊ के आस-पास पर्यटन का बहुत बड़ा केन्द्र भी है, सांस्कृतिक नगरी भी है, धार्मिक नगरी भी है, मान्यवर, मेरा श्रेय सिधौली से है, बहुत कम रास्ता जाता है, चौड़ा है। माननीय मंत्री जी हमारे प्रदेश से पर्यटन उत्तरांचल चला गया है। मान्यवर, एक मिनट सुन लें। जब से उत्तरांचल यहां से चला गया उत्तर प्रदेश का पर्यटन लगभग खत्म हो गया है। हमारे यहां नैमिषारण्य एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। मान्यवर, सिधौली से नेमिष तक मार्ग चौड़ा है लेकिन इसका हॉट मिक्स प्लांट से निर्माण करवा दें। यहां पर देश/विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। मान्यवर, इसी तरह से लखनऊ से बहराइच बेहटा कुर्सी होकर रास्ता है। वहां पर पुल प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर के दे सकते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)-

बहराइच जाने के लिये घाघरा नदी पर विश्व बैंक की सहायता से पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लखनऊ जनपद में तो सड़क चौड़ी है, लेकिन बाराबंकी जनपद का कुछ हिस्सा जो लगभग 19 कि0मी0 है और जो इस रोड के बीच में पड़ता है, अर्थात् पुल और लखनऊ के बीच में जो रास्ता है, वह चौड़ा न होने के कारण वाहनों के आवागमन में दिक्कत होती है। इसलिये अनुरोध है कि इसके भी चौड़ीकरण का कार्य करवा दिया जाय और इस सुविधा को देते हुए बहराइच के लिये रास्ता खोल दिया जाय। मान्यवर, इसी के साथ मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, एक अनुरोध है कि मुझे कुछ ऐसा लगता है कि अगला जो विभाग का बजट आना है यह ऐसे समय लाना चाहते हैं जिस समय मैं नहीं लाना चाहता हूं। तो थोड़ी सद्बुद्धि हो जाये इसलिये चाहता हूं कि थोड़ी सोच समझ बढ़ जाये। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होनी है लेकिन इन्हें दिक्कत होगी। अगर कुछ मांग करने लगे तो मुझे प्राब्लम हो जायेगी।

श्री त्रिभुवन दत्त-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया है मैं इसके लिये आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, आज लोकप्रिय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के लोकप्रिय माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के द्वारा इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका जोरदार समर्थन करता हूं।

और, उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अभी माननीय गोप जी द्वारा यह कहा जा रहा था कि यह बजट तो सराहनीय है लेकिन कहीं यह बजट कागजों तक सिमट कर न रह जाये। मैं माननीय सदस्य का ध्यान दिलाना चाहता हूं और खासतौर से यह बात कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, बहन कुमारी मायावती जी की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं रहता है। हमारी नेता कहने में नहीं, करने में विश्वास करती हैं। मान्यवर, दिसम्बर, 2004 में जब जनपद अम्बेडकर नगर में लोक सभा की सीट पर उप चुनाव हो रहा था तो इस प्रदेश के तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री जी, लोक निर्माण राज्य मंत्री जी और तत्कालीन मुख्य मंत्री जी वहां पर गये थे और वहां पर बड़ी-बड़ी घोषणायें की गयी थीं गांव-गांव में जाकर अम्बेडकरनगर की कोई सड़क मुख्य मार्ग से अछूती नहीं रहेगी और हॉट मिक्स प्लांट से बनेंगी। और, भोली भाली जनता का वोट पाने के लिये हर मार्ग पर एक ट्रक गिट्टी गिरवा दी गयी और 10 मजदूर लगवा दिये गये और केवल चुनाव होने तक इधर से उधर उन्हें किया गया। आज बताना चाहता हूं कि वहां जिन सड़कों पर गिट्टी गिरी हुई थीं उस सरकार ने केवल घोषणाओं पर कार्य किया और उसे अमलीजामा पहनाने पर विश्वास नहीं किया। इसकी मैं निन्दा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट और सत्तापक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें।) आज इस बजट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस प्रदेश के कार्यों की गुणवत्ता को पूर्ववर्ती सरकार ने बड़े पैमाने पर खराब किया है। हमने टेंडर प्रक्रिया में सुधार का काम किया है। पूर्ववर्ती सरकार में टेंडर प्रक्रिया में जो माफिया ठेकेदारों की चलती थी इससे प्रदेश के लोग अवगत हैं। मान्यवर, अम्बेडकरनगर जनपद से सटा हुआ जनपद सुल्तानपुर है। और सुल्तानपुर जनपद में इस लोक निर्माण विभाग के टेण्डर को लेकर मान्यवर, 4-4 हत्याएं भी हो चुकी हैं वर्ष 2005 में और उसमें दुर्भाग्यवश एक सपा के ब्लाक प्रमुख की भी हत्या हुई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सदन के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को बधाई देना चाहिए, बहन कुमारी मायावती जी को बधाई देनी चाहिए कि जो इस माफियागिरी पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का कार्य किया है। निश्चित रूप से इस प्रदेश में जब माफियागिरी रुकेगी तो गुणवत्ता अपने आप बनेगी और इस प्रदेश को उत्तम और आदर्श प्रदेश बनाने में कोई कोरकसर बाकी नहीं रह जायेंगी।

दूसरी ओर मान्यवर, पूर्व राज्य मंत्री ने एक बात का जिक्र किया कि परियोजनाओं को रोकने से विकास कार्य अवरुद्ध हो जाता है। मैं भी इस बात से सहमत हूं लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं अम्बेडकर जनपद में आजादी के बाद से बड़े पैमाने पर उपेक्षित था वहां विकास की किरण को जोड़ने के लिये जलालपुर विधान सभा के लाखों लोग जो अम्बेडकर नगर कलेक्ट्रेट से सीधा जा सकते हैं शेखपुरा घाट पर हमारी नेता बहन कुमारी मायावती ने करोड़ों की लागत से एक बड़ा पुल बनवाने की स्वीकृति प्रदान की थी और वहां पर कार्य भी शुरू हो गया था लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जैसे ही हमारी सरकार गयी और इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मान्यवर, कार्य को रोकना तो ठीक था लेकिन कार्य को रोकने के साथ-साथ दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां की गिट्टी, मौरंग, सरिया, बालू उठाकर सैफई और इटावा भेजने का कार्य किया गया जिसकी बड़े पैमाने पर निन्दा करनी चाहिए। और इतना ही नहीं मान्यवर, जब बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर

जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना करके इस करोड़ों करोड़ों दलित शोषित लोगों के साथ साथ-साथ सर्वसमाज के लोगों को समता, स्वतंत्रता और बंधुता के आधार पर जीवन जीने का मौका दिया। जब उनके नाम पर कोई योजना चलती है तो इनके पेट में दर्द होता है लेकिन हम तो कहना चाहते हैं उस शायर की बात को कि

"किसी के हक को समझना गर तुम बगावत कहते हो,
तो हम बागी है बगावत काम है हमारा।
मिटाकर जुर्म को रख देंगे यही पैगाम है हमारा।।

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धान्त पर चलने का पैगाम ही बहुजन समाज पार्टी है इसलिये इससे हम डिगने वाले नहीं हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अशोक कुमार कंसल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, जिस समय यह कहा जाता है कि हम उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं तो थोड़ा डर लगता है क्योंकि पूर्व सरकार ने भी उत्तम प्रदेश का नारा दिया और एक परसेन्ट विकास कर व्यापारियों पर लागू किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं वह उत्तम प्रदेश तो नहीं बन पाया लेकिन बीमारू प्रदेश जरूर इसको बनाकर छोड़ दिया। जिस वजह से सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं अपने जनपद का कि पूर्व में 5 मंत्री हमारे यहां से हुआ करते थे जिसमें से 2 कैबिनेट और 3 राज्य स्तर के हुआ करते थे और जब भी कोई मंत्री जनपद में गया तो एक ही नारा था कि हमने विकास की गंगा बहा दी। लेकिन मुझे देखने में लगा विकास की गंगा नहीं बही लेकिन विकास जरूर गंगा में बह गया। अभी लोक निर्माण मंत्री जी मुजफ्फरनगर पधारे थे। तो अगर आप उस रोड से गुजरे होंगे तो आपके संज्ञान में सब आया होगा और मैंने तीन सड़कें पहले से लिखकर दी हैं आपके माध्यम से। तो मैं आपके माध्यम से ज्यादा न बोलकर एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि जनपद मुजफ्फरनगर मुख्यालय को जोड़ने वाली जितनी भी सड़के हैं, इतनी दयनीय अवस्था है उनकी, जैसा कि एक पौराणिक स्थल शुक्रताल जनपद मुजफ्फरनगर में पड़ता है तो मुजफ्फरनगर से शुक्रताल की रोड इतनी दयनीय अवस्था में है, उस पर आपकी कृपा हो जाय जो एक और पौराणिक स्थल है मैं दो-तीन बात और कहना चाहूंगा, बुढ़ाना कस्बे से शामली रोड, कांधला रोड, खतौली रोड इतनी दयनीय अवस्था में हैं कि वहां पर नदियों पर पुल बने हुए हैं उनके ऊपर अगर रेलिंग टूट गया तो वह नहीं है किसी भी समय पर कोई दुर्घटना हो सकती है उसकी ओर भी लोक निर्माण मंत्री जी ध्यान देंगे और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने लोक निर्माण मंत्री जी को कि कम से कम उन्होंने अपने बजट के अन्दर जनपद मुजफ्फरनगर की एक जानसठ रोड जो खटीमा जानसठ रोड भी कही जाती है, को जोड़ा है, उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए आपका पुनः धन्यवाद करता हूं।

(कई सदस्यों द्वारा बुलवाये जाने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आगे और भी महत्वपूर्ण बजट हैं, उन पर भी आप लोग अपने सुझाव देंगे। चलिये अच्छा अंसारी साहब आप अपनी बात कहिये।

श्री लालजी यादव-

मान्यवर, आपका ध्यान सिद्धार्थनगर जनपद की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, काफी इस लोक निर्माण विभाग के विषय पर चर्चा हो चुकी है और करीब-करीब ज्यादातर विचार आ चुके हैं। इसके बाद आवास और आबकारी विभाग के बजट पर चर्चा होनी है, इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कटौती उत्तर भाषण के लिये गोप साहब को और उसके बाद माननीय मंत्री जी को बुला लें।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप लोग लोक निर्माण विभाग पर बोलना चाहते हैं तो शेष जो विभाग के बजट हैं, उनको हम बिना चर्चा के पास करा दें, इस पर सब लोग सहमत हैं। बगैर चर्चा के पास कराने को तैयार हों तो इस पर हम एक घंटा और चलावें।

श्री लालजी यादव-

सिद्धार्थनगर मुख्यालय का जो पुल है वह टूटा हुआ है। बांसी नौगढ़ मार्ग पर। बांसी से सिद्धार्थनगर मण्डल मुख्यालय बस्ती का मण्डल मुख्यालय बिल्कुल टूट चुका है। लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है और नाव से एक व्यक्ति 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया देकर मुख्यालय जाते हैं और उस पर पीपा खड़ा है।

(व्यवधान के मध्य)

माननीय मंत्री से अनुरोध करना है बस्ती नौगढ़ मार्ग पर ककरही पुल पर छत लगवा दें जिससे एक महीने के अन्दर आवागमन हो जायेगां जनपद का दो तिहाई विधान सभा क्षेत्र की, चार विधान सभाएं हैं, बांसी, डुमरियागंज, इटवा खेसरहा आशिफ आदि क्षेत्र से सिद्धार्थनगर मुख्यालय पर जाने के लिये कोई रास्ता अवरुद्ध नहीं है। बीस किलोमीटर के रास्ते से हम लोगों को 70 कि0मी0 दूरी तय करके जिले पर जाना पड़ता है, कोई गरीब आदमी अगर दवा के लिये जिला अस्पताल जाता है तो बड़ी परेशानी होती है। दूसरी समस्या है गोरखपुर मण्डल जो जनपद का पुराना मण्डल था वहां पर एक मेडिकल कालेज है वहां से विधान सभा बांसी सिद्धार्थनगर की दूरी 100 किलोमीटर है, वहां पुल बनकर तैयार है सिर्फ बांसीढारी धानी मार्ग पर पुल को एप्रोच मार्ग बना दिया जाए तो सौ किलोमीटर की दूरी बहुत कम हो जायेगी। हमारे जिले में अभी बाढ़ और बरसात होने से गम्भीर भयंकर बीमारी इंसेफेलाइटिस होती है, इससे सबसे ज्यादा मौतें सिद्धार्थनगर जनपद में होती हैं, जनपद सिद्धार्थनगर बहुत गरीब क्षेत्र है और बहुत पिछड़ा जिला है। उसमें बांसी धानी मार्ग अधूरा पुल और एप्रोच बन जाए तो माननीय अध्यक्ष जी 40 कि0मी0 की दूरी कम हो जायेगी। लोग मेडिकल कालेज चले जायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मंडल मुख्यालय जाने के लिये एक पुल पड़ता है वह अभी बन रहा है उसके लिये मेरा अनुरोध है कि उस पुल के बनने से मंडल मुख्यालय से नेपाल बार्डर तक जुड़ जायेगा, इसलियें

उसे पूरा बनवा दें। यह पूरे जनपद की समस्या है माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें और केवल पुल का छत लगवा देंगे तो आवागमन शुरू हो जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, पूर्व में जो परम्परा रही है कि जो माननीय सदस्य अपनी बातों को नहीं कह पाये हैं वह अगर अपनी बातों को लिख करके दे दें तो उसे कार्यवाही का हिस्सा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

यही मैं निवेदन कर रहा हूं, जो लोग आज अपनी बात नहीं कह पाये हैं जो लोग अपनी बात कह चुके हैं उनके लिये नहीं, बल्कि जो लोग अपनी बातों को नहीं कह पाये हैं वह अगर अपनी बातों को आज लिख करके दे देंगे तो उन्हें कार्यवाही† का हिस्सा मान लिया जायेगा, लेकिन केवल आज ही मिल जाना चाहिए, कल आयेगा तो नहीं माना जायेगा।

श्री राजाराम त्यागी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, पांच अम्बेडकर ग्रामों को सड़क निर्माण के लिये जो बात कही गयी है, उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पांच अम्बेडकर गांवों से भला होने वाला नहीं है, कम से कम 15 ग्रामों को समायोजित किया जाना चाहिए। मान्यवर, एक अहम प्रश्न है लोक निर्माण विभाग के मामले में, मैं रायबरेली जनपद के बछरावां विधान सभा का प्रतिनिधित्व करता हूं। रायबरेली जनपद से लोकप्रिय नेता सोनिया गांधी जी सांसद हैं, वहां लोक निर्माण विभाग को काम करने के लिये पैसे की कमी नहीं है लेकिन पिछली सरकार ने रायबरेली जनपद के साथ पक्षपात किया है और वहां रायबरेली-लालगंज रोड को और रायबरेली बांदा-बहराइच मार्ग को सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा काफी पैसा दिया गया था परन्तु कार्य पूरा नहीं हो पाया है। चाहे रायबरेली-लालगंज की रोड हो, चाहे रायबरेली-हैदरगढ़ बांदा-बहराइच-महाराजगंज की रोड हो, चाहे रायबरेली सुकुल बाजार हो मान्यवर, पिछली सरकार ने ईर्ष्या व द्वेष के चलते वहां के सारे इन्जीनियरों और ठेकेदारों को गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण जेल भेज दिया गया और सारे कार्य रोक दिये गये।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, आपकी बात आ गयी।

श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, ठीक है, अगर गुणवत्ता ठीक नहीं है तो आप कार्यवाही करिये, गुणवत्ता की कमी के कारण जेल भेजा गया मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन काफी अधिकारी जेल से बाहर घूम रहे हैं आखिर कुछ अधिकारियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया ? मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 179-192 पर।)

यह सौतेला व्यवहार इसलिए हुआ कि विधान सभा चुनाव थे इसलिए उस सरकार ने आगे कार्य न हो सके उसको रोकने की वजह से ऐसा किया।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी, अब समाप्त करिये। आप लिखकर दे दीजिए। प्रदीप जैन साहब मा0 सदस्य को बैठाइये। मा0 अरविन्द कुमार सिंह गोप जी अपने विचार रखिये।

श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, इसलिए मैं कहना चाहता हूं पिछली सरकार की भांति यह सरकार काम न करे। जो काम अधूरे हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दे तथा अधूरे कार्यों को पूरा करने की कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की है तथा इसके लिए अधिकारियों की भी नियुक्ति की व्यवस्था नहीं की है। मेरी मांग है कि अधूरे कार्यों को पूर्ण करने की व्यवस्था इस बजट में की जाए। लखनऊ से वाराणसी मार्ग राष्ट्रीय मार्ग घोषित हो गया है उसके उपरान्त भी बंछरावां में उपरिगामी सेतु की व्यवस्था इस बजट में नहीं की गयी है जिससे आये दिन ट्रैफिक का जाम लगा रहता है और लोगों को काफी असुविधा होती है। अतः मैं मांग करता हूं कि बँछरावां म उपरिगामी सेतु की व्यवस्था की जाए।

मान्यवर, एक अंतिम बात कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में महराजगंज तहसील मुख्यालय है वहां पर कोई गेस्ट हाऊस नहीं है, इसलिए मैं मा0 लोक निर्माण मंत्री जी से मांग करता हूं कि वहां पर एक गेस्ट हाऊस दिया जाए। इसी के साथ माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप-

माननीय अध्यक्ष जी, तकरीबन ढ़ाई घण्टे से बजट पर चर्चा हो रही है तमाम वरिष्ठ सदस्यों ने, यह खुशी की बात है कि तमाम नये सदस्यों ने भी अपने विचार रखे हैं और तमाम बिन्दु निकलकर आये हैं। हमने भी कटौती पर जब बोला था तो मंत्री जी से यह अनुरोध किया था कि जो सुझाव है उसको गम्भीरता से ले लिया जाए। माननीय मंत्री जी, वरिष्ठ मंत्री हैं और तमाम नये सदस्यों की राय को सुना है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हम लोगों के सुझाव हैं चाहे 7 कि0मी0 की बात हो, चाहे जो अधूरे काम पड़े हैं उन पर पैसा देने की बात हो, मैं यही अनुरोध करता हूं कि 7 कि0मी0 की बात सबेरे से चल रही है और किसी विधायक का अधिकार ले लिया जाय इससे कष्ट की दूसरी बात नहीं हो सकती। पुरानी सरकार के हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने यह योजना चलायी थी। मैं यही चाहता हूं कि तमाम सदस्यों के सुझाव आये हैं उन सुझावों पर गम्भीरता से विचार करते हुए अपने उत्तर से पूरे सदन को सन्तुष्ट करें। मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय अग्रवाल जी का यही कहना है कि 7 कि0मी0 से ही शुरू करूं। मा0 गोप जी ने भी जोर दिय है कि 7-7 कि0मी0 जो सड़कों की बात बार-बार कही गयी है। इस सम्बन्ध में मान्यवर, यह 7 कि0मी0 का कार्य कराये जाने की कोई योजना, किसी तरीके की योजना नहीं थी। बल्कि तत्कालीन मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी ने इसी सदन में घोषणा की थी। 7-7 कि0मी0 जो रोडें

दी गई हैं चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के विधायक हों कुछ को तो लाभ मिला है लाभ सिर्फ उतना मिला कि शुरूआत हुई कुछ की तो शुरूआत भी नहीं हुई। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने हूं। मैं विधान मण्डल का सदस्य हूं। मैं इस सदन का भी सदस्य रहा हूं और अपर हाउस में भी इस समय हूं। सात कि0मी0 तो दूर रहा प्रस्ताव तक की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। एक इंच सड़क नहीं बनाई गई। मैं ही नहीं बहन ओमवती जी बैठी हैं और भी बहुत से सदस्य हैं चाहे लोक दल के सदस्य हों चाहे इस पक्ष के विधायक हों या उस पक्ष के कहीं एक इंच सड़क नहीं बनाई गई है। जिस योजना के साथ भेद भाव बरता जाय मेरी समझ में नहीं आता कि इनका क्या औचित्य है ? जहां तक 7 कि0मी0 मार्गों के निर्माण की बात है मैं बता दूं इसके तहत 671 करोड़ की लागत के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जबकि इनकी जब सरकार थी पिछले वर्ष 2006-07 में मात्र 123.63 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई।

यह खुद ही इसके पक्ष में नहीं हैं न ही इन्होंने इस पर ध्यान दिया यह इस बात से भी परिलक्षित होता है कि आज समाज वादी पार्टी के वरिष्ट सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं। वह सदन से गायब हैं केवल वकार साहब और गोप साहब उपस्थित हैं। अगर यह गम्भीर होते तो इस तरह से सदन से गायब नहीं होते। गोप जी उस समय सौभाग्य से या दुर्भाग्य से राज्य मंत्री थे इनकी हालत देखकर मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। गोप साहब को कितने अधिकार थे यह सब जानते हैं पूरा प्रदेश जानता है हिल नहीं सकते थे मैं अच्छी तरह जानता हूं। जहां तक उपकरण खरीदने की बात कही गई है यह फाइलों में रिकार्ड है वह कहीं नहीं चला जाएगा वह सच्चाई है हमारे दो महीने के कार्यकाल में जो आपने दिया है उसको निभाना है उससे हम भागेंगे नहीं। गत वर्ष जो उपकरण खरीदे गए थे उसकी धनराशि 14.63 करोड़ थी। इस साल अभी तो बजट में प्राविधान है वह खुद ही आप पढ़ेंगे इस साल हमने 30 करोड़ के उपकरण खरीदने का प्राविधान किया है आपके समय से दो गुने से ज्यादा का प्राविधान हम कर रहे हैं खरीद यह ज्यादा रहे हैं अब मेरी गणित कमजोर है कि इनकी गणित कमजोर है, यह फैसला यह सदन करेगा और आप करेंगे। मान्यवर, यह जो गुणवत्ता के बारे में कहा गया। मुझे उस समय बड़ी हंसी आई जब हमारे माननीय ओझा जी, शायद चले गये। हमारे सीनियर सदस्य हैं उन्होंने जब कहा कि हमारे नेता जी तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आदेश दिये, एक निर्णय लिया इत्यादि जो भी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किये कि कोई भी समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी ठेकेदार नहीं बनेगा। आज मैं माननीय पूर्व राज्य लोक निर्माण मंत्री से आपके सामने पूछ रहा हूं। मान्यवर, एक रोड है मैनपुरी जिले के बेवर से शुरू होती है और फर्रुखाबाद जाकर खत्म होती है। जोगिन्दर सिंह ठेकेदार थे, ठेकेदार हैं। वे समाजवादी पार्टी के क्या हैं ? जोगेन्द्र सिंह क्या हैं ? सब जानते हैं। पूरा सदन जानता है कि वे क्या हैं ? मान्यवर, एटा जिले का जिला पंचायत अध्यक्ष कौन हैं ? क्या सम्बन्ध है ? जोगिन्दर सिंह जी क्या हैं ? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा सदन जानता है, सब जानते हैं। पूरा प्रदेश जानता है। क्या किया है जोगिन्दर सिंह ने। अभी मैंने शुरूआत में कहा कि मैंने खुद रोड खुदवाकर देखी है। पेमेंट 32 सेमी0 का किया गया और मौके पर 13 से0मी0 ही निकली। जोगिन्दर सिंह जी एक तरफ रोड बन रही है और दूसरी तरफ रोड उखड़ रही है। मैंने अपने विभाग के इंजीनियर्स के साथ स्वयं जाकर सड़क का निरीक्षण किया। तीन जगह जाकर सड़कों को खुदवाकर देखा। समाजवादी पार्टी के लोग ठेकेदारी नहीं करेंगे,

ठेकेदार नहीं है फैसला हो गया है मान्यवर मैंने तीन जगह खुदवाकर देखी बुरी हालत और जब सम्बन्धित इंजीनयिर्स से पूछा कि सड़कों की गुणवत्ता का यह हाल है, पेमेंट किस हिसाब से कर दिया गया तो उन्होंने बताया कि हमको पकड़कर ले जाया जाता था, मारा जाता था पीटा जाता था। लिखकर दिया है मान्यवर उसने और एक नहीं कई-कई इंजीनियर्स ने लिखकर दिया कि समाजवादी पार्टी के जो ठेकेदार हैं, लोक निर्माण विभाग के जो ठेकेदार हैं वह हमको पकड़कर ले जाते थे, पीटते थे। एम0बी0 क़रवाते थे चेक कटवा लेते थे हमको साइट पर जाने का अधिकार नहीं था। मान्यवर, यह लोग आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैंने एक ही बात कही। मैंने एक बात कही मैनपुरी में जेल के पीछे रोड बनी है, पुल बना है, एप्रोच रोड बनी है। मैंने अपने अधिकारियों के साथ जाकर चेक किया। मुझे भी कुछ अंदाज है मान्यवर चेक करने का। मुझे सिखाने लगे कि यह 25 है ये 50 है। जब मैंने गिट्टी उठाकर दिखाई कि यह 25-50 है, क्या साइज है इसका तो कहने लगे कि यह ओवर साइज है। ओवर साइज तो छोड़िये एक काम हुआ, 30 परसेंट और 70 परसेंट के अनुपात में गिट्टी और मिट्टी का लेकिन मौके पर 70 परसेंट मिट्टी और 30 परसेंट गिट्टी देखने में आई। उसकी थिकनेंस में भी मान्यवर फर्क है। मान्यवर, यह बिहारी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी किसकी है ? कौन है बिहारी कन्सट्रक्शन कम्पनी का मालिक ? आज मैं किस-किस का नाम लूं। संजीव कौन है ? आज मैं पूरे सदन के सामने कहता हूं कि अभी मैंने कुछ इलाकों में जाकर चेक किया है। जैसे ही सदन अनिश्चित काल के लिये उठता है मेरी कोशिश होगी कि पूरे प्रदेश में अधिकतर जगह मैं अपने इंजीनियर्स की टीम ले जाकर जो भी इस तरह के माफिया ठेकेदार हैं, उनके बारे में यह सरकार प्रतिबद्ध है।

सुश्री बहिन मायावती जी का यह प्रण है कि माफियागर्दी इस प्रदेश में कहीं नहीं रहने दी जायेगी। जब इस प्रदेश में कहीं माफियागर्दी नहीं रहने दी जायेगी तो लोक निर्माण विभाग मे भी माफियागर्दी नहीं चलेगी। बड़े अफसोस की बात है कि सदन को गुमराह किया जा रहा है। विभागीय राज्य मंत्री रहे और समय बर्बाद किया जा रहा है। और भी बहुत बातें कही गई है। कहते हैं कि इस बजट में कोई योजना नहीं है आपने सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत कर दिये हैं इसमें कोई दम नहीं है। मान्यवर, इतनी महत्वपूर्ण योजना मैंने पढ़कर सुनाई है और ये कहते हैं कि हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है; इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं इनको बताई हैं कोई बिन्दु नहीं छोड़ा गया है, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा गया है। मान्यवर, जहां तक सेतु निगम और निर्माण निगम की बात कही गई है। मान्यवर, सेतु निगम का टर्न ओवर बताने की बात कही है। मैं बता दूं सेतु निगम का 80 करोड़ रुपये का टर्न ओवर रहा है। निर्माण निगम का 220 करोड़ रुपये का टर्न ओवर रहा है। इन्होंने क्या त्वरित विकास योजना की बात कही है पहले मैं बता दूं कि त्वरित विकास योजना नियोजन विभाग से सम्बन्धित है। लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था है। आपने यह नहीं बताया कि इस विकास योजना में आपने क्या किया ? आपने यह नहीं बताया कि समग्र विकास योजना में आपने क्या किया, एक इंच भी सड़क बनाई ? आपने योजना बना दी, योजना चला दी, आपने धोखा देने का काम किया है। बहन कुमारी मायावती की यह सरकार धोखा देने का काम नहीं करेगी बल्कि जमीन में काम करने का काम करेगी।

(मेजें थपथपाई गईं)

अफसोस की बात है आज सराहना होनी चाहिए थी। मैं क्या कहूं, अपनी-अपनी सोच है ? दूसरे मा0 सदस्यों ने बात उठाई है। मा0 राय साहब ने भी सात किलोमीटर की बात कही है। मैंने पहले बताया है सात किलोमीटर के बारे में। दूसरी योजनायें जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ग्राम विकास योजना से सम्बन्धित हैं। दूसरी योजनाओं से सम्बन्धित है उनके तहत काम करायेंगे। और मान्यवर हमारे सनातन जी ने भी सात किलोमीटर की बात कही है। इसी के साथ-साथ कुछ हमारे साथियों ने लुम्बनी दुद्धी मार्ग की बात कही है इसको मैं दिखवा लेता हूं। ककरहा पुल की बात कही है इसको मैं दिखवा लेता हूं। बांसी डुमरियागंज की बात कही है इसको भी मैं दिखवा लेता हूं। मान्यवर, जहां तक विश्वसनीयता की बात कही गई लोग कहते थे कि अगर कोई जांच करानी है, आपकी तरफ से भी कहा गया, मा0 ओझा जी की तरफ से भी कहा गया जांच करानी है हमारे बी0जे0पी0 के साथी बैठे हैं उनका भी यही मानना है। खासतौर से समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कहा कि अगर जांच करानी है तो पी0डब्लू0डी0 की विश्वसनीयता थी। किसी विभाग को किसी से जांच करानी है तो पी0डब्लू0डी0 से करा ली जाए। आज उसकी विश्वसनीयता घटी है। गलतफहमी है यह, घटी होगी दो महीने पहले, दो महीने के बाद काफी बढ़ी है चार दिनों में सामने आ गई और जो होगा वह भी सामने आ जाएगी।

(मेजें थपथपाई गई)

यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं बहुजन समाजवादी पार्टी की इससे पहले तीन बार सरकार रही। सुश्री बहन मायावती जी तीन बार मुख्य मंत्री जी रही लेकिन यह विभाग बहुजन समाजवादी पार्टी के कोटे में नहीं रहा। कभी इधर रहा, तो कभी उधर रहा हमारे पास कभी नहीं रहा। दो महीने से है। जो विश्वसनीयता घटाई है वह बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आज वह दोनों अगल-बगल बैठे हैं। कभी चिलमन से यह झांके, कभी चिलमन से वो झांके, चिलमन माने पर्दा होता है।

"कभी चिलमन से यह झांके कभी चिनमन से वह झांके।
लगा दो आग चिलमन में, न यह झांके न वह झांके।।"

जहां तक लोक निर्माण विभाग के बजट का सवाल है। आज आप लोगों ने विरोध किया। आज सत्तापक्ष ने सपोर्ट किया। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है सुश्री मायावती जी की अगुवाई की। सत्तापक्ष के सदस्यों ने इसका सपोर्ट किया। आज पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे बनी है एक कवि ने कहा था-

"जोड़ और गुणन खंड है हम, इसलिए अखंड हैं हम,
बाकी और भिन्न हैं आप इसीलिए खिन्न हैं आप।"

आपकी खिन्नता का मैं क्या करूं ? मैं तो इतना कहूंगा कि "जो खूब सहेजा था, वह पास नहीं मेरे, जो खूब लूटाया था, अब भी खजाने में ।" चाहिए तो ले लीजिए। एक वरिष्ठ नेता नहीं है यहां, हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, पहली बार जीते हैं, पीछे बैठे हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि जब समाजवादी पार्टी के उपनेता आते हैं तो मैं डर जाता हूं, पता नहीं कब हो-हल्ला होने लगे। कब कुएं (वेल) में कूद जायें ? मान्यवर, मुझे भी अजीब सा लगता है और मैं समझता हूं कि इस बात में हमारे दोनों सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य सहमत होंगे, विपक्ष के अगर सब नहीं सहमत होंगे तो आधे से ज्यादा जरूर सहमत होंगे। देख लीजिए, मान्यवर, हाथ भी उठा रहे हैं। मुझे एक बात कहनी थी,

वह नहीं है लेकिन आप लोग उन तक पहुंचा दीजिएगा कि "फलदार की नसीब में है, पत्थरों की चोट, यह हौसला नहीं है तो फिर बेसबर रहो।' बेसबर मतलब, फल नहीं लगना चाहिए। उसी पेड़ पर पत्थर आते हैं जिसमें फल होते हैं। "फलदार के नसीब में है, पत्थरों की चोट और यदि हौसला नहीं है तो बेसबर रहो, किरदार से और अखलात से बुलन्द हुआ करता है, नसीब।" वकार साहब समझ रहे होंगे। "अच्छा सलूक करिए, हर आदमी के साथ" बड़े अफसोस की बात है आज इसलिए मान्यवर....

(हंसी)

श्री अध्यक्ष-

आप इशारा याकूब साहब की तरफ किए हैं क्या ?

(हंसी)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, वह भी मेरे भाई हैं। सबके साथ अच्छा सुलूक करें, मान्यवर, उसमें इजाजत आपकी शामिल है। मैंने अच्छा सलूक के लिए अनुरोध किया और मुझे उम्मीद है कि मा0 वकार साहब, गोप साहब और मा0 सम्मानित सदस्य मेरी पंक्तियों को उन तक भेज देंगे।

डा0 वकार अहमद शाह-

झगड़ा कराना चाहते हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जहां तक बजट का सवाल है, अन्त में यही अनुरोध करना है कि यह प्रदेश को विकास की ओर ले जाने वाला बजट है, गांव-गांव तक खुशहाली देने वाला यह बजट है, किसान और मजदूरों को, इम्प्लाई को, व्यापारियों को, जो भी इस प्रदेश में रहते हैं उनको विकास की ओर ले जाने वाला यह बजट है। मैं अनुरोध करूंगा मा0 अरविन्द कुमार सिंह गोप जी से कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और सर्वसम्मति से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग के बजट को पास होने दें, धन्यवाद।

श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे उम्मीद थी कि मा0 लोक निर्माण मंत्री वरिष्ठ मंत्री हैं और मा0 सदस्यों की बात बड़ी गम्भीरता से सुने होंगे और कोई गम्भीर उत्तर आयेगा। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इतने महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर जो तमाम जानकारियों सदस्यों ने दी, उन बातों से हटकर, आलोचना तक ही सीमित रहे, यह मुझे उम्मीद नहीं थी और जहां तक विभाग का मामला चल रहा था, वहां शेर और शायरी के माध्यम से मा0 सदस्यों को खुश करने की कोशिश की, इसमें कोई बल नहीं है। मैं तो अब यह सोचने के लिए मजबूर हो रहा हूं कि कोई बढ़िया विभाग होता जिसमें शेर-शायरी का भी काम होता और यह भी उसमें जुड़ जाता और अच्छा रहता। मेरी पूरी उम्मीद थी मा0 मंत्री जी से।

श्री अध्यक्ष-

अभी आ रहा है उसी के बाद।

(हंसी)

श्री अरिवन्द कुमार सिंह गोप-

मान्यवर, जो उत्तर आया है, मैं ही नहीं कोई भी सदस्य इससे संतुष्ट नहीं होगा। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और पूरी तरीके से बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,39,80,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 46,27,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,07,50,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,24,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,32,98,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-1

आबकारी विभाग

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वर्ष में अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,08,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं बाद में बोल लेता हूं, पहले इसमें सुझाव आ जायें। अभी पी0डब्ल्यू0डी0 का बजट चल रहा था तो लगभग सभी ने कुछ न कुछ मांगा किसी ने सात मांगा, किसी ने पांच मांगा, किसी ने पन्द्रह मांगा, अगर इस विभाग में भी मांग लेंगे तो मैं क्या करूंगा। मुझे लगता है कि जो कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं वह जल्दी में हैं।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके पहले लोक निर्माण विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया था मा0 मंत्री जी द्वारा, उस बजट को प्रस्तुत करने के बाद उसके जवाब में शेरो शायरी हो जाय, तो उसे आबकारी विभाग में जोड़ दिया समय भी धीरे-धीरे हो रहा है। मैंने बहुत जानकारी की। माननीय मंत्री जी बांदा के हैं, मैं इलाहाबाद का हूं। पहले तो मैंने यह जानकारी करने की कोशिश की थी कि मा0 मंत्री जी को यह विभाग क्यों दिया गया ? टण्डन जी ने बात कही थी कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, राकेश धर त्रिपाठी जी उस समय थे, इस समय नहीं हैं, वह ब्राह्मण की बैसाखी पर आयी है। मैंने यह पता करने की कोशिश की है कि मा0 मंत्री जी को यह विभाग क्यों दिया गया ? ऐसा तो नहीं पीने की व्यवस्था ज्यादा रखते हैं या इस प्रकार के विभाग से ज्यादा इन्टरेस्ट है। लेकिन मुझे पता चला कि इनका इस विभाग से दूर-दूर तक सम्बन्ध नहीं है। मेरा भी इससे सम्बन्ध नहीं है, लेकिन मैं कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूं। तो मान्यवर, किसी भी प्रदेश को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए, किसी भी प्रदेश की उन्नति के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं। यह एक ऐसा विभाग है जिसके नाम से नशा आ जाता है। तो मैं यह कह रहा था कि तीन चीजें आवश्यक हैं-उसमें एक तो है श्रम, दूसरी वहां की शिक्षा और तीसरी चीज है पूंजी-मान्यवर, उत्तर प्रदेश हमारा भारत वर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां पर नौजवानों की संख्या ज्यादा है।

श्रम करने वाले लोगों की कमी यहां पर नहीं है। पूंजी की कमी नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में कहा था कि बहुत संसाधन हैं, यहां पर संसाधनों की कमी नहीं है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में पूंजी की कमी नहीं है। शिक्षा के विषय में भी बात कही गयी थी लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मान्यवर, श्रम नौजवान करता है और उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार नौजवानों की संख्या है क्या उसको आबकारी विभाग के बजट से दूर किया जायेगा, क्या नौजवानों को इस दिशा में कि वह श्रम करे तो शाम को जब घर लौटे तो उसके हाथों में दूसरी चीज हो मान्यवर, माननीय मंत्री जी हैं, बुद्धिजीवी हैं, सरकार पूर्ण बहुमत में हैं, कोई भी निर्णय ले सकती है। इसी भारत वष में गुजरात भी एक प्रदेश है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मान्यवर, कहीं इण्डस्ट्रीलाइजेशन में पीछे नहीं है, नौजवान भी वहां काम करने में पीछे नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहां बिजली की व्यवस्था न हो, कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहां 24 घण्टा विद्युत व्यवस्था न हो और मान्यवर, कोई गांव, कोई खेत, कोई किसान ऐसा नहीं बचा है जिसकी वहां की सरकार पूरी हिफाजत न कर रही हो। कोई खेत ऐसा नहीं बचा जहां नहरों का पानी पर्याप्त मात्रा में न पहुंच पा रहा हो। न पेय जल की समस्या है, मान्यवर, एक उदाहरण है। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शराब की बिक्री पर पाबन्दी है। क्या मान्यवर, उस प्रदेश का विकास रुक गया है ? विकास और आगे बढ़ा है और मान्यवर, जब से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से निरन्तर विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है और आबकारी विभाग के एक भी पैसे का वहां उपयोग नहीं हो रहा है और आबकारी विभाग के एक भी पैसे का वहां उपयोग नहीं हो रहा है। शराब पर टोटल बन्दी

है वहां पर मान्यवर, उनसे सीख लेना चाहिए। कम से कम हम लोगों को बुला करके पूछ लिया होता, हम ही लोग अपने माननीय मुख्य मंत्री जी से बात कर लिये होते, आबकारी विभाग को छोड़ करके किस प्रकार से राजस्व को बढ़ावा मिल रहा है, किस प्रकार से प्रदेश चल रहा है, उसकी जानकारी वहां से प्राप्त कर ली गई होती। मान्यवर, कुछ किया गया होता कि जो नौजवान है वह एक अच्छी दिशा पाता, काम से लगता।

मान्यवर, मैं बहुत छोटे लोगों की बात कहता हूं, आप बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी की बात करते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं, गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, अनुसूचित वर्ग के हित की बात करते हैं, मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चले चलिये। पहाड़ बाहुल्य क्षेत्र है, गिट्टी, पत्थर तोड़ करके लोग अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। मान्यवर, गिट्टी, पत्थर तोड़ने के बाद उसके जो छोटे-छोटे कण निकलते हैं उनसे नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। लोगों को पचास रुपये, सौ रुपये दिन भर का मेहनताना मिलता है, वह मेहनत का स्रोत जो आपकी देशी शराब की दुकानें खुली हैं अपनी कमाई का सत्तर प्रतिशत पैसा शाम को उस दुकान में दे करके अपना रोजी-रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। मान्यवर, क्या हम उत्तर प्रदेश को इस प्रकार से ले जाना चाहते हैं ? क्या ऐसे मेहनतकस नौजवानों को, जो अपने परिवार की रोजी-रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम उनको शराब पिला करके उनको किसी दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं ? मान्यवर, भारत सरकार में माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार एक ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया था कि जो पेट्रोल पम्प हैं, पेट्रोल उत्पादों पर पांच प्रतिशत एल्कोहल की मिलावट का निर्णय उन्होंने लिया था। मान्यवर, एक क्रान्ति आ गई थी। सीरा हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीरा कहीं नहीं होता है ? उस योजना के बाद सबसे ज्यादा हमने मिलाई और उस योजना के तहत सीरा का भाव बढ़ा। मान्यवर, जहां 40 रुपये 50 रुपये प्रति कुन्तल सीरा बिकता था, उस सरकार के, माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी के लिये गये निर्णय के कारण दुगना रेट उसका हो गया। हमारी चीनी मिलें चल रही हैं, किसान हैं, एग्रो बेस्ड हमारा प्रदेश है मान्यवर, किसान पर निर्भर है, गन्ना की खेती, गन्ना एक ऐसी फसल है जो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुतायत से हैं। आये दिन यहां पर किसी न किसी प्रकार से गन्ना के विषय पर चर्चा होती रहती है। कभी किसानों के भुगतान नहीं हो पा रहे हैं, कहीं-कहीं तो ऐसी स्थितियां मान्यवर, बीच में आ गई थीं कि किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा था, गन्ना का रेट ठीक से नहीं मिल पा रहा था और खड़ा गन्ना किसानों ने अपने खेत में आग लगा करके उसको जला दिया था, लेकिन मान्यवर, हमारी सरकार थी केन्द्र में, जिसने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था और उस ऐतिहासिक निर्णय लेने के बाद में गन्ना की खेती बढ़ी। लोगों को पैसे मिलने लगे, किसान खुशहाल होने लगा, लेकिन आगे क्या हुआ ? हमारी सरकार वहां की गई, उस पर रोक लग गई।

फिर थोड़ा शायद शुरू किया है।

मान्यवर, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां पर हम एल्कोहल का बहुत ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। केवल शराब बनाने में ही एल्कोहल का उपयोग हो जायेगा, केवल यह कह देना कि साहब शराब बेंच करके हम प्रदेश का राजस्व बढ़ा रहे हैं और प्रदेश में राजस्व में दसवें नम्बर पर शराब की बिक्री से हम राजस्व पा रहे हैं तो मान्यवर, इस तरह के राजस्व से क्या फायदा है जो प्रदेश के

नौजवानों को दूसरी दिशा में ले जाने का काम करे ? मान्यवर, एक और निर्णय हुआ था, मैंने इस पूरे बजट में देखा है, वर्ष 2007-08 के बजट को, इसमें कोई नई चीज नहीं दिखलाई पड़ी। राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पर्टी की सरकार थी, तो उसने शराब माफियाओं का खात्मा किया था। शराब माफियाओं का खात्मा करके छोटे-छोटे व्यापारियों को दुकानें दे करके लगभग 15 से 20 हजार परिवारों को रोजी-रोटी देने का भी काम किया था। मान्यवर, वह हमारा निर्णय था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्णय था। इस सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, इसमें कोई नई बात नहीं कहीं है। मान्यवर, न कोई नई बात इसमें आयी है। यह बजट पूर्णतया विरोधाभासी है। मैं केवल औपचारिकता मात्र के लिये यहां नहीं खड़ा हुआ हूं मैं केवल औपचारिकता मात्र के लिये यहां नहीं खड़ा हुआ हूं। हमारी पार्टी की सरकार ने माफिया राज को खत्म करने का काम किया था। अब यह जो बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आयी है और जो अनुसूचित जाति वर्ग के हित की बात करती है सर्व समाज की बाज करती है। उसने एक ऐतिहसिक निर्णय ले लिया मान्यवर, उत्तर प्रदेश के लिये काला दिवस माना जायेगा 30 जून का दिन। मान्यवर, एक कम्पनी को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। आपका चीनी मिल संघ है, यह कहा गया कि शराब की जो व्यवस्थायें हैं एफ0एल0, सी0एल0-1, सीलएल0-2, जिसके अन्तर्गत सी0एल0-1 से उठकर सी0एल0-2 में जाती है फिर जो फुटकर विक्रेता है उनके पास जाती है, उसमें लाइसेंस देने का काम किया गया। मान्यवर, क्या एक दिन में ढेर सारे काम यह सरकार कर लेगी फिर पांच वर्ष तक क्या करेंगी ? आप इतनी हड़बड़ी में है कि एक दिन में सारे निर्णय लेकर पांच साल का कोटा पूरा करना चाहते हैं। मान्यवर, 30 तारीख को एक निर्णय यह हो जाता है कि अब जो सी0एल0-1 से सी0एल0-2 में जाती थी, अब उसके अन्तर्गत एक नया सी0एल0-1 ए गोदाम बना दिया गया कि उसमें जायेगी। इसको चीनी संघ को दे दिया जायेगा वह इस बात की जांच करेगी कि कहीं नकली तो नहीं जा रही है। होलोग्राम युक्त शराब जा रही है। एक-एक पेटी खोली जायेगी एक-एक होलोग्राम देखा जायेगा। फिर वह वापस सी0एल0-2 में जायेगी।

यह सी0एल0-2 उसी की डिस्टलरी है, सी0एल0-1 उसी की डिस्टलरी है। सी0एल0-1 चीनी संघ का है। एक कम्पनी से शराब लेंगे गोदाम में उसकी जांच करेंगे फिर कम्पनी को वापस करेंगे और वह फुटकर विक्रेता को देंगे। सरकार में भी मान्यवर इसको लेकर विरोधाभास है ऐसा नहीं है कि सभी लोग इससे सहमत हैं। संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने एक पत्र आबकारी आयुक्त को लिखा है उस पत्र का शीर्षक है प्रदेश की आबकारी नीति वर्ष 2007-08 में आवश्यक परिवर्तन। इसमें है कि इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस कार्य का करने का जो दायित्व आप द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, लखनऊ को सौंपा गया है वह यह कार्य शासन के निर्णयानुसार केवल हैण्डलिंग एजेण्ट के रूप में करेंगे और अपनी पूंजी का विनियोजन नहीं करेंगे। संयुक्त सचिव का जो पत्र है वह यह कहता है कि चीनी मिल संघ हैण्डलिंग का कार्य करेंगे होलोग्राम की जांच करेंगे। मान्यवर, कर्मचारियों की वहां बहुतायत में संख्या है कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है शायद इसी दृष्टि से यह निर्णय लिया गया। या यह था कि अच्छी क्वालिटी की शराब जाये लोग मदहोश हो जायें और फिर मदहोश होकर कुछ भी करें। मान्यवर दूसरी तरफ जो आबकारी आयुक्त हैं जो प्रदेश की सारी शराब की व्यवस्था को देखते हैं। उनका एक पत्र है। उस पत्र में वह

दूसरी चीज कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0 को आसवनियों, एफ0एल0-1, एफ0एल0-2, एफ0एल0-1 ए एवं बंधित गोदामों से मदिरा क्रय करके थोक विक्रय हेतु देशी शराब के लिए सी0एल0-1 ए लाइसेंस व विदेशी मदिरा के लिये एफ0एल0-1 बी लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है। मात्र इसमें एक जगह यह कह रहे हैं कि चीनी संघ का कोई पैसा नहीं लगना है। मान्यवर, यह पत्र आबकारी आयुक्त का है जो पूरे विभाग की लगाम लगाकर रखता है सारी जांच करता है उसने कह दिया कि चीनी संघ क्रय विक्रय करने का काम करेगी। उसी दिन एक अच्छा निर्णय हो गया 30 जून मैं बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण तारीख हो गयी है। सी0एल0-1, सी0एल0-2 के बीच रेट रख दिया। सी0एल0-1 और सी0एल0-1 ए, के बीच कोई दाम निर्धारित नही करते हैं। एक लाईन के निर्णय से कितना बड़ा घपला हो गया है और इतनी बड़ी पूंजी कहां चली गई है ? मान्यवर, इससे उपभोक्ताओं, व्यापारियों को क्या लाभ मिला ? आप जो अच्छी गुणवत्ता की शराब देना चाहते हैं उसमें क्या लाभ दे दिया ?

अगर हम अच्छी गुणवत्ता की शराब बेचना चाहते हैं तो हमने उसको क्या लाभ दे दिया ? और इसी के बीच में उसी 30 तारीख को आबकारी विभाग ने चीनी संघ को लाइसेन्स जारी कर दिया और सरकार यह कहती है कि चीनी संघ कोई पैसा नहीं लगायेगा और जो लाइसेंस जारी हुआ उसकी पहली शर्त क्या है उसको मैं आपके बीच में रख दूं। उसकी पहली शर्त है-अनुज्ञापी देशी शराब की उठान नियम-8 के उपबंधों के अनुसार मूल्य एवं प्रतिफल फीस को सम्मिलित करते हुए आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित एक्स आसवनी मूल्य का भुगतान करके अनुज्ञापित देशी मदिरा निर्माता आसवनियों से करेगा। मान्यवर, एक तरफ तो चीनी संघ के पास पैसा नहीं है दूसरी तरफ यह कहां से भुगतान करके चीनी संघ डिस्टलरी से माल खरीदकर नीचे देगा ? मान्यवर, इसके बीच में एक और महत्वपूर्ण चीज आ गयी। यह सारी कवायद किस लिए की गयी। यह सारी कवायद की गयी एक कम्पनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए की गयी। मान्यवर, मैंने कहा कि इस सरकार में बहुत तेज काम हो रहा है 5 साल का काम शायद 2-4 दिन में ही कर लेने की मंशा इस सरकार की है। 5 जून को एक फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है और उस फर्म का नाम है ब्लू वाटर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि0।

मान्यवर, इंडियन नान गवर्नमेन्ट कम्पनी है यह और चीनी संघ की यह कोई पार्टनर नहीं है। और जो चीनी संघ ने एजेन्ट नियुक्त किये गये मण्डलों में वह इस कम्पनी के लोगों को अपना एजेन्ट नियुक्त कर दिया। अब चीनी संघ के पास कोई कर्मचारी नहीं था जो होलोग्राम की जांच कर लेता, चीनी संघ के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो उस पूरी व्यवस्था के तहत सही शराब जा रही है या खराब शराब जा रही है, सबमें होलोग्राम लगा है या नहीं लगा है इसकी व्यवस्था करने का चीनी संघ के पास न कोई जगह थी न कोई स्टाफ था न तो सरकार के पास दूसरी कोई मशीनरी ऐसी थी जिससे वह इसकी जांच कर लेते इन्होंने एक कम्पनी का रजिस्ट्रेशन किया, 5 जून को कम्पनी का रजिस्ट्रेशन होता है, 30 जून को उस कम्पनी के लोग हर मंडलों में पहुंच जाते हैं उनको लाइसेन्स प्राप्त हो जाता है कि आप इसकी जांच करेंगे। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने जो आबकारी विभाग माफिया राज को समाप्त किया था वही माफिया राज पुनः प्रारम्भ करने की एक योजना इस सरकार द्वारा बनाई जा रही है। मान्यवर, यह पता करा लिया आपको भी अधिकार है, माननीय मंत्री जी तो

जानते ही होंगे, कुछ और लोग सत्ता पक्ष के जानते होंगे बहुत से मंत्री लोग हैं आप यह पता कर लीजिए कि यह ब्लू वाटर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि0 है किसकी ? मान्यवर, क्या यह वही माफिया लोग नहीं हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिन्डीकेट तोड़कर के प्रदेश के आबकारी विभाग से बाहर किया था। इसको मैं दावे के साथ कहता हूं और इसमें जो ढील हुई है उसको भी कह सकता हूं। लेकिन इसकी आप जांच करायें, इसका पता करें कि क्या हम वापस उन 15 या 20 हजार परिवारों को बेरोजगारी और भुखमरी की कगार पर नहीं डाल रहे हैं। और इन सिंडीकेट के माफियाओं को वापिस लाने का कुचक्र नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, उसी 30 तारीख को चीनी संघ ने एक पत्र भी जारी कर दिया।

मान्यवर, आबकारी विभाग के इतिहास में 30 जून, 2007 काला दिवस के रूप में मनाया जायेगा क्योंकि सारी की सारी पालिसी इस प्रकार निर्धारित कर दी गयी है माफियातन्त्रों का आबकारी विभाग में पूरा कब्जा हो जाय, माफियातंत्र इसमें हावी हो जाय फिर से मंडलवार पहले की तरह सिंडीकेट बना लें उसके बाद पूरे प्रदेश को किसी एक दो विशेष लोगों के कब्जे में दे दिया जाय और वह विशेष लोग आबकारी विभाग को बढ़ाने का काम करें, नौजवानों को शराब पिलाने का काम करें, इस प्रदेश और देश में हमारे नौजवानों की ऊर्जा है उसको शराब की तरफ ढ़केल कर हमारी ऊर्जा को नष्ट करने का काम करें। अपनी मोटी कमाई कमाये, अपना काम करें बाकी प्रदेश की जो जनता है जिसकी ये हित की बात करते हैं उसके विषय में सोचने का इनके पास कोई समय नहीं है। आबकारी चीनी संघ ने उसी 30 तारीख को एक पत्र जारी किया है। दिनांक 30 जून, 2007 द्वारा हमारी संस्था को थोक मदिरा व्यवसाय के व्यवस्थापन का कार्य आपके विभाग द्वारा सौंपा गया है। उसी दिन आवेदन पत्र प्राप्त किया गया और उसी दिन आवेदन-पत्र स्वीकृत किया गया और उसी दिन चीनी संघ ने अपने विक्रेताओं जो ब्लू वाटर इंडस्ट्रीज को अपना सहयोगी बताया और सहयोगी बताकर मंडल में उसके प्रतिनिधि भेजा कि आप जाइये और वहां की व्यवस्था देखिये। मान्यवर, मैं दावे के साथ कहता हूं, माननीय मंत्री जी अगर आप हिम्मत रखते हैं तो हिम्मत से कहिये और अपने जवाब में भी इस बात को कहियेगा कि जिन लोगों को, इस ब्लू वाटर इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों को मंडलों में भेजा गया है और वहां पर सेल्समैन बनाकर सी0एल0वन0ए0 गोदाम का इंचार्ज बनाया गया है क्या यह वही माफिया तंत्र के लोग नहीं हैं जो पुराने लाइसेंसी थे, जो पुराने सिंडीकेट का काम करने वाले लोग थे। मान्यवर, हम प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम कहीं रोजगार देने की बात करते हैं, कहीं कोई और बात करते हैं ? मान्यवर, बिना शराब बिक्री के भी काम चल सकता है, ऐसा नहीं है कि बिना इसके काम नहीं चल सकता। इसके अलावा मान्यवर, एक पूरी प्रक्रिया होती है। अभी पी0डब्लू0डी0 की माननीय मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, बहुत से विभागों की चर्चा कर रहे थे, नहर की खुदाई का भी काम होता है तो उस नहर की खुदाई के काम के लिये भी टेन्डर मंगा लिये जाते हैं।

मान्यवर, यह 20 दिन पहले रजिस्टर्ड जो एक कम्पनी है यह कैसे चीनी संघ की सहयोगी कम्पनी हो गयी कि बिना टेन्डर के ही, पूरे प्रदेश का सारे का सारा कार्य दे दिया गया। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जब वह अपने जवाब के लिये खड़े होंगे तो बतायेंगे कि इसके पीछे कौन से लोग हैं, कौन से माफिया तंत्र ऐसे हैं, कौन से सिंडीकेट के लोग हैं जो वापस इस पूरी की पूरी नीति को बदलकर के अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और प्रदेश की पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था

को ध्वस्त करना चाहते हैं। मान्यवर, बहुत सी बाते हैं लेकिन मैं ज्यादा बातों पर नहीं जाना चाहता, आप बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बनते हैं, आप गांधी जी को माने या न माने यह आपके ऊपर है, लेकिन मान्यवर, गांधी जी भी कहते थे, हम तो मानते हैं, पूरा देश मानता है, देश ही नहीं, विदेशों में भी उनकी मान्यता है। पूरा का पूरा भारतवर्ष महात्मा गांधी के नाम पर एक रहता है। महात्मा गांधी जी भी यही कहते थे कि देश में कुछ भी हो जाय लेकिन शराब और शराबियों को बढ़ावा न दिया जाय क्या मान्यवर, हम शराब को बढ़ावा देने के लिये यहां हैं ? शराबियों को भी बढ़ावा देने के लिये यहां हैं ? आप उनकी बात न करें लेकिन मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की ही बात करता हूं, वह भी कभी इस पक्ष में नहीं रहे होंगे कि शराब की बिक्री कराई जाय और नौजवानों को शराब के नशे में ढकेल दिया जाय औार नौजवान शराब पीकर किसी भी प्रकार की हरकत करें। मान्यवर, एक मैं समाचार देख रहा था टी0वी0 में। एक कोई डी0आई0जी0 साहब थे और कोई एक आई0ए0एस0 महिला थी, उनके साथ शराब पीकर नशे में उन्होने कुछ न कुछ बदतमीजी कर दी, बाकायदा टी0वी0 चैनल में आ रहा था मान्यवर, क्या हम ऐसा विभाग चलाना चाहते हैं जिसमें एक पढ़ा-लिखा आई0पी0एस0 अधिकारी, एक आई0ए0एस0 अधिकारी के साथ राह चलते ट्रेन में बदतमीजी करने की हिमाकत कर सके। मान्यवर, मैं तो सोचता था कि यह तो छोटे कर्मचारी, छोटें अधिकारी करते होंगे। लेकिन इलाहाबाद में जानसनगंज चौराहा है, बहुत व्यवस्तम चौराहा है, इतनी भीड़ रहती है कि आपको वहां से पार होने में बड़ा समय लगेगा। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो पैदल आप जल्दी पहुंच जायेंगे लेकिन गाड़ी से जाने में देर लगेगी। एक दिन वहां एक दरोगा जी अपनी कपड़े उतारकर सरे चौराहे नाच रहे थे हम लोंगो को समझ में नहीं आया कि यह नजारा है क्या ? ऐसा लगा कि हो सकता है कि इनके किसी वरिष्ठ अधिकारी ने इनका उत्पीड़न किया हो, या किसी राजनेता से ऐसी बात हो गयी हो, जो यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हो सकता है एस0एस0पी0 से कहीं इन्होंने अपनी पोस्टिंग मांगी हो, इनकी पोस्टिंग न हुयी हो तो यह उसका विरोध इस रूप में कर रहे हैं। लेकिन मान्यवर, बाद में जानकारी मिली तो मालूम चला कि आबकारी विभाग का नशा उनके ऊपर इतना था कि सारे कपड़े उतारकर वह दरोगा जी सरे चौराहे डांस करने में लगे थे।

मान्यवर, हम क्या मैसेज देना चाहते हैं क्या हम इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, क्या हम उनको इस प्रकार की शराब पिलाकर के कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं ? मान्यवर, आप अभी ब्राह्मणों की बात कर रहे थे माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में बहुत सी छुट्टियों का जिक्र भी किया है कि इन-इन दिनों हम छुट्टी रखते हैं, और पहली अप्रैल से नई शराब की व्यवस्था लागू होती है। मान्यवर, हम सब पढ़े-लिखे लोग हैं, पहली अप्रैल तो हम लोग फूल मानकर चलते हैं तो क्या मान्यवर, हम लोग प्रदेश को फूल बनाने का काम कर रहे हैं। इस व्यवस्था को पहली अप्रैल से लागू करने का क्या औचित्य बनता है ? मान्यवर, मैं तो एक बात कहता हूं, सारी बाते एक तरफ हो जायेंगी, शराब की बिक्री करके आप मैसेज क्या देना चाहते हैं। मान्यवर, एल्कोहल है, हमारे प्रदेश में हम नहीं चाहते हैं कि चीनी उद्योग बन्द हों, आज भी हम जितना एल्कोहल पैदा कर रहे हैं, उसकी खपत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्रियों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम एल्कोहल से बना सकते हैं। जरूरी नही है कि शराब ही

बनायें यह आवश्यक नहीं है कि हम समाज को शराब के नशे में ढकेल करके अपने वित्तीय संसाधनों को ठीक करें।

श्री अध्यक्ष-

समय का ध्यान रखें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, बहुत भारी रिएक्शन होता है एल्कोहल का। (सत्तापक्ष की ओर से कैसे मालूम आपको)।

श्री उदयभान करवरिया-

मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, आपको ज्ञानवर्धक दे सकता हूं और आप अगर कहेंगे तो आपको इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। लेकिन मान्यवर, एल्कोहल का बहुत बुरा रिएक्शन होता है और मान्यवर, यह तो रिएक्शन होता है और आप इस रिएक्शन से क्या देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को। क्या यहां भी कोई रिएक्शन पैदा करना चाहते हैं, अगर रिएक्शन पैदा ही करना है तो इस एल्कोहल को इंडस्ट्री में लगा दीजिये, गैसोलीन बना दीजिये, पेट्रोल की खपत बढ़ जाएगी। पेट्रोल में मान्यवर, हमारे देश में 1964 से पहले हम पेट्रोल में एल्कोहल 25 परसेन्ट तक इस्तेमाल करते थे। प्रदूषणरहित गाड़ी होती है और एल्कोहल का अगर इस्तेमाल पेट्रोल में करने लग जाएं तो एक तो हमें प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी बल्कि माननीय पर्यावरण मंत्री जी को भी बड़ी सहायता मिल जाएगी क्यों कि कभी-कभी रास्ते में देखते हैं लोग बड़ी-बड़ी मशीने लिये हुये खड़े होते हैं और कहते हैं आपकी गाड़ी में धुआं बहुत है। तो मान्यवर, हम उसका इस्तेमाल वहां कर लें, बहुत जगह पर उपयोग कर सकते हैं। केवल यह कहकर अपनी पीठ थपथपा लेना कि हम शराब से बहुत बड़ा राजस्व अर्जित कर रहे हैं, मान्यवर, मैं इस बात का घोर विरोध करता हूं। मान्यवर, एल्कोहल बनाइये, उद्योग लगाइये, प्रदेश का नौजवान एक सही दिशा को तो पकड़े। मान्यवर, आबकारी नीति में यह भी प्राविधान कर दिये गये कि मन्दिर और मस्जिद के बगल में मदिरालय नहीं खुलेंगे, विद्यालय के बगल में नहीं खुलेगा। मान्यवर, मेरे साथ चलें, किसी एक शहर की बात नहीं कर रहा हूं, एक दिन आप यहां से निकलिये तो लखनऊ का एक चक्कर लगा लीजिये कि कहा-कहां मदिरालाय है। मान्यवर, जो मदिरालय हैं, उसमें बोर्ड क्या लगे हैं, मान्यवर, ऐसे ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं कि उसको पढ़ लें तो लगता है जैसे किसी पिक्चरहाल का बोर्ड लगा हो। माधुरी, बताइये कितनी अच्छी हिरोइन का नाम है, और मदिरालय में बोर्ड लगा है माधुरी, अब आदमी उसे मदिरालय समझेगा या पिक्चरहाल समझेगा।

(सत्तापक्ष के सदस्यों के द्वारा टोकाटोकी करने पर)

श्री उदयभान करवरिया-

जब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे तो आप उनका सहयोग कीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, जो लोग टोकाटोकी कर रहे हैं, उनके समय का हमें पूरा ध्यान है मैं ऐसे विभाग की चर्चा कर रहा हूं कि मैं जान रहा हूं कि उनका समय हो रहा है। मैं अपनी बात को कम करके आगे बढ़ रहा हूं। मान्यवर, लखनऊ में नाका चौराहा, दीप अवध होटल के बगल में मंदिर के ठीक सामने मदिरालय है। बहुत बार इस मामले को उठाया गया और वहां पर विद्यालय भी है, होटल भी है, मंदिर भी है, मदिरालय भी है। मान्यवर, अभिताभ बच्चन जी के पिता हमारे इलाहाबाद के थे, उन्होंने मधुशाला लिख डाली, लेकिन मान्यवर, उसमें एक चीज बहुत अच्छी लिखी है कि कहीं कोई मेलजोल होता हो या न होता हो लेकिन मदिरालय में आप जाइये तो मेलजोल हो जाता है। चाहे वह हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, मदिरालय की मित्रता बहुत अच्छी होती है तो क्या माननीय मंत्री जी मदिरालय को बढ़ावा दे करके लोगों के बीच का सामंजस्य बढ़ा रहे हैं। आप वैसे भी कहते हैं कि हम सारे समाज को एक साथ ले करके चलेंगे, सारी जातियों को एक साथ ले करके चलना चाहते हैं तो कही ऐसी मंशा तो सरकार के मन में नहीं आ गई है कि जितना मदिरालय को बढ़ावा दीजिये और जितने मदिरालय खुलेंगे उतना समाज में सामंजस्य बहुत अच्छा बन जायेगा। मान्यवर, कम से कम आपकी जो नीतियां हैं, आपने जो अपने लाइसेंस में दे रखा है, आपने जो प्राविधान कर रखे हैं, उसका तो कम से कम अनुपालन कर लीजिये। पालिसी कहां से आई है, मान्यवर, इस व्यापार में फिर से माफियातन्त्र को लाने का कुचक्र इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मान्यवर, मैं एक बात और कहूंगा, बहुत लम्बी बात नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे पूरा-पूरा ध्यान है, समय का ध्यान रखना है, बहुत से लोगों में हलचल मच रही है। बाबा साहब ने कभी यह नहीं कहा था कि शराब का सेवन इस प्रदेश के नौजवान करे या इस देश के नौजवान करें और मैं बहुत विचलित था। हमारे यहां अभी राष्ट्रपति जी का चुनाव होने वाला है अभी एक दिन अखबार में एक खबर आयी थी कि हमारी जो [xxx] हैं।

श्री अध्यक्ष-

करवरिया जी, यहां पर किसी का नाम न लें।

श्री उदयभान करवरिया-

मैं कोई अपमानजनक बात नहीं कहने जा रहा हूं, मैं मदिरा से या शराब से नहीं जोड़ने जा रहा हूं। मैं सम्मान से उनका नाम लेता हूं। एक दिन अखबार में एक समाचार छपा था कि उनके गुरू जी की आत्मा उनके सपने में आयी और उन्हें आशीर्वाद दिया, मुझे भरोसा नहीं हुआ, मुझे लगा कि यह तो काल्पनिक बातें हैं, मनगढ़न्त बातें हैं, ऐसा क्या हो सकता है कि किसी के गुरू सपने में आयें और आशीर्वाद दें। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बाबा साहब के अनुयायी हैं क्या उन्होंने सपने में आकर आपसे कहा था कि आबकारी नीति को और बढ़ावा दे दीजिये। मुझे लगता है कि मान्यवर, मैं बहुत गहन चर्चा में लगा रहा कि संविधान की किताब लिखने वाले, इस देश को एक अच्छी दिशा देने वाले, इस देश से जातिवाद को समाप्त करने वाले, इस देश की ऊर्जा को कैसे

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इस्तेमाल किया जाए इस पर विचार करने वाले महापुरुष जिनके आप अनुयायी हैं। [xxx] मान्यवर, मैं नहीं समझ पाता था लेकिन मुझे कल सपना आया, मुझे आ सकता है तो आपको भी आ सकता है, आपको भी आता होगा, सत्तापक्ष और विपक्ष के लोगों को भी सपना आता होगा, जो भी लोग हैं संसार में सपना देखना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। [xxx] (सत्तापक्ष के कई माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर खड़े हो गये और कहने लगे कि यह बाबा साहब का अपमान है, बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे, इसको कार्यवाही से निकाला जाय)

श्री उदयभान करवरिया-

अगर बुरा लग गया तो मैं अपनी बात वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 करवरिया जी यह जो आपने उदाहरण स्वरूप दिया है यह मेल नहीं खाता है, मैं इसको कार्यवाही से निकलवा दे रहा हूं। अब आप लोग आसन ग्रहण करिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूं। मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

माननीय सदस्य काफी समझदार हैं, यही भर नहीं इससे पहले भी महात्मा गांधी जी का, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इससे पहले भी लिया, कम से कम इतना सोचना चाहिये कि यहां सभी जिम्मेदार लोग हैं, समझदार लोग हैं बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारी बहिनें भी हमारे बीच में हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इमोशन से जुड़े हुये हैं, आप भी किसी महापुरुष से जुड़े हैं अगर मैं ही इस तरीके की बात जिसको आप महापुरुष मानते हैं, मैं कहने लगूं, हमारे सदस्य कहने लगे वह भी निन्दनीय है। इस बात की निन्दा होनी चाहिये और अनावश्यक रूप से ऐसा भाषण देने का कोई मतलब नहीं है केवल सदन का समय बर्बाद हो रहा है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मैंने कहा कि उनका भाव ऐसा नहीं था। इसको कार्यवाही से निकलवा दें, अगर किसी को ठेस पहुंची है तो इसके लिये मैं खेद व्यक्त करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उदयभान करवरिया-

आपको मेरी बात अगर बुरी लगी तो मैं उसके लिये खेद प्रकट करता हूं।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

करवरिया जी बहक गये हैं।

श्री उदयभान करवरिया-

मैं बहक नहीं रहा हूं यह विभाग ही ऐसा है। महापुरुषों के लिये हमारे मन में आदर और सम्मान है। हम भी दीन दयाल उपाध्याय को मानने वाले लोग हैं। जिन्होंने पूरे समाज को एक करने का बीड़ा उठाया था। बहुजन समाज पार्टी के लोग महापुरुषों को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आगे कहये।

श्री उदयभान करवरिया-

मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि शराब की दुकानें ऐसी जगहों पर खुल रही है जो समाज के हित में नहीं है। लड़कियों का स्कूल है, लड़कों का स्कूल है उसके सामने यह दुकानें खुली होंगी तो समाज में क्या मैसेज जाएगा। मान्यवर, कोई मंदिर है मंत्री जी कह भी सकते हैं कि कहां मंदिर है तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इलाहाबाद में अतरसुइया मुहल्ले में मंदिर के पास शराब की दुकान है लोग शराब खरीदने जाते हैं और स्कूटर मंदिर के पास खड़ी कर देते हैं। और लौटकर शराब मंदिर के पास पीते हैं। इन सारी चीजों पर रोक लगनी चाहिये। जो नियमावली बनी है उसके अनुसार कार्य करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री उदयभान करवरिया-

अब अंतिम बात सुन लें। बजट के पहले पृष्ठ में दिया है मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व अर्जित किया जायेगा अवैध एवं मादक पदार्थों की बिक्री को हतोत्साहित किया जायेगा। एक तरफ तो यह स्वीकार कर रहे हैं कि शराब मादक है यह स्वास्थ्य कि लिये हानिकारक है दूसरी तरफ इसकी बिक्री से राजस्व बढ़ाने की बात करते हैं। जब आप इसको मादक पदार्थ मान रहे हैं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक मान रहे हैं तो क्या यह जरूरी है कि इसको लाइसेंस दिया जाय। यह एटम है उससे बम भी बन सकता है। एटम बम बनाकर किसी शहर में डाल दीजिये उससे पूरा का पूरा शहर नष्ट हो जाता है और उसको दूसरे रूप में इस्तेमाल कर लीजिये तो उससे बिजली के उपक्रम लग जाते है। इसे बहुत से रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि एटम के उपयोग में एटम बम भी बनाया जा सकता है तो एटम बम बनाने की छूट दे दें कि आप एटम बन बनाइये और किसी शहर में गिराइये।

आपको मेरी बात बुरी लग रही है। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार मुझे पुनः मौका दे दें।

(व्यवधान)

एक सदस्य-

जिस सवाल के लिये यह बोल रहे हैं कि मंदिर के बगल में नहीं होना चाहिए। [xxx]

(व्यवधान होने पर)

श्री उदयभान करवरिया-

जो हमारे भगवान हैं वही आपके भी भगवान हैं। आपके भगवान कहीं दूसरी जगह से नहीं आये हैं। उस दल में जाकर भगवान जी को तो मत भूल जाइये।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस तरह के शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायं। करवरिया जी को सुनकर तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं आपकी बात सुन रहा था तो मुझे लगा कि कुछ न कुछ असर जरूर है। मुझे तो लगा-

करवरिया जी के ऐसे कदम डगमगाए

सदन यह समझा कि करवरिया जी पी के आए।

आप पी के आये कि नहीं यह तो सब समझ रहे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है मान्यवर कि ऐसी अन्दरूनी बातें जिसका मुझे तजुर्बा नहीं है और आपने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं उससे दूर हूं। विभागीय मंत्री जरूर हूं। सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिये या जो भी मकसद हो, सरकार की योजना है उससे चल रहा हूं। मान्यवर, एक बात कही गई कि जब शराब अंदर जाती है तो ब्लड का सरकुलेशन बढ़ जाता है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी बढ़ा हुआ है कि इसके बाद बढ़ेगा यह तजुर्बा कैसे है माननीय करवरिया जी को यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जहां तक उन्होंने नौजवानों की बातें कही है कि नौजवानों को आबकारी विभाग से दूर रहना चाहिए, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। मैं मद्य निषेध विभाग का मंत्री भी हूं। मेरा विभाग इनकी सेवा में हाजिर है। जब चाहेंगे हम इनके साथ खड़े नजर आयेंगे। अगर इनको मद्य निषेध की जरूरत है, पूरा विभाग इनके साथ है। जब इसका बजट आयेगा तो यह बात कर सकते हैं मैं इस समय इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मान्यवर, इन्होंने कहा कि आबकारी विभाग बन्द होना चाहिए। मान्यवर, एक बार इसको हरियाणा में लागू किया गया था लेकिन मान्यवर, जिनकी आदत गलत पड़ जाती है, ब्लड का सरकुलेशन बढ़ाने की आदत हो जाती है वो कहीं से भी कच्ची या जहरीली शराब इस्तेमाल कर लेते हैं। जहां तक मुझे याद है जब हरियाणा में इसको बन्द किया गया था तो वहां पर जहरीली और कच्ची शराब इतनी इस्तेमाल हुई थी कि उससे कई कैजुएलिटी हुई जिसके कारण उन्होंने फिर आबकारी विभाग को शुरू कर दिया। आबकारी विभाग के बारे में करवरिया जी को थोड़ा सा भ्रम है। आबकारी विभाग के बारे में मैं बता दूं कि ज्यादातर लोग यह समझते हैं कि यह शराब विभाग है। आबकारी विभाग का मतलब केवल शराब से नहीं है और मान्यवर, आपके माध्यम से मैं करवरिया जी को और पूरे सदन को बता हूं कि जो एल्कोहल का प्रयोग होता है उसका 70 प्रतिशत का इस्तेमाल इन्डस्ट्रियल होता है। जिससे केमिकल बनाये जाते हैं, पेंट बनाया जाता है, थिनर बनता है, परफ्यूम बनती है, सेविंग लोशन और इथेनॉल के बारे में बताना चाहूंगा यह मामला भारत सरकार का है। भारत सरकार ने वर्तमान समय में पांच परसेन्ट तक एथेनाल, डीजल, पेट्रोल में मिलाने के लिए स्वेच्छा से छूट दे रखी है। पेट्रोल कम्पनियों को पांच परसेन्ट की छूट है। एथेनल को बनाने की बात कह रहे हैं गन्ना किसानों को लाभ होगा। सबको इसका लाभ होगा। जब स्वेच्छा से भारत सरकार ने पेट्रोलियम कम्पनी को दे रखा है पांच परसेट, वह भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। यह कहा गया कि एथेनाल का भण्डारण कर लें तो क्या किसानों को लाभ होगा ? भारत सरकार को हम पत्र लिख रहे हैं कि पांच परसेन्ट से इसको और बढ़ा दें ताकि प्रदेश के गरीब किसानों को लाभ मिल सके। शराब माफियाओं की बात कही गई। मैं पहले कह चुका हूं चाहे डान माफिया हो, चाहे टेण्डर माफिया हो, चाहे शराब

माफिया हो अगर मा0 सदस्य इस बात को कहेंगे यह साबित कर देंगे कि वह माफिया है और माफियागिरी में कोई एफ0आई0आर0 हुई है कोई माफिया का काम किया है तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं।

(मेजें थपथपाई गई)

लेकिन आप अंधेरे में तीर चला दें कि यह माफिया है, नसीमुद्दीन माफिया है तो उससे माफिया नहीं बन जाता है। हमारी पूर्व सरकार ने बनाने की कोशिश भी की लेकिन नहीं बना पाए। जहां तक संयुक्त सचिव के पत्र का जिक्र किया गया, अब क्या कहूं मैंने पहले भी कहा कि-सदन यह समझा कि यह पीकर आए हैं, शायद मान्यवर, आप भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए.....

श्री अध्यक्ष-

कटौती वापस लेंगे तो समझ जाएंगे।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैं कटौती का प्रस्ताव लेने का अनुरोध करता हूं बात बहुत है लेकिन विभाग ऐसा है हमारे बड़े भाई बैठे हैं कहना ठीक नहीं है। मान्यवर आपसे यह कहूंगा आपने एक बात कही कि अल्कोहल का रियेक्शन होता है। अनुभव इनको है। अनुभव ही नहीं मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा अल्कोहल इनके बच्चे, इनकी धर्मपत्नी और इनका पूरा परिवार अल्कोहल लेता है।

(हँसी)

मैंने पहले ही कहा है कि 70 परसेन्ट इन्डस्ट्रियल में जाता है। दो परसेन्ट दवाओं में जाता है, पेय मदिरा में 28 परसेन्ट जाता है। आबकारी विभाग का शराब से मतलब नहीं है इसलिए मान्यवर, मा0 सदस्य ने मंदिर मस्जिदों के बारे में कहा है उसको दिखवा लेता हूं। वह दुकानें पहले से चली आ रही है। आपके समय में भी रहीं, इनके समय में भी रहीं। अब मैं दिखवा लेता हूं उसको, क्योंकि कुछ हम करते हैं तो लोग न्यायालय में चले जाते हैं। फिर भी हम दिखला लेंगे। कहा क्या है और क्या हम कर सकते हैं उसको मान्यवर, हम दिखवा लेते हैं ज्यादा न कहकर मैं इतना कहना चाहूंगा कि मा0 करवरिया जी प्रदेश हित में, राजस्व हित में आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेने का काम करें और इस बढ़िया बजट को पास करें ?

श्री अध्यक्ष-

कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, अभी कुछ बातें नोंकझोंक की भी हुई मैं भगवान शंकर का पुजारी हूं और भगवान शंकर ने जब समुद्र का मंथन हुआ था तो जो विष हिस्से में आया था भगवान शंकर ने उसको अपने गले में लगाया था। मान्यवर, तो हम उनके अनुयायी है इसकी आदत पड़ी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान्यवर, मैंने जो बात कही इसका कोई अनुकूल उत्तर मंत्री जी की ओर से नहीं आया। हम अल्कोहल लेते हैं दवाई के रूप में लेते हैं। लिया जाना चाहिए, हम इसके विरोधी नहीं है, मैंने तो यही कहा कि आप एल्कोहल को शराब की जगह दवाई के रूप में इस्तेमाल कराइये। बाकी इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट में इसे इस्तेमाल कराइये, लेकिन क्या जरूरी है कि ये शराब की भट्ठियां खोली जायें, क्या

जरूरी है कि नौजवानों को शराब के नशे में झोंक करके और उत्तर प्रदेश के नौजवों की जो ऊर्जा है, उसको शराबी बना दिया जाय। मान्यवर, बहुत से उद्योग हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, मान्यवर, मंत्री जी ने बहुत सी शेरो शायरी कही है, लेकिन मुझे मंत्री जी की तरह शेरो-शायरी आती नहीं है। अब जरूर कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज मंत्री जी ने कई शेरो-शायरी कही है, मैं किसी दिन इनके साथ बैठूंगा और कुछ कह दूंगा कि 'मिली जुली कर लिया करिए, कुछ मुझे भी सिखा दिया करिए' कुछ आप सीख लिया करिए तो कुछ ज्यादा ठीक रहेगा। मान्यवर, मैं मंत्री जी से केवल एक बात कहूंगा कि "शेर से लड़ने से मत घबराना, क्योंकि यह पराक्रम की निशानी है, आग से जलने से मत घबराना क्योंकि यह तम की निशानी है, पहाड़ से कूदने से मत घबराना क्योंकि यह साहस की निशानी है, परन्तु शराब के सेवन से अवश्य घबराना क्योंकि यह मनुष्य के जीवन को बर्बाद करती है और पाशिवक व्यवहार करने के लिए मजबूर करती है।" इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,08,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-02

आवास विभाग

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,92,80,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर सम्पूर्ण विपक्ष की ओर से कटौती का प्रस्ताव रखने की अनुमति दी और इसके लिए मैं नेता प्रतिपक्ष और समस्त अन्य विपक्षी दलों का भी आभारी हूं। अध्यक्ष जी, यह विभाग मूलतः नगर विकास विभाग का हिस्सा है। वर्ष 1989 तक नगर विकास विभाग और यह विभाग एक साथ काम करते रहे थे और मैं यहां खड़ा हूं इसी बात को कहने के लिए कि इस विभाग को अलग से बनाये जाने का अभी भी कोई औचित्य नहीं है ? कोई जमाना रहा होगा, 89 के बाद का जब हम बहुत सारे मंत्रियों को बनाते रहे होंगे, हमारी मजबूरियां रही होंगी, बहुत से लोगों को एडजेस्ट करना रहता रहा होगा तो बहुत से विभागों को तोड़ा होगा लेकिन कम से कम ऐसी सरकार मैं जहां ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, दो ऐसे विभाग जिनका पूरा कार्य लगभग एक जैसा है, नगरीय व्यवस्था को बेहतर करना, नागरिकों के जीवन को बेहतर करना, उनकी जन सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करना, कुछ वर्तमान के लिए और कुछ भविष्य के लिए ? आवासीय सुविधाओं के साथ-साथ उनको ढेर सारी अन्य सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना, तो दोनों के अलग रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है और तब विशेष रूप से औचित्य नहीं बनता क्योंकि अब एक विभाग पूरी तरह लोकतांत्रिक नियन्त्रण में है।

नगर विकास विभाग का एक नगर विकास मंत्री होता है, लेकिन जो विभिन्न स्थानीय निकाय हैं, उन पर चयनित प्रतिनिधि काम करते हैं, सभासद होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, नगर प्रमुख होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। नगर विकास से लेकर गांव तक की सारी व्यवस्था को हम लोग लोकतांत्रिक माध्यम से नियन्त्रित करने का प्रयास करते हैं।

मान्यवर, आवास विभाग पूरी तरह से गैर लोकतांत्रिक होता है। एक माननीय मंत्री को छोड़ दें तो लोकतंत्र की परिभाषा के अन्तर्गत एक ऐसा विभाग है जिसे अधिकारियों ने एक रणनीति के तहत अपने लिए छिपाकर रख लिया है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं रहती है। उन्होंने अपनी समितियां प्रदेश के स्तर पर बना रखी हैं, ढेर सारे विकास प्राधिकरणों के स्तर पर बना रखी हैं, सहकारी संघों के स्तर पर बना रखी हैं, आवास विकास परिषद् के स्तर पर बना रखी हैं और जो विशेष क्षेत्र प्राधिकरण बनाए हैं उनके स्तर पर बना रखी हैं। उनके विभाग की पुस्तक को पढ़ने पर पता चल जाएगा कि ऊपर से नीचे तक सारी प्रक्रिया में, सारे प्राधिकरणों में, सारी समितियों में केवल अधिकारी ही होते हैं। इसमें अभियन्ता से लेकर आई0ए0एस0 तक होते हैं। यह लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा है। यह किस प्रक्रिया के तहत हमने तय कर लिया है कि 2 अरब 92 करोड़ का विभाग जो कि आज के बजट में प्रस्तावित है, पूरी तरह से गैर लोकतांत्रिक पद्धति से इस देश में चलाया जाएगा।

विकास प्राधिकरणों में नगर निगमों तक मैं दो प्रतिनिधि लिए जाते हैं, बहैसियत सभासद। जिस नगर के विकास की योजना बनती हैं उसमें नगर का विधायक प्रतिनिधि नहीं होता है। किसी महानगर में अगर 5 विधायक होते हैं तो उनमें से कोई भी विधायक विकास प्राधिकरण का न तो मेम्बर होता है, न बुलाया जाता है, न उसे निर्णय की सूचना देते हैं, न सुझाव लिए जाते हैं और विकास प्राधिकरण अगर उसके क्षेत्र में कोई विकास कार्य कराता है तो न वहां के विधायक की स्वीकृति और न उसके सुझाव को लिया जाता है। हम यहां ऐसे विभाग का प्रस्ताव पारित करते हैं जिसके बारे में माननीय सदस्य कतई नहीं जानते कि यह पैसा लेकर क्या करने जा रहे हैं, इसलिए आवश्यक है

कि इस विभाग को या तो नगर विकास विभाग से जोड़ दें या इसका लोकतांत्रिककरण कर दें। अब तो प्रदेश में 22-23 विकास प्राधिकरण हैं। सभी महानगरों में करीब-करीब विकास प्राधिकरण हैं, अधिकांश क्षेत्रों में अब हमारे पास विशेष क्षेत्र प्राधिकरण टाइप की चीजें चल रही हैं। इसलिए मैं कम से कम मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र के इस दौर में अगर आप यह महसूस करते हैं कि निगमों में हम ढेर सारे उपाध्यक्ष बनाकर विभिन्न राजनीतिक लोगों को बिठाने का कार्य करेंगे और कम से कम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह जन्म तो होना ही चाहिए कि विकास प्राधिकरणों और विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों की बैठकों में अधिकृत रूप से उस क्षेत्र के चयनित विधायकों को अधिकार मिले, उनकी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिले और उनके द्वारा की गई संस्तुतियों को क्यों नहीं करेंगे यह जानने का विधायक को अधिकार मिले ? यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात स्टेट फाइनेंस कमीशन भी कहती है। राज्य वित्त आयोग की 61 संस्तुतियों में संस्तुति संख्या-26, प्राधिकरणों के इसी अलोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में है। प्रथम वित्त आयोग ने संस्तुति दी कि जल संस्थानों और प्राधिकरणों को स्वतंत्र रूप से चलाने की जगह स्थानीय निकायों में समाहित कर दिया जाए।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने भी इसी पर बल दिया। 61 संस्तुतियों में से 3 संस्तुतियां आधी मानी गईं और आधी नहीं मानी गईं और उनमें से यह एक है। जल संस्थानों से तो कहा गया कि जहां जल संस्थान है वहां नगर निकाय से जोड़ा जाएगा लेकिन विकास प्राधिकरणों के बारे में यह कह दिया गया कि प्रशासनिक रूप से इस पर अध्ययन कराया जाएगा। अब जिनके अधिकार छिनने वाले हैं वह अध्ययन करके आपको यह नहीं बताने वाले हैं कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों को विकास प्राधिकरणों में स्थान दे दिया जाए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कम से कम विकास प्राधिकरणों में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत या तो इसे नगर विकास विभाग को दे दिया जाए, नगर निगमों में समाहित कर दिया जाए या इसका लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करके चयनित विधायकों को उसमें स्थान दिया जाए और न देने से हो क्या रहा है-बो रहा है आवास विभाग और काट रहा है नगर विकास विभाग। जो कुछ यह बोते हैं, दस साल बाद कालोनी बनाकर हैण्ड ओवर करते हैं, तो वह कालोनी करीब-करीब रियून हो चुकी होती है। जो सड़कें बनती हैं वह समाप्त हो जाती हैं, नाले ध्वस्त हो जाते हैं, जो पार्क होते हैं, वह दीन अवस्था में हो जाते हैं, उनके लोहे लखड़ गायब हो चुके होते हैं, सिर्फ जमीन बचती है। यह सच्चाई है विकास प्राधिकरण की कि जिन भी कालोनियों को बनाकर तैयार करते हैं, नगर विकास विभाग उन कालोनियों को स्वीकार करने से इन्कार कर देता है। मुझे गोरखपुर का अनुभव है, मैं इसे निश्चित रूप से कह सकता हूं। कुछ दिनों पहले गोरखपुर नगर निगम ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाकर दी गयी कालोनियों को हस्तान्तरित करने से तब तक मना कर दिया जब तक कि उसको एक निश्चित राशि न दे और इसलिए दे कि जो कालोनियां उसने बनाई, इतनी घटिया गुणवत्ता की थीं, उनको वह फिर से न बना सके। मैं नाम ले रहा हूं गोरखपुर विकास प्राधिकरण का। जब चीज इतनी स्पष्ट है, जनप्रतिनिधियों का नियंत्रण न होने के नाते वहां के अधिकारी इतने बेखौफ होकर काम करते हैं, माननीय मंत्री जी मैंने स्वयं गोरखपुर विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्य का सर्वे किया था। उस समय जिलाधिकारी हुआ करते थे, आजकल यू0पी0सी0एल0 के प्रबन्धक निदेशक हैं, अवनीश जी, मान्यवर, इसमें सोलह-एक

का मसाला से नाला बन रहा था, हमने उस नाले को तुड़वाया है। ढेर सारी सम्पत्तियां ऐसी खड़ी हैं। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं कि सैद्धान्तिक आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां पर हम 73वें और 74वें संशोधन की बात करते हैं, जहां निचले गांव की विलेज इकाइयों को हमने यह अधिकार दिया है कि वह तय करें कि अपनी शिक्षा को कैसे करेंगे, वहां नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के प्राधिकरण जनप्रतिनिधियों के हाथ से इस प्रकार से छीने जा रहे हैं, मैं इसका अहसास नहीं कर पा रहा हूं।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि जमीन की कितनी कमी है, कृषि क्षेत्र के लिए जमीन नहीं है। जो आंकड़ा है वह बताना है कि किसानों के लिए कोई जमीन नहीं है। अब हमें यह सोचना चाहिए कि हम किसानों की जमीन लें तो किस चीज के लिए लें। उद्योग धन्धों के लिए हमारी मजबूरी हो सकती है विकास के सपने दिखाने के लिए, लेकिन कालोनी को बसाने के नाम पर औने-पौने दाम पर किसानों की जमीन ले लें और चार पांच सौ स्क्वायर फिट तथाकथित रूप से विकसित करके बेचने का काम करें, इस वायदे के साथ कि जब विकास प्राधिकरण इन कालोनियों को बनायेगा तो उनको नौकरियां दी जायेंगी और बाद में उन्हें ठेंगा दिखा दिया जाय तो मेरी यह समझ में नहीं आता है। विकास प्राधिकरण कहते हैं कि वह एक व्यावसायिक संस्था है, आय के आधार पर काम करते हैं। तो किसानों से जमीन अगर उनको लेनी है, तो वह कामर्शियल आधार पर लें। सरकार की ओर से उनको अधिग्रहीत करके पचास पैसे, एक रुपये के दर पर जमीन दे दी जाय और वह विकसित करके पांच सौ स्क्वायर फिट में बेचें इसकी सहमति सदन को नहीं देनी चाहिए। तीसरी चीज अब जमाना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का आ गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण का जो लैण्ड बैक हैं वह समाप्त है। वह चाहते हैं कि जमीन और दी जाय। वह सारे क्षेत्र जो अब लिये जायेंगे वह सारे किसानों की जमीन होगी। कहां जायेंगे वह किसान ? इसलिए एक नियम बनना चाहिए कि यह जो सिंगिल स्टोरी फ्लैट बनाकर के आलीशान जगह छोड़कर के ढेर सारे किसानों की जमीन को लेकर आवासीय बिल्डिंग बना रहे हैं, अब इन्हें वर्तमान स्थितियों को देखते हुए निर्देश देना चाहिए कि जमीन लेना अगर बदलती हुई नगरीय व्यवस्था के लिए आवश्यक है तो कम से कम यह तय करें कि यह कम से कम जमीन में अधिक से अधिक नागरिक को बसाने का काम करेंगे। अगर यह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को बनाने का काम करेंगे तो इससे किसानों का हित होगा। आने वाले समय में, स्वभाविक रूप से किसान हमारा आर्थिक रूप से कमजोर है, वह और कमजोर होता चला जायेगा। मैं जानता हूं कि जो स्थितियां नगरीय सभ्यता की हैं, वह बढ़ रही हैं। लेकिन एक सच्चाई है, पूरी दुनिया इसकी गवाह है, गांव के लोग जो लोग नगरों में आते हैं, अधिकांश वह जिन्हें हम बस्तियां कहते हैं, मलिन बस्तियां कहते हैं गांवों से चल करके जो लोग नगरों में आते हैं अधिकांश वह श्रम जिसे हम मलिन बस्तियां कहते हैं, उनके रूप में अपना जीवन बिताते हैं। आज अगर सौ आदमी गांव से चल करके शहर में आता है तो उनमें से 50 से 60 मलिन बस्तियों में जीवन जीते हैं। विकास प्राधिकरणों को अपने भवनों को बनाते समय यह प्राथमिकता भी तय करनी चाहिये कि जब वह अपने भवनों को बनायेंगे तो तथाकथित बाल्मीकि योजना के नाम पर सिर्फ 500 मकान पूरे प्रदेश में बना देने की जगह पर, मैंने पढ़ा उस आंकड़े को, बाल्मीकि योजना में कुल 538 या कितने मकान बनाये गये पूरे प्रदेश के

अन्दर। इनके अन्दर एक बाध्यकारी तत्व होना चाहिये कि जितना प्रतिशत मलिन बस्तियों एवं समाज के दुर्बल ओर गरीब वर्ग के लोग नगरीय सभ्यता में आ करके बसते हैं, विकास प्राधिकरण अगर नगरीय आवश्यकताओं को बेहतर करना चाहता है नये बसने वाले नागरिकों को सुविधा देना चाहता है, तो इनके लिये एक बाध्यकारी तत्व होना चाहिये कि वह उतना प्रत्यक्ष मकान समाज के उन दुर्बल वर्ग के लोगों के लिये अवश्य बनायेंगे। मैं इसीलिये कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात, गोरखपुर में एक तारामण्डल बन रहा था। लागत थी, छः करोड़ पच्चीस लाख, इतनी लागत के तारामण्डल को गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 23 करोड़ में बनाया है।

विजय शंकर पाण्डेय, वरिष्ठ आई0 ए0 एस0 की एक जांच कमेटी बैठी। उस कमेटी की रिपोर्ट को दबा दिया गया। मैं इस सदन से यह भी आग्रह करूंगा, माननीय मंत्री जी से चूंकि आप आवास मंत्री हैं अब उस कमेटी की रिपोर्ट को निकालने की जरूरत है। कौन से वह कारण थे जिसके नाते विकास प्राधिकरण के आई0 ए0 एस0 अधिकारियों ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया और किस प्रकार से साढ़े छः करोड़ की लागत के तारामण्डल को 23 करोड़ में तैयार किया गया। कहां गई वह विजय शंकर पाण्डेय की रिपोर्ट ? कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? और क्या कार्यवाही की गई ? जब तक कमीशन खाना था निर्माण के माध्यम से तब तक विकास प्राधिकरण ने तारा मण्डल बनवाया और जब चलाने का समय आया तो विकास प्राधिकरण ने यह दिया कि हम एक व्यवसायिक संस्था हैं, हम तारामण्डल नहीं चलायेंगे। उद्घाटन होने के बाद 23 करोड़ रुपया लगने के बाद, सिर्फ तथाकथित ए0 सी0 खराब होने के नाम पर पिछले डेढ़ साल से तारामण्डल बन्द पड़ा है। आपके प्रमुख सचिव, विज्ञान तकनीकी अभी गोरखपुर गये थे, उन्होंने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद फिर वही निर्णय हुआ कि गोरखपुर, विकास प्राधिकरण ही प्राथमिक चरण में इसको चलाने का काम करेगा। अगर गोरखपुर विकास प्राधिकरण को ही चलाना था, तो यह जो एक साल तक लगातार तारा मण्डल बन्द रहा, इसका दायित्व तय किया जाना चाहिये। एक छोटे से जनरेटर की खराबी के नाम पर और एक ए0 सी0 की खराबी के नाम पर 23 करोड़ की इतनी सम्पत्ति व्यर्थ हो गई, पूरी की पूरी एक साल की कक्षा में पढ़ने वाले छात्र अपने अन्दर इस प्रकार से वैज्ञानिक जागरूकता नही पैदा करने पाये तो यह स्वाभाविक रूप से इनसे पूछा जाना चाहिये कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? जो स्थिति विकास प्राधिकरण की है, करीब-करीब वही स्थिति आवास विकास संघ की है। आवास विकास परिषद् को यह पता ही नहीं है कि उसकी सम्पत्ति किसके कब्जे में है ? आवास विकास परिषद्, कम से कम मैं पूरे प्रदेश के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन जैसे एक चावल के दाने से बताया जा सकता है वैसे बता सकता हूं कि जो स्थिति गोरखपुर में होगी, वही पूरे प्रदेश में होगी। आवास विकास परिषद् ने जो जमीनें बनाई हैं, इतनी अनियोजित तरीके से उसे विकसित किया है इतनी कम जीवन सुविधायें दी हैं, अधिकांश पार्क उनके जीर्ण-शीर्ण रह गये, अधिकांश सम्पत्तियों पर किसने कब्जा कर लिया पता नहीं। हम लोग स्वयं गोरखपुर में ढेर सारी सम्पत्तियों के बारे में जानते हैं उनके पास स्वयं अपने रिकार्ड नहीं हैं और बहुत जगहों पर तो ऐसा हुआ कि इन्होंने जानबूझ कर के कर्मचारियों ने अपने निजी आर्थिक लाभ के लिये कुछ लोगों को अपनी जमीनों और अपने फ्लैटों पर कब्जा करने की छूट दे दी। इसलिये स्वाभाविक रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी बातें मैं नहीं कहना चाहता था।

एक बात जो आपके विभाग से सम्बन्धित है वह नगर नियोजन की है। नगर नियोजन का दायित्व आपकी महायोजना को स्वीकार करने का होता है। कम से कम अभी सात ऐसे नगर हैं जिनकी महायोजना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। आखिर यह सरकार कर क्या रही है ? नियोजन विभाग का दायित्व क्या है ? 2001 में महायोजना समाप्त हुई होगी, पिछली वाली। 2021 की महायोजना चल रही है अब तो हम स्वीकृति देंगे वह 2021 में समाप्त हो जायेगा। फिर हम एक नई योजना बनाने वाले हैं। 2007 हमारे सामने है, छः साल बीत गया। आखिर छः साल बीत गया गोरखपुर महायोजना की बात मैं नहीं कर रहा हूं, गोरखपुर की तो नई मिली, मैंने स्वयं, आपके रिकार्डों में लिखा हुआ है? छः सात ऐसी जगहें हैं। मैंने एक प्रश्न लगाया था कि आखिर इस महायोजना को स्वीकृति कब दे दी जायेगी ? जवाब यह मिला कि एक उच्च स्तरीय समिति ने जो कुछ सुझाव दिये थे, गोरखपुर विकास प्राधिकरण को कहा गया है, उन सुझावों के अनुरूप अपनी योजना को बदल करके भेजे। तीन साल से वह खेल चल रहा है।

मान्यवर, तीन साल से यह मैटर चल रहा हैं अगस्त, 2004 में यह महायोजना बन कर आयी थी। मान्यवर, एक टाउन प्लानिंग कमेटी है जो लखनऊ में बैठकर काम करते हैं। मान्यवर, जो उस कमेटी के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं ओर जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारिणी बनती है उसमें स्वयं सदस्य होते हैं। वह स्वयं प्राधिकरण के मेम्बर हैं। तो क्या इस प्रकार से समन्वयात्मक काम हो रहा है ? तीन चार साल के पीरियड में वह महायोजना स्वीकृत नहीं हो पा रही है। उनके काम करने का कायदा क्या है यह देखने की बात है। मान्यवर, अभी फतेह बहादुर सिंह जी बैठे हुये थे चले गये उनके पिता वीर बहादुर सिंह जी ने गोरखपुर के विकास के लिये अच्छी योजनायें बनायी थीं। एक रामताल परियोजना है उस पर विकास प्राधिकरण कुछ काम नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से ढेर सारी योजनायें अधूरी रह गयी है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सैद्धान्तिक आधार पर लोकतांत्रिक अधिकार दिये जायें। या इसे नगर निगम के हवाले कर दें। या जन प्रतिनिधियों का उसमें प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाय। विकास प्राधिकरण को सम्पति के लिये भू-अर्जन के नियमों में अधिकार मिल जाय, उन्हें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाने की अनुमति दी जाय। इसके अतिरिक्त, गोरखपुर विकास प्राधिकरण की पांच साल की भ्रष्टाचार की जो जांच हुई है वह क्या है उस जांच रिपोर्ट का आप संज्ञान में लेने का काम करें। मुझे मालूम है कि आप संज्ञान में ले लेंगे तो कार्यवाही हो जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सम्पूर्ण विपक्ष की ओर से कटौती प्रस्ताव रखता हूं।

*डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र दयालबाग आगरा शहर के चारों तरफ है। पिछली सरकार ने दो योजनायें चलायीं हाईटेक ओर इन्टीग्रेटेड के नाम पर। मान्यवर, वहां पर दिल्ली के कालोनाईजर्स को लाया गया, यूनिटेक सिटी बनाने के नाम पर, और उनको किसानों की जमीनें दे दी गयीं। एक हाईटेक सिटी के नाम पर दिल्ली की एक कम्पनी को ढाई हजार एकड़ जमीन दी गयी और उसमें धारा 4 बी0 की कार्यवाही कर दी गयी है। मान्यवर, हमारे प्रदेश के बगल में प्रदेश है राजस्थान और इसी तरह से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महाराष्ट्र राज्य है। वहां किसानों की जो जमीन ली जा रही है तो उसमें वहां के किसानों की भागीदारी की जा रही है। जो जमीन किसानों की हाईटेक सिटी के नाम पर ली गयी वह दिल्ली के कालोनाईजर्स के लिये ली गयीं। उसमें सरकार की कोई कालोनी नहीं बनने जा रही है और न सरकार उस भूमि का कोई उपयोग कर रही है। ऐसी योजनायें बनायी गयीं जिसमें किसानों की करोड़ों रु0 की जमीनें सस्ते दामों पर ली गयीं। तीन लाख रु0 बीघा में वह निस्तारित की जा रही है। ऐसी योजनाओं को आप निरस्त करवाने का कष्ट करें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैं इसको दिखवा लूंगा।

मान्यवर, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी इस सदन के वरिष्ठ और योग्य सदस्य हैं। जहां तक उन्होंने जो आवास विभाग को नगर विकास विभाग से सम्बद्ध करने की बात कही है मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार आये हुये अभी दो महीने का समय हुआ है। फिर मैं वही बात कहूंगा कि भले ही सुश्री मायावती जी की सरकार इससे पहले तीन बार यहां पर रही इस बार चौथी बार यह सरकार बनी है। यह आवास विभाग बी0 एस0 पी0 के कोटे पर कभी नहीं रहा। आपके मंत्री 5-5 साल तक इस विभाग के मंत्री रहे उनसे आपने नहीं कहा और संभवतः यदि आपने कहा भी होगा तो उन्होंने आपको समझा दिया होगा। मैं भी समझा सकता हूं लेकिन चूंकि आप वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिये मैं आपका लिहाज कर रहा हूं। वह आपसे सीनियर थे। न इनके समय पर आप कुछ कह पाये करवाना तो दूर रहा, न अपने समय पर आप कुछ कह पाये करवाना तो दूर रहा। मान्यवर, आप समझते हैं जो आप कह रहे हैं वह सम्भव नहीं है। जहां तक कालोनियों की गुणवत्ता की बात है, कुछ माननीय अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। मुझे जरा भी संकोच नहीं है केवल आवास विभाग की बात नहीं कर रहा हूं दूसरे निर्माण सम्बन्धी विभाग मेरे पास हैं। आरोप नहीं लगा रहा हूं इससे पहले जो इस विभाग को देखते थे, यह जो विभाग मेरे पास है, मेरे से जस्ट पहले जो भी मंत्री थे उनके ऊपर भी मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया इसको मैं स्वीकार करता हूं। आज मैं सदन के सामने कहता हूं एल0 डी0 ए0 में मैंने आकस्मिक निरीक्षण किया, डेढ़ माह पहले एक नाले की दीवार बनती है डेढ़ इंच मोटी 35 सेमी मोटी और एक चार के मसाले से चुनाई दिखाई गयी पेमेन्ट हो गया डेढ़ महीना पहले। उसमें एक घूंसा मैंने मारा 5 ईंटें खिसक गई और दीवाल गिर गई। जो सच्चाई है उसको मैं स्वीकार करता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि इस विभाग को कहीं और दे दिया जाय तो दुरुस्त हो जाय।

मैं और हमारी मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी गुणवत्ता को सही हालत में लाने के लिये प्रतिबद्ध हैं, हम दुरुस्त करेंगे। हम गुणवत्ता का प्रतिशत सही कराने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बहुत मुझे भी ज्ञान है गुणवत्ता चेक करने का मैं भी अपने हिसाब से चेक करता हूं और जहां तक प्रदेश में जमीन की बात बताई है,मल्टीस्टोरी की बात बताई है, टेक्निकल मामला है, आप बैठ जायेंगे हम बैठ जायेंगे, अधिकारियों को बुला लेंगे क्या हो सकता है उसको देख लेंगे। यहां घोषणा करने की स्थिति में आप जानते हैं कि बिना सोचे समझे यहां पर घोषणा नहीं करना चाहिये। जहां तक गोरखपुर तारामंडल की बात है जांच हो चुकी है और श्री विजय शंकर पाण्डेय ने जांच की है मैं उस जांच को दिखवा

लेता हूं। और जो ए0 सी0 खराब होने के कारण बन्द रहा उसको भी दिखवाता हूं, कसूरवारों को छोड़ा नहीं जायेगा। अग्रवाल साहब, जो आपके सही सुझाव हैं उसको हम स्वीकार करते हैं। तमाम ज्ञानवर्धन हमें माननीय सदस्यों से होता है जो हमें जानकारी नहीं है, हमारे विभाग के बारे में जानकारी नहीं है वह आप लोग देते हैं और हम उसे स्वीकार करते हैं। कोई हमारी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है कि अग्रवाल साहब ने कहा सही बात उसको भी नहीं मानना है। जो जायज बात है उसको मानना है और आवास विकास की सम्पत्तियों के बारे में कहा है उसको भी दिखवा लेता हूं। यह जो नगर नियोजन में 5 जो महानगरों के बारे में महायोजना के बारे में बताया है तो इसको भी मान्यवर, देख लेता हूं कि क्या स्थिति है। हालांकि हमने काफी क्लीयर कर दिया है लेकिन कुछ ऐसे बिन्दु भी आपने मेरे संज्ञान में लाये हैं जो मैंने आपको सामग्री दी है उसमें उसका उल्लेख नहीं है उसको भी दिखवा लेता हूं और आपका पूरा सहयोग लूंगा आपने जो सही सुझाव दिये हैं उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं और बाद में मैं चाहता हूं कि मुझे भी धन्यवाद देने का मौका दे दें। अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस ले लें तो पुनः मैं आपको धन्यवाद दे दूं। तो मान्यवर, आपने पूरी बात मेरी सुनी है, अग्रवाल जी की सुनी है तो मेरा अनुरोध है कि कृपापूर्वक अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और इसको पास करवा दें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, अब तो इन्हें 5 वर्ष तक बजट प्रस्तुत करना है साल भर काम कर ले अगले साल इसको मैं वापिस ले लूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, केवल एक बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं इस बजट साहित्य में पेज 16 और 17 पर दिया है कि जो पीछे की सरकार की 5 रुपये 10 रुपये, 15 रुपये की आवास की योजना थी जो निर्धनतम व्यक्तियों को दी जाती थी उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी की क्या पालिसी है ? क्या समाज के निम्न श्रेणी पर बैठे हुये व्यक्ति के लिये ऐसी कोई योजना जो स्लम्स के लिये है उसको माननीय मंत्री जी लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, इसको दिखवा लेता हूं और माननीय सदस्य को संतुष्ट कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 02 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,92,80,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान--अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 93,68,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य विभार्गाय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 93,68,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,09,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये,

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,09,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,53,33,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,53,33,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान--अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,75,33,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,75,33,25;000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मतदान-अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,04,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,04,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मतदान-अनुदान संख्या-64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

आवकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्पबचत आदि)

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्पबचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की

पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,85,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्पबचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,85,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 73,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 73,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 11 जुलाई, 2007 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 12 जुलाई, 2007 से 27 जुलाई, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 12 जुलाई, 2007 के निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचना ली जाय।

2-दिनांक 12 जुलाई, 2007 को लिये जाने वाला विधायी कार्य आय-व्ययक की अनुदान मांगों के उपरान्त रखा जाय।

3-दिनांक 13 जुलाई, 2007 को नियम-300, 311 तथा 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

इस प्रकार 12 जुलाई, 2007 का सदन का कार्यक्रम निम्नवत् होगा :-

(1) निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।

(2) वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान।

(3) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)।

(ख) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (आधा घण्टा)।

शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनायें प्राप्त हुईं, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री शिव शंकर चौहान की जनपद बलिया में सहावार नगर पंचायत के समीप गौरा में करोड़ों की लागत से वर्षों पूर्व निर्मित महिला अस्पताल में स्टाफ की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत। दूसरी सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की आगरा जनपद में आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग की जर्जर स्थिति होने के सम्बन्ध में दी गई सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत । तीसरी सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की जनपद उन्नाव के ग्राम पनसरिया में बन रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य रोकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। चौथी सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल की जनपद सिद्धार्थनगर में लुम्बनी दुद्धी मार्ग के 11वें किलोमीटर से 24वें किलोमीटर तक की जर्जर स्थिति तथा स्वीकृत धनराशि के बावजूद मरम्मत कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह की जनपद गोरखपुर के थाना बेलाघाट अन्तर्गत ग्राम बेलाघाट के एक बच्चे के अपहरण की घटना की प्राथमिकी गुमशुदी में दर्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। छठवीं सूचना

श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा अनूप शहर शाखा नहर की पटरी पर सड़क निर्माण के अधोमानक एस्टीमेट के विरुद्ध कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के आसपुर, देवसरा एवं मगरौरा विकास खण्डों में नियुक्त आवश्यक वस्तुओं के कोटेदारों द्वारा खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं का समुचित वितरण न किये जाने तथा विभाग द्वारा वितरण की स्थिति का सत्यापन न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत तथा आठवीं सूचना श्री सनातन की बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मुख्य सेविका के पद पर नियिमत किये जाने हेतु औपचारिकतायें पूर्ण होने के बावजूद आशयित आदेश निर्गत न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। नवीं सूचना श्रीमती कृष्णा राज की जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक पसगवां नगर पंचायत-बरबर की ग्राम सभा मकसूदपुर मार्ग पर सैयद बाड़ा पर स्थित रपटा पुल क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। दसवीं सूचना श्री उदय राज की जनपद उन्नाव के मौरावां 33 के0 वी0 सब-स्टेशन के अन्तर्गत भवानीगंज फीडर की ग्यारह हजार लाइन से लोहे का तार न बदले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। ग्यारहवीं सूचना श्रीमती उमलेश यादव की जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोयडा क्षेत्र में गांवों में सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। बारहवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की लखनऊ महानगर के थाना कृष्णानगर अन्तर्गत नजूल की भूमि पर अराजक तत्वों द्वारा अनाधिकृत कब्जेदारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। तेरहवीं सूचना श्री राम किशुन की जनपद चंदौली के नियामताबाद विकास खण्ड के अन्तर्गत गंगा नदी के कटान से प्रभावित गांवों की सुरक्षा तथा गंगा नदी के कटान को रोकने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। चौदहवीं सूचना मो0 उस्मानुल हक की जनपद मुरादाबाद के मुरादाबाद देहात क्षेत्रान्तर्गत बंद स्लाटर हाउस को निकटस्थ स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। पन्द्रहवीं सूचना श्री धनीराम वर्मा की जनपद औरैया के बिधूना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूवा तरा से धुवखरी तक के स्वीकृत मार्ग को पुनर्निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत तथा सोलहवीं सूचना डा0 अनिल चौधरी की जनपद हाथरस के कस्बा सादाबाद के ट्रस्ट स्व0 लाला किशन नारायन अग्रवाल की परिसम्पत्तियों पर की गयी अवैध कब्जेदारी समाप्त कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री प्रमोद तिवारी, 2-श्री लालजी यादव, 3-श्री महेश चन्द्र गुप्ता, 4-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, 5-श्री धर्मपाल यादव डी0 पी0 यादव, 6-श्री राम बिशुन आजाद, 7-श्री प्रदीप जैन

आदित्य, 8-श्री अनूप कुमार गुप्ता, 9-श्री सुन्दर सिंह, 10-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, 11-श्री दुर्गा प्रसाद यादव, 12-श्री अब्दुल वारिस खां, 13-चौधरी सत्येन्द्र सिंह सोलंकी, 14-श्री अनिल कुमार सिंह यादव, 15-श्री राजाराम त्यागी, 16-श्री शिव गणेश लोधी, 17-श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, 18-श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, 19-डा0 राजेन्द्र सिंह, 20-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, 21-श्री जयबीर सिंह, 22-श्री संजय कपूर, 23-श्री रामसागर अकेला, 24-श्री मदन भैया तथा 25-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव।

ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत अधोमानक पाइप लाइन के प्रयोग से ग्रामीणों को समुचित जलापूर्ति न होने के सम्बन्ध में श्री जयवीर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 5-7-07 ...

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री दद्दू प्रसाद-

[को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में उल्लिखित है कि विधान सभा क्षेत्र-घिरोर जनपद-फिरोजाबाद के ग्राम-करहरा, पैगू, राहतपुर, घातरी आदि गांवों में पानी की टंकी से घटिया किस्म की पी0वी0सी0 पाइप के प्रयोग के कारण जलापूर्ति बाधित हो रही है। घटिया सामान की सम्पूर्ति की जांच तथा जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्रामीण पेयजल योजनाओं में प्रयुक्त की गई पी0वी0सी0 पाइपों की आपूर्ति प्रधान कार्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा आमंत्रित निविदाओं के आधार पर किये गये अनुबन्धों के अधीन ली जाती है, जिसमें थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन के उपरान्त आपूर्ति की जाती है। इन पाइपों के सैम्पल की जांच उप खण्ड अधिकारी अनुरक्षण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम बबीना, जनपद-झांसी की प्रयोगशाला में भी कराई गई है। जांच परिणाम में पी0वी0सी0 पाइप के सभी सैम्पल मानक के अनुरूप पाये गये हैं। सम्प्रति ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों एवं उनमें प्रयुक्त पी0वी0सी0 पाइपों की गुणवत्ता की जांच हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम, मुख्यालय की गुणता नियंत्रण इकाई से कराने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्रांक-558/2043-0589/07, दिनांक 09-07-07 द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-सूचना में वर्णित पेयजल योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

1-ग्राम-करहरा पेयजल योजनाः-इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में काफी ऊंचाई पर स्थित स्थानों को छोड़कर पूरे ग्राम में पानी की आपूर्ति की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत नलकूप ग्राम पंचायत को हस्तगत करा दिया गया है। दिनांक 08-07-2007 को नलकूप का स्टार्टर वोल्टेज अधिक आने के कारण जल गया है, जिसे ठीक कराया जा रहा है।

2-ग्राम पैगू पेयजल योजनाः-इस योजना में सभी ग्रामों एवं उप ग्रामों में पानी की सुचारु रूप से आपूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है।

3-राहतपूर ग्राम पेयजल योजनाः-इस योजना में सम्मिलित 05 ग्रामों में से 03 ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति हो रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के किये जा रहे कार्य के कारण जगह-जगह पाइप लाइन टूट गई है, जिसके कारण 02 ग्रामों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

4-धातरी ग्राम पेयजल योजनाः-इस योजना का नलकूप ग्राम पंचायत को हस्तगत करा दिया गया है। योजना में मात्र दो फेज में विद्युत आपूर्ति हो पा रही है जिससे पम्प नहीं चल पाने के कारण पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस हेतु विद्युत विभाग को अवगत कराया गया है।]

प्रदेश के निजी इन्जीनियरिंग कालेजों में प्रवेश हेतु भारी डोनेशन लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मदन भैया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य ने नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी है .....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य सम्बन्धित कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[कि प्रदेश के निजी इन्जीनियरिंग कालेजो में मैनेजमेंट कोटे के अन्तर्गत छात्रों से भारी डोनेशन लेकर प्रवेश दिया जा रहा है जिससे गरीब एवं मेधावी छात्र उच्च तकनीकी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं तथा शिक्षा के मंदिर उद्योग का स्वरूप ले रहे है। यह स्थिति विगत कई वर्षों से भयावह रूप धारण करती जा रही है। अतः मा0 सदस्य ने मैनेजमेंट कोटे के अन्त दाखिले के संबंध में पारदर्शी नीति बनाये जाने की मांग की है।

2-इस सन्दर्भ में सूच्य है कि निजी क्षेत्र में स्थापित इंजीनियरिंग संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2007-08 में संस्था स्तर पर 15 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटे एवं राज्य प्रवेश परीक्षा की काउन्सिलिंग तथा आरक्षित वर्ग की विशेष काउन्सिलिंग के उपरान्त रिक्त बची सीटों को भरे जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है, जो कुलसचिव, उ0 प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्रांक-उ0प्र0प्रा0वि0/राप्रप/2007/510, दिनांक 14-2-2007 द्वारा समस्त अध्यक्ष/निदेशक/प्राचार्य, निजी क्षेत्र में स्थापित अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं को सूचित किया गया है जिसमें मैनेजमेंट कोटे की सीटों को भरने की निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गयी है :-

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	मैनेजमेंट कोटे की सीटों को भरने की प्रक्रिया
1	2	3
1	बी0टेक0/बी0फार्मा0/बी0आर्क0/बी0एच0एम0 सी0टी0 कालम 3 में दिये गये बिन्दुओं में उल्लिखित वरियता क्रम प्रभावी होगा और प्रथम बिन्दु में दी गयी व्यवस्था से संबंधित छात्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही अगले बिन्दु में निहित छात्रों के प्रवेश हेतु विचार किया जा सकेगा।	I एन0आर0आई0 अभ्यर्थी-सेट स्कोर की मेरिट की वरीयता क्रम में इस वर्ग के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता पर अर्हकारी परीक्षा 10+2 की मेरिट की वरीयता क्रम के आधार पर। न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ अर्हकारी विषयों में उत्तीर्ण होने की दशा में। II राज्य प्रवेश परीक्षा की सफल मेरिट की वरीयता क्रम के आधार पर। III अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (AIEEE) की सफल मेरिट की वरीयता क्रम के आधार पर। IV 10+2 अर्हकारी परीक्षा के निर्धाति विषयों की मेरिट के आधार पर उनमें सम्मिलित रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होने की दशा में। **नोट- उपरिवर्णित अर्हताओं में अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के निर्धारित विषयों में बिना ग्रेस एवं सप्लीमेन्टरी धारक छात्रों को ही प्रवेश के लिए अनुमन्यता होगी।**
2	एम0बी0ए0 कालम 3 में दिये गये बिन्दुओं में उल्लिखित वरीयता क्रम प्रभावी होगा और प्रथम बिन्दु में दी गयी व्यवस्था से संबंधित छात्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही अगले बिन्दु में निर्हित छात्रों के प्रवेश हेतु विचार किया जा सकेगा।	I एन0आर0आई0 अभ्यर्थी-अर्हकारी परीक्षा स्नातक की मेरिट की वरीयता क्रम के आधार पर, न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होने की दशा में।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

1	2	3
		II राज्य प्रवेश परीक्षा की सफल मेरिट की वरीयता क्रम के आधार पर। III अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा CAT की वरीयता क्रम के आधार पर और उससे रिक्त रह जाने की दशा में MAT की सफल मेरिट की वरीयता क्रम के आधार पर। IV स्नातक परीक्षा की मेरिट के आधार पर अर्हकारी परीक्षा के विषयों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होने की दशा में।
3 एम0सी0ए0 कालम 3 में दिये गये बिन्दुओं में उल्लिखित वरीयता क्रम प्रभावी होगा और प्रथम बिन्दु में दी गयी व्यवस्था से संबंधित छात्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही अगले बिन्दु में निर्हित छात्रों के प्रवेश हेतु विचार किया जा सकेगा।		I एन0आर0आई0 अभ्यर्थी-अर्हकारी परीक्षा स्नातक की मेरिट की वरीयता क्रम के आधार पर, न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होने की दशा में। II राज्य प्रवेश परीक्षा की सफल मेरिट की वरीयता क्रम के आधार पर। III स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होने की दशा में (इण्टरमीडियेट अथवा स्नातक स्तर पर गणित विषय आवश्यक)

3-यहां यह भी सूच्य है कि प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत उक्त परिपत्र में संस्थाओं को यह भी सूचित कर दिया गया है कि शैक्षिक सत्र 2007-08 में उपरोक्तानुसार प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और इस व्यवस्था के अलावा कोई भी प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जायेगा। यदि किसी संस्था द्वारा उक्त व्यवस्था का पालन नहीं होता है तो संबंधित प्रवेश शून्य माने जायेंगे और इस प्रकार अनियमित कार्यवाही के लिये संबंधित संस्था के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के परिपत्र संख्या उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/ए0के0/2007/255-495,

दिनांक 07-04-2007 के द्वारा सत्र 2007-08 के अन्तर्गत प्रवेशों में कैपिटेशन अथवा डोनेशन न लिए जाने के विषय में संस्थाओं को निम्नवत् सूचित किया गया है :-

"विश्वविद्यालय से संबंधित संस्थाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक किसी प्रकार की धनराशि डोनेशन अथवा कैपीटेशन आदि किसी भी रूप में छात्रों से वसूल नहीं की जायेगी एवं न करने दी जाएगी। इस आशय की समुचित व्यवस्था संस्था स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी और प्रत्येक संस्था में विभिन्न स्थलों/नोटिस बोर्ड पर छात्रों को इस आशय की सूचना दी जायेगी यदि उन्हें इस विषय में कोई शिकायत हो तो वे संस्था के नामित पदाधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे और इसकी सूचना वे विश्वविद्यालय को भी दे सकेंगे। छात्रों के स्तर से यदि इस प्रकार की कोई शिकायत की जाती है तो उस पर प्रभावी ढंग से समुचित कार्यवाही की जायेगी।

4-यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटे/एन0आर0आई0 कोटे की 15 प्रतिशत सीटों तथा 85 प्रतिशत राज्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली सीटों के विरुद्ध रिक्त सीटों पर लिये जाने वाले प्रवेशों में पारदर्शिता/श्रेष्ठता सुनिश्चित करने के साथ-साथ संस्थाओं द्वारा प्रवेशार्थियों से कैपिटेशन फीस लिये जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के दृष्टिगत शासन स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। किसी भी संस्था द्वारा प्रवेश में डोनेशन अथवा कैपिटेशन लिये जाने की पुष्ट शिकायत प्राप्त होने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद मऊ के नत्थूपुर क्षेत्रान्तर्गत घाघरा नदी की कटान को रोकने हेतु ठोकर बनवाने के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण, आवास एवं सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री उमेश पाण्डेय, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रमुख सचिव .....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[विधान सभा, उत्तर प्रदेश को नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 05-07-2007 को यह सूचना दी गई थी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 151 नत्थूपुर जनपद मऊ में घाघरा नदी के किनारे बसे गांव घरमपुर विशुनपुर विन्टोलिया, पचपेड़वा आदि गांव विगत कई वर्षों से नदी के कटान के कारण धीरे-धीरे नदी के आगोश में समा जा रहे हैं इस देवराचल क्षेत्र में 50 प्रतिशत आबादी अनुसूचित

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाति (चमार) एवं पिछड़ी जाति के लोग निवास करते हैं आपसे अनुरोध है कि उक्त समस्या के स्थायी समाधान हेतु घाघरा नदी के किनारे ठोकर बनाने का कष्ट करें।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र नत्थूपुर के अन्तर्गत देवारा क्षेत्र में घरमपुर, विशुनपुर, पचपेड़वा गांव घाघरा नदी के तट पर, 12.4 कि0मी0 लम्बे सूरजपुर बांध एवं नदी के मध्य बसे हुये हैं। इन ग्रामों के पास नदी बांध से 3.4 कि0मी0 दूर है। बांध एवं नदी के बीच बसे गांव को बचाने की सिंचाई विभाग की नीति नहीं है। इन ग्रामों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु सुरक्षित क्षेत्र में पुनर्वासित करायें जाने के संबंध में शासन द्वारा जिलाधिकारी मऊ को निर्देश दिये गये हैं।]

जनपद कुशीनगर में जिला चिकित्सालय का भवन पूर्ण निर्मित होने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कुं0 रतनजीत प्रताप नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य द्वारा जनपद कुशीनगर में जिला चिकित्सालय.....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[का भवन पूर्ण निर्मित होने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत निम्नवत् सूचना दी गयी है:-

पूर्वांचल में स्थित जनपद कुशीनगर में रु0 6.00 करोड़ की लागत से जिला चिकित्सालय का भवन तैयार हो गया है परन्तु स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक भवन को चार्ज नहीं लिया है। विगत लगभग 11 वर्षों पूर्व जनपद कुशीनगर बनाया गया है किन्तु अभी तक जिला चिकित्सालय नहीं है। जनपद कुशीनगर प्रदेश का सीमावर्ती जनपद है जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। यहां पर कालरा, टी0बी0, काला आजार सहित संक्रामक बीमारियों से ग्रसित होने के उपरान्त सैकड़ों की संख्या में लोग प्रति वर्ष मौत के मुह में समा जाते हैं। यहां पर चिकित्सा की सुविधा लगभग न के बराबर है। उपरोक्त चिकित्सालय का मानसून के पूर्व चालू हो जाना जनहित में अति आवश्यक है जिससे लोगों को समय से चिकित्सा की सुविधा मिल सके। अभी तक चिकित्सालय को स्वास्थ्य विभाग द्वारा चार्ज न लेने से लोगों में बीमारी फैलने की चिन्ता व्याप्त है।

2-उक्त के संबंध में यह अवगत कराना है कि तत्कालीन मण्डलायुक्त, गोरखपुर के पत्र दिनांक 09-12-05 द्वारा जिला चिकित्सालय, कुशीनगर के मुख्य भवन को हस्तान्तरित कराने के तथ्य

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को अवगत कराते हुए यह अनुरोध किया गया था कि चिकित्सालय के संचालन हेतु आवश्यक स्टाफ एवं उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ताकि चिकित्सालय को क्रियाशील किया जा सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि चिकित्सालय भवन विभाग को हस्तान्तरित हो चुका है। चिकित्सालय भवन निर्माण होने तथा इसकी स्थापना संबंधी औपचारिक प्रस्ताव मई, 2006 में प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त चिकित्सालय हेतु आवश्यक उपकरण एवं साज-सज्जा की स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था के साथ ही आवश्यक पदों के सृजन पर नियोजन एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर शासनादेश संख्या-4319/पांच-1-06-4(27)/05, दिनांक 28-12-06 द्वारा उपकरण एवं साज-सज्जा हेतु रु0 150.17 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी तथा विभिन्न श्रेणी के कुल 192 नियमित पदों का सृजन किया गया एवं सफाई कार्य हेतु 37 से अनधिक संविदा कर्मियों की सेवायें निजी सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से लिये जाने की अनुमति भी प्रदान की गयी। वर्तमान में उपकरण एवं साज-सज्जा की व्यवस्था हो चुकी है। यहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल 33 पद सृजित हैं। इसके अन्तर्गत पुरुष विशेषज्ञ उपसंवर्ग के अन्तर्गत वरिष्ठ फिजीशियन, फिजीशियन, वरिष्ठ शल्यक, शल्यक, एनेस्थेटिस्ट, अस्थि रोग विशेषज्ञ, सीनियर रेडियोलाजिस्ट, रेडियोलाजिस्ट, पैथालाजिस्ट, ई0एन0टी0 सर्जन, नेत्र सर्जन, डेण्टल सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के 01-01 पद तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 02 पद तथा ई0एम0ओ0 के 04 पद इस प्रकार कुल 21 पुरुष विशेषज्ञ के पद सृजित हैं। इसी प्रकार महिला विशेषज्ञ के रूप में चिकित्सा अधीक्षिका (महिला) व बाल रोग विशेषज्ञ का 01 पद तथा गायनकोलाजिस्ट, आब्स्ट्रेशियन, के 02-02 पद एवं ई0एम0ओ0 तथा चिकित्सा अधिकारी के 03-03 पद इस प्रकार महिला विशेषज्ञों के कुल 12 पद सृजित हैं।

3-संयुक्त जिला चिकित्सालय में 03 विशेषज्ञों चिकित्सकों की तैनाती करते हुए दिनांक 11-06-07 से चिकित्सकीय कार्य प्रारम्भ करा दिया गया। वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध नहीं है। इस कारण यहां पर अभी सृजित पदों के सापेक्ष 06 विशेषज्ञ पूर्णकालिक रूप से तैनात हैं। तैनात विशेषज्ञों के नाम/विशेषज्ञता निम्नवत् है-

1-डा0 राजेश कुमार, फिजीशियन,
2-डा0 सतीश रंजन, बाल रोग विशेषज्ञ
3-डा0 विजय शंकर सिंह, सर्जन,
4-डा0 हरि नरायन सिंह, नेत्र विशेषज्ञ,
5-डा0 आर0सी0 गोपाल, नेत्र विशेषज्ञ,
6-डा0 वसीमुद्दीन जमाली, सर्जन।

4-उपरोक्त से स्पष्ट है कि जनपद कुशीनगर स्थित संयुक्त चिकित्सालय में आवश्यक चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जा रही है तथा सृजित पदों के अनुरूप औपचारिक नियुक्ति/तैनाती का कार्य प्रक्रियाधीन है

5-इसके साथ ही जनपद कुशीनगर में 06 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 53 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित एवं क्रियाशील हैं। इनके माध्यम से जन साधारण को चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। टी0बी0, काला आजार सहित सक्रामक बीमारियों से बचाव

हेतु पूरी कार्य योजना तैयार की जा रही है। जिले में औषधियां प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलने की स्थिति में रोकथाम की पूरी तैयारी कर ली गयी है।]

नगरपालिका परिषद, बहेड़ी जनपद-बरेली में जलोत्सारण हेतु कराये गये कार्यों की टी0ए0सी0 द्वारा जांच कराये कराये जाने तथा समस्या के समुचित निदान के सम्बन्ध में श्री छत्रपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री छत्रपाल सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 .....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि नगर पालिका परिषद, बहेड़ी जनपद बरेली में जल भराव की समस्या के निदान हेतु विगत दो-तीन वर्षों में करोड़ों रुपया नाली, नाले, पुलिया, सड़क आदि बनवाने पर व्यय हुआ। परन्तु मानक के अनुरूप कार्य न कराकर धन का अपव्यय कर लिया गया है और कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन भी नहीं कराया गया है जिसके कारण जल भराव की समस्या जस की तस बनी हुई है। अभी थोड़ी सी बरसात होने पर ही कई मोहल्ले जलमग्न हो गये मानक के अनुरूप कार्य न कराये जाने एवं धन का अपव्यय कर लिये जाने के कारण सरकार का करोड़ों रुपया पानी में चला गया है। इसकी टी0ए0सी0 द्वारा जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना एवं जल भराव की समस्या का निदान किया जाना जनहित में आवश्यक है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के संबंध में उल्लेखनीय है कि नगरपालिका परिषद्, बहेड़ी द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार विकास कार्य कराये गये हैं:-

1-वर्ष 2004-05

रिवाल्विंग फण्ड अंकन 25 लाख, व्यय धनराशि 25,00,000/-

कार्यों का विवरण-सीमेन्ट रोड 80, खड़ंजा।

11वां वित्त आयोग अंकन 6,10,740/- व्यय धनराशि 6,10,740/-

कार्यों का विवरण-सीमेन्ट रोड 2

राज्य वित्त आयोग-व्यय धनराशि 73,87,431/-

कार्यों का विवरण-अन्य मरम्मत 2, पुलिया 1, नाला 1, खड़ंजा 13, सीमेन्ट रोड 42।

2-वर्ष 2005-06

रिवाल्विंग फण्ड अंकन 90,00,000/- व्यय धनराशि 68,28,123/-

कार्यों का विवरण-नाला 5, इन्टरलाकिंग सड़क 7, चौराहा विकास कार्य

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

12वां वित्त आयोग-प्राप्त धनराशि 17,62,481/-, अभी कोई धनराशि व्यय व्यय नहीं की गई है।

राज्य वित्त आयोग-व्यय धनराशि 54,39,438/-

कार्यों का विवरण-खरंजा 16, नाला 1, सीमेन्ट रोड 26, अन्य मरम्मत कार्य 3

3-वर्ष 2006-07

रिवाल्विंग फण्ड अंकन 50,00,000/- व्यय धनराशि 45,40,911/-

कार्यों का विवरण-नाला 1, खड़ंजा 2, इन्टरलाकिंग सड़क 10

12वां वित्त आयोग-प्राप्त धनराशि 17,58,000/-, अभी कोई धनराशि व्यय नहीं की गई है।

राज्य वित्त आयोग-व्यय धनराशि 27,34,452/-

कार्यों का विवरण-खरंजा 6, नाली 1, इन्टरलाकिंग सड़क 11, अन्य मरम्मत कार्य 8

उपरोक्त वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर उप जिलाधिकारी, बहेड़ी तथा सहायक अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बरेली द्वारा कार्यों का सत्यापन करने के उपरान्त ही भुगतान किये गये हैं।

जहां तक जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने की बात है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जाफरी चौराहे पर बने जाफरी काम्पलेक्स के पीछे से सैकड़ों वर्ष पहले से मोहल्ला शाहगढ़, अब्बास नगर, शाह नगर तथा पंजाबी कालोनी का गन्दा पानी निकलता था जिसे श्री जमील अहमद पुत्र श्री कुतबुद्दीन निवासी मोहल्ला इस्लाम नगर बहेड़ी द्वारा अनाधिकृत दीवार बनाकर जल निकासी को रोक दिया जिससे पंजाबी कालोनी में जल भराव की स्थिति पैदा हुई। दीवार हटाने एवं जल निकासी के संबंध में त्वरित कार्यवाही कर यथाशीघ्र जलभराव का निदान कर लिया जायेगा।]

जनपद गाजीपुर के जखनियां क्षेत्रान्तर्गत अपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जनपद गाजीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जखनिया....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[के निर्माण के सम्बन्ध में मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 05-07-07 को यह सूचना दी गयी थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जखनिया का लगभग सात वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा था। पूर्व में जो धनराशि स्वीकृति हुई थी वह खत्म हो गई है। जिससे उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण बीच में ही रोक दिया गया है। क्षेत्रीय जनता को इलाज हेतु दूर के स्वास्थ्य केन्द्र पर जाना पड़ता है जिससे

नोटः-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय जनता की मांग है कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का यथाशीघ्र निर्माण कराया जाय। मा0 सदस्य द्वारा लोकहित के अविलम्बनीय प्रश्न पर वक्तव्य दिये जाने एवं उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने की मांग की गयी है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जखनिया, जनपद गाजीपुर की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-636/पांच-6-2001-एस0एन0डी0--8/2000, दिनांक 29 मार्च, 2001 द्वारा अनन्तिम रूप से रु0 135.00 लाख के आगणन को अनुमोदित करते हुए रुपये 41100 लाख स्वीकृत किया गया एवं निर्माण कार्य उ0प्र0, राजकीय निर्माण निगम को आवंटित किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जखनिया परिसर में किया जाना था। शासनादेश दिनांक 29-08-01 के प्रस्तर-2 के अनुसार जिन स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले से निर्मित है, उनके विद्यमान भवनों की स्थिति, उनकी उपयोगिता, परिवर्द्धन/माडीफिकेशन आदि को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय निर्माण निगम की सम्बन्धित इकाई द्वारा आगणन तैयार किये जाने के आदेश थे जिस पर शासन को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभार द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर उसे मानकीकृत किये जाने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जाना था। अतः उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा पूर्व से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपयोगी भवनों को समायोजित करते हुए प्रारम्भिक आगणन उपलब्ध कराया गया जिसे महानिदेशालय के पत्र दिनांक 07-11-2001 द्वारा रु0 120.79 लाख की स्वीकृत का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया गया। प्रारम्भिक आगणन पर शासनादेश सं0-2588/पांच-6-2002-74(नि)/2002, दिनांक 29-04-2002 द्वारा रुपये 111.17 लाख अनुमोदित किया गया। निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्य जुलाई, 2002 में प्रारम्भ किया गया।

निर्माण इकाई का प्रारम्भिक आगणन तत्समय लोक निर्माण विभाग के दिनांक 01-07-2000 से प्रभावी कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर रु0 120.79 लाख परीक्षणोपरान्त शासन को सन्दर्भित किया गया था। जबकि निर्माण कार्य पर दिनांक 31-03-2001 को रु0 45.00 लाख, 2002-2003 में रु0 46.70 लाख तथा वर्ष 2003-2004 में रु0 20 लाख (कुल रु0 111.17 लाख) तीन वर्षों में उपलब्ध कराया गया। इसी मध्य निर्माण सामग्री एवं मजदूरी दरों में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप निर्माण इकाई द्वारा निर्माण कार्य पर पुनरीक्षित आगणन विलम्ब से दिनांक 23-12-2004 को उपलब्ध कराया गया जिसकी आपत्तियों को अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए जनवरी, 2006 में रु0 136.89 लाख का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया गया। अब तक अवमुक्त धनराशि रु0 111.17 लाख के सापेक्ष निर्माण इकाई ने कुल रु0 111.17 लाख व्यय करते हुये निम्नवत् भौतिक प्रगति प्राप्त की गयी है :--

मुख्य भवन	90 प्रतिशत पूर्ण
चिकित्सा अधिकारी आवास-4 नग	2 नग 90 प्रतिशत पूर्ण एवं 2 नग पुराने आवासों का मरम्मत शेष।
श्रेणी-2 आवास-6 नग	2 नग प्लास्टर स्तर पर, 2 नग छत स्तर एवं 2 नग पुराने आवासों का मरम्मत शेष।

श्रेणी-1 आवास-6 नग	4 नग फिनिशिंग स्तर एवं 2 नग पुराने आवासों का मरम्मत शेष।
चहारदीवारी	50 प्रतिशत पूर्ण।
वाह्य स्थल विकास कार्य	मुख्य भवन से गेट तक खड़ंजा पूर्ण, शेष कार्य अभी बाकी।
जलापूर्ति कार्य	बोरिंग पूर्ण, पम्प हाउस एवं ओ0एच0टी0 शेष।
वाह्य विद्युत संयोजन कार्य	विद्युत विभाग में धनराशि जमा नहीं।

निर्माण इकाई द्वारा प्रेषित पुनरीक्षित आगणन रु0 136.89 लाख पर कार्यवाही विचाराधीन है। प्रश्नगत कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु निर्माण इकाई को प्रायोजना के मुख्य भवन एवं विद्युत संयोजन को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है तथा पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति एवं अवशेष धनराशि अवमुक्त होने पर इसे दिनांक 31-12-2007 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।]

जनपद रायबरेली में जिलाधिकारी द्वारा सिंधियार जाति के नाम पर चर्चित थारू जाति के नाम से अनुसूचित जनजिति का प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव गणेश लोधी द्वारा नियम-51 के अर्न्तगत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी...

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[जनपद रायबरेली की सिंधियार जाति के नाम पर चर्चित थारू जाति के नाम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा जारी किया जाता रहा है। इस प्रक्रिया से उस जाति के लोगों में यह अवधारणा बन गयी थी कि सरकार उनके लिए भी आरक्षित कोटे से लाभान्वित करेगी। मगर किन्हीं अज्ञात कारणों से उक्त जनपद के जिलाधिकारी ने यह प्रमाण-पत्र थारू जाति के लोगों को देना बन्द कर दिया है जिससे उन लोगों में यह अवधारणा पैदा हो गयी है कि सरकारी योजनाओं में उनकी कोई अग्रिम भूमिका नहीं होगी तथा उनके परिजजों में कुण्ठा उत्पन्न हो रही है। यह भी सोच बन रही है कि सरकारी नौकरियों में उनका कोई योगदान नहीं होगा तथा वे सदैव आर्थिक संकट से जूझते रहेगें। सरकार की तरफ से उनको पहले प्रमाण पत्र देना तथा बाद में बिना किसी जानकारी के बन्द कर देना, इससे एक भयावह स्थिति तथा मनोमासिन्यता उनके मानस पटल पर घर कर गयी है। सरकार की उनकी इस दशा पर तत्काल विचार करके उनमें उत्पन्न खिन्नता को अगर दूर नहीं किया गया तो स्थिति विस्फोटक बन सकती है तथा अनावश्यक रूप से आरक्षण को लेकर जातीय संघर्ष तथा वर्ग संघर्ष पैदा होगा।

नोटः-- [ ] **यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।**

इस सबन्ध में अवगत कराना है कि निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सर्वेक्षण अध्ययन रिपोर्ट में यह निष्कर्ष एवं सुझाव दिया गया था कि रायबरेली में जो व्यक्ति रहते हैं उन्हें "भटरा" नाम से जाना जाता है तथा उनकी जाति को बेडिया या मंगता या खुंटकढ़ा या सिधियार कहते हैं। सर्वेक्षण अध्ययन 1994-1995 से स्पष्ट है कि रायबरेली जनपद में रहने वाली प्रश्नगत जाति अनुसूचित जनजाति थारु नहीं है। निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपनी आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि जनपद रायबरेली के सेमरी ग्राम में रहने वाले अभक्ष जीवों का भोजन में प्रयोग करते हैं तो हिन्दू समाज की निम्न सामाजिक स्थिति को तथा बेडिया जाति होने को प्रदर्शित करता है।

उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी रायबरेली द्वारा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। समिति ने सम्पूर्ण अभिलेखों की जांच पड़ताल की और मौके पर जाकर व्यक्तियों से पूछतांछ की जो अपने को थारू जनजाति का कहते हैं और इस सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्तियों के पास उपलब्ध अभिलेखो/साक्ष्यों की विवेचना की गयी। जांच समिति द्वारा अपनी जांच जाख्या दिनांक 6-12-2006 को प्रस्तुत की गयी। समिति ने अपनी जांच आख्या में यह पाया कि ग्राम सभा सेमरी विकास खण्ड खीरों जनपद रायबरेली में रहने वाले अनुसूचित जनजाति थारू न होकर अनुसूचित जाति बेडिया के हैं।

अतः स्पष्ट है कि जनपद रायबरेली में निवासरत सिधियार जाति के व्यक्ति थारू जनजाति के व्यक्ति नहीं हैं। अतः इनको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र दिया जाना सम्भव नहीं है।]

आगरा महानगर अन्तर्गत प्रमुख सड़क नेहरू नगर पेट्रोल पम्प से वजीरपुरा होते हुए पालीवाल गेट तक तथा वजीपुरा से नगला बेनी प्रसाद होते हुए गांधी नगर चौराहे तक के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री जगन प्रसाद गर्ग, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[दी गई सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद आगरा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। आगरा का ताजमहल पूरे देश में ही नहीं विश्व में महत्वपूर्ण रूप से प्रसिद्ध है। यहां पर पर्यटन के लिए देश-विदेश में हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं परन्तु यहां की प्रमुख सड़क नेहरू नगर पेट्रोल पम्प से वजीरपुरा होते हुए पालीवाल पार्क के गेट तक एवं वजीरपुरा से

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगला बेनी प्रसाद होते हुए गांधी नगर चौराहे तक अत्यन्त जर्जर एवं खराब हो गयी है जिसके कारण आवागमन में काफी कठिनाई होती है। इन मार्गों पर गड्ढ़े होने के कारण दुर्घटनाएं अत्यधिक होती हैं और आवागमन बाधित होने के कारण जगह-जगह घण्टों जाम लगा रहता है जिससे जनमानस को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उक्त मार्गों के खराब होने के कारण पर्यटकों को पर्यटन करने के बजाय दुर्घटना हो जाने पर अस्पताल जाना पड़ता है। मा0 सदस्य द्वारा इस विषय पर वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद आगरा की सड़के नेहरू नगर पेट्रोल पम्प से वजीरपुरा होते हुए पालीवाल पार्क के गेट तक व वजीरपुरा से नगला बेनी प्रसाद होते हुए गांधी नगर चौराहे तक की सड़कें कॉलोनी एवं घनी बस्ती की सड़कें हैं, जिन पर कालोनी व नगर के अन्य लोगों का आवागमन रहता है। ये सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, जिनके निर्माण हेतु क्रमशः रु0 2068700.00 व रु0 683865.00 के आगमन तैयार किये गये हैं। उक्त सड़कों पर समय-समय पर विभागीय गैंग से पैच कार्य कराया जाता है। वजीरपुरा से नगला बेनी प्रसाद होते हुए गांधी नगर चौराहे तक की सड़क को बारहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। बरसात के उपरान्त बनवा दिया जायेगा। नेहरू नगर पेट्रोल पम्प से वजीरपुरा होते हुए पालीवाल पार्क के गेट तक सड़क सुधार एवं निर्माण कार्य की धनराशि अधिक होने के कारण धन की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

3-यह उल्लेखनीय है कि 74वें संविधान संशोधन के पश्चात् नागर स्थानीय निकाय संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित है। जिनके द्वारा अपने अनिवार्य कर्तव्यों का निर्वहन स्वयं किया जाता है। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पारस्परिक प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए इनका संचालन निगम द्वारा राज्य सरकार से, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप, प्राप्त धनराशि तथा अपने संसाधनों व स्रोतों से प्राप्त धनराशि से किया जाता है। नागर स्थानीय निकायों के दायित्वों व कर्तव्यों के क्षेत्रों में राज्य सरकार की सीमित भूमिका है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते है। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(उसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि 7 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 11 जुलाई, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये ता0 प्र0 सं0-8 का उत्तर पीछे पृ0 18 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2007 के तृतीय बुधवार हेतु निर्धारित श्री सतीश महाना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-08 का संलग्नक

मा0 विधान सभा/विधान परिषद् सदस्यों की संस्तुति पर 07-07 कि0मी0 स्वीकृत मार्गों का विवरण

(अ) कुल 395 मा0 विधान सभा सदस्यों की संस्तुति पर स्वीकृत मार्गों का विवरण :

(धनराशि रु0 करोड़ में)

कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या	कुल स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0)	कुल स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2006-07 में आवंटन	वित्तीय वर्ष 2006-07 में आवंटन
2067	2676.60	513.82	105.80	149.20

(ब) कुल 91 मा0 विधान परिषद् सदस्यों की संस्तुति पर स्वीकृत मार्गों का विवरण :

(धनराशि रु0 करोड़ में)

कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या	कुल स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0)	कुल स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2006-07 में आवंटन	वित्तीय वर्ष 2006-07 में आवंटन
453	617.31	117.93	17.83	32.34

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पृ0 94-138 पर)

मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर चर्चा जो मा0 सदस्य चर्चा में भाग न ले सके उन्होंने अपने लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं वह संलग्न हैं

श्री कृपा शंकर सिंह-

महोदय,

भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण बीघापुर तहसील समाहित है जिसका तहसील मुख्यालय पाटन है। यह तहसील मुख्यालय बिलग्राम-उन्नाव इलाहाबाद राजमार्ग संख्या-38 के ऊपर स्थित है। उन्नाव से बीघापुर तहसील मुख्यालय पाटन की दूरी 45 कि0मी0 है। विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय पर एक गेस्ट हाऊस का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि प्राथमिकता के आधार पर B.U.A. राजमार्ग संख्या 3 पर तहसील मुख्यालय पाटन में एक गेस्ट हाऊस प्राथमिकता के आधार पर बनवाने की कृपा करें।

सादर।

श्री माधो पासवान-

मान्यवर,

हमारे विधान सभा क्षेत्र मुण्डेरा बाजार जनपद गोरखपुर में झगहा से मल्लॉव होते हुए महुआरी मार्ग पर गोर्रा नाले पर बना पुल टूट गया है आवागमन लगभग बन्द है। बड़ी गाड़ियां तो निछले 2-3 वर्षों से बिल्कुल बन्द हैं को जनहित में तत्काल बनवाना अति आवश्यक है इसे बजट में जोड़ दिया जाय। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में निम्न सड़को का बनना अति आवश्यक है मान्यवर, इन सड़कों को बनवाने हेतु बजट में प्राविधान किया जाय :-

(अ) देवरिया मार्ग से डिस्टेलरी तक-2 कि0मी0

(ब) देवरिया मार्ग से गहिरा गांव तक-2 कि0मी0

(स) दूई बांध से बरसइता ग्राम सभा को जाने वाली बांध पर-3 कि0मी0

श्री विनोद चतुर्वेदी-

निवेदन करना है कि लो0 नि0 वि0 माननीय मंत्री जी को जनपद की निम्न समस्याओं को बजट में शामिल करने के सम्बन्ध में निवेदन करना है :-

(1) उरई से राठ रोड-(जिस पर 2 वर्ष से कार्य नहीं हो रहा कराया जाय)

(2) उरई से जालौन-जालौन से औरैया रोड-(दो वर्षों से खराब है)

(3) जोल्हूपुर से भदौरा से हमीरपुर-मार्ग (डेढ़ वर्षों से खराब है)

(4) वेतवा नदी पर कोटरा घाट पर पुल निर्माण कराने हेतु बजट में प्रस्ताव लाया जाय-(जिससे जनपद भदोही से जुड़ेगा)।

(5) उरई से छतरपुर मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज बजट में लाया जाय यह पुल अत्यन्त आवश्यक है। इस मार्ग पर रेलवे फाटक की वजह से अक्सर जाम उरई शहर में रहता है।

(6) उरई बाईपास जो निर्माण होते ही 10 दिन में खरब हो गया है जांच कराकर निर्माण कराया जाय।

(7) मान्यवर उरई बाईपास पर चमारी नाला पर एक पुल पर टोलटैक्स माफ किया जाय क्योंकि वह पुल शहर की सीमा है जिससे शहर के लोग परेशान होते हैं।

(8) मान्यवर, पूर्वांचल के समान ही बुन्देलखण्ड को बजट में पैसे का प्राविधान किया जाय।

श्री निर्मल वर्मा-

मान्यवर,

आपका ध्यान जनपद सीतापुर में मुख्य मार्ग जो सिधौली से बिस्वां वाया लहरपुर लखीमपुर जाता है। मार्ग अति जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। यह मार्ग सीधा सिधौली से राष्ट्रीय उद्यान दुधवा को सीधा जोड़ता है। अतः इस महत्वपूर्ण मार्ग सिधौली से लखीमपुर उच्चीकरण, चौड़ीकरण के साथ पूर्ण कराने का कष्ट करें जिससे कई जनपदों को लाभ मिल सके। साथ ही सीतापुर से वाया बिसवां बहराइच मार्ग चौड़ीकरण उच्चीकरण के साथ पूर्ण कराने का कष्ट करें।

श्री बाला प्रसाद अवस्थी-

मान्यवर,

आपके माध्यम से लोक निर्माण बजट का पूर्ण स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं तथा मा0 लोक निर्माण मंत्री जी के प्रति आभारी हूं कि निम्न धौरहरा विधान सभा के पुल व रपटा लाखों लोगों के हित में शामिल करने की कृपा करें।

(1) ऐरा गन्ना मिल से ईसानगर मार्ग पर वहानाला का पुल।

(2) विकास खण्ड रमियाबेहड़ में बंगाली कालोनी रमियाबेहड़ से भगहर नाला पुल या रपटा सुजानपुर मार्ग।

(3) विकास खण्ड धौरहरा में ग्राम सरजूनगर के पास नाला पर रपटा नरसिहपुर मार्ग।

(4) ऐरा गन्ना मिल से वासा सरैया व नौरंगपुर होते हुए ईसानगर से हसनपुर करौली तक पूर्ण ध्वस्त लेपन स्तर सड़क का निर्माण।

श्री वाचस्पति-

मान्यवर,

सर्व प्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए लोक निर्माण विभाग के बजट का समर्थन करते हुए निम्नलिखित अनुरोध करता हूं :-

(1) कौशाम्बी जनपद में महेपाघाट से चित्रकूट राजापुर के मध्य जमुना पर एक पुल बनाने के सम्बन्ध में।

(2) लेहदरी (सिराथू विधान सभा) में गंगा का पुल बन रहा है इसलिए पुल से सैनी (कड़ ब्लाक) में एकल सड़क है जो लगभग 6 कि0मी0 है चौड़ीकरण करके हाट मिक्स प्लान्ट से बनाने के सम्बन्ध में।

(3) जी0 टी0 रोड (सिराथू) कमासिन से सयारा होते हुए सौरई तक चौड़ीकरण करते हुए हाट मिक्स प्लान्ट से बनाया जाय। (लगभग 5 कि0मी0)

(4) देवीगंज (कड़ा) से अलीपुर जीता का चौड़ीकरण तथा लोक निर्माण रोड जो अफजल सालों घाट तक चौड़ीकरण करते हुए हाट मिक्स प्लान्ट से बनवाने का कष्ट करें मैं आपका आभारी रहूंगा। (लगभग 5 कि0मी0)

श्री कुलदीप सिंह गंगवार-

आपको सादर के साथ अवगत कराना है कि आज जो लोक निर्माण द्वारा 2007-2008 का बजट प्रस्तुत किया गया है मैं इसके पक्ष में अपनी बात कहना चाहता हूं जो लोक निर्माण द्वारा जो पूरे प्रदेश को अम्बेडकर योजना के तहत गांवों को जोड़ने का काम किया जा रहा है वह सराहनी है और लोक निर्माण विभाग द्वारा टेण्डर प्रक्रिया द्वारा माफियाओं पर अंकुश लगाने एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं। वह वास्तव में बहुत ही सराहनीय है टेण्डर प्रक्रिया को समाप्त करना आम जनता के हित की बात है और प्रदेश में अमन चैन स्थापित होगा।

श्री भगवती प्रसाद सागर-

सादर विनम्रतापूर्वक अवगत कराना चाहता हूं कि आपने लोक निर्माण विभाग का ऐतिहासिक बजट पेश किया इसका मैं स्वागत करता हूं।

1-आपसे अनुरोध है कि मऊरानीपुर से गुरुसहाय होते हुए झांसी कानपुर मार्ग को जोड़ने वाला मार्ग की हालत काफी खराब है तथा वाहनों का आवागमन अत्यधिक है, इस कारण इस रोड की मरम्मत तथा चौड़ीकरण कराने का कष्ट करें।

2-विधान सभा मऊरानीपुर जिला झांसी के अन्तर्गत पूराने का सम्पर्क मार्ग जर्जर हालत के हैं इनकी जांच कराकर जर्जर मार्गों की रिपेयरिंग कराने का कष्ट करें।

3-मेरे द्वारा पूर्व में विधान सभा मऊरानीपुर जिला झांसी के अन्तर्गत दिये गये सम्पर्क मार्गों के प्रस्ताव स्वीकृत कर बनवाने का कष्ट करें।

सादर सहित।

श्री राजबली जैसल-

मा0 अध्यक्ष जी, आप मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका आभारी हूं सुश्री बहन मायावती जी के नेतृत्व में मा0 लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में बल देते हुए आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो लोग आज समानता की बात करते हैं शायद उन्हें यह बात याद नहीं हो पा रही है कि सभी सरकारें दलितों के हित की बात करते हैं परन्तु उसे अमली रूप प्रदान करने के लिए बहन मायावती जी ने अम्बेडकर ग्राम योजना की शुरुआत की थी कि उसमें रहने वाले 50 प्रतिशत से अधिक अनु0 जाति/जनजाति के लोग रहते हैं ग्रामों में सड़क निर्माण हो जायेगा तो समग्र विकास हो जायेगा परन्तु समानता की बात करने वाले वे लोग अम्बेडकर ग्राम का विकास रोक करके लोहिया गांव की शुरुआत की परन्तु लोहिया गांव में भी एकरूपता नहीं दिखायेगा। मुझे मालूम हो कि इलाहागाद में ही जो प्रभवशाली रहे हैं सिर्फ उन्हीं के कहने पर ही लोहिया गांव का चयन करके कार्य कराया गया जबकि बहन जी के समय में सभी विधान सभा क्षेत्रों में कार्य कराया जा रहा था। आज माननीय मंत्री ने बहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण अंचलों में सड़क, पुराने पुल जो सकरें हैं उस पुल का फिर से निर्माण कार्य कराने की व्यवस्था

भी बजट में किया है। वह सराहनीय कार्य है इसके पहले की सरकार मात्र घोषणाओं पर विश्वास करती थी, परन्तु सुश्री बहन मायावती जी की सरकार कार्यों को करके दिखाने में विश्वास रखती है इसलिए जो मा0 मंत्री जी द्वारा बजट रखना है उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

श्री गिरीश चन्द्र-

महोदय,

आपसे अनुरोध है कि विधान सभा चन्दौली में एक भी गेस्ट हाऊस नहीं है।

कृपया आपसे अनुरोध है कि मेरी विधान सभा चन्दौली में नगरपालिका चन्दौली में लोक निर्माण विभाग का एक गेस्ट हाऊस बनवाने का आदेश पारित करने का कष्ट करें। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा।

धन्यवाद।

श्री फरहत हुसैन-

महोदय,

मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी विधान सभा के आसपास भी कहीं भी लोक निर्माण विभाग का कोई गेस्ट हाऊस नहीं है।

अतः मेरा निवेदन है कि मेरी विधान सभा में कस्बा बछरायूँ मे एक लोक निर्माण विभाग का एक गेस्ट हाऊस बनवाने की कृपा करें।

श्री नरेन्द्र सिंह-

हमारी विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद में से किसा बौद्ध तीर्थ स्थल है। यह प्रत्येक वर्ष हमारे विदेशी तीर्थ यात्री आते है। इतिहासिक स्थल है पूर्ववर्ती सरकार ने मोहम्मदाबाद से संकिसा तक सड़क को चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया था मान्यवर, विदेशी पर्यटक आते हैं। इस लिये इस मार्ग का चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है। अतः चौड़ीकरण करने का कष्ट करें। इसे बजट में जोड़ने का विचार करें।

(2) दो विकास खण्डों को जोड़कर जनपद मुख्यालय को जाने वाली प्रमुख सड़क है नवाबगंज बवना गुटिना मार्ग संकिसा मोहम्मदा मार्ग तक चौड़ीकरण करवाने हेतु आपेक्षा करता हूं।

अतः उपरोक्त दोनों मार्गों का चौड़ीकरण कराने की संस्तुति करता हूं।

श्री उस्मानुल हक-

आपका आभारी हूं मान्यवर आपने बोलने का मौंका दिया।

विषयः—लोक निर्माण विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव में निम्नलिखित अति ज़र-ज़र सड़कों का पुनः निर्माण कराने के सम्बन्ध में,

मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र देहात 18 जनपद मुरादाबाद में निम्नलिखित पी0डब्लू0डी0 मार्गों की स्थिति क्षतिग्रस्त है।

1-मुरादाबाद टिहरी मार्ग से गोधी ग्राम वि0 खण्ड, मुरादाबाद 1.50 किमी पी0डब्लू0डी0 मार्ग अति क्षतिग्रस्त है। पुनः निर्माण डामर स्तर।

2-ग्राम खैरखाता वि0 खण्ड मूढापांडे 1.50 किमी दलपतपुर, अलीगंज मार्ग से पुनः निर्माण डामर स्तर।

3-दलपतपुर अलीगंज मार्ग से सिरसखेड़ा मार्ग 3 किमी0 पी0डब्लू0डी0 अतिक्षतिग्रस्त है पुनः निमार्ण डामर स्तर। वि0ख0 मूढ़ापांडे।

4-दलपतपुर अलीगंज मार्ग से सरकहा खास पी0डब्लू0डी0 मार्ग वि0 खण्ड मूढ़ापांडे अति क्षतिग्रस्त है पुनः निर्माण डामर स्तर।

मान्यवर, कृपा करके इन मार्गो को इस बजट वर्ष 2007-2008 में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

हाजी अब्दुल समद अंसारी-

मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र नख्खीघाट पुल व सड़क की जर्जर स्थिति को सुधारने के लिए इस बजट में शामिल किया जाए और सुधार की दिशा में पहल किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

डा0 कौशल किशोर-

मैं लोक निर्माण विभाग अनुदान संख्या-57 में पेश बजट की कटौती पर बोल रहा हूं मान्यवर, हमारा जनपद तराई क्षेत्र का है और नैपाल की सीमा से लगा हुआ है। मान्यवर, हमारे जनपद में एन0एच0रोड बहुत कम है जो सड़के हैं भी वह बहुत ही पतली हैं टूटी-फूटी और जर्जर है चलने-फिरने लायक नहीं है। मान्यवर, लखीमपुर बेहगम मैंगलगंज मार्ग को चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण होना था पत्थर गिरा दिया गया लेकिन काम रोक दिया गया। लखीमपुर खीरी लहरपुर मार्ग अति जीर्ण-शीर्ण हैं। कृपया इसे बनवाने का कष्ट करें। लखीमपुर अमृतागंज मार्ग विकास को रो रहा है। यह बहरायाची रोड के नाम से मशहूर है। इसकी तरफ सरकार का अवश्य ध्यान जाना चाहिये। लखीमपुर अलीगंज मार्ग बहुत ही महत्व का है लेकिन पतला बना होने के कारण वाहन को क्रास करना मुश्किल होता है। पीलीभीत बस्ती मार्ग बहुत दिनों से बन रहा है गति बहुत ही धीमी है। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना पूरी तरह से रुकी पड़ी है। एक भी सड़क नहीं बन रही है। सात कि0मी0 सड़क जो माननीय नेता जी ने सभी विधायकों को दी थी वह अब नहीं बन रही है।

मान्यवर, हमारे शहर लखीमपुर में सीतापुर रोड पर रेलवे क्रासिंग व कृष्णा टाकीज के पास गोला रोड पर घंटो गेट बंद होने की वजह से आवागमन रुका रहता है इन दोनो क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाना अति आवश्यक है मान्यवर, अब में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

कृपया 40 बहेड़ी जनपद बरेली विधान सभा के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य आपके विभाग द्वारा होना अपरिहार्य हैं :-

1-रिच्छा पीलीभीत मार्ग का चौड़ीकरण	दूरी-15 कि0मी0
2-बरा-बरौर मार्ग का डामरीकरण	दूरी-15 कि0मी0
3-इटौआ-शरीफनगर मार्ग का डामरीकरण	दूरी-10 कि0मी0
4-डूड़ा शुमाली से भाटिया फार्म तक पुनर्निर्माण	दूरी- 8 कि0मी0

5-ग्राम चौड़ेरा पर नदी का पुल (दमखोदा ब्लाक)
6-ग्राम बसुधरन पर नदी का पुल (शेरगढ़ ब्लाक)
7-ग्राम अटरिया माधौपुर पर नदी का पुल (दमखोदा ब्लाक)
8-ग्राम आखा पर नदी का पुल (बहेड़ी ब्लाक)
9-चुरैली डाम से सेमीखेड़ा तक शारदा नहर पर सड़क निर्माण
10-बरेली नैनीताल मार्ग पर देवरनियां टाउन एरिया पर पुनर्निर्माण

श्री विशम्भर सिंह यादव-

महोदय,

मेरी विधान सभा बबेरू अति पिछड़ा है अभी तक गांवो में 9 कि0मी0 तक ऊबड़-खाबड़ रास्ते में पैदल चलकर जाना होता है डाकू ग्रस्त इलाका है। सड़के का रख-रखाव कमजोर है। आज भी भदांव, मवई, दलपापुर, कलक्टर पुर घोष्ड़ तथा मछों से कमासिन रोड़ वील में दो पुलो और 3 कि0मी0 डामरीकरण ने होने के कारण डाकुओं की स्थली बनी है उपरोक्त गांवो के लिए सड़क बनना अति अनिर्वाय है। मरो में पीपे के पुल का निर्माण नितान्त आवश्यक है। जिससे फतेहपुर बबेरू से सीधे जुड़ेगा और डाकू समस्या खत्म होगी दादीकमासिन रोड़ से श्योहारा पुरवा होते हुए ताआ मऊ तक 6 कि0मी0 सड़क बनने पर लोगों का आवागमन ब्लाक तक हो जाएगा।

साथ ही कमासिन राजापुर रोड के 4 कि0मी0 से जमरेही वाया वछौघा होते हुए ममसी और सिंहपुर मार्ग आधे से ज्यादा बना हुआ है। मिट्टी कार्य हो चुका है। अगर डामरीकरण का कार्य पूरा हो जाए तो बागों के किनारे डाकुओं का भय खत्म हो जाएगा और आवागमन के साधन निर्वाध गति से चलेगें और पिछड़े इलाके के लोग इसे बींसबी सदी में अपने आप से पाकर खुश होंगे आज वहां लोग 16वीं सदी का जीवन जी रहे हैं।

श्री भगवान दास-

महोदय,

सानुरोध निवेदन के साथ अवगत कराना है कि वर्ष 2007-2008 बजट लोक निर्माण मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किये, बहुत ही सराहनीय है। इस बजट को देखने से प्रतीत होता है कि पूरे प्रदेश में सड़कों का संजाल सा बिछ जायेगा। यानी अधिकतर ग्राम मुख्य मार्गों से जुड़ जायेगा। जिससे प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा।

अतः हम इस बजट का पुरजोर समर्थन करते है।

श्री जीतेन्द्र कुमार-

महोदय,

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि वर्ष 2007-2008 का बजट जो आपके समक्ष सदन में मा0 लोक निर्माण मंत्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही सराहनीय है। हम जोर देकर कह सकते है कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछेगा ही साथ ही प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा।

अतः हम इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री कालीचरन राजभर-

सेवा में,

मा0 अध्यक्ष जी,

विधान सभा लखनऊ, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आप को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे लोक निर्माण मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित बजट पर बोलने के लिए मौका दिया। मैं आभार प्रकट करता हूं। मा0 मैं इस बजट के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने जो प्रदेश की जनता के लिए कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया इस बजट में 2007-2008 में आर0आई0डी0एफ0 योजना के तहत मार्ग कार्यों के लिए 63.00 करोड़ रुपया प्रस्तावित है तथा नये मार्ग कार्यो के लिए 119.66 करोड़ प्रस्तावित है यह पर्याप्त रूप से सन्तोष जनक है। मान्यवर 2007-2008 में अधूरे सेतु हेतु 68.9864 करोड़ रुपये तथा नये सेतु के लिए 18.4536 करोड़ रुपये प्रस्तावित है तथा रेलवे पुल के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है।

मा0 स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षों में चयनित ग्रामों को संतप्त करने के लिए वर्ष 07-08, 300.00 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। मान्यवर, अध्यक्ष जी, वर्ष 07-08 में एक महत्व पूर्ण योजना डा0 भीम राव अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के नाम से संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1000.00 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। तथा इसके अतिरिक्त अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत 07-08 में 6.00 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, 95'96, 97-98, 02-03, तथा वर्ष 03-04 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों के विकास के लिए 354.29 करोड़ का प्राविधान किया गया है तथा नये कार्यो के लिए 150.00 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जिसमें पिछले वर्ष के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

मान्यवर, 07-08 वर्ष में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत विभिन्न फेज में 1000.00 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। मान्यवर-माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, 07-08 वर्ष में समाप्त विकास योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के लिए 200.00 लाख रुपये का प्रस्ताव किये है जो स्वागत करने योग्य है।

मान्यवर, विभाग द्वारा लखनऊ में राज्य सम्पति विभाग के सभी भवनों के मरम्मत तथा निर्माण एवं राजभवन के0डी0सिंह बाबू स्टेडियम, मा0 उच्च न्यायालय एवं सर्किट हाऊस लोक निर्माण के भवनों के मरम्मत एवं निर्माण के लिए 85.5139 करोड़ प्रस्तावित है। तथा नये मण्डल के लिए तथा सर्किट हाऊस निर्माण के लिए 23.00 करोड़ रुपया का प्राविधान किया गया है।

मा0 अध्यक्ष, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मै इस लोकप्रिय, कल्याणकारी एवं जनहित में जो बजट पेस मा0 मंत्री जी ने किया है। मैं तहे दिल से समर्थन करने हुए अपने खण्डों पर विराम देता हूं। जै हिन्द!

कृपया इसे कार्यवाही में सम्मिलित करने की कृपा करें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मैं गोप जी द्वारा लोक निर्माण विभाग पर कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट अधिकारियों द्वारा लिखा दस्तावेज है मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं तत्कालीन मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी को उन्होंने बुन्देलखण्ड के लिए 500 करोड़ से अधिक की धनराशि दी थी जिसमें बांदा पपरेन्दा हमीरपुर सम्पर्क मार्ग, बांदा-बबेरू सम्पर्क मार्ग बांदा-नरैनी कालिंजर सम्पर्क मार्ग, बांदा-विसण्डा-ओस सम्पर्क मार्ग तथा बांदा-तिन्दवारी फतेहपुर मार्ग पर करोड़ों की धनराशि दी है जो कार्य प्रगति पर थे सरकार बनते ही गति धीमी हो गयी है तथा बारा-गलौली प्लान्टून पुल का निर्माण तथा राजापुर का पुल तथा मोगरी नाले पर पुल का निर्माण पूर्व सरकार में कराया गया। मैं बधाई देता हूं लेकिन मा0 मंत्री जी बांदा शहर के लिए बाईपास रोड की मांग की गयी थी लेकिन बजट में कुछ नहीं कहा तथा तिन्दवारी विधान सभा के (1) नरी-पलरा मार्ग, (2) बरेहटा-शिवरामपुर-छनिहचडेरा सम्पर्क मार्ग, (3) रैपुरा-टेढ़ा सम्पर्क मार्ग, (4) झझरीपुरवा-मजपुरा सम्पर्क मार्ग (5) पदारथपुर भवानीपुर सम्पर्क मार्ग, (6) बांदा महोना रोड से दुरेड़ी पहरा मध्य प्रदेश वाडर तक सम्पर्क मार्ग, (7) नरजिता सम्पर्क मार्ग, (8) कानाखेड़ा-गौरीखुर्द सम्पर्क मार्ग निर्माणाधीन है जहां पर ठेकेदारों के द्वारा मानक के विरुद्ध कार्य करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मान्यवर, बांदा जनपद में गत वर्षों से अब तक बनायी गयी सड़कों की लम्बाई स्वीकृत के अनुसार न बनाकर अधूरी छोड़ दी जाती हैं तथा टेण्डर के उपरान्त जो धनराशि सम्पर्क मार्गों में बचती है उसका घोटाला किया जा रहा है जांच करायी जाय तथा मैं मांग करता हूं कि जनपद बांदा के मटौन्ध, जसपुरा में डाक बंगला बनवाया जाय तथा यमुना नदी पर चिल्लाघाट पर पक्का पुल बनाया जाय। चन्द्रावल नदी पर पडोहरा पर पुल बनाया जाय तथा ग्राम कुकुवा खास से अमलोर सम्पर्क मार्ग तथा अमचौली सम्पर्क मार्ग तथा हरवंश पुरवा पचकौरी सम्पर्क मार्ग तथा पडेरी सम्पर्क मार्ग, कानाखेड़ा नरायन सम्पर्क मार्ग बनवाया जाय तथा जनपद बांदा में स्वीकृत सभी सम्पर्क मार्गों की धनराशि अवमुक्त की जाय तथा राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर-महोबा में पी0एच0पी0/सी0एच0पी0 भवन निर्माण में धांधली की जा रही है जांच कराकर मानक के अनुसार कार्य कराये जायं तथा बांदा पपरेन्दा से चिल्ला मार्ग का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण कराया जाय तथा पैलानी-गलौली सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाय तथा बांदा शहर में सर्किट हाउस बनाया जाय।

मान्यवर, बसपा सरकार ने अपने बजट भाषण में साबित कर दिया है कि चार बार सरकार बनने के बावजूद 1995-96 व 1997-98 व 2002-2003 व 2003-2004 (अगस्त, 2003) में 1500 अम्बेडकर ग्राम असन्तप्त रह गये इसका मतलब है इन्होंने केवल भाषण दिया है बजट की व्यवस्था नहीं की है बजट में 1000 करोड़ अम्बेडकर ग्राम सभा योजना में प्रस्तावित किया है लेकिन 6 करोड़ की व्यवस्था स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना में रखी है। इसलिए मैं कटौती पर बल देता हूं।

श्री अशोक कुमार सिंह-

महोदय,

रायबरेली जनपद में रायबरेली लालगंल व रायबरेली सुकुल बाजार वाया महराजगंज रोड पर केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये धन के दुरुपयोग में अधिकारी व ठेकेदारों के विरुद्ध मुकदमें कायम किये

गये तथा कुछ जेल गये कुछ बाहर घूम रहे हैं। महोदय उन सड़कों का कार्य अधूरा है। मैं मांग करता हूं कि पूरे रायबरेली में केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये व राज्य सरकार के सभी कार्य यथशीघ्र कराये जायं।

महोदय, महराजगंज हैदरगढ़ मार्ग पर कुबना गांव के पास बन रहा पुल कई वर्ष से पूरा नहीं हो रहा है गुणवत्ता भी खराब है उसे शीघ्र पूरा कराने की व्यवस्था इस सरकार ने अपने बजट में नहीं किया है। महोदय सड़कों में बेलदारों की कमी को भी पूरा किया जाय। बछरावां लालगंज मार्ग पर बछरावां में उपरिगामी सेतु के निर्माण की भी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय। महोदय, बांदा बहराइच राजमार्ग वाया बछरावां को पुनः चौड़ीकरण कर बनवाया जाय।

श्री जावेद अंसारी-

मैं आपके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2007-2008 के अनुदान संख्या 54 से 59 लोक निर्माण विभाग के आय-व्ययक धनराशि कम करने के श्री अरविन्द सिंह गोप जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

माननीय लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा आंकड़ों की बाजीगिरी के साथ पिछली सरकार से बड़ा बजट पेश करने की ललक में अपना रिकार्ड बनाने के प्रयास में इसे प्रस्तुत किया है। विभागीय कार्यों में माफियागीरी को रोकने और गुणवत्ता पर विशेष सतर्क दृष्टि रखने का प्रयास निश्चित रूप से अच्छा कहा जाएगा लेकिन इसके पीछे नीयत अच्छी होनी चाहिए। लोकलुभावन बजट की भाषा मात्र काफी नहीं होगी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करने वाली सरकार पर जाति विशेष और स्थान विशेष के संरक्षण की आशंका कई सदस्यों ने व्यक्त की है इसलिए लोक निर्माण विभाग को इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए अपने विभाग के कार्य सर्वजन हिताय के लिए करने का माननीय सदस्यों को आश्वासन देकर आशंका को निर्मूल साबित करना चाहिए।

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि काशी और प्रयाग के बीच बसा हुआ ऐतिहासिक शहर जौनपुर इस बजट में पूरी तरह उपेक्षित है। बजट में जौनपुर के विकास के लिए अवश्य ही प्राविधान होना चाहिए था यह शहर पर्यटन की असीम सम्भावनाओं को अपनी कोख में समेटे हुए है लेकिन उपेक्षा का लगातार शिकार बनता चला आ रहा है। इसलिए सरकार की नीयत की बात मैंने पहले कही थी, पूरे प्रदेश का समान विकास करने का अगर सरकार का वादा सही है और नीयत भी साफ है तो जौनपुर का विकास भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

जौनपुर के करंजाकलां ब्लाक में गोमती नदी पर छुंछा घाट है। इस पार सदर विधान सभा क्षेत्र है तो उस पार रारी विधान सभा का क्षेत्र है। नदी के इस पार उस पार में मात्र 500 मीटर की दूरी है लेकिन सड़क मार्ग से 50 कि0मी0 का सफर तय करना मजबूरी है। बीसों वर्षों से इस छुंछा घाट पर पुल निर्माण की मांग की जाती रही है अब चुनाव आयोग के नये परिसीमन से इस नदी के दोनों ओर का क्षेत्र नई विधान सभा में आ जाएगा मगर दोनों को जोड़ने का कोई मार्ग नहीं है इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इस बजट में छुंछा घाट पर पुल निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

जौनपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी सड़कें अभी भी काफी जर्जर हैं। जौनपुर-शाहगंज रोड, जौनपुर-मिर्जापुर रोड चकताली-लाइन बाजार रोड, भण्डारी रेलवे स्टेशन से रसूलाबाद

होते हुए जौनपुर शाहगंज रोड तक की सड़कें दयनीय स्थिति में हैं मड़ियाहूं से मछलीशहर की 7 कि0मी0 सड़क का निर्माण अवशेष है, मड़ियाहूं टाउन की पुरानी सड़क जर्जर है। जौनपुर शहर की कई सड़कें निर्माण के अभाव में गड्ढायुक्त हैं। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी बजट में मेरे प्रस्तावों को सहृदयता से स्थान देंगे ताकि हमारे जनपद के लोग भी आभारी हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं। अध्यक्ष जी आपने मुझे बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री संजय कपूर-

मैं आपका ध्यान जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर मिलक की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं यह क्षेत्र उत्तरांचल से जुड़ा हुआ है जिसकी सड़कों व पुलों का जाल बिछा हुआ है तथा जो भी व्यक्ति नैनीताल के लिए जाता है उसको इस मार्ग से गुजरना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री से कहना चाहता हूं कि हमारी माननीया मुख्य मंत्री बहन कु0 मायावती जी चाहती हैं कि प्रदेश का विकास हो और प्रदेश हिन्दुस्तान के नक्शे पर अपनी पहचान बना सके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान बिलासपुर मिलक की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनकी मांग पिछले कई वर्षों से चली आ रही है।

तीन पानी खेड़िया मार्ग पर पुल जो कि बिलासपुर में स्थित है जिससे पचास से भी अधिक गांव प्रभावित हैं तथा पदपुरी से चन्दपुर। जदीद मार्ग पर पुल बनना जनहित में यह दोनों पुल बनना बहुत जरूरी हैं माननीय अध्यक्ष मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि बिलासपुर एहरो मार्ग जिस पर लगभग पचास हजार से भी अधिक लोग रोज चलते हैं जो कि सिंगल रोड है तथा मनकरा केमरी मार्ग जो कि मिलक व बिलासपुर को जोड़ने वाला अत्यन्त महत्वपूर्ण बाईपास है इन दोनों मार्गों का चौड़ीकरण होना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष जी, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मांग है जो कि बिलासपुर से उत्तरांचल को जोड़ता है यह मार्ग विशारतनगर से हामिदाबाद होता हुआ नवाबगंज को जाता है जो कि उत्तरांचल को जोड़ता है इसका निर्माण भी जनहित में होना नितान्त आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष जी इन मार्गों की मरम्मत होना जनहित में नितान्त आवश्यक है :-

(1) डण्डिया से सिलई बड़ा गांव (ब्लाक मिलक)

(2) धनौरा से रमपुर मार्ग (ब्लाक विलासपुर)

(3) विलासपुर रुडपुर मार्ग से बंगाली कालोनी (ब्लाक विलासपुर)

(4) धमौरा से एचौरा मार्ग (ब्लाक मिलक)

माननीय अध्यक्ष जी, उपरोक्त सभी मांगें जनहित में अनिवार्य हैं उम्मीद करता हूं कि मा0 लोक निर्माण मंत्री जी अपने 2007-2008 के बजट में शामिल करेंगे तभी सही मायने में प्रदेश का विकास होगा तथा बहन कु0 मायावती जी की जो सोच है वह पूरी होगी और प्रदेश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा तथा अन्य प्रदेशों उत्तरांचल की तरह सड़कों का जाल बिछेगा।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया लोक निर्माण के इस बजट पर मैं आपका आभारी हूं तथा उम्मीद करता हूं यह सब कार्य जनहित में इस बजट में शामिल करने के लिए मा0 मंत्री जी को निर्देशित करेंगे।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

महोदय,

झांसी एक ऐतिहासिक नगरी है, पिछली सरकार ने 7 कि0मी0 की रोड़ स्वीकृत की थी जो आज भी शुरू नहीं हुई आपसे आग्रह है निम्न मार्गों पर कार्य कराने का कष्ट करें :-

1-पालीटेक्निक पुलिस चौकी से लहर गिर्द तक।

2-हसांरी से श्री नगर तक सम्पर्क मार्ग डेढ़ कि0मी0।

3-कोछाभावंर ग्राम में सम्पर्क मार्ग।

4-लहर गिर्द-शिवपुरी रोड से लहर गिर्द ग्राम तक कानपुर रोड से करगुंवा जैन मन्दिर से करगुंवा ग्राम तक आवास विकास कालोनी से पीरिया रोड होते हुए खोड़न ग्राम तक।

आपसे आग्रह है कि उपरोक्त मार्गों को बजट में शामिल कर निर्माण करने का कष्ट करें।

श्री अब्दुल वारिस खां-

मैं लोक निर्माण विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री को अपने क्षेत्र थाना भवन विधान सभा जनपद मुजफ्फरनगर के कुछ मुख्य मार्गों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनमें प्रमुख तौर पर थाना भवन ऊन जिनजान मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण विडौली चौसाना मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण पानी पथ खटना राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई बढ़ाने व यमुनोत्री दिल्ली मार्ग को चौड़ाई को चार लेन करने के लिए निवेदन करता हूं। थाना भवन ऊन जिनजाना मार्ग करनाल मेरठ राजमार्ग व दिल्ली यमुनोत्री मार्ग को जोड़ता है इस पर वाहनों का भारी आवागमन रहता है क्योंकि इस मार्ग पर थाना भवन नगर पंचायत व जिनजाना नगर पंचायत व अनेक गांव को होकर गुजरता है इस मार्ग का बनाना जनहित में आवश्यक है। मैं मा0 लोक निर्माण विभाग मंत्री से चाहूंगा कि मेरे प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक गौर कर इन्हें कराने की कृपा करें।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मैं बजट पर अपनी बात रखना चाहता हूं मैं बजट पर लोक निर्माण विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं की बजट में लोनी से लेकर गंगोत्री तक राजकीय मार्ग को राष्ट्रीय राज्य मार्ग के रूप में परिवर्तित करके बनवाने का काम मंत्री महोदय करें। प्रत्येक गांव को पक्की सड़क मार्ग से जोड़ने की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों को सरकार बनाने का काम करे। जिसमें खिवाई से करनावल मार्ग, मेरठ से वाया रोहटा बसावा मार्ग, सरधना से बरनावा मार्ग, जसड़ से पांचली मार्ग, दोघट से कस्बा टीकरी, कान्हड़ से कस्बा दोघट, बामनौली से सिरसली मार्ग, दाहा से गढ़ी कामरान होते हुए फौलादनगर तक सम्पर्क मार्ग को सरकार बनवाने का काम करें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी प्रदेश में 38984 ग्राम अभी तक सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़ पाये है सरकार इन सभी ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का काम करे मान्यवर, मैं

अपनी बात समाप्त करता हूं आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

डा0 अजय तोमर-

महोदय,

लोक निर्माण विभाग के बजट कटौती प्रस्ताव में मेरी विधान सभा क्षेत्र छपरौली जो यमुना नदी के किनारे स्थित है इस नदी के दूसरी तरफ हरियाणा है। मान्यवर, पूर्व में प्रस्तावित छपरौली टाण्डा पर यमुना नदी पर यू0 पी0-हरियाणा को जोड़ने हेतु पुल के निर्माण को इस बजट में समायोजित करने का कष्ट करें।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग के बजट कटौती प्रस्ताव में मेरी विधान सभा क्षेत्र छपरौली की निम्न सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है इन पर वाहन की संख्या अधिक है अतः निम्न को वर्ष 2007-2008 के बजट में समायोजित करने का कष्ट करें :-

(1) रमाला-टाण्डा मार्ग का चौड़ीकरण व उच्चीकरण व नाला निर्माण।

(2) बराल-छपरौली मार्ग का चौड़ीकरण व उच्चीकरण व नाला निर्माण।

(3) बड़ौत-छपरौली मार्ग के ग्रामीण आबादी क्षेत्र में नाला निर्माण।

श्री सत्यपाल सिंह-

मेरे क्षेत्र खैर जनपद अलीगढ़ की सीमायें हरियाणा एवं नोयडा से लगी हैं। अलीगढ़-टप्पल-पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग सीधा हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचता है। इस राजमार्ग के अलावा क्षेत्र की सभी सड़कें टूटी पड़ी हैं। इस बजट में, आपसे निवेदन है निम्न सड़कें सुधारने हेतु धन आवंटित करने का प्राविधान सरकार से करने के लिए आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे जिससे गांवों के यातायात के साधन अच्छे हो सकें व गांवों का स्तर ऊंचा उठ सके :-

1-P.T.A. (पलवल-टप्पल-अलीगढ़) राजमार्ग के टप्पल से मानपुर होते हुए-वैना बूढ़ा का 12 कि0मी0।

2-P.T.A. से टप्पल से लालपुर गांव तक 06 कि0मी0।

3-P.T.A. से धरबरा गांव होते हुए आदमपुर गांव तक 07 कि0मी0।

4-P.T.A. से टप्पल से टप्पल से सिमरौली होते हुए मालव गांव तक 10 कि0मी0।

5-P.T.A. राजमार्ग से कुराना गांव से वाजौता होते हुए मौर गांव तक 07 कि0मी0।

6-P.T.A.राजमार्ग से बझेड़ा गांव से खेरिया बुजुर्ग होते हुए बुलाकीपुर गांव तक 06 कि0मी0।

7-P.T.A.राजमार्ग से तकीपुर गांव से कीलपुर होते हुए मथना गांव तक 06 कि0मी0।

8-P.T.A. राजमार्ग से अन्दला गांव से मनौली गांव तक 07 कि0मी0।

9-P.T.A.राजमार्ग से फतेहपुर गांव से बम्बे पर हुए घूमरा गांव तक 05 कि0मी0।

10-P.T.A.राजमार्ग से जट्टारी से सलेमपुर भावक से खेरिया खुर्द नजलिया गौरौला होते हुए धांधौली तक लगभग 12 कि0मी0।

सादर।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

महोदय,

मेरे जनपद जालौन में वेतवा नदी जनपद के 3/4 भाग में बहती है। उससे बालू, मौरंग खनन् का कार्य हो रहा है। तथा ठेलों, ट्रकों से बालू, मौरंग प्रदेश के कोने-कोने में जाता है। लेकिन ट्रकों में 9 टन माल ले जाने का परमिट है लेकिन वह 25 से 40 टन माल बालू ले जाते है। जिससे जनपद की सभी रोड़े उखड़ जाती है।

अतः ट्रकों पर सरकार अकुंश लगाये जिससे जनपद की रोड़े उखड़ने न पाये।

डा0 राज कुमार सिंह गौतम-

लोक निर्माण विभाग मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में भाषणः--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने लोक निर्माण विभाग के बजट पर अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं इस बजट में किये गये प्रावधान के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बजट के समर्थन में बोले हुए हर वाक्य से अपने को जोडता हुआ यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शरीर में रक्त का संचार नसों एवं नाड़ियों के माध्यम से होता है उसी प्रकार किसी भी प्रदेश में विकास को गति देने की जिम्मेदारी वहां की सड़कों और सेतुओं की है। इस कसौटी पर वर्तमान बजट उत्साह वर्धक एवं लोकहितकारी है। वर्तमान बजट में साढ़े तीन हजार ग्राम सभाओं को सम्पर्क मार्गो से जोड़ने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त बुन्देल खण्ड एवं पूर्वांचल विकास निधि सहित अनेक निधियों के माध्यम से भी सड़कों एवं सेतुओं हेतु धन की व्यवस्था की गयी है। इतना ही नहीं इस बजट में सड़कों के मानक एवं गुणवत्ता को भी उच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। जहां एक तरफ हमारी सरकार द्वारा इतने लोक हितकारी कदम उठाये गये हैं वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब टेण्डर माफियाओं के माध्यम से न सिर्फ किया बल्कि इस पूरे प्रदेश भी विनाश के रास्ते पर ढकेल दिया। ऐसी व्यवस्था देने वाले लोग भी आज इस बजट पर उंगली उठा रहे है। मैं इन आपत्तियों को खारिज करते हुए इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए इसमें अपने जनपद गाजीपुर एवं विधान सभा क्षेत्र जमानिया के लिए निम्नलिखित प्रावधानों की जोड़ने हेतु निवेदन करता हूंः--

1-हमारे जनपद गाजीपुर मुख्यालय पर बीच शहर से रेलवे लाइन गुजरती है और ट्रैक (अतिव्यस्त) पर जब ट्रेन गुजरती है और फाटक बन्द हो जाता तब राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लम्बी कतार लग जाती है और पूरा शहर जाम की समस्या से जकड़ जाता है। इस समस्या से जनपदवासी नागरिकों को निजात दिलाने हेतु एक ओवरब्रिज बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान करें।

2-मेरे विधान सभा का एक बड़ा हिस्सा नक्सल प्रभावित है इसे लोग 'गन्धू तालूका' नाम से जानते हैं यह कर्मनाशा नदी के किनारे बसे कई गांवों का समूह है। इस पूरे क्षेत्र में सड़कें अत्यन्त जर्जर है और वर्षा ऋतु में इस पूरे क्षेत्र का सम्पर्क बाकी जनपद से कट जाता है। बाढ़ की समस्या से भी ये सीमावर्ती गांव प्रभावित होते हैं। इस पूरे क्षेत्र के लिए एक

विशेष पैकेज दिया जाय जिससे इस क्षेत्र के नागरिकों को भी सामान्य जीवन यापन की सुविधा प्रदान की जा सके।

श्रीमती अर्चना सरोज-

महोदय, आपको ससम्मान अवगत कराना है कि हमारे विधान सभा, 233 भदोही में सड़कों की अत्यन्त दुर्दशा है आम जनता को काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है। जब कि भदोही सबसे अधिक राजस्व प्रदान करने वाला कालीन नगरी व डालर नगरी के नाम से विश्व में विख्यात है। सड़को के साथ तब और दयनीय हो जाती जब रेलवे फाटक बन्द हो जाता है घन्टों जाम रहना आमबात हो जाती। अतएव आपसे अनुरोध है कि एक ओवर ब्रिज भदोही में बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान माननीय लोक निर्माण मंत्री करें। ये ओवर ब्रिज पकरी तिराहे भदोही नगर पर आम जनता के लिए राहत व ऐतिहासिक कदम होगा।

सादर सहित।

कु0 मीता गौतम-

मान्यवर,

इस पत्र के माध्यम से आज मैं लोक निर्माण विभाग के बजट को समर्थन देते हुए मैं खुले दिल से इसकी सराहना करती हूं इससे अच्छा बजट और हो ही नहीं सकता जिसमें माननीय मंत्री जी केवल किसी खास जिले का नहीं वरन् सभी जिलों के व सभी वर्गों को ख्याल में रखकर इस बजट को बनाया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराना चाहती हूं उम्मीद है मेरी समस्याओं को भी अपने बजट में शामिल करेगें। मान्यवर, मेरा क्षेत्र काफी पिछड़ा है वहां की सड़कें काफी खराब हैं। देवा शरीफ से लेकर मेरे क्षेत्र फतेहपुर तहसील को जोड़ने वाला मार्ग लगभग 15 से 16 कि0मी0 एकल मार्ग हैं एकल मार्ग होने की वजह से इस मार्ग पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि इसका चौडीकरण व इसे हॉट मिक्स प्लान्ट से बनवाने का कष्ट करें। मान्यवर, इसी मार्ग के बीच में एक रेलवे क्रासिंग है जिसके ऊपर एक पुल अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि अक्सर ट्रेनों के आवा-गमन की वजह से फाटक बन्द रहता है। जिससे किसी आवश्यक कार्य में जाने के लिये क्षेत्रीय नागरिकों को काफी देर व असुविधा होती है ये फतेहपुर तहसील जाने व तहसील से बाराबंकी जाने का मुख्य मार्ग भी है। इस पुल के निर्माण को भी माननीय मंत्री जी अपने बजट में शामिल करेगें ऐसी मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। मान्यवर, मेरे इस निवेदन को आप आज की कार्यवाही में सम्मिलित करेंगे इसके लिये में आपको धन्यवाद देती हूं।